ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 52 अंक : 12 | अक्तूबर 2006 | मूल्य : 15 रुपये

भारत निर्माण

ग्रामीण विकास की समयबद्ध योजना

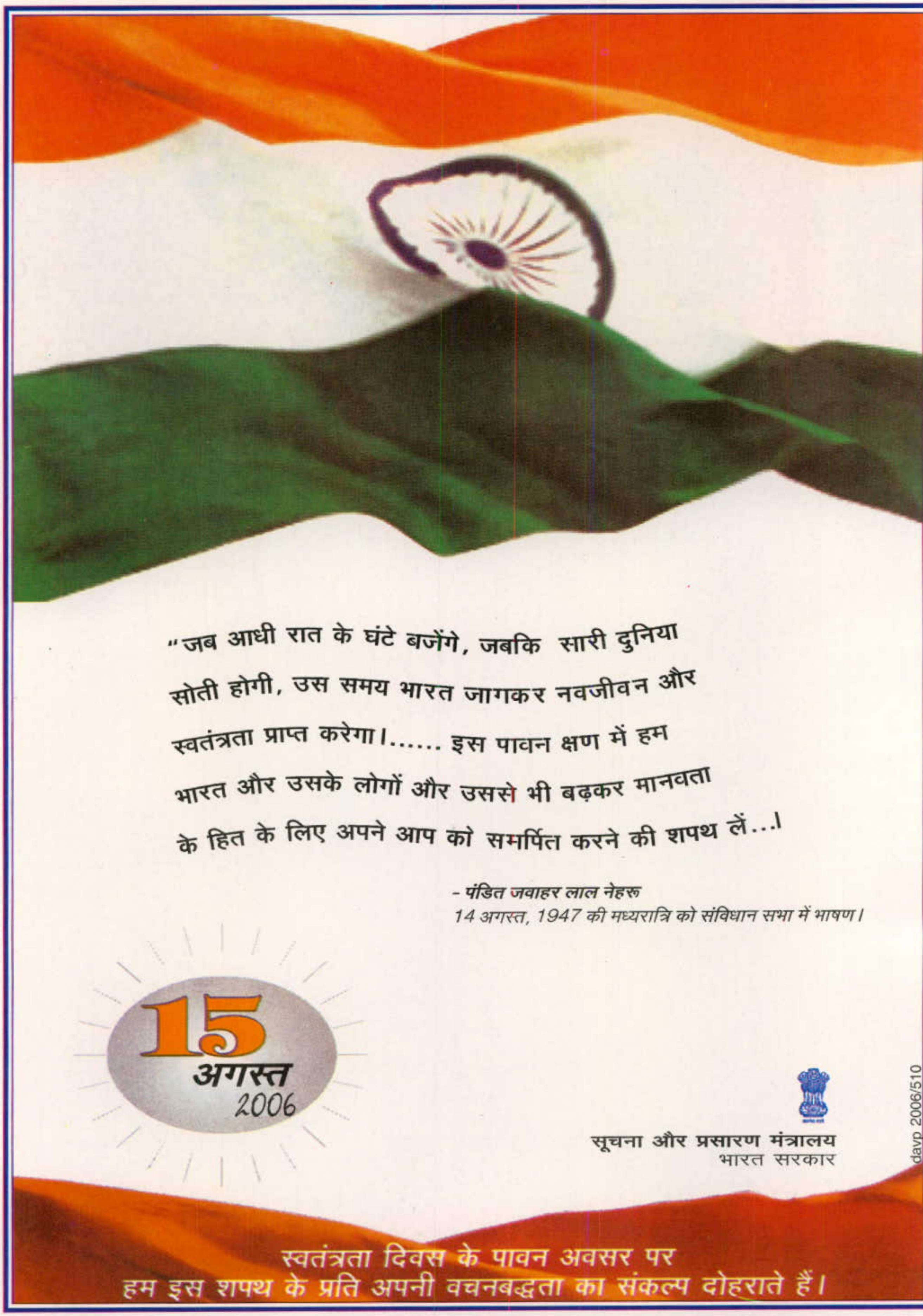

davp 2006/510

KH-10/06/02

वर्ष : 52 ● वार्षिक अंक ● पृष्ठ : 96

आश्विन–कार्तिक 1928, अक्तूबर 2006

संपादक

स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक

जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण

रवि गोस्वामी

सज्जा

रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

● गुणवत्तायुक्त संरचना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूप–परिवर्तन	के.के. त्रिपाठी	3
● ग्रामीण आवास : आयाम और मुद्दे	वी. माधवराव और श्रीधर सीतारमण	6
● भारत–निर्माण के विकासमान लक्ष्य	आशुतोष शुक्ल	10
● ग्रामीण आवास : बदलता परिदृश्य एवं अभिनव योजनाएं	उमेश चन्द्र अग्रवाल	14
● ग्रामीण विकास की रफ्तार	अनन्त मित्तल	17
● गांवों की खुशहाली में सड़कों की भूमिका	एन. मोहनन	20
● राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	सरोज कुमार दाश	24
● ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम सरकार की पहल, कार्यक्रम, सुधार और भारत निर्माण	पी. शिवराम	25
● ग्रामीण पेयजल	मनीषा वर्मा	33
● राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	रघुवंश प्रसाद सिंह	38
● ग्रामीण जलापूर्ति एवं सिंचाई	अभिनय कुमार शर्मा	40
● भारत निर्माण	–	42
● अत्यधिक जल संसाधन–मृगतृष्णा नहीं	के. जी. सुरेश	47
● भारत निर्माण : आवास और जलापूर्ति	प्रियंका द्विवेदी	50
● भारत निर्माण : लक्ष्य और चुनौतियां	नवीन पंत	54
● भारत निर्माण और ग्रामीण आवास	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	57
● दूरसंचार : भारत निर्माण का एक अत्यावश्यक घटक	अर्चना जी. गुलाटी	60
● राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	ईआर जे.डी. राजपाल	65
● सौर ऊर्जा – प्रकृति का वरदान	राकेश शर्मा	70
● भारत निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	डा. महिपाल	72
● सुनिश्चित रोजगार गारंटी	अम्लनज्योति मजुमदार	75
● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष का चिकित्सा मुख्यधारा में समावेश	एस.बी. शरण	78
● सर्व शिक्षा अभियान	हर्ष माल	80
● भारत निर्माण कार्यक्रम ने पहले साल में अधिकांश लक्ष्य हासिल किए	–	82
● एक लाख आम सेवा केंद्र छह लाख गांवों को सेवा उपलब्ध कराएंगे	–	83
● वर्तमान समस्यायें और गांधीजी की प्रासंगिकता	प्रांजल धर	84
● गांधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा	होशियार सिंह	90
● आधुनिक अर्थतंत्र एवं गांधीजी	राजदुलारी माथुर	92
पुस्तक समीक्षा		
● ग्रामीण आवास नीति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज	हरवीर सिंह	95
● आकलन	फज़ले गुफरान	96

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

ग्रामीण विकास

भारत
निर्माण
आवास
इंदिरा आवास योजना
जल
त्वरित ग्रामीण
जलापूर्ति कार्यक्रम
विद्युतीकरण
राजीव गांधी ग्रामीण
विद्युतीकरण योजना
सड़क
प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना
दूरसंचार
ग्रामीण दूरसंचार योजना
रोज़गार
रोज़गार गारंटी
और
स्वर्णजयंती ग्राम
स्वरोजगार योजना
सिंचाई
भूजल संरक्षण
तथा
वितरण

भारत निर्माण

गुणवत्तायुक्त संरचना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रुप–परिवर्तन

के.के. त्रिपाठी

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पिछले 3 सालों से लगभग 7.5 की दर से बढ़ रहा है। देश एक साल में निम्नतम 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। देश के शीर्ष अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह उपलब्धि 2006–07 में पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या हम चालू और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक 8 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर कायम कर सकेंगे? शायद हम कर सकेंगे, यदि हम अर्थव्यवस्था में वृद्धिदर को मजबूत करने वाली संरचना को भली–भांति समझ लें।

यह वो संरचना है जिसे विकास का इंजन माना गया है और जो आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लिए मूल रूप प्रदान करती है। बाहरी संरचना जैसे सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और दूरसंचार अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, निवेश के लिए ठेकेदारों को आकर्षित करती है। अर्थव्यवस्था के पहले, दूसरे और तीसरे क्षेत्रों पर पड़े असर से कई सकारात्मक अगली–पिछली कड़ियां गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में मदद करती हैं। इसी प्रकार सामाजिक सरंचना; जैसे पेयजल आपूर्ति, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से लाखों ग्रामीण निवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधार में मदद मिलती है।

हमारे देश के आर्थिक विकास के पुष्टीकरण में संरचना के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने एक योजना बनाई और देश में मौजूदा संरचना की खाई को पाटने के लिए युद्ध नीति तैयार की। इसके लिए ग्रामीण संरचना पर आधारित एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे "भारत निर्माण" कहा गया। ग्रामीण संरचना निर्माण के लिए इस योजना की समय–सीमा चार साल (2005–09) रखी गई। यह भी देखा गया कि मिशन में विकास परियोजनाओं संबंधी छह महत्वपूर्ण घटक हैं: सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संपर्क। इन घटकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया रूप मिलेगा। इससे न केवल मौजूदा ग्रामीण संरचना विस्तृत और मजबूत होगी बल्कि पारदर्शी तरीके से संरचना को अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। यह कार्यक्रम योजना और विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग जैसी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी चाहता है। "भारत निर्माण" कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है।

पंचायत और निजी क्षेत्र में साझेदारी

"भारत निर्माण" मिशन अधिकतम लाभ उठाने के लिए निजी क्षेत्रों और सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी चाहता है और इसके क्रियान्वयन मे पारदर्शिता की भी सुनिश्चितता चाहता है। ग्रामीण संरचना कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट योजना, नीति और संरचना के प्रभावी प्रबंधन की जरूरत है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रचुर संसाधन ग्रामीण इलाकों में भेजे जाते हैं। इन संसाधनों को सौंपने के लिए पंचायती राज विभाग की जरूरत पड़ती है और साझेदार के रूप में निजी क्षेत्र को कार्यक्रम विकास की देखरेख करनी पड़ती है। साथ ही पारदर्शिता और पूरा हिसाब–किताब भी सुनिश्चित करना होता है। पंचायती राज विभाग स्थानीय लोगों के सहयोग से अपने इलाके की संरचना के संभव विस्तार और निर्माण के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक प्रयासों को जानकर मौजूदा संरचना में संशोधन कर सकता है। ग्रामीण संरचना निर्माण कार्यक्रम को चलाने के लिए किए गए प्रयासों से वर्तमान में "भारत निर्माण" होगा।

सिंचाई

सिंचाई कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक अध्ययन के अनुसार कई सालों से सिंचाई के निवेश में गिरावट आई है। सिंचाई संबंधी कई परियोजनाएं वित्तीय अभावों से जूझ रही हैं और जो निवेश इन परियोजनाओं में हुआ था, उसे अब 'डूबा हुआ निवेश' मान लिया गया है। एक अनुमान के अनुसार

75,690 करोड़ रुपए की लागत से 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में 171 बड़ी, 259 मध्यम और 72 विस्तृत, पुनर्निर्मित आधुनिक सिंचाई परियोजनाएं चल रही थीं। क्रियान्वयन की प्राथमिकता, प्रभावी और पर्याप्त संसाधनों के आबंटन द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की जरूरत है। "भारत निर्माण" के प्रयासों के अंतर्गत इस तरह की जितनी भी परियोजनाएं पहचान ली गई हैं, उन्हें पूरा करना लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से देश में 10 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। सरकार 4 लाख हेक्टेयर की बड़ी व मध्यम और 2.8 लाख हेक्टेयर की छोटी सिंचाई परियोजनाओं की पहले ही पहचान कर चुकी है।

ग्रामीण सड़कें

परिवहन और संचार मौलिक संरचनात्मक आवश्यकता है जो लगातार आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है। गुणवत्तायुक्त सड़क संरचना से ग्रामीण लोगों का बाजार जाना आसान होगा और वितरण सेवा भी बेहतर व आसान हो जाएगी। इस प्रकार, सरकार का उद्देश्य परिवर्तनशील ग्रामीण संरचना विकास कार्यक्रम द्वारा 1000 से अधिक जनसंख्या वाली अगम्य बसावटों को सभी मौसमों में संचार मार्ग प्रदान करना है।

आवास और जलापूर्ति

घर या आवास और जलापूर्ति नागरिकों की मौलिक आवश्यकताएं हैं। इन्हें लोगों के जीवन की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। घर का स्वामित्व सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और समाज में नागरिक की मर्यादा को सुनिश्चित करता है। आमतौर पर आसानी से उपलब्ध पेयजल नागरिकों और उनके जीवन को रोगमुक्त रखता है। सरकार ने ग्रामीण बेघर लोगों के लिए 60 लाख घर बनवाने की योजना बनाई है। वहीं देश के प्रत्येक इलाके में जलापूर्ति भी सुनिश्चित करने की कोशिश है।

संचार

भारत दूरसंचार के क्षेत्र में लगातार हो रहे विस्तार को देख रहा है। इससे विभिन्न सेवाएं देने वालों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है जो मुनासिब दामों में गुणवत्तायुक्त सेवाएं देना तय करते हैं। संचार क्रांति से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधार में तेजी से मदद हो सकती है। वर्तमान में लगभग 66,822 गांव टेलीफोन कनेक्शन से वंचित हैं। "भारत निर्माण" कार्यक्रम 2007 के अंत तक भारत के प्रत्येक गांव को टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की उम्मीद रखता है।

विद्युतीकरण

विद्युत संरचना देश के निर्धारित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में विद्युत उपलब्धता बहुत मायने रखती है। हालांकि इस क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। उदाहरणार्थ, एक अनुमान के अनुसार दसवीं योजना के दौरान कुल क्षमता सिर्फ 34,000 मेगावाट होगी, जबकि लक्ष्य 41,110 मेगावाट का है। विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र का निजीकरण भी तीव्रता, वितरण और ट्रांसमिशन के वांछित नतीजे नहीं दे पाया। उपलब्ध बिजली के स्तर को ध्यान में रखते हुए "भारत निर्माण" कार्यक्रम के तहत 2009 तक भारत सरकार का उद्देश्य ऐसे 1,25,000 गांवों को बिजली आपूर्ति करना है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंचती है। साथ ही जहां तक संभव होगा, 23 करोड़ गृहस्थियों को बिजली कनेक्शन देना भी तय किया गया है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का स्तर

"भारत निर्माण" के सफल क्रियान्वयन के लिए देश के ग्रामीण नागरिकों को अपनी मूल जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण संरचना का इस्तेमाल करना होगा, तभी उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर उठेगा। कार्यक्रम के तहत कुल खर्च के एक विशेष भाग को विकास खर्च माना गया है। कई परियोजनाएं ग्रामीण संरचना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल रही हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए नाबार्ड सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 2005–06 के संयुक्त बजट में 12,160 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यद्यपि, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सफलता का कारण भारत सरकार का 2006–07 में बजट प्रावधान को बढ़ाकर 18,696 करोड़ कर देना है। यह वृद्धि 2005–06 में हुए प्रावधान से 54 प्रतिशत ज्यादा है।

"भारत निर्माण" के तहत 2005–06 अर्थात् क्रियान्वयन के पहले साल के दौरान मिले नतीजे 2006–07 के बजट दस्तावेज में प्रकाशित हैं।

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 944.18 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए। साथ ही इस साल 600,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बनाने की कुल लक्ष्य रखा गया।

- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत जनवरी, 2006 तक लक्ष्य की 56,270 बसावटों में से 47,546 बसावटों को कवर कर लिया गया।
- ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत 5,337 बसावटों को सितंबर, 2005 में जोड़ा गया और 3,749 करोड़ रुपए दिए गए।
- जनवरी, 2006 तक 870,000 ग्रामीण घर बनाए गए और 2,260 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल 1,100 करोड़ रुपए दिए गए और चालू वित्त वर्ष में 10,366 गांवों के कवरेज का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद जताई गई है।
- 17,182 गांवों को दिसंबर, 2005 तक टेलीफोन दिए गए।

निःसंदेह, 1990 के दशक में किए गए प्रयासों से पिछले कुछ सालों में हुए आर्थिक संशोधन के दौरान हमारा देश प्रभावी विकास दर देख रहा है। विश्व के विकासशील राष्ट्र हमारे आर्थिक विकास के मौजूदा ढांचे से ईर्ष्या कर सकते हैं। यद्यपि, आर्थिक संशोधन कार्यक्रम से पहले यह बड़ी चुनौती है कि इस विकास प्रक्रिया के फायदे पूरी तरह से सबसे छोटे या सबसे बड़े उपयोगकर्त्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं। इस प्रकार, विकास प्रक्रिया को संतुलित बनाने का समय आ गया है। साथ ही सामाजिक–आर्थिक जैसे कई हिस्सों में ग्रामीण भारत को जोड़ने की जरूरत है। एक तरफ, "भारत निर्माण" का क्रियान्वयन ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तायुक्त और सुविधायुक्त संरचना स्थापित करेगा। दूसरी तरफ, यह देश के ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारेगा। कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर दिए गए जोर को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने और शहरी व ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटने की कोशिश है। इस उम्मीद को हकीकत में तब्दील करने के लिए तुल्यकालिक अभिवृति की जरूरत है ताकि इस संरचना के सारे फायदों को उपयोग में लाया जा सके। साथ ही विभिन्न अन्य विकासोन्मुखी कार्यक्रमों जैसे–गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य के स्तर बढ़ाना, निरोग, सफाई और शिक्षा, जो पहले से ही ग्रामीण इलाकों में संचालित हैं, उनके लिए प्रयास किए गए। ❐

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा से संबद्ध हैं।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती नीति तथा झुग्गी वासियों के लिए आवास

आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कुमारी सैलजा ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत के महापंजीयक ने वर्ष, 2001 की जनगणना में देश में पहली बार स्लम आबादी का सर्वेक्षण किया है। उनके सर्वेक्षण के अनुसार समग्र भारत के केवल 640 कस्बों/शहरों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल स्लम आबादी लगभग 4.26 करोड़ है। ये 640 कस्बे/शहर, वे कस्बें हैं, जिनकी आबादी वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से अधिक है।

उन्होंने कहा कि स्लम विकास एक राज्यों का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम और स्कीमें तैयार करती हैं तथा अपनी संबंधित राज्य योजनाओं में इनके लिए आवश्यक प्रावधान करती हैं।

वाम्बे स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य रिहायशी इकाइयों का निर्माण और उन्नयन करना तथा सामुदायिक शौचालयों के जरिए स्वास्थ्यकर और अनुकूल शहरी पर्यावरण उपलब्ध कराना है। 63 चुनिंदा शहरों में शहरी निर्धनों के लिए जनोपयोगी सेवाएं मुहैया कराने के लिए आश्रय, बुनियादी सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं के जरिए स्लमों के और समेकित विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के एक भाग के रूप में 3 दिसम्बर, 2005 को शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं संबंधी एक उप मिशन शुरू किया गया है। शेष शहरों/कस्बों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के साथ समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) भी शुरू किया गया है। समेकित आवास और स्लन विकास कार्यक्रम में वाम्बे तथा राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

ग्रामीण आवास : आयाम और मुद्दे

वी. माधवराव और श्रीधर सीतारमण

शताब्दियों पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि बिना आवास के मानव का भावनात्मक बौद्धिक और आत्मिक रूप से पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार आवास मानव विकास और स्थायित्व का अभिन्न अंग है। ग्रामीण आवास के संदर्भ में आजादी के समय की गई पहल को महत्वपूर्ण माना जा सकता जिसमें शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आवास कार्यक्रम तैयार किए गए और देश की विभिन्न भागों में करीब 5 लाख परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1974–79) ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत करीब 67 हजार मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया। जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के अंतर्गत टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन हुआ तथा रोजगार के अवसर पैदा हुए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) के अंतर्गत 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ नया कार्यक्रम पूर्ण रूप से गांवों में ढांचागत विकास के लिए समर्पित है और ग्राम पंचायतों द्वारा लागू की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ परिसंपत्ति सहित मांग आधारित सामूहिक ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का विकास है ताकि ग्रामीण निर्धनों को स्थाई रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त हो सके। दिहाड़ी रोजगार पैदा करना इसका दूसरा उद्देश्य है। सितंबर 2001 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का अंग बन गया है। ये दोनों मिलकर खाद्य सुरक्षा, अतिरिक्त दिहाड़ी रोजगार और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। इसके लिए 2002–2003 के दौरान 43 अरब 30 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था।

इंदिरा आवास योजना अब जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दी गई है और 1 जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्य कर रही है। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य सबसे पहले आवास निर्माण में अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों में आर्थिक अनुदान के रूप में मदद प्रदान करना है। किसी भी वित्त वर्ष में इंदिरा आवास योजना के तहत आवंटित कुल धन राशि का 40 प्रतिशत गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए आवास निर्माण पर खर्च किया जा सकता है। 1995–96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ शहीद सेनाकर्मियों और अर्धसैनिक बल कर्मियों की पत्नियों या करीबी परिजनों को भी मिलता है। बशर्ते कि (1) वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, (2) उन्हें किसी भी योजना के तहत पुनर्वास या आश्रय की सुविधा न मिली हो (3) वे बेघर हों या उन्हें पहले से प्राप्त बसेरे का नवीनीकरण कराना हो। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना का लाभ अब भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड सदस्यों को भी दिया जाने लगा है बशर्ते वे इस योजना की सामान्य योग्यताएं पूरी करते हों और उन्हें किसी भी आश्रय या पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिला हो। अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 40 प्रतिशत आवास अलग रख शेष बचे आवासों में ही भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। गरीबी के रेखा में नीचे के विकलांग लोगों के लिए कुल निर्धारित राशि का 3 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है। इंदिरा आवास योजना में यह तीन प्रतिशत का आरक्षण समस्तरीय है। यानी अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य वर्ग के विकलांगों को अपनी–अपनी श्रेणी में ही आरक्षण मिलेगा।

प्रौद्योगिकीय आयाम

सीमेंट, इस्पात, एल्युमिनियम और पीवीसी जैसी अधिकांश परंपरागत भवन निर्माण सामग्री तीव्र ऊर्जा युक्त होती है जो 22.75 प्रतिशत कार्बन डाई ऑक्साईड के लिए जिम्मेवार होती है। उपभोक्ताओं के लिए नवीकृत ऊर्जा दुर्लभ होती है। आवास के क्षेत्र में सामग्री, डिजाइन और वाजिब लागत के भवन निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के अनेक कदम उठाए गए हैं जो जलवायु की स्थिति, क्रियात्मक उपयोगिता, सुरक्षा टिकाऊपन और प्राकृतिक आपदा के प्रतिरोध के उपयुक्त है। कम लागत, ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल मकानों के

निर्माण में टिकाऊ निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को सभी ग्रामीण आवास योजनाओं में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवासीय और सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए 50 लाख से अधिक ठोस टिकाऊ भूमि खंडों का उपयोग किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के आवासों और संस्थागत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भवन निर्माण केंद्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई है जो कम ऊर्जा और स्राव, अधिक मजबूती, ऊष्मा रोधक और वाजिब लागत वाली है।

आवास की कमी

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की कमी की समस्या और जटिल हो गई है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों का पलायन जारी रहने से शहरों में आवासीय और बुनियादी सुविधाएं अपनी वहन क्षमता को पार कर चुकी हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र के रूप में "सभी के लिए घर" की घोषणा की और गरीब तथा पिछड़े तबकों पर विशेष ध्यान के साथ आम लोगों की आवासीय जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रति वर्ष 20 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया जिसमें निर्धन और सुविधा वंचित वर्ग पर विशेष ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सहकारिता का सशक्तीकरण और आवासीय क्षेत्र में ऋण के लिए प्रेरित किया जा सके, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आवासीय क्षेत्र के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दक्षता, उत्पादकता गुणवत्ता तथा ऊर्जा दक्षता में वृद्धि शामिल हैं। मौजूदा राष्ट्रीय आवास और पुनर्वास नीति का उद्देश्य, आवास की कमी के विशेष क्षेत्रों की पहचान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला आवास कार्य योजना तैयार करना, नागरिकों विशेष रूप से अति संवेदनशील और निर्धन के लिए कम लागत और गुणवत्ता वाले आवास या बसेरे उपलब्ध कराना है।

मौजूदा आवासीय आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2005 तक 2 करोड़ 47 लाख आवासों की कमी थी जिसमें से 1 करोड़ 88 लाख मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्र में है। आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 के अंत तक आवासीय कमी की संख्या के बढ़कर 8 करोड़ हो जाने की संभावना है जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्ग में होगा जिसपर 1,048,000 करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी।

भारत सरकार के "सभी के लिए घर" कार्यक्रम के अनुसार गरीबों के लिए प्रति वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने का प्रावधान है जिसमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनने है। हिसाब लगाने से प्रतिदिन 3562 मकानों का निर्माण होना है। सरसरे तौर पर आवासीय कमी में बहुत कम गिरावट दिखाई देती है लेकिन परिमाण की दृष्टि से यह बड़ी संख्या है।

ग्रामीण आवास में दशकवार गिरावट

अध्ययन से संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 36 प्रतिशत मकान पक्के हैं। इस प्रकार 64 प्रतिशत मकानों की बार–बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि 5 से 10 वर्ष के अंतराल के बाद अक्सर पूरा मकान नए सिरे से बनाना पड़ता है। शहरी आवास के मामले में 77 प्रतिशत मकान पक्के यानी कंक्रीट के हैं। 2001 की जनगणना में स्वच्छ पेय जल, शौचालय और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं के आकलन से ये संकेत मिला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बुनियादी जरूरतों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

मकानों के निर्माण में देशभर में नींव भरने, ढांचा तैयार करने और छतें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल होता है। छतें बनाने के लिए अधिकतर घास–फूस प्रयोग में लाई जाती है। यानी छतें छप्पर की होती हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विविध प्रकार के छप्परों का इस्तेमाल होता है इसलिए इसे अग्निरोधी और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सुधार की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे खोजपूर्ण प्रौद्योगिकी की सूची में शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सीजीआई सीट्स का छतों के निर्माण में बहुतायत प्रयोग होता है। बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन और दीव लक्षद्वीप और कई अन्य राज्यों में खपरैल की छतें बनती हैं। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा दमन और दीव के गांवों में चिकनी मिट्टी की बनी खपरैल तथा स्लेट या तख्ती की छतें बनाई जाती हैं। राजस्थान तथा इसकी सीमा से लगे अन्य राज्यों के विभिन्न इलाकों में छतों के निर्माण में पत्थरों का बहुतायत इस्तेमाल होता है। सभी राज्यों में सीमेंट कंक्रीट की छतों का प्रचलन धीरे–धीरे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आरसीसी

की छतें बनती हैं। आरसीसी के बनाए नवीकृत सीमेंट कंकरीट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है।

छप्पर वाली छतें कुचा श्रेणी के आवास के अंतर्गत आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे करीब 1 करोड़ 6 लाख कुचा मकान है जिनके सुधार की जरूरत है। भारत सरकार मकानों में धुंआ रहित चूल्हा, शौचालय सहित सुधार के लिए इंदिरा आवास योजना के विभिन्न संघटकों में समय–समय पर बदलाव करती रही है। 1985–86 में इस योजना की शुरूआत से लेकर दिसंबर 2002 तक करीब 92 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका था जिसपर करीब 15 हजार 840 करोड़ रूपए खर्च हुए।

एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल एक करोड़ 6 लाख ऐसे कुचा मकान है जिनकी अब मरम्मत नहीं की जा सकती। इन मकानों के सुधार की जरूरत ऐसे कुचा घरों के सुधार के तहत इंदिरा आवास योजना के प्रति कुचा घर 12500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि ऐसे घरों को पक्के और अर्ध पक्के मकानों में बदला जा सके। 1 अप्रैल 1999 से ऋण व रियायत आवास योजना शुरू की गई। यह घोषणा उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आमदनी 32000 रूपए है। इसमें 10 हजार रूपए तक की सब्सिडी मिलती है। ऋण की राशि वाणिज्यिक बैंकों और आवासीय वित्त संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है। इस योजना की शुरूआत से लेकर 2001–2002 तक 85 हजार मकानों का निर्माण कराया गया।

ग्रामीण क्षेत्र आवासीय गतिविधि से रोजगार जुटाने और आवास संबंधी जरूरतों के पूरा करने की दिशा में 15 लाख रूपए की लागत से ग्रामीण भवन निर्माण केंद्रों की स्थापना से ध्यान दिया जाने लगा है। प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और सूचना का विस्तार, प्रशिक्षण द्वारा कार्यकुशलता सुधार और पर्यावरण के अनुकूल उचित लागत पर भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन आदि कार्यों के लिए इन केंद्रों की स्थापना की गई है।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना भारत में सबसे लोकप्रिय ग्रामीण आवास योजना है जिसमें मैदानी क्षेत्रों के लिए 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत स्थानीय कच्चे माल और वाजिव लागत वाली प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जाता है। जिला स्तर पर यह योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या जिला परिषद के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है। लाभार्थी को कार्य की प्रगति के आधार पर धनराशि का भुगतान होता है। हालांकि मकान की डिजाइन निर्धारित नहीं होती लेकिन निर्माण क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। जलवायु की स्थिति के हिसाब से लाभार्थी के जरूरत के मुताबिक भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है। इस मामले में एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिसमें सड़क, नाली, पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी जरूरतों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। अन्य नागरिक सुविधाएं, ग्राम की निकटता और सुरक्षा, काम के स्थान से नजदीकी, सामाजिक संचार व्यवस्था, ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए अनुकूल है। देशभर में इंदिरा आवास योजना एक लोकप्रिय आवास योजना रही है जिसमें समय के साथ स्थायी वृद्धि देखने को मिलती है। यह निम्नलिखित आंकड़ों में दर्शायी गई है।

ग्रामीण आवास की अनेक राज्य घोषणाएं भी हैं जिन्हें राज्य सरकारों की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है। इन परियोजनाओं का ग्रामीण मजदूरों को काम देने और आजीविका विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

1999–2000 में 24 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के चुने हुए कुल 25 जिलों में से प्रत्येक जिले के एक ब्लॉक में भागदर्शी आधार पर समग्र आवास योजना शुरू की गई। 25 लाख रूपए की आर्थिक मदद वाली इस योजना में आवास विकास और आई ई सी कार्य हाथ में लिया जाता है। इसमें 10 प्रतिशत योगदान स्थानीय लोगों को देना पड़ता है। मकान, महिला लाभार्थी के नाम से आवंटित होना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान अलग–अलग या समूचे में आवासीय इलाकों में बनाये जाते हैं ताकि सुरक्षा, कार्यस्थल की निकटता और सामाजिक आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। मैदानी इलाकों में धुंआ रहित चूल्हा और शौचालय सहित एक नये मकान के निर्माण के लिए 25 हजार रूपए मिलते हैं जबकि ऐसे ही मकान के निर्माण के लिए पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रूपए मिलते हैं। इसके अलावा जर्जर हो चुके कुचा मकान के सुधार के लिए 12,500 रूपए दिए जाते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि मकान के निर्माण में लाभार्थी की पूरी भागीदारी होनी चाहिए।

इससे आशा यह की जाती है कि लाभार्थियों की एक समिति ही निर्माण कार्य में समन्वय रखने तथा इसमें किसी ठेकेदार को शामिल न किया जाए। इस बात पर भी बल दिया जाता है कि अधिक से अधिक स्थानीय कच्चे माल और विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित वाजिब लागत वाली प्रौद्योगिकी

का ही इस्तेमाल हो। इंदिरा आवास योजना के मकानों के लिए कोई डिजाइन निर्धारित नहीं किया गया है। केवल निर्मित क्षेत्र के लिए 20 वर्गमीटर की बाध्यता रखी गई है। प्राथमिक रूप से इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के लोगों आवास निर्माण में आर्थिक अनुदान देने के लिए है। पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी भी उसी संस्था की है जो इंदिरा आवास योजना को लागू करती है। स्वास्थ्य कर शौचालय का निर्माण इंदिरा आवास योजना के मकानों का अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक मकान या पूरी कॉलोनी के चारों ओर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इंदिरा आवास योजना का लाभ न पाने वाले ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए ऋण व सब्सिडी योजना उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए लाभार्थी की वार्षिक आमदनी 3200 रूपए तक होनी चाहिए। इसमें भी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य को मिलने वाली सब्सिडी का 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए भवन निर्माण पर खर्च करना होता है।

शैक्षिक और तकनीकी संस्थान

निगमित संस्थाएं और स्वायत्तशासी समितियां, जिन्हें प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और कियान्वयन का अनुभव हो, राज्य सरकार और विकास संस्थाएं तथा ग्रामीण आवास निर्माण और पुनर्वास विकास के क्षेत्र की अनुभवी और विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्थाओं को ग्रामीण आवास के लिए ऋण व सब्सिडी योजना को बढ़ावा देने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए 20 से 50 लाख रूपए का वित्तीय प्रावधान होता है। इस योजना को लागू करने वाली एजेंसियों में राज्य आवास बोर्ड, राज्य आवास निगम, विशिष्ट निर्धारित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त संस्थाएं या डी बी आर डी ए/जेड पी आदि शामिल हैं। इस योजना में एक परिवार को अधिकतम 10 हजार रूपए की सब्सिडी और निर्माण ऋण के रूप में 40,000 रूपए की धनराशि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इंदिरा आवास चूल्हे, पर्यावरण के अनुकूल वाजिब लागत वाली डिजाइन, निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रावधानों को इस येाजना में भी शामिल कर लाभ उठाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पुनर्वास बेहतर बनाने के उद्देश्य से 24 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के कुल 25 जिलों में प्रत्येक के एक–एक ब्लॉक में समग्र आवास योजना लागू की जा रही है। इस योजना का कियान्वयन राज्य सरकार के परामर्श के साथ किया जा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था जैसे ढांचागत कार्यों में सामुदायिक भागीदारी का समर्थन प्राप्त होता है।

सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कच्चे माल और अन्य वैकल्पिक सामग्री का उपयोग वातावरण के अनुकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है। कृषि के लिए अनुपयोगी बंजर भूमि पर कोई भी व्यक्ति बार–बार प्रयोग किए जाने वाली सामग्री और शोधित लकड़ी का आवास निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार पानी के संरक्षण, भूस्खलन रोकने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जल–संग्रह विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सभी से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ग्रामीण विकास में कामकाजी लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के प्रावधान की जरूरत है। बुनकरों के लिए उपकरण और धागा तैयार करने की जगह, बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के लिए वाजिब स्थान, कालीन और गलीचे बनाने वाले कारीगरों के लिए छप्पर आदि की व्यवस्था, मुर्गीपालन करने वाले किसानों के लिए मुर्गीपालन केंद्र, नारियल के रेशे तैयार करने वालों के लिए जगह, मछुआरों के लिए जाल सुखाने, नौकाओं की रंगाई और मछली सुखाने के लिए जगह की व्यवस्था जरूरी है। इसके अलावा कच्चे माल और तैयार उत्पादों के भंडारण के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की जरूरत है।

हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश लोग गांव में रहते है और इनकी आवासीय जरूरतें भी बहुत अधिक हैं इसलिए ग्रामीण विकास की रणनीति तय करने में ग्रामीण आवास की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आशा की जाती है कि पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को ग्रामीण आवास की समस्या के समाधान में सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को ग्रामीण आवास और भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के बारे में अवगत कराए जाने की जरूरत है। ❐

(लेखक द्वय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में क्रमशः जियोमेटिक्स सेल के अध्यक्ष तथा सहायक प्रोफेसर हैं)
अनुवाद– दुर्गविजय सिंह दीप

भारत–निर्माण के विकासमान लक्ष्य

आशुतोष शुक्ल

किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होती है या दूसरे शब्दों में कहें तो योजना बनाकर ही किसी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उफनता हुआ शेयर बाजार, लबालब भरा विदेशी मुद्रा भंडार, सीमित मुद्रास्फीति, संतोषप्रद औद्योगिक विकास, दिनोंदिन ऊँचाई को छूता सेवा क्षेत्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों की बढ़ती संख्या और निरंतर बढ़ती आर्थिक विकास दर; ये सब के सब दीर्घकालिक, प्रभावी और सुदृढ़ योजनाओं से ही प्राप्त किये जा सके हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, निम्न जीवन प्रत्याशा और आधारभूत संरचनाओं में विकास की बाधाओं को कुछ सुदृढ़ योजनाओं द्वारा ही भेदा जा सकेगा। किसी भी देश के विकास में आधारभूत अवसंरचनाओं का योगदान और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता हैं; खासकर तब जबकि भारत की सत्तर प्रतिशत आबादी अभी भी गाँवों में बसती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के विकास का रास्ता गाँवों से होकर जाता है। भारत के गाँवों में आज सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास उस स्तर तक नहीं हो सका है जिसकी अपेक्षा है। गाँवों की इन्हीं आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'भारत निर्माण' नाम की योजना बनाई है।

भारत निर्माण योजना के तहत ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचनाओं के मुख्यतः छह क्षेत्रों को चुना गया है। ये 6 क्षेत्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, आवास, सड़क, टेलीफोन और ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित जलापूर्ति हैं। 'भारत निर्माण' जैसे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम द्वारा इन महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना के महत्त्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इस योजना के माध्यम से 'भारत' और 'इंडिया' के बीच की खाई को पाटा जाएगा। यहाँ 'इंडिया' से तात्पर्य मॉलों, सिनेमाहॉलों, शापिंग काम्प्लेक्सों और निरंतर विकसित होती कॉलोनियों की चकाचौंध में बसी नगरीय आबादी से है; जबकि 'भारत' से तात्पर्य गांवों में बसी उस लाखों–लाख उपेक्षित और व्यथित जनता से है जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी को किसी तरह काट रही है और सिर्फ अपना गुजर–बसर ही कर पा रही है। 'भारत निर्माण योजना' के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस योजना के सभी क्षेत्रों से संबंधित हैं तथा योजना के घटकों के अंतर्गत प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की पहचान कराते हैं:

- 2.3 करोड़ घरों को नए बिजली कनेक्शन देना तथा सभी 1 लाख 25 हजार बकाया गाँवों को बिजली पहुंचाना।
- आने वाले 4 वर्षों के भीतर एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करना।
- अभी तक टेलीफोन की पहुंच से दूर 66,822 गांवों तक संचार साधनों की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण कराना।
- एक हजार आबादी वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, हांलाकि पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह संख्या 500 होगी।
- पीने का पानी उन 74 हजार निवासियों तक पहुंचाना जो अब तक पीने के पानी से वंचित थे।

भारत के नवनिर्माण में सहायक यह योजना 2005–06 के बजट में प्रस्तावित हुई और इसे मंजूरी मिली। एक लाख 74 हजार करोड़ की यह योजना गावों के विकास में महती भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्रीजी ने इस योजना का उद्‌घाटन दिसंबर 2005 में दिल्ली में किया। सरकार का प्रयास है कि इस योजना के कार्यान्वियन में साधनों की कमी नहीं आड़े आने दी जायेगी। देश के भीतर साधनों को पर्याप्त रूप से बटोर लिया जाएगा; साथ ही विश्वबैंक ने भी इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 3 अरब डालर के साथ पूरी योजना के लिए 9 अरब डालर का ऋण मंजूर कर लिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना के विकास के साथ–साथ रोजगार में बढ़ोत्तरी और बेरोजगारी को कम करने जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा। यह योजना एक चार वर्षीय कार्यक्रम है जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार प्रमुख एजेंसी होगी तथा ग्राम पंचायतें भी इस योजना के द्वारा अपना

उल्लेखनीय योगदान कर सकेंगी। वैसे भी आजादी के बाद से भारत में विकेन्द्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने गांवों के महत्व को उजागर किया है; ग्राम पंचायतें ऐसी योजनाओं के माध्यम से एक कुशल संस्था के रूप में उभरकर सामने आएंगी तथा भारत विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा।

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में आवासीय मकानों का विशेष स्थान होता है। यह बात इक्कीसवी सदी में भी उतनी ही सही है जितनी औजारों और हथियारों के पुरातन काल में सही थी। आवास की व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सिर्फ रहने के लिए एक छत ही नहीं देता बल्कि पहचान का भी वह बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है।

भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की समस्या मुंह बाये खड़ी है। यह समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है। सन् 2001 के बाद तक लगभग 1 करोड़ 48 लाख लोगों के पास आवास नहीं था। भारत निर्माण योजना के द्वारा आवासहीन लोगों को आवास मुहैया कराया जाएगा, प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख घरों का निर्माण होगा और इस प्रकार 4 वर्षों में 60 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इस ग्रामीण आवास योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू कराएगा तथा 'इंदिरा आवास योजना' के तहत 60 लाख आवासों को निर्मित कराने की योजना है। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होगी तथा इस कार्य के लिए केन्द्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात 75:25 होगा। केन्द्र और राज्यों के मध्य संसाधनों के विभाजन में राज्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जाएगा। पचहत्तर प्रतिशत अधिभार राज्यों को आवासहीनों के लिए और 25 प्रतिशत अन्य कार्यों के लिए दिया जाएगा। जिला स्तर पर भी विभाजन के इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। हाँ, यह अवश्य है कि यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएगीं। नए मकानों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम् 25 हजार रुपये और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27 हजार 500 रुपये की सहायता का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले आवासों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों को विशेष रूप से मुहैया कराने का लक्ष्य है। ग्राम पंचायतें इस कार्य में सरकार की विशेष रूप से सहायता करेंगी।

आज जबकि महिला सशक्तीकरण सभ्य समाज का एक लक्ष्य बन चुका है, भारत सरकार ने आवास आबंटन में भी इसका विशेष ध्यान रखा है। मकानों के आंबटन में घर की महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ ही सरकार ने अक्षम और विकलांगों, खासकर शारीरिक और मानसिक विकलांगों को कोटा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। पूर्व नौकरीपेशा, विधवाओं और बंधुआ मजदूरों का भी कोटा निर्धारण किया गया है। ग्रामीण भारत में बसने वाले गरीबों के लिए सरकार ने इन योजनाओं में विशेष ध्यान दिया है। आवास के लिए सरकार ने लगभग 3 हजार करोड़ रुपये के आबंटन का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग एक वर्ष में 15 लाख मकान बन सकेंगे। समाज के निर्बल वर्गों को विशेष भागीदारी देकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर खासा ध्यान दिया गया है।

आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में सहयोग के लिए राजनीति से परे राज्य सरकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा आवास निर्माण में व्यक्तियों के मन मुताबिक डिजाइनों जैसी छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना यह बताता है कि सरकार यह कार्य कितनी शिद्दत से कर रही है।

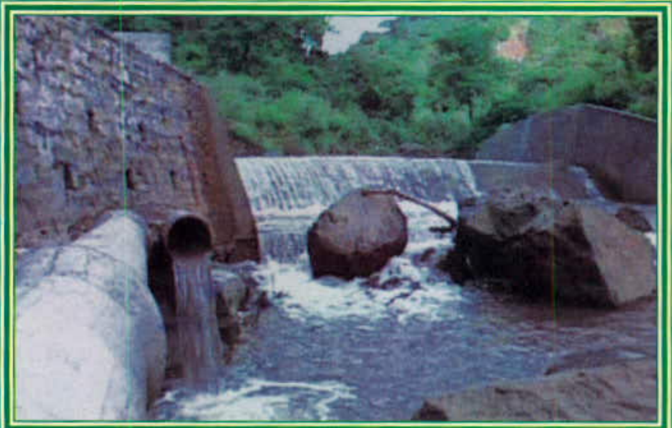

भारत के कई राज्यों में अभी पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं है तथा कई राज्य निरंतर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज जबकि पानी के मामले में बड़े–बड़े महानगरों की स्थिति त्राहिमाम की है तो भौगोलिक विविधताओं से भरे भारत के विस्तृत क्षेत्रफल पर मरूस्थलीय इलाकों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक पानी की समस्या मुहँ बाये खड़ी है। प्रकृति के प्रकोप से भी जहाँ एक ओर बाढ़ के कारण हजारों मौतें होती है तो वहीं दूसरी ओर प्यास के मारे पानी की एक–एक बूंद के लिए लोग तड़पकर दम तोड़ते देखे जा सकते हैं। पानी की किल्लत का आलम यह है कि लोग कईयों–किलोमीटर का सफर तय करके अपनी प्यास बुझाते हैं। सरकार ने प्रकृति की विभीषिका से बचने तथा पानी की आपूर्ति दुरूह स्थानों तक पहुंचाने का लक्ष्य 'भारत निर्माण' में रखा है। इस वर्ष सरकार ने लगभग 4 हजार करोड़ की इस योजना के तहत आंशिक रूप से पेयजल वंचित लगभग 8 हजार गांवों तथा पूर्णरूपेण पेयजल वंचित लगभग साढ़े तीन हजार गांवों को पेयजल मुहैया कराया जाएगा। तकरीबन 35 हजार अन्य गांवों को जो अभी योजना के दायरे से बाहर हैं उन्हें भी इन्हीं सुविधाओं के दायरे में लाया जाएगा। एक लाख 40 हजार ग्रामीण स्कूलों में भी पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करानी है, साथ ही करीब 10 हजार गांवों की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी।

आज जबकि विश्व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यमों में काफी आगे निकल चुका है तो भारत भी आधुनिकता की इस बयार से कैसे बच सकता है। भारत भी इस दौड़ में शामिल होकर नित सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। आज भी हमारे गांवों के अनेक नौजवान देश–विदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में अनेक काम–धंधों में लिप्त हैं। इन नौजवानों का अपने परिवार से संपर्क का आधार संचार माध्यमों के विकास ने आसान कर दिया है। सरकार इनके बीच की दूरियों को पाटकर लोगों के दिलों के तार जोड़ना चाहती है। जनवरी 2006 तक भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 13 करोड़ थी इनमें 61.97 प्रतिशत मोबाइल फोन और 38.04 प्रतिशत फिक्सड फोन के कनेक्शन शामिल हैं। जनवरी 2006 में 8.8 प्रतिशत वृद्धि के साथ टेलीफोन घनत्व 11.7 प्रतिशत से अधिक हो चुका था।

डाकियों के माध्यम से सरकार ग्रामीणों के संबधियों से बात कराने की सेवा 'ग्रामीण संचार सेवा' पहले ही लागू कर चुकी है और इन डाकियों को 'ग्रामीण डाक सेवक' का नाम पहले ही दिया जा चुका है। इस बार भारत सरकार के बजट में दूरसंचार क्षेत्र के लिए भारी भरकम रकम का प्रावधान है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए दूरसंचार क्षेत्र को खोले जाने के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा सकेंगी। यू.एस.ओ. फंड के तहत सरकार ने 1200 करोड़ रूपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराये हैं। यह यू.एस.ओ. ग्रामीण क्षेत्रों के 1689 सब डिवीजनों को टेलीफोन कनेक्शन में सहायता करेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड लगभग 5 लाख गांवों को ग्रामीण दूरसंचार कार्यक्रम से जोड़ चुका है तथा बचे हुए 66,822 गांवों में टेलीफोन मुहैया कराने का लक्ष्य भी आगे आने वाले तीन वर्षों में तय करेगा।

सड़कें किसी देश की जीवन रेखा होती हैं। एक ऐसी जीवन रेखा जो गांव से शहर को जोड़कर दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक की दूरियों को सुगम बनाती हैं। भारत निर्माण योजना के तहत 2009 तक 1 लाख 46 हजार 165 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा 66 हजार 802 स्थान, जो अब तक छूट गए थे; सड़कों के दायरें में आ जाएंगे। 1 लाख 94 हजार किलोमीटर तक बन चुकी सड़कों का पुनरूद्धार भी किया जाएगा। इसमें सरकार के लगभग 48 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' को भी 'भारत निर्माण योजना' में समाहित कर लिया गया है। राज्यों को भी सड़कों के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करना होगा क्योंकि केन्द्र सरकार ने पिछड़े राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी है।

सरकार इस योजना के माध्यम से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को और सुदृढ़ करना चाहती है। 'केन्द्रीय सड़क कोष' बनाकर सरकार ने डीजल पर कर लगाकर सड़कों के निर्माण में जनभागीदारी को स्थान दिया है; जो केन्द्रीय सड़क कोष एक्ट 2000 के सेक्शन 9,10 के तहत कानूनी प्रावधान है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने सरकार को अतिरिक्त धन देकर उन राज्यों को इस योजना से जोड़ने की प्राथमिकता दी है जो सड़कों के मामले में खस्ताहाल हैं। इस सड़क निर्माण योजना में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही सारे आंकड़े और लिखापढ़ी जैसे कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जा रहे हैं। भारत निर्माण योजना से संबद्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी तथा इस योजना के तहत ग्रामीण विकास के संबंध में कुछ मोटी बातें निम्नलिखित हैं:

- इस योजना से ग्रामीण भारत में सड़कों का एक जाल–सा स्थापित हो जाएगा।
- ये सड़कें डिजाइन, गुणवत्ता और महत्ता की दृष्टि से भारत की जलवायु के अनुकूल तथा दीर्घजीवी होंगी।
- ठेकेदारों को सड़कों के निर्माण में गारंटी देनी होगी वरना उनके किए गए कार्य का उचित मूल्य उन्हें नहीं प्राप्त हो सकेगा।
- सड़कों के निर्माण में स्थानीय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस प्रकार सड़कों के माध्यम से 1 हजार व्यक्तियों की आबादी वाले गांवों को इस परियोजना से लाभ पहुंचाया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों जैसे पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में यह 500 तक की आबादी को भी जोड़ेगा।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई गयी है; जो भारत निर्माण योजना का ही एक घटक है। यह चार वर्षों के भीतर भारत के अब तक छूटे हुए एक लाख 25 हजार गांवों के 2.3 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन मुहैया करायेगा। गांवों में बिजली को पहुंचाने के लिए 33/11 के वी क्षमता के सब–स्टेशनों की श्रृंखला स्थापित की गयी है और खण्ड स्तर पर एक सब स्टेशन

स्थापित किया जा रहा है। यह बिजली गांवों के कृषि व नलकूपों, लघु और मझोले उद्योगों, खादी उद्योगों, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लिमिटेड इस कार्य के लिए एक नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सब्सिडी का प्रावधान हैं जो 'ग्रामीण क्षेत्रों' के एक कनेक्शन पर दी जायेगी और यह लगभग 1500 रूपये होगी। हालांकि सरकार को विद्युतीकरण के कार्य को पूर्णरूपेण कराने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। बिजली के उत्पादन को बढ़ाना होगा क्योंकि सिर्फ नए कनेक्शनों को दे देने भर से ही काम न होगा बल्कि बिजली की पहुंच के साथ बिजली की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। पारेषण कार्य में भी सरकार को गंभीरता से ध्यान देना होगा क्योंकि पारेषण में ही बिजली की अधिकांश मात्रा का क्षय हो जाता है। अतः सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भी महती भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा है। सरकार गैर–परंपरागत ईधनों से बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखे तो उत्पादन में सुधार के साथ ही बिजली की पर्याप्त आपूर्ति गांवों में भी सुनिश्चित हो सकेगी। मरूस्थलीय क्षेत्रों की भूमि की अधिकांश मात्रा को उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था का लक्ष्य सरकार ने रखा है। एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के साधनों की पहुंच में लाया जाएगा।

भारत निर्माण योजना के इन महत्त्वपूर्ण 6 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य घटक जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि इसके अन्य सहायक घटक हैं। भारत निर्माण योजना से गांवों में रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाने की मजबूरियाँ काफी कम हो जाएंगी; खासकर लड़कियों को भी शिक्षा मिल सकेगी जिनका अधिकांश भाग अब भी शिक्षा से वंचित है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से महिलाओं को प्रसूति लाभ मिल सकेगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक विकास कार्य होते हैं परंतु हाल ही की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह बताती है कि सांसद निधि का अधिकांश भाग ये प्रतिनिधि खर्च ही नहीं कर पाते हैं और सरकार का पैसा वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पाता है। अतः जनप्रतिनिधियों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और घूसखोरी भी कार्यक्रमों को लागू कराने में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः सरकार को ही नहीं, जनता को भी इनके खिलाफ अभियान चलाना होगा। महात्मा गांधीजी गांवों को 'अर्थव्यवस्था की रीढ़' की संज्ञा देते थे और भारत निर्माण योजना द्वारा बापू का सपना काफी हद तक साकार हो सकेगा और गांवों के विकास के साथ ही हमारा भारत देश भी निरंतर विकास की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। ❐

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के संखिया प्रभावित 648 बस्तियों के लिए 89.94 करोड़ रुपये जारी किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल के संखिया प्रभावित 648 बस्तियों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए 89.94 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गुणवत्ता) के उप–मिशन के तहत वर्ष, 2006–07 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहली किस्त के रूप में हैं।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने 670 बस्तियों के लिए नलों के जरिए पेयजल आपूर्ति की स्कीमों को मंजूरी दी हैं। इनमें से 648 बस्तियां आर्सेनिक (संखिया) से प्रभावित हैं। यह परियोजना ग्रामीण वितरण नेटवर्क के जरिए चलाई जाएगी। इस पर 275 करोड़ रुपये की लागत आएगी। परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत यानी 196.22 करोड़ रुपये केंद्र मुहैया कराएगा। मंत्रालय ने राज्य सरकार को पूरी स्कीम संचालन तथा रखरखाव के लिए पंचायती राज संस्थानों को सौंपने का निर्देश दिया है।

देश में 5029 बस्तियां ऐसी हैं, जहां पेयजल में संख्यिा की मात्रा बहुत ज्यादा हैं। इनमेंसे 3176 बस्तियां पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में स्थित हैं। राज्य का दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां 1644 बस्तियां पेयजल में संखिया की समस्या से ग्रस्त हैं। उत्तर 24 परगना जिले की 922 बस्तियां, मालदा जिले की 462 बस्तियां और मुर्शिदाबाद जिले की 98 बस्तियां पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत निर्माण योजना के तहत वर्ष 2009 तक सभी प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने इन योजनाओं की सीमा की है और राज्यों से कहा है कि वे इस बारे में अपने प्रस्ताव भेजे और पानी की गुणवत्ता की समस्या से छुटकारा पाने में आगे आएं हैं।

ग्रामीण आवास

बदलता परिदृश्य एवं अभिनव योजनाएं

उमेश चन्द्र अग्रवाल

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार "ग्रामवासियों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने से ही उनको अपने रचनात्मक कार्यों जैसे– सफाई, सड़कें, ग्राम पंचायतें आदि के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि ऐसी अवस्था में वे मानसिक निश्चितता से अपने कल्याण के प्रति जागरूक रह सकते हैं।" वैसे भी पुरातन काल से ही रोटी और कपड़ा के बाद "आवास" को मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना जाता रहा है। अपने देश के विशाल ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में अवलोकन से विदित होता है कि देश की आबादी का 72 प्रतिशत भाग अर्थात करीब 80 करोड़ लोग देश में फैले 5 लाख 93 हजार 643 गांवों में बसते हैं। इन सभी गांवों में वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल एवं संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है और सरकार द्वारा इन सभी सुविधाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए वहां शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने के लिए तेजी से प्रयास भी किए जा रहे हैं लेकिन इन सभी आधारभूत सुविधाओं का ग्रामीण परिवेश में बिना समुचित आवासीय आधार के उपभोग करना संभव नहीं है। यह एक दुखद पहलू है कि देश के विशाल ग्रामीण परिवेश में बसने वाले 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 2.5 करोड़ परिवारों के पास अपने आवास नहीं हैं और वे समुचित आवासीय सुविधा के अभाव में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में रहने को विवश हैं।

केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्माण के नाम से एक नई महत्वाकांक्षी योजना के संचालन की हाल ही में घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ–साथ वहां आवासीय सुविधाओं में पर्याप्त बढ़ोत्तरी पर बल दिया गया है। "भारत निर्माण" नामक इस नई योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 तक गरीबों के लिए 60 लाख नए आवास बनवाकर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इससे न सिर्फ गरीबों को सर पर पक्की छत उपलब्ध हो पाएगी बल्कि गांवों में निर्माण गतिविधियां बढ़ने से उन्हें रोजगार भी मिल पाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं।

प्रमुख ग्रामीण आवासीय योजनाएं

देश के ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से वहां गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं भी संचालित की जा रही है। इनमें से इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण निर्धनों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के रूप में मई, 1985 में संचालित की

तालिका

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न आवासीय योजनाएं

योजना का नाम	प्रारंभ करने का वर्ष	योजना का प्रमुख उद्देश्य
इंदिरा आवास योजना	1985	ग्रामीण गरीबों–विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति आदि को आवासीय इकाइयों के निर्माण में आर्थिक सहायता देना।
ग्रामीण निर्माण केंद्र योजना	1995	ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती व पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उत्पादन हेतु आवासों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देने वाले ग्रामीण निर्माण केंद्रों की स्थापना करना।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना	1999	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करना।
ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं सब्सिडी योजना	1999	32,000 रुपए तक की आय वाले ग्रामीण परिवारों के लिए आवास बनाने हेतु ऋण एवं सब्सिडी उपलब्ध कराना।
समग्र आवास योजना	1999	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, स्वच्छता और पेयजल की समन्वित रूप से व्यवस्था करना।
ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास	1999	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों के निर्माण में किफायती, पर्यावरण अनुकूल, आधुनिक डिजायनों, की अभिनव योजना प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना।
भारत निर्माण (आवास) योजना	2005	ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार के अतिरिक्त आवासों के निर्माण को बढ़ावा देना।

गई। इन्दिरा आवास योजना एक आरम्भिक योजना कही जा सकती है जिसे जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इसके बाद वर्ष 1995 में ग्रामीण निर्माण केंद्र योजना तथा वर्ष 1999 में ग्रामीण आवास हेतु ऋण एवं सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना, समग्र आवास योजना, ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास की अभिनव योजना आदि संचालित की गई है। वर्ष 2005 में औपचारिक तौर पर लागू की गई भारत निर्माण योजना के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अतिरिक्त आवासों के निर्माण पर बल दिया गया है।

केंद्र प्रायोजित आवासीय योजनाएं

इंदिरा आवास योजना – गांवों में रहने वाले गरीबों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बृहद स्तर पर मई, 1985 में जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना को 1 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को सुधारने में सहायता प्रदान करना रहा है। इस हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1995–96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं या निकटतम संबंधी को भी दिए जाने लगे हैं। योजना के दायरे में भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवा निवृत सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है, बशर्ते कि वे इस योजना की सामान्य शर्तों को पूरा करते हों। योजना के अंतर्गत तीन प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई है। इस योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन परिवार की स्त्री सदस्य के नाम या पति–पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है तथा कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए करना अनिवार्य बनाया गया है। स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हा इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकान का अभिन्न अंग होते हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतें करती हैं। निर्माण प्रौद्योगिकी, सामग्री और डिजाइन आदि का निर्णय पूरी तरह से लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नए आवासों के निर्माण के लिए रुपए 27,500 प्रति इकाई की दर से चयनित लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के बेकार पड़े कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए 12,500 रुपए प्रति इकाई सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इस हेतु योजना के लिए आवंटित कुल राशि की 20 प्रतिशत धनराशि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1985–86 से अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग 114.78 लाख मकान बनाए गए हैं जिन पर कुल 20,023 करोड़ रुपए खर्च किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय (ग्रामीण आवास) योजना – ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों को अधिक बल देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासों के निर्माण की येाजना संचालित की गई है। यह कार्य एक विस्तृत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण के स्वस्थ विकास में सहायता देना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) सामान्यतः इंदिरा आवास योजना की रूपरेखा पर ही आधारित है इससे समूचे देश में ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाने लगा है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी की जाती है।

ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं सब्सिडी की योजना – यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई। ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं सब्सिडी की योजना ऐसे ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनकी वार्षिक आमदनी 32,000 रुपए तक है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को वरीयता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 10,000 रुपए की सब्सिडी तथा प्रति परिवार 40,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। स्वच्छ शौचालय और धुंआरहित चूल्हे प्रत्येक मकान के अभिन्न अंग बनाए गए हैं ताकि मकान के साथ–साथ आस–पास का पर्यावरण भी स्वस्थ रह सके। योजना के लिए धनराशि का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में होता है।

समग्र आवास योजना – 1 अप्रैल, 1999 से समग्र आवास योजना के नाम से एक नई योजना की शुरूआत की गई। यह एक व्यापक आवास योजना है जिसका उद्देश्य आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। समग्र आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ–साथ, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विभिन्न ग्रामीण

विकास गतिविधियों जैसे–आवास निर्माण, स्वच्छता सुविधाएं तथा पेयजल योजनाओं का अभिसरण तथा उपयुक्त और प्रौद्योगिकी के निरंतर प्रवेश तथा अभिनव विचारों द्वारा इनका क्रियान्वयन इस योजना का विशिष्ट उद्देश्य है। प्रथम चरण में इस योजना को 24 राज्यों के 25 जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम – देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती, पर्यावरण–अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित और प्रभावी स्वदेशी व आधुनिक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1999 से ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में नवीन व प्रमाणित आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को बढ़ावा देना एवं उन्हें प्रचारित करना है।

ग्रामीण निर्माण केंद्र योजना – ग्रामीण निर्माण केंद्र आंदोलन, जो निर्मित आंदोलन के नाम से जाना जाता है, की शुरूआत केरल राज्य में वर्ष 1995 में हुई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण तथा किफायती व पर्यावरण–अनुकूल निर्माण सामग्री के उत्पादन के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, सूचना प्रसार तथा कुशलता बढ़ाना है। ग्रामीण निर्माण केंद्रों को प्रयोगशाला से जमीन तक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में शामिल किया गया है। एक ग्रामीण निर्माण केंद्र राज्य सरकार, ग्रामीण विकास एजेन्सियों, विश्वस्त गैर–सरकारी संगठनों, निजी उद्यमियों, व्यावसायिक संस्थानों, स्वायत्त संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना हेतु एकमुश्त 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।

भारत निर्माण योजना (ग्रामीण आवास) – भारत निर्माण योजना जिसकी औपचारिक शुरूआत 16 मई, 2005 को हुई का उद्देश्य बुनियादी संरचना से जुड़े छः प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान कर गांवों को विकास की धारा से जोड़ना है। इन छः प्रमुख क्षेत्रों में आवास भी शामिल है। अन्य क्षेत्र हैं – सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सभी के लिए आवास की सुविधा मुहैया कराने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु यों तो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त संचालित विशिष्ट आवासीय योजनाओं और कार्यक्रमों के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। हडको अर्थात हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक संस्था इस क्षेत्र में अग्रणी रही है। जरूरतमंद लोगों को आवास के लिए ऋण दिलाने से लेकर नई सामग्री एवं डिजाइनों, भवन निर्माण पद्धतियों, मरम्मत एवं सुधार को प्रोत्साहन देने के अभियान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले तीन–चार वर्षों में इसने अपने लक्ष्य से आवास क्षेत्र के जरूरतमंदों को लगभग 2 गुना अधिक ऋण दिया है और लगभग पौने 9 लाख आवासीय भवनों का निर्माण किया है। इनमें से 80 प्रतिशत का सीधा लाभ आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को मिल सका है। हडको के क्षेत्रीय केंद्रों ने भवन निर्माण संबंधी सभी जानकारी को देश के सुदूरतम क्षेत्रों में पहुंचाने की कोशिश की है। आवास क्षेत्र में सक्रिय अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा जीवन बीमा निगम का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन 1988 में किया गया था और इसका समस्त कार्य रिजर्व बैंक की निगरानी में होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए संचालित की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से वहां आवासीय सुविधाओं का विस्तार तो संभव हुआ है लेकिन यहां वास्तविक आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए अभी मंजिल बहुत दूर है। इसके लिए सबसे पहले तो इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। वास्तविक तौर पर देश में लगभग 3.3 करोड़ मकानों की कमी है जिसको पूरा करने के लिए हाल ही में लगाए गए सरकारी अनुमानों के अनुसार 66,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति सरकार को प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित की गई विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्धारित लागत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उसमें मकान की वास्तविक लागत को पूरा किया जा सके। उदाहरण के तौर पर इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (ग्रामीण आवास) हेतु प्रति मकान की लागत वर्तमान में 27,500 रुपये निर्धारित है जिसमें सामान्यतया निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता है। अतः महंगाई को ध्यान में रखते हुए लागत सीमा और भी बढ़ाई जानी चाहिए। ❐

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. में संयुक्त निदेशक हैं)

ग्रामीण विकास की रफ्तार

अनन्त मित्तल

भारत निर्माण कार्यक्रम को लागू हुए डेढ़ साल हो रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस बीच देश के तमाम राज्यों के पिछड़े इलाकों में योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुधारने और नए सिरे से तैयार करने का ठोस प्रयास चल रहा है। केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने यह कार्यक्रम गांवों के समग्र विकास के साथ ही साथ विशिष्ट व्यावसायिक रणनीति के तहत शुरू किया है। इसका लक्ष्य समग्र ग्रामीण विकास के साथ ही साथ गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचे में सीमेंट, स्टील, गिट्टी, चूने, तारकोल आदि की खपत के जरिए उनके उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। इस कार्यक्रम के लिए अगले साढ़े तीन साल में कुल 1,74,000 करोड़ रूपए की राशि खर्च के लिए निर्धारित की गई है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का निर्माण असल में इस देश के गांवों तक बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाकर ही किया जा सकता है। भारत निर्माण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सामान्य तौर पर एक हजार और पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में 500 परिवारों वाली बसाहटों को बारहमासी सड़क के जरिए मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा गरीबों के लिए 60 लाख आवासीय इकाई, बाकी बची 74 हजार बसावटों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने, सवा लाख गांवों तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने और 66822 गांवों तक टेलीफोन कनेक्शन पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी भारत निर्माण के अंतर्गत जोर दिया जा रहा है। भारत को वैसे भी गांवों और खेतिहरों का देश कहा जाता है। इसलिए ग्रामीण विकास की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का प्रयास दरअसल भारत का निर्माण ही सिद्ध होगा।

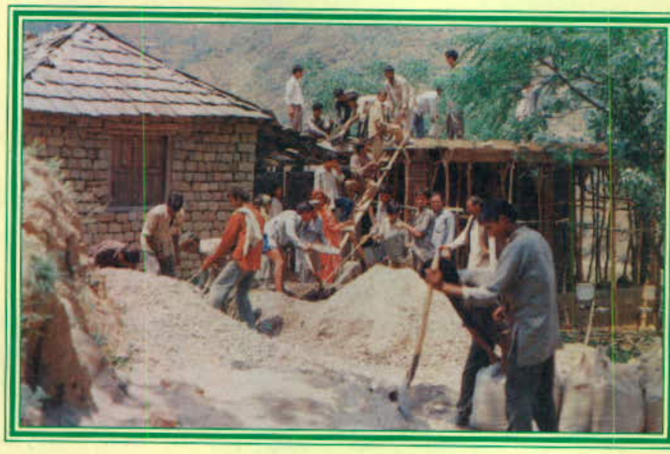

भारत की 70 प्रतिशत आबादी अभी तक गांवों में ही बसती है और कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घटकर भले ही 25 फीसदी रह गया हो, मगर रोजगार के लिहाज से देश की दो–तिहाई से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। सिंचाई, सड़क और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार का प्रत्यक्ष लाभ जाहिर है कि इसी वर्ग को मिल रहा है। पिछले साल देश भर में ग्रामीण इलाकों में कुल 18,720 किलोमीटर लम्बाई की सड.को का निर्माण हुआ है, जबकि लक्ष्य कुल 51,258 किलोमीटर लम्बी सड़को के निर्माण का था। इनके जरिए कुल 8024 गांवों को पक्की सड़क से मुख्य मार्ग से जोड़ने में सफलता मिली है। हालांकि लक्ष्य 19,915 गांवों तक सड.क पहुंचाने का था। इस प्रकार ग्रामीण विकास के कार्यों को भारत निर्माण के अन्तर्गत समाहित कर देने और इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा भरपूर राशि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद राज्य सरकारें इसे समयबद्ध तरीके से लागू नहीं कर पाई हैं। इसके बावजूद कुछ राज्यों ने भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत मिले गांवों के त्वरित विकास के अवसर का फायदा उठाने की गंभीर कोशिश की है। इस मोर्चे पर अव्वल रहने वाले राज्य हैं आन्ध्रप्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दूसरे नम्बर पर छत्तीसगढ., पंजाब, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम हैं। आबादी और राजनैतिक संवेदनशीलता के लिहाज से दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में भारत निर्माण कार्यक्रम के इस सबसे महत्वपूर्ण उपादान, ग्रामीण पहुंच सड़क निर्माण योजना की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां 11,992 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाए जाने का लक्ष्य था, वहीं उसकी बमुश्किल एक चौथाई से भी कम यानि 2472 किलोमीटर लम्बी सड़क ही बन पाई हैं। उनसे सिर्फ 11,095 गांवों को ही मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सका है। यह स्थिति तो तब है, जबकि उत्तर प्रदेश की गणना भी मानव विकास के पैमाने पर बिहार की तरह बीमारू राज्यों में होती है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी और लगभग वैसे ही राजनैतिक अंतर्द्वंद्व के शिकार बिहार की हालत तो और भी खराब है। बिहार में 2194 किलोमीटर लम्बी सड़कों के जरिए 277 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना था, लेकिन वर्ष 2005–06 के दौरान इसकी महज 5 प्रतिशत यानि 106 किलोमीटर लम्बी सड़क ही बन सकी हैं और बमुश्किल 51 गांव मुख्य मार्ग से जुड़ पाए हैं।

देश के और एक बड़े राज्य महाराष्ट्र का हाल और भी बुरा है, वहां वर्ष 2005–06 के दौरान 1628 किलोमीटर लम्बी सड़क बननी थीं। इनके जरिए 534 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना

था, लेकिन विकास के ढिंढोरों के बीच पक्की सड़क से गांव जुड़ पाए केवल दो और सड़क बनी केवल 8 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल आदि राज्यों की हालत भी असंतोषजनक है, मगर सीमाई राज्यों मणिपुर और मेघालय ने तो लक्ष्य को भेदने की कोशिश ही नहीं की, यानि वे एक भी किलोमीटर लंबी सड़क नहीं बना पाए।

नई सड़कें बनाने के मामले में गुजरात ने बाजी मारी है। मार्च 2006 तक 727 किलोमीटर पक्की ग्रामीण सड़कें बनाने के लक्ष्य के मुकाबले गुजरात ने 687 किलोमीटर लम्बी सड़क बना डाली है, जिनके जरिए 320 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है, यानि लक्ष्य से महज 15 कम। गुजरात को इस दौरान कुल 335 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना था। आन्ध्रप्रदेश को पिछले वित्त वर्ष में 1516 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण के जरिए 517 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना था। इसके मुकाबले राज्य ने 1250 लम्बी सड़कें बनाकर कुल 432 गांवों को जोड़ा है। छत्तीसगढ़ ने पिछले साल 1974 किलोमीटर सड़क बनाकर राज्य के दूरदराज बसे 719 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में कामयाबी पायी है। लक्ष्य के अनुसार राज्य को 3791 किलोमीटर सड़कें बनाकर कुल 1388 गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना था, लेकिन लक्ष्य से लगभग आधे गांवों तक पहुंच मार्ग बनाने के बाद छत्तीसगढ़ ने अपने जैसे ही पिछड़े झारखंड से कहीं बेहतर नतीजे दिखाए हैं।

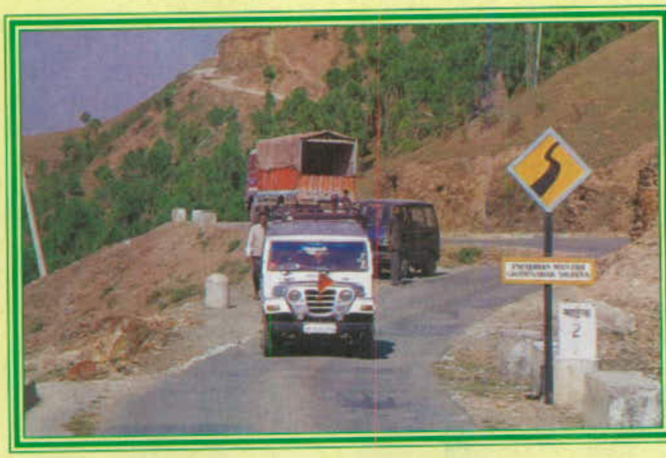

झारखंड को कुल 2250 किलोमीटर लम्बी सड़क बनानी थी और 1112 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना था। इसके मुकाबले राज्य में 569 किलोमीटर लम्बी सड़क ही बनाई जा सकी और लक्ष्य से लगभग एक चौथाई यानि 266 गांवों को ही मुख्य सड़क से जोड़ा जा सका है। उल्लेखनीय है कि झारखंड खनिजों के मामले में अमीर होने के बावजूद मानव संसाधन विकास की दृष्टि से अपने जैसे दो अन्य राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरह अत्यंत पिछड़ा हुआ है। पिछले साल झारखंड में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा न हो पाने की एक वजह वहां राजनीतिक अनिश्चितता भी है। वरना छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा ने भी पिछले साल 2737 किलोमीटर लम्बी नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले उससे लगभग आधी 1417 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण करके राज्य में दूरदराज के 803 गांवों को सदाबहार सड़क से मुख्य मार्ग से जोड़ने में कामयाबी हासिल की। हालांकि लक्ष्य 1451 गांवों तक पक्का पहुंच मार्ग बनाने का था। उड़ीसा की तरह उसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल ने भी 2878 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लक्ष्य के मुकाबले आधी यानी 1451 किमी लंबी पक्की सड़कें बनाकर 922 गांवों के कायापलट में कामयाबी पाई है। हालांकि कायदे से और 1057 गांव भी पिछले साल ही पक्के पहुंच मार्ग से लैस हो जाने चाहिए थे।

पंजाब ने भी निर्धारित लक्ष्य 245 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाने के मुकाबले 146 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाकर 68 गांवों तक पक्का पहुंच मार्ग स्थापित करने में सफलता पाई है। पंजाब को कुल 129 गांवों तक पहुंच मार्ग को पक्का करना था। इस प्रकार उसे लगभग 55 प्रतिशत कामयाबी मिली। लेकिन राजस्थान ने 70 फीसदी से अधिक कामयाबी पाकर अपने इस पड़ोसी राज्य को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान को 3777 किलोमीटर लम्बी सड़क बनानी थीं, जिनमें से 2678 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाकर 838 गांवों तक सदाबहार सड़क पहुंचा दी गई है। उधर पंजाब का दूसरा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश तो 2683 किमी लंबी ग्रामीण सड़क बनाने के लक्ष्य के मुकाबले लगभग एक चौथाई यानी 786 किमी लंबे पहुंच मार्ग ही पूरे करके उससे पिछड़ा साबित हुआ है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश को जहां दूरदराज फैले अपने 1124 गांवों में विकास की भोर पहुंचानी थी, वहीं उसके महज एक तिहाई यानी 357 गांवों तक ही पक्की सड़क पहुंच पाई है। इस प्रकार देश के सबसे दुरूह और पिछड़े इलाकों में शुमार होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार, विकास की दरवाजे पर आई गंगा का भी ढंग से आचमन नहीं कर पा रही।

देश का अत्यंत संवेदनशील पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र भी अपनी दुरूह भौगोलिक संरचना और जातीय एवं नस्लीय विभाजन के कारण पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम ने ग्रामीण पहुंच मार्ग को पक्की सड़क में बदलने में बहुत गंभीरता दिखाई है। राज्य के सामने पिछले वित्त वर्ष में कुल 1601 किलोमीटर लंबे ग्रामीण पहुंच मार्गों को पक्का करने की चुनौती थी, जिसमें से लगभग आधी यानी 747 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में असम कामयाब रहा है। इस प्रकार राज्य सरकार 1102 गांवों को पक्के पहुच मार्ग उपलब्ध कराने के लक्ष्य के करीब आधे यानी 557 गांवों तक सदाबहार सड़क पहुंचा पाई है। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में से मिजोरम ने 295 किमी ग्रामीण पहुंच मार्ग पक्की सड़क में बदलने के लक्ष्य के मुकाबले महज 59 किमी लंबी सड़क ही बनाई हैं। इस प्रकार राज्य के निर्धारित 20 गांवों के बजाय सिर्फ चार गांवों तक ही पक्की सड़क पहुंच पाई है। नगालैंड को पिछले साल कुल 382 किमी लंबे ग्रामीण पहुंच

मार्गों को पक्की सड़क में बदलना था। इसके मुकाबले वहां करीब एक चौथाई यानी 100 किमी लंबी ग्रामीण सड़कें ही बन पाई हैं, जिनसे 15 गांवों को फायदा हुआ है। इसके बजाय 30 गांवों तक सदाबहार सड़क पहुंचाने का लक्ष्य था। मणिपुर को 390 किमी लंबी सड़क बनाकर 72 गांवों को राहत देनी थी मगर राज्य सरकार एक किलोमीटर लंबी सड़क भी नहीं बना पाई। इसी तरह मेघालय को 356 किमी लंबे ग्रामीण पहुंच मार्ग बनाने थे और 139 गांवों तक विकास की भोर पहुंचानी थी, मगर वहां भी न तो एक किमी पहुंच मार्ग पक्का हुआ और न ही किसी गांव का कुछ भला हो पाया।

मेघालय और मणिपुर को तो उनकी कोताही के लिए फिर भी पिछड़ा राज्य मानकर छोड़ा जा सकता है मगर ग्रामीण पहुंच मार्गों को पक्की सड़क में बदलने के मामले में देश का अव्वल राज्य केरल भी कम लापरवाह नहीं है। केरल को कुल 369 किलोमीटर लंबे पहुच मार्गों को पक्की सड़क में तब्दील करके पिछले साल 232 गांवों का भला करना था। लेकिन वहां बन पाई महज 38 किलोमीटर यानी दस फीसदी सड़कें ही। इससे जाहिर है कि सदाबहार सड़क से जुड़ पाए बमुश्किल 29 गांव और इससे महरूम रहे 203 गांव, जिसका खामियाजा इन गांवों को शायद अगले कई वर्षों तक उठाना पड़ेगा। इसी तरह देश की ज्ञानधानी बंगलूर के कलंगी लगाकर इतराने के बावजूद कर्नाटक भी अपने गांवों की उपेक्षा के आरोप से बच नहीं सकता। कर्नाटक को कुल 78 किलोमीटर लंबी सड़कें बना कर अपने 33 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना था, लेकिन पिछले साल सड़क बनीं कुल 18 किलोमीटर और गांव भी जुड़े महज छह, जबकि बाकी 27 गांव राज्य में राजनैतिक खींचतान के कारण बिना पक्के पहुंच मार्ग के ही लटके रह गए।

दक्षिण के और एक प्रमुख राज्य तमिलनाडु का रिकार्ड भी उत्साहजनक नहीं है। तमिलनाडु में पिछले साल 1283 गांवों को 1679 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क के माध्यम से विकास की मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य था। इसके बावजूद वहां सिर्फ 394 गांवों तक 490 किमी लंबे पहुंच मार्गों को ही पक्की सड़क में तब्दील किया जा सका है।

सीमांत राज्यों में से अरूणाचल प्रदेश का रिकार्ड कुल 117 किमी लंबी ग्रामीण सड़कें बनाकर अच्छा रहा है। इससे राज्य में कुल 20 गांव लाभान्वित हुए हैं, जबकि लक्ष्य 465 किमी लंबी सड़कें बनाकर 117 गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाने का था। उत्तरांचल को कुल 1324 किमी लंबी सड़कें बनाकर पहाड़ों की गोद में बसे 413 गांवों को मुख्य मार्ग से सदाबहार सड़क से जोड़ना था, लेकिन उसे कामयाबी मिली सिर्फ 95 किमी लंबी पक्की सड़कों को महज 36 गांवों तक पहुंचाने में । जम्मू–कश्मीर की हालत और भी खस्ता रही। देश के इस सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य में सरकार पिछले साल महज 16 किमी लंबी सड़क बनाकर कुल 10 गांवों को ही पक्का पहुंच मार्ग दे पाई। इसके मुकाबले लक्ष्य 307 गावों तक 971 किमी लंबी पक्की सड़कें पहुंचाने का था। त्रिपुरा में 164 गांवों तक 164 किमी लंबी सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले राज्य सरकार सिर्फ छह गावों तक छह किलोमीटर लंबी पक्की सड़क ही पहुंचा पाई है। सिक्किम में 45 किमी लंबी पक्की सड़कों से 22 गांवों को जोड़ा गया है। वहां लक्ष्य 135 किमी लंबी सड़कों से 46 गांवों को जोड़ने का था। गोवा में महज 21 किमी लंबी सड़कें बनाकर 21 गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना था, मगर वहां न सड़क बनी और न ही किसी गांव की तकदीर बदली। पिछले एक साल में कुल मिलाकर स्थितियां बदली हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों तक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के प्रसार के जरिए विकास की नई लहर लाने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें समुचित तेजी भले न आई हो मगर मुहिम शुरू हो चुकी है। इसका असर आने वाले वर्षों में अवश्य दिखाई देगा।

गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका है। सड़क ही गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में रोजमर्रा जरूरत के समान पहुंचाने और वहां से कृषि पैदावार को शहरी मंडियों तक पहुंचाने के साथ ही देश के पिछड़े और गरीब नागरिकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम मुख्यतः सड़कों का ही है। गावों तक सड़कों का मुकम्मिल जाल बिछने के बाद गांवों और शहरों के बीच तालमेल तो बढ़ेगा ही, साथ ही गांववासियों को इलाज और पढ़ाई के लिए शहर में आने–जाने में सुविधा भी हो जाएगी। देश में यात्रियों के कुल यातायात में से 85 फीसदी सड़कों के जरिए ही होता है। इसी प्रकार देशभर में ढोए जाने वाले कुल माल में से 70 फीसदी सड़कों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसीलिए गांवों में बारहमासी पक्की सड़कें बिछाने का जिम्मा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने (यूपीए) बड़े पैमाने पर उठाने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूपीए सरकार ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई, पीने के पानी, आवास, बिजली और टेलीफोन सेवा को भी देश के सभी गांवों तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।

सड़क

केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश भर के लगभग सवा छह लाख से अधिक गांवों में से एक–चौथाई यानी 1 लाख 70 हजार गांवों में यह सड़क बनाई जानी है। इस हिसाब से तीन लाख 69 हजार किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तीन लाख 68 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए वर्तमान अनुमान के अनुसार 1,33,000 करोड़ रूपए की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2005–06 में देश में कुल 3596 किमी लंबी सड़कों को सुधारा जा सका है, जबकि लक्ष्य 13930 किमी लंबी सड़कों के सुधार का था। इस कार्यक्रम में भी अधिकतर राज्य सरकार लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई हैं। ❐

(लेखक पत्रकार हैं)

गांवों की खुशहाली में सड़कों की भूमिका

एन. मोहनन

आधारभूत अवसंरचनाएं किसी देश के विकास की कुंजी होती हैं। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधार स्थापना में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च स्तरीय आर्थिक विकास बनाये रखने के लिए आधारभूत अवसंरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधारभूत अवसंरचनाएं संतुलित आर्थिक विकास की कुंजी होती हें खासकर दक्षता, उत्पादकता और पर्याप्तता के लिए। औद्योगिक विकास में निरंतरता तथा भविष्य में कृषि विकास के लिए आधारभूत संस्थाओं में पैसा लगाने से गुणात्मक प्रभाव रोजगार में नए अवसरों के रूप में सामने आएगा। जो इसी प्रकार के अन्य निवेश की अपेक्षा अधिक है। अर्थव्यवस्था का नवीनीकरण और बाजारीकरण सड़कों और संचार जैसे आधारभूत संरचनाओं में निवेश के बाद ही संभव है। इनके बिना अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त विकास संभव नहीं हो सकता है। जो अविस्मरणीय है। इसलिए देश के गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के निरंतर विकास में आधारभूत अवसंरचनाओं की निर्णायक भूमिका है।

सड़क संबद्धता

ग्रामीण सड़कें अभी तक उपेक्षित रही हैं। अच्छी सड़कें और

परिवहन व्यवस्था संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस विषय में जॉन एफ. केनेडी की एक उक्ति है "कि सड़कें हमारा धन न होगी अपितु सड़कें धनोपार्जन करेगी"।

तालिका–1

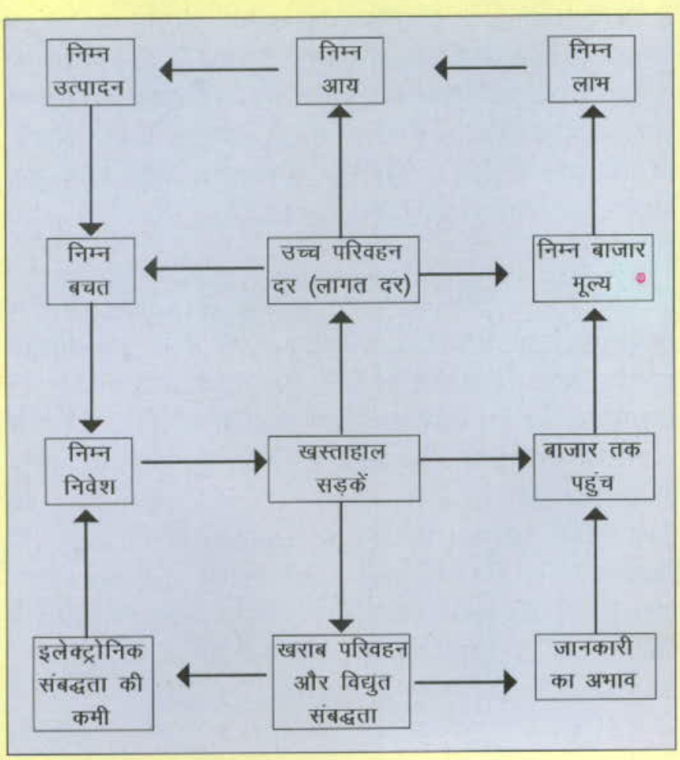

तालिका–2

आधारभूत अवसंरचनाएं और बाजार का आपसी संबंध

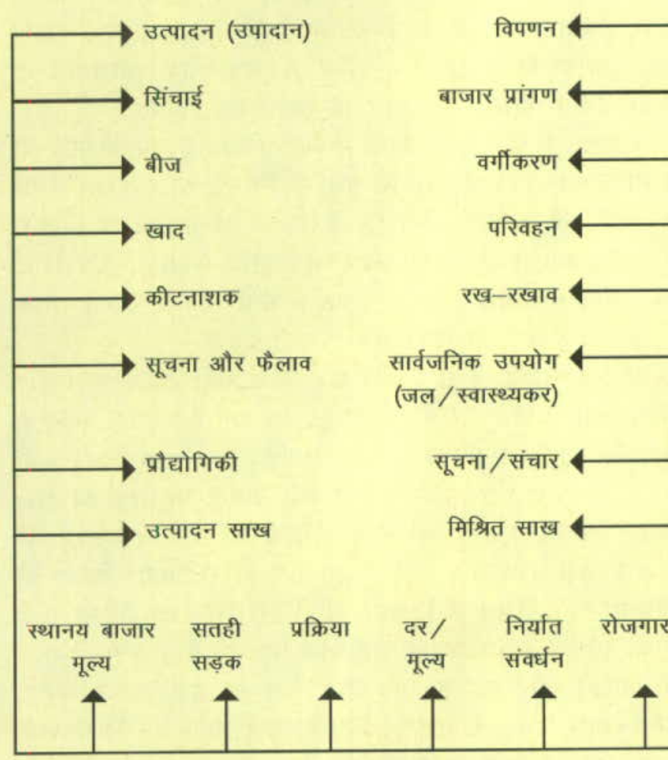

परिवर्तनशील बाजार तक पहुंच उत्तरदायी तत्व

तालिका–3
भारत निर्माण : सुदृढ़ीकरण और नयी संबद्धता के लिए लक्ष्य

वर्ष	आवासों की संख्या	सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)	सुदृढ़ीकरण (कि.मी. में)
2005–06	7034	15492	11349 (73.5)
2006–07	16130	35182	54669 (155.4)
2007–08	20071	43900	59316 (134.8)
2008–09	23567	51521	68751 (133.4)
कुल	66802	146185	194130 (132.8)

(स्रोतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट–2005–06)

गांवों को सड़कों द्वारा (सतही अथवा असतही तौर पर) नजदीक के राजमार्ग/कस्बे/ बाजार/उपनगरीय क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण सड़कों में गांव और जिले की सड़कें शामिल हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़े और अगड़े क्षेत्रों के मध्य सड़कें मजबूत संबंध स्थापित करेंगी। अच्छी सड़कें सेवाओं और वस्तुओं का शीघ्र परिवहन सुनिश्चित करेंगी। गांवों के लोगों को रोजगार खोजने में सहायक भी होंगी और उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा, साथ ही गरीबी कम करने में भी सहायक होंगी।

सड़कें अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है तथा यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सड़कों की संबद्धता अर्थ–व्यवस्था के विकास का एक नया मंत्र है अतः सड़कें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दूरियां पाटेंगीं और क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करेंगी। सड़कों के आपसी जुड़ाव से कैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है यह निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है–

ग्रामीण बाजार हेतु अवसंरचनाएं

भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 8 प्रतिशत 2006–07 के वर्ष में रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी ऐसी ही विकासदर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र के विकास में भी उच्च विकास दर की निरंतरता कायम करने का लक्ष्य भी ग्यारहवीं योजना में रखा गया है लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत की दो तिहाई आबादी अब भी कृषि से अपनी आजीविका कमाती है। अतः कृषि क्षेत्र और आधारभूत अवसंरचनाओं के मध्य समुचित संतुलन बनाए रखना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को 8 प्रतिशत बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्र में भी 4 प्रतिशत की विकास दर बनाए रखनी होगी। आज हमारा देश भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए द्वितीय हरित क्रांति की ओर देख रहा है। अतः सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि आपस में बहुत कुछ गुथी–बिंधी हैं। स्थानीय व्यापार से लेकर वैश्विक व्यापार तक की आपसी संबद्धता कृषि क्षेत्र के विकास के नए अवसर खोलेगी। निजी उद्यमियों द्वारा भी कृषि निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कृषि उत्पादों का निर्यात हो सके। प्रधानमंत्रीजी ने जोर देकर कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा तथा यह क्षेत्र गैर–कृषि क्षेत्रों के लिए पूरक का काम करेगा। अतः इस विचार

तालिका–4
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–एक दृष्टि

विषयवस्तु–पूर्णतया केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम जिसका आरंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ। 1 लाख 72 हजार आवासों को बारहमासी सड़कों से जोड़ेगा दसवीं योजना के अंत तक 500 या उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

मुख्य लक्षण

• कुल ग्रामीण आवासों की संख्या	:	849341
• असंबद्ध आवासों की संख्या	:	330647 (38.9 प्रतिशत)
• प्र.ग्रा.स.यो. द्वारा दायरे में लाये जाने वाले आवास	:	172772 (52.3 प्रतिशत)
• खर्च (करोड़ रुपयो में)	:	1,32, 000
• कुल सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	:	369386
• औसत लंबाई (कि.मी. में)	:	2.14

कार्यकारी मशीनरी और चेतावनी

- राज्य सरकार द्वारा चिन्हित नोडल एजेंसी इसका कार्य भार देखेगी।
- ऑन लाईन प्रबंधन, समस्याएं और लेखा कार्य प्र.ग्रा.स.यो. का महत्वपूर्ण आधार है।
- सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यों में है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास संगठन तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

कार्य की प्रगति (2005–06)

• कार्य हेतु मंजूर कुल रकम	:	25410.44 (करोड़ रुपये)
• खर्च के लिए निकाली गयी आय	:	14641.44 (करोड़ रुपये)
• कुल सड़कों की संख्या	:	46214
• खर्च का प्रतिशत	:	79.73
कुल किया गया कार्य	:	62.57

तालिका–5

विभिन्न श्रेणियों के राज्य जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाएंगे

राज्य	पहुंच से दूर आवासों का प्रतिशत	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जोड़े जाने वाले आवासों का प्रतिशत	प्र.ग्रा.सं.यो. के द्वारा पहुंच में लायी जाने वाली सड़कों की कुल लम्बाई (कि.मी.में)	स्थान
आंध्र प्रदेश	4.0	36.6	3326	17
अरूणाचल प्रदेश	68.4	15.6	3112	18
असम	68.7	83.3	18987	9
बिहार	57.5	73.7	33351	4
छत्तीसगढ़	81.9	51.9	37556	3
गोवा	14.9	100.0	90	27
गुजरात	23.0	52.3	7453	13
हरियाणा	0.3	8.7	26	28
हिमाचल प्रदेश	66.7	30.5	12832	10
जम्मू और कश्मीर	42.6	70.8	8412	12
झारखंड	58.8	50.8	21445	8
कर्नाटक	8.1	19.0	1866	22
केरल	3.0	99.5	460	26
मध्य प्रदेश	62.4	53.2	60264	1
महाराष्ट्र	12.2	25.4	4369	16
मणिपुर	39.3	52.4	5715	14
मेघालय	51.3	27.5	2662	20
मिजोरम	49.6	72.7	2021	21
नागालैंड	12.1	74.0	988	24
उड़ीसा	57.6	50.9	29374	6
पंजाब	6.8	58.3	979	25
राजस्थान	51.3	53.1	31948	5
सिक्किम	45.5	77.6	1107	23
तमिलनाडु	8.5	49.6	5259	15
त्रिपुरा	46.8	55.0	2980	19
उत्तर प्रदेश	43.5	39.5	38725	2
उत्तरांचल	51.2	30.1	10429	11
पश्चिम बंगाल	69.3	70.9	23652	7
कुल	38.9	52.2	369386	–

को ध्यान में रखें तो सड़कों का विनिर्माण और सुदृढ़ीकरण कर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना किसी राज्य की प्राथमिकता सूची में पहले नंबर की बात है।

ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचनाओं का अर्थ गांवों की बाजार तक पहुंच है। भौतिक और संस्थागत आधारभूत अवसंरचनाएं किसानों की बाजार तक पहुंच में सहायक होंगी। सड़कों के जुड़ाव से जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पाद बाजार में जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। फसलों के तैयार होने के बाद उनका अधिकांश भाग खराब हो जाता ह जो कुल उत्पादन (20 मिलियन टन प्रतिवर्ष) का 11 प्रतिशत है।

खाद्य सामग्री और सब्जियों का लगभग 40 प्रतिशत भाग आधारभूत अवसंरचनाओं की अनुपलब्धता से खराब हो जाता है। बाजार के विकास में आधारभूत अवसंरचनाओं की भूमिका निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है।

किसी देश का उच्च आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश तथा कृषि उत्पादों के बाजार में पर्याप्त पहुंच से ही संभव है। इस कार्य में थोड़ी प्रगति प्राकृति संसाधनों जैसे भूमि और पानी का समुचित प्रबंधन एक हाथ में देकर प्राप्त किया जा सकता है। पुनसंरचनात्मक साख और विपणन संस्थाओं का ठीक से कार्य करना भी कृषि उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि के लिए अनिवार्य है। अन्य कृषिगत सुधारों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उत्पादों का न्यूनतम् मूल्य निर्धारण, ग्रामीण विकास को तेज करने के लिए ग्रामीण संबद्धता को और बढ़ना, लाभकारी होगा। इस विचार से, बाजार विकास के लिए आधारभूत अवसंरचनाओं की योजना ग्रामीण विकास में सहायक होगी। कारपोरेट सेक्टर द्वारा भी कुछ नए प्रयास हुए हैं जैसे आई.टी. सी (इंडियन टोबैको कंपनी) गांवों में ई–चौपाल के माध्यम से ई–हब का विकास कर रही है। यह व्यवस्यता एक नया मॉडल है जो कमजोर अवसंरचनाओं को मजबूती देगा।

भारत निर्माण

ग्रामीण अवसंरचनाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने भारत निर्माण नाम की योजना बनायी है। सड़कें उन छह घटों में से एक घटक है जिसकी योजना भारत निर्माण में बनायी गयी है।

इसमें भारत के सभी गांवों को जिनकी जनसंख्या एक हजार है। (पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों के लिए 500) बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 66,802 छूटे हुए आवासों को भी इन सड़कों से जोड़ा जाएगा। 1 लाख 46 हजार 185 किमी. सड़कों का नवनिर्माण किया जाएगा तथा 1 लाख 94 हजार 130 कि. मी. सड़कों की मरम्मत होगी। यहां सड़कों के नवनिर्माण की अपेक्षा अधिकांश सड़कों की मरम्मत और विकास यह दिखाता है कि सड़कों का रख–रखाव बड़ी बुरी अवस्था में है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण कर 'अन्तिम मील' तक की सड़कों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विकास कार्य विभिन्न राज्यों में अपने उच्च स्तर पर चल रहा है। पूरे देश के 39 प्रतिशत आवास सड़कों की समुचित पहुंच से बाहर हैं। यह आंकड़े छत्तीसगढ़ में 81.9 प्रतिशत के साथ अधिकतम तथा हरियाणा 0.3 प्रतिशत के साथ न्यूनतम् है। प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना के तहत 52.3 प्रतिशत लोगों को जो अब पहुंच से दूर थे उन्हें सड़कों के दायरे में लाया जाएगा। हरियाणा में 8.7 प्रतिशत लोगों तक ही यह काम करना है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की पहुंच के हिसाब से हरियाणा सबसे संतोषजनक राज्य है। इसके विपरीत एक विशाल कमी यह है कि राष्ट्र के अधिकांश भाग अब भी सड़कों की पहुंच से दूर हैं। इन्हें भी सड़कों के दायरे में लाया जाएगा। उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों की दशा अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों सी है। अतः इन राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वृहद पैमाने पर लागू की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन राज्यों का सड़कों की लंबाई के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इस आधार पर मध्य प्रदेश शिखर पर है और हरियाणा का स्थान सबसे नीचे है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 1 लाख 72 हजार आवासों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम की लागत लगभग 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए होगी तथा लगभग 3 लाख 68 हजार कि.मी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा।

निष्कर्ष

सड़कें राष्ट्र की जीवनरेखा हैं। गरीबी माप सर्वेक्षण के अनुसार अलगाव तथा ग्रामीण गरीबी का गहरा संबंध है। तथा यह तनाव का मुख्य कारण भी है। सड़कों के जुड़ाव से कृषि उत्पादों में तथा बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ जाएगा। आगे चलकर सड़कें गांवों की कृषि को उद्योगों के रूप में स्थापित करेगी तथा रोजगार के सृजन के साथ ही गांवों में समृद्धि भी आएगी। सड़के लोगो को जोड़ेगीं तथा एक राज्य से दूसरे राज्य तक राज्य विशेष के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।

आपसी जुड़ाव से समझ बढ़ेगी जिससे कृषि क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रांति आने में देर न लगेगी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नवीन, सुदृढ़, अच्छी और बेहतरीन प्रबंधन से युक्त सड़कों का निर्माण एक बड़ा साहसिक कार्य है। सड़कों की अवसंरचनाओं के विकास को भारत निर्माण के अंतर्गत नया आरंभ मिलेगा। जिससे आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों के आवास जो जब तक छूट गए थे वे भारत के आर्थिक विकास में अपना सहयोग कर सकेंगे। धीमी गति से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण से सड़कों के निर्माण में 2001 से लागत दोगुनी पड़ रही है। यह बात उच्च स्तर पर विचारणीय है अतः कम समय और कम लागत से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और ग्रामीण विकास में और गति आ सकेगी। ❒

(लेखक जल तथा भूमि संसाधन केंद्र, हैदराबाद में प्रोफेसर तथा विभागध्यक्ष हैं)

अनुवाद – अभिषेक रंजन सिंह

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर *निदेशक, प्रकाशन विभाग* को नई दिल्ली में देय हो।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

सरोज कुमार दाश

सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को सर्वोच्चप्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरूआत अधिक यातायात वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को समुन्नत करने के उद्देश्य से की गई थी। शुरू–शुरू में इसके दो घटक थे– अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज वाली 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों को बेहतर बनाना ताकि देश के चार बड़े महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जा सके। ये राजमार्ग उत्तर–दक्षिण और पूर्वोत्तर के 7300 किलोमीटर लंबे और 13 राज्यों में फैले इलाकों से गुजरते हैं और श्रीनगर से कन्याकुमारी जिसमें सेलम–कोच्चि खंड भी शामिल हैं तथा सिलचर से पोरबंदर तक की सड़कें शामिल हैं जो 17 राज्यों से होकर जाती हैं।

दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश – सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का क्षेत्र काफी बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें चरण–3 से चरण–7 शामिल होंगे, जिन पर निम्नलिखित प्रकार से 2,27,258 करोड़ रुपए लागत आएगी।

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज के बाकी काम और पूर्व पश्चिम–उत्तर–दक्षिण गलियारों का काम पूरा करना – 52,434 करोड़ रुपए।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–3 के अंतर्गत 11,113 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को समुन्नत करना 72,454 करोड़ रुपए।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–4 के अंतर्गत 20,00 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन वाला बनाकर उनके किनारे पुश्ते बनाना – 27,800 करोड़ रुपए।

(घ) स्वर्णिम चतुर्भुज की 6,500 किलोमीटर लंबी सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ चुनिंदा खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–5 के अंतर्गत 6 लेन वाली बनाना–41,210 करोड़ रुपए।

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–6 के अंतर्गत 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेस–वे का विकास – 16,680 करोड़ रुपए।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–7 के अंतर्गत चुने हुए खंडों पर रिंग रोड, फ्लाईओवर और बाईपास बनाना – 16,680 करोड़ रुपए।

दिल्ली–मुंबई गलियारा – स्वर्णिम चतुर्भुज का दिल्ली–मुंबई गलियारा पूरी तरह से बनकर तैयार है और 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार यह पूरे स्वर्णिम चतुर्भुज की 92.50 प्रतिशत की प्रगति के बराबर है। इस समय 830 किलोमीटर लंबा गलियारा पूरा कर दिया गया है और 5,063 किलोमीटर पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–3 के अंतर्गत पर्यटन, वाणिज्यिक एवं धार्मिक महत्व के शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग के स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 11,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया जाएगा। 30 किलोमीटर लंबी सड़क चार लेने की बनाई जा चुकी है। 1,090 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम चल रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–5 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन वाली बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसकी घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री ने की थी। इसके अंतर्गत बड़ोदरा और सूरत के बीच दो खंडों को 6 लेन का बनाया जा रहा है।

निजी सार्वजनिक भागीदारी – प्रमुख नितिगत निर्णय यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाली तीसरे चरण और उसके बाद की स्कीमों को निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। सामान्य तौर पर निर्माण ठेके उन्हीं मामलों में दिए जाएंगे जो वित्तीय रूप से सक्षम न हों अथवा दूरदराज के इलाकों में कम यातयात की समस्या हो। इस उद्देश्य से भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के इन चरणों को लागू करने का काम दिया गया है और इसे पुनः संगठित करके सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

पिछले दो वर्षों में 6,563 किलोमीटर सड़कों के 156 ठेके दिए गए हैं जो एक रिकार्ड है। इनमें से 129 ठेके सिर्फ वर्ष 2005 में ही दिए गए जिनके अंतर्गत 5,435 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। यही नहीं सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी 45 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के ठेके पिछले दो वर्षों में दिए जा चुके हैं जिनके अंतर्गत 2457 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। ❐

(लेखक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं)

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

सरकार की पहल, कार्यक्रम, सुधार और भारत निर्माण

डा. पी. शिवराम

जल मानव जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पेयजल का असर स्वास्थ्य और उत्पादकता की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। पौराणिक ग्रंथों में पानी को 'इंद्रजल' कहा गया है। यह प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो वर्षा के माध्यम से हमें मिलता है। इससे न केवल मनुष्यों की प्यास बुझती है, बल्कि मनुष्यों, जीव–जंतुओं और पेड़–पौधों को भोजन मिलता है और उनका जीवन चलता रहता है। असल में सभी महान सभ्यताएं जल स्रोतों के समीप बसीं और फली–फूलीं और इस तरह जो समाज विकसित हुए उनकी समूची सभ्यताएं तथा आजीविका जल पर आधारित थीं।

प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत वाले भारत को प्रकृति से भरपूर जल संसाधन मिले हैं। लेकिन देश की भू–भौतिक संरचना और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पानी की उपलब्धता में स्थान के आधार पर भिन्नताएं पायी जाती हैं। इस समय भू–जल, तालाबों और जलाशयों के पानी का उपयोग इस तरह से किया जा रहा है जो न तो युक्तिसंगत है और न लंबे समय तक जारी रह सकता है। इस पानी का उपयोग मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक कार्यों में किया जा रहा है जिससे मनुष्यों के लिए पेयजल की समस्या पैदा होती जा रही है। इतना ही नहीं, भारत में कुल स्वच्छ जल में से करीब 7 से 9 प्रतिशत तक पीने और घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुमान के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2050 में भारत की पानी की कुल आवश्यकता करीब 973 अरब घन मीटर होगी।

इस लेख में ग्रामीण जल आपूर्ति की दिशा में सरकार के प्रयासों, खास तौर पर सरकार के कार्यक्रमों और उसके द्वारा किये गये सुधारों के अध्ययन और विश्लेषण का प्रयास किया गया है। इसमें भारत–निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में रणनीतियों और उपलब्धियों के विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है।

ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में सरकार की पहल

पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य सरकारों के विषय हैं। भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनूसूची में इन्हें राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गये विषयों में शामिल किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार और राज्य सरकारों ने गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में लगभग 55,000 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 37 लाख से अधिक हैंड पंप लगाए गये हैं और

नलों के जरिए पानी उपलब्ध कराने की 1,73,000 परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं जिससे भारत विश्व में सबसे बड़े ग्रामीण पेजयल आपूर्ति नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो गया है।

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था

वर्ष 2005–06 के दौरान पेयजल की सुविधा के दायरे में शामिल की गयी ग्रामीण बस्तियों की स्थिति सारणी–1 में दी गयी है। इससे पता चलता है कि देश की 95 प्रतिशत से अधिक बस्तियां पेयजल आपूर्ति के दायरे में आ गयी है और उनमें एक या दो जल आपूर्ति प्रणालियां हैं। आंशिक रूप से शामिल बस्तियों की संख्या 3.13 प्रतिशत है और इसके बाद उन गांवों का स्थान है जो पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के दायरे से बाहर हैं, हालांकि इस तरह की बस्तियों की संख्या नगण्य है। बहरहाल बड़ी संख्या में ऐसी बस्तियां भी हैं जो पहले पूरी तरह पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के दायरे में आ गयी थी पर बाद में वे फिर से जल आपूर्ति कार्यक्रम में नहीं शामिल/'आंशिक रूप से शामिल' बस्तियों की श्रेणी में आ गयी हैं। इसके कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं: भू–जल के अंधाधुंध दोहन के कारण जल स्रोत सूखते जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भू–जल का स्तर दिन–प्रतिदिन

तालिका–1

पेयजल कार्यक्रम में सम्मिलित ग्रामीण बस्तियों का विवरण–अखिल भारतीय

प्रकार	बस्तियों की संख्या	कुल का प्रतिशत
पूरी तरह सम्मिलित	13,73,827	95.58
आंशिक रूप से सम्मिलित	44,521	3.13
शामिल नहीं	3,935	0.28
जनसंख्या विहीन/शहरीकृत	381	0.03
कुल	14,22,666	100

(स्रोत : भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2005–06)

गिरता जा रहा है; जल स्रोतों को पानी की गुणवत्ता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; संचालन और रखरखाव में कमियों के कारण जल प्रणालियां अपनी निर्धारित क्षमता से कम कार्य कर रही हैं; बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पीने के पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है।

पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली बस्तियां

बड़ी संख्या में बस्तियां (2,16,794) पानी की गुणवत्ता की समस्या का सामना कर रही हैं (सारणी–2)। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से पानी की गुणवत्ता की निगरानी तथा देखरेख के लिये एक कार्यक्रम विकसित किया गया है। इसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की सलाहकार संस्थाओं के माध्यम से लागू किये जाने की संभावना है। राष्ट्रीय संचारी क्षेत्र संस्थान पानी की गुणवत्ता के बारे में परामर्श देने वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। जलग्रहण क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित एक मैनुअल भी बनाया जा रहा है।

पेयजल तक लोगों की पहुंच के संदर्भ में अच्छे कार्य निष्पादन के बावजूद पेयजल आपूर्ति योजनाओं का समुचित रखरखाव एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इन कारणों में जल स्रोतों का सूखना, पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, रखरखाव के अभाव में जल आपूर्ति प्रणाली का खराब हो जाना, कृषि, उद्योग आदि प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की पानी की बढ़ती मांग प्रमुख है। वर्तमान पेजयल आपूर्ति प्रणाली की संचालन और अनुरक्षण लगभग 6750/– रुपये वार्षिक आती है, जबकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत इसके लिए निर्धारित कुल राशि बहुत ही कम है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का एक जल आपूर्ति कार्यक्रम 1954 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों का पता लगाने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में विशेष अन्वेषण प्रभागों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की। समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और समस्याग्रस्त गांवों को योजना में शामिल करने की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शत–प्रतिशत अनुदान सहायता देकर मदद करना था। समूचे कार्यक्रम को मिशन के रूप में चलाया गया। 1986 में जब सामाजिक क्षेत्र में पांच कार्यक्रम मिशन के रूप में प्रारंभ किये गये तो पेयजल प्रबंधन के बारे में राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम का टेक्नोलॉजी मिशन बनाकर समूचे कार्यक्रम को एक मिशन यानी अभियान के रूप में कार्यान्वित किया गया। 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के उद्देश्य ये हैं:

तालिका–2

पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली बस्तियां–अखिल भारतीय

समस्या का प्रकार	समस्याग्रस्त बस्तियों की संख्या
अधिक फ्लोराइड	36,988
अधिक आर्सेनिक	3,136
अधिक खारापन	32,597
अधिक लौह तत्व	1,38,670
अधिक नाइट्रेट	4,000
अन्य समस्याएं	1,400
कुल	2,16,794

(स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2003–04, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

उद्देश्य

- सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना;
- पेयजल प्रणालियों और स्रोतों की सुरक्षा ताकि ये पानी उपलब्ध कराते रहें;
- पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त बस्तियों की समस्याओं का समाधान;
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार की दिशा में की गयी पहल को संस्थागत रूप देना;

कार्यक्रम में शामिल करने के मानदंड

- प्रतिव्यक्ति 40 लीटर पानी की दैनिक आपूर्ति;
- मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं के लिए रोजाना प्रति व्यक्ति 30 लीटर की दर से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति;
- हर 250 व्यक्तियों के पीछे एक हैंडपंप या स्टैंड पोस्ट;
- मैदानी इलाकों में 1.6 किलोमीटर के दायरे में और पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर की चढ़ाई के दायरे में पीने के पानी के स्रोत की व्यवस्था।

धन की व्यवस्था

- त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जाता है। इस धनराशि में से 15 प्रतिशत वर्तमान पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के संचालन और अनुरक्षण पर खर्च किया जाता है। राज्य सरकारों को भी समतुल्य अनुदान 1:1 के अनुपात में देना होता है।
- राज्य सरकारें धनराशि का 20 प्रतिशत पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं जैसे फ्लोराइड और आर्सेनिक की अधिकता, तथा खारेपन को दूर करन के उप–मिशनों के अंतर्गत परियोजनाओं पर व्यय कर सकती है। इसके अलावा जल–संरक्षण और भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण के द्वारा जल–स्रोत का स्थायित्व सुनिश्चित करने में भी यह राशि व्यय की जा सकती है। 20 प्रतिशत धनराशि में से 15 प्रतिशत पानी की गुणवत्ता सुधारने संबंधी परियोजनाओं पर तथा 5 प्रतिशत जलस्रोतों को बनाए रखने की परियोजनाओं पर खर्च की जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें 75 : 25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराती है;
- त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के वार्षिक व्यय का 20 प्रतिशत स्वजलधारा और क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए

आबंटित किया जाता है। इन परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार उपलब्ध कराती है जबकि 10 प्रतिशत सामुदायिक अंशदान के रूप में प्राप्त होती है।

- वार्षिक आबंटन का करीब 5 प्रतिशत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मरुस्थल विकास कार्यक्रम में शामिल राज्यों के लिए रखा जाता है।
- इसके अलावा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं तथा उससे उत्पन्न स्थिति से निपटने पर खर्च किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार शत–प्रतिशत अनुदान देती है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन

राज्य सरकारें अपने विभिन्न विभागों, जैसे जन–स्वास्थ्य, इंजीनियरी विभाग, पंचायत राज्य इंजीनियरी विभाग, ग्राम विकास विभाग और पंचायत राज विभाग के माध्यम से लागू कर रही हैं। कुछ राज्यों में सरकारी बोर्ड/निगम, जैसे गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम आर तमिलनाडु जल और ड्रेनेज बोर्ड इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं।

वित्तीय निवेश

ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए केंद्रीय व्यय 4050 करोड़ रुपये (2005–06) है। कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आबंटन और सब राज्य सरकारों को इसका संवितरण त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (सामान्य), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (मरुस्थल विकास कार्यक्रम) और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (आपदा) के तहत किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका

भारत के संविधान में 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आने वाला विषय है। पंचायती राज संस्थाएं तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल प्रणालियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन, खासतौर पर हैंड पंपों, स्टैंड पोस्टों तथा स्थानीय स्रोतों के लगाने के स्थान के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अलावा उनके संचालन तथा अनुरक्षण में भी उनकी भूमिका है। भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को अधिकार संपन्न बनाने और उनमें क्षमता उत्पन्न करने पर जोर दिया है ताकि वे पेयजल आपूर्ति के कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

कार्यक्रम के मुख्य घटकों की योजना बनाने और उनकी कारगर निगरानी के लिए यह बेहद जरूरी है। इसमें आधुनिकतम सूचना टेक्नोलाजी का उपयोग करके मिशन और राज्यों के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। निकनेट के जरिए बस्ती–वार आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत हार्डवेयर का

चयन, आपरेटिंग सिस्टम का चयन, साफ्टवेयर की आवश्यकता संबंधी ब्यौरा देने वाला दस्तावेज तैयार करना और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त एलिकेशन साफ्टवेयर बनाना शामिल है।

प्रलेखन और सूचना केंद्र

पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी का प्रलेखन करना तथा उसकी निगरानी रखना बहुत बड़ा कार्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का पेयजल आपूर्ति विभाग इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचनाओं के प्रसार और उन तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास करता है। इसलिए इसने पेयजल और स्वच्छता के बारे में प्रलेखन केंद्र स्थापित करने का दायित्व भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केंद्र (इन्सडॉक) को सौंप दिया है जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन एक संगठन है। सीडी में आंकड़े संग्रहीत करने तथा विभिन्न संगठनों को सूचनाएं प्रसारित करने की सुविधा भी जुटाई जा रही है।

मानव संसाधन विकास

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य जोर कारगर सामुदायिक भागीदारी के लिए उपयोग करने वालों की क्षमताएं बढ़ाना तथा जल क्षेत्र के पेशेवर कर्मियों के कार्य निष्पादन व उत्पादकता के स्तर में वृद्धि करना है। इससे जल आपूर्ति कार्यक्रमों को टिकाऊ बनाया जा सकेगा। अब इस कार्यक्रम को नया रूप दे दिया गया है और इसमें संचार तथा क्षमता विकास इकाई की धारणा को शामिल कर लिया गया है। इस समय प्रत्येक राज्य में संचार और क्षमता विकास इकाइयां कार्य कर रही हैं।

हमारे सीमित जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और लोगों को जल उपलब्ध कराने तथा समुचित स्वच्छता और आरोग्य संबंधी उपायों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा करने के मूल में लिंग संबंधी पहलू निहित हैं। पेयजल और स्वच्छता के प्रबंधन में महिलाओं और पुरुषों, दोनों को शामिल करने का महत्व अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981–1990) के दौरान और इससे पहले 1977 में मार डेल प्लाटा में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में विश्व स्तर पर महसूस किया गया।

चूंकि गांवों में पेयजल लाने का कार्य मूलतः महिलाएं करती हैं, इसलिए उन्हें सक्रिय रूप से जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, टेक्नोलॉजी के चयन, जल प्रणालियों की स्थापना के स्थान पर निर्धारण, कार्यान्वयन और संगठन एवं प्रविधि में शामिल किया जाना जरूरी है। इसीलिए ग्राम जल आपूर्ति और स्वच्छता समितियों में कम–से–कम एक तिहाई महिला सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इन महिलाओं को हैंड पंपों की मरम्मत आदि का प्रशिक्षण देने में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गांवों में केवल महिलाओं के विशिष्ट उपयोक्ता समूह गठित करने को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्न प्रकार से शामिल किया जाना चाहिए:

- राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तथा अन्य प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत कम–से–कम 30 प्रतिशत हैंड पंप मैकेनिक स्थानीय क्षेत्र/बस्तियों की महिलाएं होनी चाहिए।
- बस्तियों में हैंड पंपों की देखभाल के लिए महिला केयर टेकर होनी चाहिए।
- योजनाओं के संतोषजनक तरीके से पूरा होने के बारे में प्रमाणपत्र बस्ती के महिला समूहों से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- ग्राम स्तरीय जल निगरानी समितियों में बस्तियों की जानी–मानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में क्षेत्र–सुधार

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र सुधार परियोजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गयी थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकार–केंद्रित, केंद्रीकृत और आपूर्ति आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के स्थान पर जनाभिमुख, विकेन्द्रित, आपूर्ति–प्रेरति और समुदाय आधारित कार्यक्रम प्रारंभ करना था। परियोजना की रणनीति और इसके घटकों में ग्रामीण लोगों के सशक्तीकरण के मांग–निर्देशित दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है ताकि विभिन्न कार्यों में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इन कार्यों में योजना बनाने से पहले, योजना बनाने तथा उनके क्रियान्वयन; योजना के डिजायन, टेक्नोलाजी और प्रबंधन प्रणाली के बारे में निर्णय लेने; सरकार की भूमिका दाता की बजाय सहायक की करने; ग्राम स्तर पर क्षमता–निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने; परियोजना क्रियान्वयन में शामिल एजेंसियों की गतिविधियों में तालमेल कायम कर समन्वित सेवा प्रदाता प्रणाली कायम करने; उपयोग करने वालों द्वारा पूंजीगत लागत के 10 प्रतिशत के बराबर खर्च उठाने; उपयोग करने वालों द्वारा संचालन और अनुरक्षण का शत–प्रतिशत खर्च वहन करने तथा भूतलीय जल, वर्षा जल और भूमिगत जल स्रोतों को बचाकर पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संरक्षण के उपायों पर जोर तथा पानी की किफायत आदि बातें शामिल हैं।

स्वजलधारा

क्षेत्र सुधार परियोजना के जरिये की गयी पहल को दिसंबर 2002 में 'स्वजलधारा' परियोजना शुरू करके बढ़ावा दिया गया। जहां क्षेत्र सुधार परियोजना में क्रियान्वयन इकाई जिला था, वहीं स्वजलधारा योजनाओं को उपयोग करने वालों के समूह, पंचायती राज संस्थाएं, गैर–सरकारी संगठन, एनजीओ आदि लागू करते हैं। देश भर के सभी राज्यों में आज स्वजलधारा योजनाएं चल रही हैं। अंसल में क्षेत्र सुधार परियोजना और स्वजलधारा के ढांचे के अंतर्गत एकल जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, उनका डिजायन तैयार करने, उन्हें लागू करने, संचालित करने तथा उनके रख–रखाव का काम ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के जरिए जल समुदाय द्वारा खुद किया जाता है। सुधारों के अंतर्गत मुख्य जोर पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जाता है ताकि वे केवल पेयजल योजनाओं का संचालन और रख–रखाव ही न करें, बल्कि समूची ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र का प्रबंधन भी कर सकें।

स्वजलधारा कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एसजेंसियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन एजेंसियेां में लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरी विभाग/सिंचाई विभाग (जैसा कि हिमाचल प्रदेश में है), ग्रामीण विकास विभाग (जैसा उड़ीसा में है), सरकारी बोर्ड/निगम (जैसा गुजरात में राज्य जल आपूर्ति जल बोर्ड के रूप में है), जल निगम (जैस उत्तर प्रदेश में है) और टीडब्ल्यू एडी बोर्ड (जैसा तमिलनाडु में है) शामिल हैं।

सूक्ष्म स्तरीय सुधार की पहल और सामुदायिक भागीदारी

ग्रामीण परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं और एनजीओ द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण परियोजनाओं की लागत वसूली की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। ऐसे मामलों में संशोधित शुल्क की सामान्य रूप से स्वीकार्यता से भी यही संकेत मलता है कि उपयोग करने वाले बेहतर और विश्वसनीय सेवा के लिए अधिक शुल्क देने को तैयार हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की इच्छा सभी सामाजिक आर्थिक समूह प्रकट करते देखे जा सकते हैं जिससे यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि निर्धन वर्गों के लोग पानी के लिए अधिक शुल्क देने को तैयार नहीं हैं। (सलेश और शास्त्री : 2004)

चूंकि सरकार के वर्चस्व और आपूर्ति से प्रेरित दृष्टिकोण इस क्षेत्र के मामूली वित्तीय और संचालनात्मक कार्यनिष्पादन

का प्रमुख कारण माना जाता है इसलिए उपयोग करने वाले समूहों तथा सामुदायिक संगठनों की भूमिका को नीति संबंधी चर्चा और कार्यक्रम क्रियान्वयन में उच्च प्राथमिकता मिल रही है। सामुदायिक भागीदारी को अब विकेंद्रित संस्थागत ढांचे के अंतर्गत मांग प्रेरित दृष्टिकोण को लागू करने का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के अभी हाल ही के प्रयोगों से इस बात के पक्के प्रमाण मिलते हैं कि इस क्षेत्र के वित्तीय और संचालनात्मक कार्यानिष्पादन में सुधार लाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बेहतर लागत वसूली, आधारभूत ढांचे के रखरखाव और सेवाएं उपलब्ध कराने में सामुदायिक भागीदारी बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। (शिवराम, उपर्युक्त:2002)

क्षेत्र सुधार परियोजना के व्यावहारिक प्रमाण

नीचे जल और स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा कराए गये क्षेत्रीय अध्ययनों से संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें दी जा रही हैं।

- नमूना ग्रामों में क्षेत्र सुधार परियेाजना की रूपरेखा तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है सामाजिक कार्यों तथा जागरूकता गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय है।
- पेयजल की कमी/समस्या का काफी हद तक समाधान कर लिया गया है और ऐसा मात्रा, गुणवता तथ कड़ी मेहनत, सभी को ध्यान में रखकर किया गया है। पेयजल वितरण प्रणाली और इसकी क्षमता के आधार पर ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों ने आय और जातीय समूहों का ध्यान रखे बिना सभी को घरों में पानी का कनेक्शन देने की सुविधा प्रदान की है।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां नमूना ग्रामों में बड़ी सक्रिय हैं लेकिन उनका कार्यकाल 20 महीने तक सीमित है। यह भी पता चला कि जिले में इन समितियों के अधिकांश सदस्य तीन महीने के भीतर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।
- अगर नवनिर्वाचित समितियों के सदस्य भी अपने दायित्वों के निर्वाह में वर्तमान सदस्यों की तरह ही उत्साह से भाग नहीं लेते तो कार्य की गुणवत्ता तथा परियोजना के पूरा होने में विलम्ब की समस्या पैदा हो सकती है।
- जिला परिषदों, इंजीनियरी विभाग जैसे सहयोगी संगठनों ने ग्राम स्तरीय बैठकें आयोजित की और लोगों को परियोजना के लाभों के साथ–साथ लागत भागीदारी तथा संगठन व प्रविधि के बारे में जानकारी दी। जिला परिषद के इंजीनियरी विभागों में लोगों को आश्वस्त किया और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन तथा 10 प्रतिशत पूंजी लागत की वसूली में मदद दी।
- ग्राम जल और स्वच्छता समितियों ने सभी लाभार्थियों द्वारा समान रूप से लागत–भागीदारी पर जोर नहीं दिया, बल्कि परिवारों की क्षमता के अनुसार धनराशि वसूल की। कुल मिलाकर उच्च आय वर्ग के लोगों ने 10 प्रतिशत पूंजी लागत वसूली में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऐसा करते समय सभी लोगों द्वारा समान खर्च उठाने पर जोर नहीं दिया।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों ने एकमत से विचार व्यक्ति किया कि सहयोगी संगठनों ने उन्हें जल प्रणाली के चयन तथा सामग्री की खरीद, निर्माण के लिए राज मिस्त्रियों के चयन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन और उनके पदाधिकारियों के चयन, संचालन और रखरखाव के लिए पंप आपरेटरों के चुनाव तथा जल–शुल्क के निर्धारण में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की। लेकिन ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों का कहा था कि हालांकि सहयोगी संगठन को परियोजना के तकनीकी पहलुओं के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये थे लेकिन साफ्टवेयर के मामले में वे असफल रहे जो कि क्षेत्र सुधार परियोजना का महत्वपूर्ण घटक था।
- ग्रामवासियों ने अपने आप को पूरी तरह परियोजना से जोड़ा जिससे परियोजना के अधिकारियों का यह विश्वास दृढ़ हुआ कि परियोजना की सामुदायिक भागीदारी इसके स्थायित्व की पूर्वशर्त है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति उपयोग में लाये जाने वाले पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए घरेलू पानी कनेक्शनों के लिए युक्तिसंगत तरीके से पानी के मीटर लगवाए। जल शुल्क की न्यूनतम दर 50–70 रुपये प्रतिमाह तय की गयी। यही राशि जल प्रणाली की संचालन और रखरखाव की लागत पूरा करने में खर्च की जा रही थी।
- कभी–कभार खुले कुओं में बैक्टीरिया संबंधी समस्याओं को छोड़कर पानी की गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं आयी। एएनएम की देखरेख में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने नियमित रूप से खुले कुओं, जलाशयों तथा अन्य स्रोतों का क्लोरिनेशन किया।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने जिला परिषद और ग्राम पंचायत जैसे सहायक संगठनों के मार्गदर्शन में पाइप, सीमेंट आदि सामग्री की खरीद के लिए टेंडर जारी करने आदि कार्य किये। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों ने अपने अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से कार्य पूरा होने के बाद ही ठेकेदारों को चैक जारी किये।

- उत्तरदाताओं के उत्तरों की गुणवत्ता और गंभीरता से यह बात स्पष्ट हो गयी कि पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और विकास के बीच संपर्क पर केंद्रित आईईसी अभियान उद्देश्यपूर्ण रहे। लेकिन यह भी देखा गया कि पानी के बारे में आईईसी अभियानों की तुलना में स्वच्छता अभियान कमजोर थे।
- डीडब्ल्यूएससी और वीडब्ल्यूएससी सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन प्रभावी तरीके से किया गया जैसा कि क्षेत्र सुधार परियोजना के लक्ष्यों की समझ के उनके स्तर से स्पष्ट हो जाता है।
- नमूना गांवों और जिले में बिजली सबसे बड़ी समस्या थी। परियोजना के अंतर्गत बैक अप के लिए जनरेटरों की खरीद या उन्हें किराये पर लेने के लिए किसी आंतरिक प्रणाली की आवश्यकता है।
- नमूना गांवों में नल का पानी पेयजल का मुख्य स्रोत था। उत्तर देने वालों ने क्षेत्र सुधार परियोजनाओं में खल कर भाग लेने के लिए पंचायत राज कार्यकर्ताओं की सराहना की।
- इस परियोजना के अंतर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को लागू करने के बाद खुले में शौच करने के बारे में ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में बदलाव आया।

चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश

- चित्तूर में पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार की परियोजना को "मा नीरू" (यानी हमारा पानी) नाम दिया गया है। इसकी क्रियान्यन एजेंसी है चित्तूर जल तथा स्वच्छता सोसाइटी। सोसाइटी ने पहले चरण में 417 बस्तियों की पहचान की है। लेकिन यह परियोजना केवल 21 बस्तियों में परीक्षण के तौर पर शुरू की गयी। ग्राम वासियों ने वस्ती जल तथा स्वच्छता समितियों के माध्यम से परियोजना की पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान किया लेकिन उच्च आर्य वर्ग ने इस राशि में महत्वपूर्ण योगदान किया।
- 21 बस्तियों में परियोजना का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। ग्रामवासी स्वच्छ पेयजल असुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन यह परियोजना अभी बस्ती जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित किया जाना बाकी है।
- चित्तूर वाटर एंड सेनिटेशन सोसाइटी ने जागरूकता पैदा करने को उच्च प्राथमिकता दी है, हालांकि इसने गांवों के लोगों से 10 प्रतिशत पूंजी लागत वसूलने तथा संचालन व रखरखाव का दायित्व उठाने में एक अरसा लगा दिया।
- 21 बस्तियों में क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू करने से लोगों को उनके घर पर ही उच्च गुणवत्ता वाला स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सका है। इससे लोगों की आजीविका में बड़ा सुधार हुआ है।
- पहले चरण में जिन बस्तियों को शामिल किया गया है उनमें सामुदायिक भागीदारी, खासतौर पर क्षेत्र सुधार परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन बड़ा उत्साहवर्धक रहा है। सभी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी भी ऊंची रही है।
- 2002 में एनजीओज/सहायक संगठनों को परियोजना से हटा लिया गया और परियोजना के क्रियान्वयन की सारी जिम्मेदारी जिले के पंचायती राज इंजीनियरी विभाग के ग्रामीण जल आपूर्ति डिवीजन को सौंप दी गयी।
- ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभाग ने द्वितीय चरण के अंतर्गत गांवों में जागरूकता पैदा करने के अभियान को छोड़ दिया था, लेकिन क्षेत्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने क्षेत्र सुधार के क्रियान्वयन संबंधी मानदंडों में संशोधन किया है। इन परिस्थितियों में इस बात की आशंका है कि घरेलू जल एवं स्वच्छता समितियां संचालन तथा अनुरक्षण संबंधी अपने दायित्वों का कारगर तरीके से निवाह नहीं करेंगी।
- क्षेत्रीय सुधार परियोजना में सहायक संगठन के रूप में एनजीओज की मदद बंद किये जाने के बाद गावों/बस्तियों की चयन प्रक्रिया बदल गयी है। इस समय ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभाग क्षेत्र सुधार परियोजना के क्रियान्वयन में पूरे जिले में सहायक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।
- ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभाग जिले के सभी गांवों को प्राथमिकता दे रहा है और सांसद/विधायक निधि के पैसे का भी फायदा उठा रहा है।

सुझाव और सिफारिशें

दक्षिण कन्नड़ जिला

- निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते कि पहली किस्त की 11 करोड़ रुपये की समूची राशि एक बार में ही जारी करने की प्रणाली व्यावहारिक और उपयुक्त है। पहली किस्त भी रुक कर दी जानी चाहिए। क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत बजट में आबंटित राशि के शीघ्र और पर्याप्त मात्रा में जारी करने के लिए समय-समय पर परियोजना रिपोर्टों को आधार बनाया जाना चाहिए।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को पंचायतों के माध्यम से सिद्धांत और व्यवहार रूप में स्वीकार करने और अपनाने के बाद क्षेत्र सुधार परियोजना में पंचायतों की और अधिक भूमिका तथा भागीदारी की आवश्यकता है। कभी-कभी पंचायत की भूमिका तथा लक्ष्य जिला जल एवं स्वच्छता समितियों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका और लक्ष्य से

मेल नहीं खाते। इसलिए पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के बीच संस्थागत भूमिकाओं तथा संबंधों की कुछ समीक्षा होनी चाहिए।

- विकास संबंधी सेवाओं जैसे पेयजल और स्वच्छता के बीच समन्वय के संदर्भ में स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण क्षेत्रों में अंतर्क्षेत्रीय तालमेल पर और अधिक विचार किया जाना आवश्यक है।
- नमूना जिले में जमीन की वर्षाजल धारण करने की क्षमता कम है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जल संसाधनों में वृद्धि के लिए भूजल और छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को जमा करने के लिए संरचनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेटराइट मिट्टी के छिद्रयुक्त होने के कारण पानी के अत्यधिक रिसाव को नियंत्रित करने के लिए वर्षा जल का संचयन करने वाली संरचनाओं का तला सील कर दिया जाना चाहिए।

चित्तूर जिला

- परीक्षण के तौर पर चुनी गयी 21 बस्तियों को बजट में निर्धारित राशि की तीसरी किस्त जारी करने तथा परियोजना को घरेलू जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने सहित हर तरह से पूरा करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- क्षेत्र सुधार परियोजना में एनजीओज की भूमिका पूरी तरह समाप्त करने की बजाय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों में चुने हुए प्रभावी एनजीओज की पहचान करनी चाहिए और सहायक संगठनों को पूरी जिम्मेदारी सौंपने की बजाय पहले बतायी गयी क्षेत्र सुधार परियोजना की तरह जहां आवश्यक हो वहां सहायता लेनी चाहिए।
- बस्तियों का चुनाव करते समय पूरी तरह शामिल गांवों में जल प्रणाली के मात्र उच्चीकरण/सुधार की बजाय पेयजल समस्या वाले गांवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- परियोजना के विभिन्न घटकों के बारे में प्रशिक्षण/जागरूकता पैदा करने का कार्य घरेलू जल आपूर्ति एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसमें पंचायती राज कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए ग्रामीणजल आपूर्ति कार्यक्रम को जिला स्तर पर अपना कौशल प्रशिक्षण स्कंध स्थापित करना चाहिए।
- लाभार्थियों से एक समान दर से 10 प्रतिशत पूंजी अंशदान लेने की शर्त में ढील दी जानी चाहिए। खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसे परिवारों के लिए लागत भागीदारी 5 प्रतिशत होनी चाहिए।
- परियोजना को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पंचायती राज इंजीनियरी विभाग की ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में पानी के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के उपाय किये जाने चाहिए।

भारत निर्माण और ग्रामीण जल आपूर्ति

भारत निर्माण चार वर्ष की अवधि में (2005–06 से 2008–09) ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण की योजना के रूप में शामिल किया गया है। पेयजल की आपूर्ति भारत निर्माण का एक घटक है। इसमें पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों से छूटे सभी गांवो और पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त गांवों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ऐसे गांवों को भी शामिल करने का लक्ष्य है जो 'पूरी तरह शामिल' गांवों की श्रेणी से 'आंशिक रूप से शामिल'/कार्यक्रम से बाहर छूट गये गांवों की श्रेणी में फिर से शामिल हो गये हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग ने भारत–निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में निश्चित रूप से पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं भारत निर्माण का पेयजल घटक त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत धन की आवश्यकता का मूल्यांकन भारत–निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर लें। भारत–निर्माण की प्रगति (पेयजल आपूर्ति) की समय–समय पर निगरानी की जा रही है।

भारत–निर्माण के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की इंटरनेट आधारित प्रणाली के जरिए ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। इसके लिए नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) ने साफ्टवेयर तैयार किया है। यह सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल से भी संबद्ध है। विभाग के वेबसाइट पर

तालिका–3

भारत–निर्माण में शामिल बस्तियां (2005–06)

क्र. सं.	राज्य	विस्तृत कार्य योजना 1999 में बची	फिर से समस्या ग्रस्त	पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली	कुल	कुल (वास्तविक) शामिल
1.	अरूणाचल प्रदेश	54	8	54	116	62
2.	बिहार	0	830	3	833	831
3.	छत्तीसगढ़	0	734	6	740	725
4.	गुजरात	11	709	62	782	727
5.	हिमाचल	1	0	0	1	1
6.	झारखंड	0	4	0	4	5
7.	कर्नाटक	278	14	118	410	491
8.	केरल	716	793	0	1509	1517
9.	महाराष्ट्र	2	0	0	2	2
10.	मेघालय	67	134	17	218	217
11.	मिजोरम	81	10	0	91	91
12.	उड़ीसा	0	2	0	2	2
13.	राजस्थान	0	618	87	705	618
	कुल	1210	3856	347	5413	5299

(स्रोतः पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

समस्याग्रस्त बस्तियों के बारे में सूचना ग्राम पंचायतवार उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में समस्याग्रस्त गांवो को कार्यक्रम के दायरे में लाने संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में रखी गयी है जिसमें सभी राज्य नियमत रूप से आंकड़े दर्ज कर सकते हैं।

विस्तृत कार्य योजना 1999 से छूटी बस्तियों को शामिल करना

1991 में कराये गये बसावट संबंधी सर्वेक्षण को 1999 में अद्यतन किया गया और छूटे हुए गांवों को शामिल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना 1999 तैयार की गयी। अप्रैल 2005 में 55,067 ऐसी बस्तियां थी जो विस्तृत कार्ययोजना 1999 के दायरे से बाहर थीं, इसके अलावा 94,588 छूटी हुई और 50,479 आंशिक रूप से शामिल बस्तियां भी थीं। भारत–निर्माण के तहत 1999 की विस्तृत कार्य योजना से छूटी सभी बस्तियों को 2008–09 तक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली बस्तियां

गुणवत्ता सर्वेक्षण (2005) से पता चला है कि पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली बस्तियों की संख्या 2,16,968 है। इन सभी बस्तियों (2,16,968) को भारत–निर्माण कार्यक्रम की चार वर्ष की अवधि में कार्यक्रम में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पानी की गुणवत्ता की समस्या का समाधान करते समय आर्सेनिक, फ्लोराइड और खारेपन की समस्या वाली बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। गुणवत्ता की समस्या वाली 90 प्रतिशत बस्तियों को वैकल्पिक भूतलीय जल स्रोतों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराकर कार्यक्रम में शामिल करने का लक्ष्य है जबकि 10 प्रतिशत को कम लागत की शोधन टेक्नोलाजी अपनाकर समस्या से मुक्ति दिलाने की योजना है। लेकिन लौह तत्व की अधिकता की समस्या वाली बस्तियों में से 30 प्रतिशत को भूतलीय जल स्रोतों से और 70 प्रतिशत को शोधन टेक्नोलाजी अपनाकर कार्यक्रम के दायरे में लाया जाएगा। नाइट्रेट की समस्या वाली बस्तियों में सभी को भूतलीय जल के वकल्पिक स्रोतों के जरिए कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

फिर से समस्याग्रस्त बस्तियां

10वीं योजना के कार्यक्रम के आकलन के अनुसार देश में 2.8 लाख ऐसी बस्तियां है जो पेयजल समस्या से एक बार मुक्ति पाने के बाद फिर से समस्याग्रस्त हो गयी हैं। 2003 के बसावट सर्वेक्षण के परिणामों से मोटे तौर पर जो आंकड़े मिले हैं उनसे इनकी संख्या और अधिक होने की भी संभावना है।

भारत–निर्माण के अंतर्गत समस्या समाधान

सारणी 3 में भारत निर्माण के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत बस्तियों को शामिल किये जाने के आंकड़े दिये गये हैं। विभिन्न राज्यों में 5413 बस्तियों को भारत–निर्माण में शामिल करने का लक्ष्य है। इनमें से 1210 विस्तृत कार्ययोजना–1999 की बकाया बस्तियां हैं। इसके अलावा 3856 फिर से समस्याग्रस्त बस्तियां है जबकि 347 पानी की गुणवत्ता की समस्या वाली बस्तियां हैं। कुल मिलाकर 5299 (वास्तव में शामिल) बस्तियों को 2005–06 में भारत निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सुझाव

- अगर हमें भू–जल को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखना है तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। कृषि, उद्योग, पीने के पानी आदि के लिए शक्तिशाली पंपों के जरिए जिस तरह पानी का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है उससे देश के कई भागों में भूमिगत जल स्तर दिन–प्रति–दिन गिरता जा रहा है। वर्षाजल संचयन कार्यक्रम के जरिए भूमिगत जल का पुनर्भरण ग्रामीण विकास मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आये हैं। ऐसे में एक सुझाव यह है कि वर्षा जल संचयन को भारत–निर्माण में शामिल किया जाए, खास तौर पर फिर से समस्याग्रस्त हुए गांवों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है।
- वर्षाजल संचयन के प्राचीन ढांचे, जैसे मंदिरों में पुष्करिनी, तुईकुर, खाल और छाल पीने तथा घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। ये संरचनाएं हमारी संस्कृति, विरासत और परंपरागत प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण हैं। लेकिन वर्षाजल का संचय करने वाली ये प्राचीन प्रणालियां आज गंभीर खतरे का सामना कर रही है या फिर ये बेकार पड़ी हैं। इसलिए इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए और पेयजल के लिए इनका फिर से उपयोग होना चाहिए। भारत–निर्माण के अंतर्गत इस कार्य को भी शामिल किया जा सकता है।
- किसानों को खेती में पानी की किफायत के आधुनिक तरीकों जैसे ड्रिप सिंचाई की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर वे पानी की कम खपत करने वाली फसलें उगाते हैं तो उन्हें भारत–निर्माण के तहत कृषि विभाग से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- जल से उपचारित करने की परंपरागत विधियों (जैसे तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कुछ गांवों में बीजों को खराब हाने से बचाने के लिए तेटाम कोट्टई) को केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भारत–निर्माण के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने बरतनों का इस्तेमाल बड़ा आम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अध्ययनों से पता चला है कि इन बरतनों का उपयोग पानी लाने और उसका भंडारन करने में किया जाता है। जाहिर है कि प्लास्टिक के बरतनों में रखे पानी का पीने के लिए उपयोग लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समयाएं पैदा कर सकता है। इसलिए पेयजल के भंडारण के लिए प्लास्टिक के बरतनों के उपयोग को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। ❐

(लेखक मानव संसाधन विकास केंद्र (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं))

अनुवाद – निरूपम उपाध्याय

ग्रामीण पेयजल

मनीषा वर्मा

सुरक्षित पेयजल के प्रावधान को आज बेहतर स्वास्थ्य और जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले कल्याणकारी शासन का बुनियादी पहलू समझा जा रहा है। इस मुद्दे के समाधान में लगे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का प्रयास है कि सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए और भूमिगत जल के स्तर और गुणवत्ता में गिरावट की समस्या दूर की जाए। ग्रामीण इलाकों में उपयुक्त फासले पर समुचित स्रोत से लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। किंतु इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के प्रयासों में पूरक भूमिका अदा करनी पड़ती है।

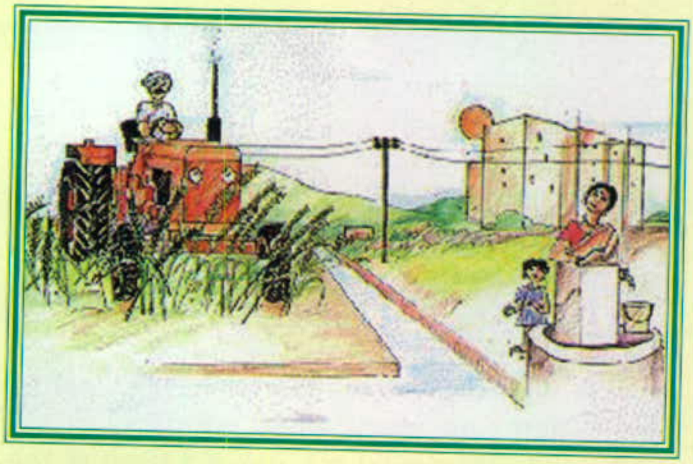

एआरडब्ल्यूएसपी घटक

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना–एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत बजट में आवंटित धन विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है। विभिन्न घटकों के अंतर्गत धन का विभाजन और इन घटकों के लिए वित्त व्यवस्था पद्धति नीचे दी गयी है :

- 20 प्रतिशत धन सुधार प्रक्रिया के लिए रखा जाएगा, यानी 1999 में चुने हुए जिलों में शुरू किए गए और बाद में स्वजल धारा के अंतर्गत समूचे देश में विस्तारित क्षेत्रगत सुधारों के लिए–90 प्रतिशत योगदान सरकार का, 10 प्रतिशत समुदाय का।
- 5 प्रतिशत धन रेगिस्तान विकास कार्यक्रम से संबद्ध राज्यों के लिए रखा जाता है– शतप्रतिशत सरकार द्वारा व्यवस्था, राज्य की कोई भागीदारी नहीं।
- 5 प्रतिशत धन प्रकाशितक आपदाओं से उत्पन्न आकस्मिक जरूरतें पूरी करने के लिए रखा जाता है–शतप्रतिशत धन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। राज्य की कोई भागीदारी नहीं होती।
- शेष धन निर्धारित मानदंड के अनुसार राज्य सरकारों को आवंटित किया जाता है। उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अपना हिस्सा अदा करें। राज्य कार्यालय और रखरखाव खर्च के रूप में इस धन का 15 प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं।
- राज्य अपने आवंटन का 20 प्रतिशत हिस्सा हर वर्ष उप–मिशन परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं। मौजूदा उप–मिशन आर्सेनिक, फ्लूराइड, लवणता और आइरनपर नियंत्रण करने से संबद्ध हैं। एआरडब्ल्यूएसपी का 15 प्रतिशत धन जल की गुणवत्ता पर और 5 प्रतिशत स्थायित्व पर खर्च किया जा सकता है। उप मिशन परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था केंद और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है।

राज्यों को एआरडब्ल्यूएसपी धन का आवंटन

चालू वित्त वर्ष से राज्यों को एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत धन आवंटित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाए जा रहे हैं :

	निम्नांकित के लिए वरीयता	प्रतिशत (%)
1.	ग्रामीण आबादी	40
2.	डीडीपी, डीपीएपी,एचएडीपी और ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष श्रेणी में आने वाले पर्वतीय राज्य	35
3.	एनसी/पीसी गांव (एनसी और पीसी के बीच 2 : 1 के अनुपात से)	15
4.	ऐसे गांव जहां पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ा हो। (40:40:45:15:: 5)*	10
	कुल	100

* आर्सेनिक, फ्लूराइड, लवणता और आइरनजैसे रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर अलग–अलग प्रभावों को देखते हुए गुणवत्ता मानदंड पूरे करने में फ्लूराइड (40 प्रतिशत) और आर्सेनिक (40 प्रतिशत) से प्रभावित बस्तियों को उच्च वरीयता दी गयी है, जिनसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इनकी तुलना में लवणता (15 प्रतिशत) और आइरन (5 प्रतिशत) की वरीयता कम रखी गयी है।

वित्तीय प्रगति

एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल प्रदान करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाए जाते हैं :

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घटक–वार जारी धन
एआरडब्ल्यूएसपी के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जारी धन

(लाख रुपये में)

क्रस.	घटक	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1.	एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य)	163010.62	174158.31	1433967.46	275441.59	322288.09
2	एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी)	9300.00	8032.84	9985.63	12407.00	19262.00
3.	एआरडब्ल्यूएसपी (एसआरपी/स्वजलधारा)	11188.90	15027.39	52102.23	49240.07	49043.76
4.	एआरडब्ल्यूएसपी (पीएम प्रोग्राम)	0.00	0.00	31007.15	38784.22	
5.	एआरडब्ल्यूएसपी (आपदा राहत)	0.00	7773.01	10676.25	13939.25	10620.55
6.	एआरडब्ल्यूएसपी (मानव संसाधन विकास और सूचना शिक्षा संचार)	2071.74	6663.40	423.72	810.00	2005.03
7.	एआरडब्ल्यूएसपी (मानव संसाधन विकास)	80.00	58.000	65.58	4.77	9.30
8.	एआरडब्ल्यूएसपी (अन्य)	86.54.22	4356.83	8262.12	2452.01	6574.72
	कुल	194305.48	210070.18	256490.14	293078.91	409803.45

क) प्रत्येक मानव के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।

ख) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में मवेशियों के लिए 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अतिरिक्त जल

ग) प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपंप या स्टैंड पोस्ट।

घ) जल का स्रोत मैदानी भागों में बस्ती के भीतर/1.6 किलोमीटर के दायरे में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए।

(सुरक्षित जल से अभिप्राय ऐसे जल के साथ है, जो जैव विषाक्तता (यानी हैजा,टाइफाइड आदि) और रासायनिक विषाक्तता (यानी फ्लूराइड, लवणता, आइरन, आर्सेनिक और नाइट्रेट्स की अधिकता) से मुक्त हो।)

कवर न किए गए (एनसी) और आंशिक रूप से कवर किए गए (पीसी) इलाके

मैदानी भागों में 1.6 किलोमीटर के दायरे में तथा पर्वतीय भागों में 100 मीटर के दायरे में सुरक्षित पेयजल का स्रोत रखने वाली बस्तियां एनसी के अंतर्गत समझी जाती हैं। दूसरी ओर ऐसी बस्तियां आंशिक कवर मानी जाती हैं, जिनकी आपूर्ति प्रणाली की क्षमता 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के बीच हो। 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम क्षमता वाली बस्तियों को कवर न की गयी बस्तियां समझा जाता है।

ग्रामीण जल कवरेज स्थिति

ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति के बारे में एक सर्वेक्षण 1991 में कराया गया था। जिसके नतीजों का मूल्यांकन 1994 में किया गया। 1994 के सर्वेक्षण के आधार पर मिले निष्कर्षों के अनुसार 1999 में एक व्यापक कार्ययोजना (सीएपी–99) तैयार की गयी। सीएपी–99 तैयार करने के समय 1.04.99 को कवरेज की स्थिति इस प्रकार थी :–

श्रेणी	बस्तियों की संख्या
पूर्ण कवर	1116103
आंशिक कवर	248496
कवर न की गयी	38065
कुल	1422664

10वीं पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी कि योजना के पहले दो वर्षों यानी 2002–03 और 2003–04 में सीएपी 99 के अनुसार 'कवर न किए गए क्षेत्रों' और 'आंशिक कवर किए गए क्षेत्रों' में पेयजल की व्यवस्था करने पर बल दिया जाएगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप 96.13 प्रतिशत बस्तियां पूर्ण रूप में और 3.55 प्रतिशत बस्तियां आंशिक रूप में कवर की गयीं। कवर न की गयी बस्तियां अब 0.32 प्रतिशत रह गयी हैं। 1.04.2005 की स्थिति के अनुसार कवरेज का पूरा ब्योरा इस प्रकार है।

श्रेणी	बस्तियों की संख्या
पूर्ण कवर	1367216
आंशिक कवर	50479
कवर न की गयी	4588
बस्ती रहित/शहरीकृत आदि	381
कुल	1422664

2003 में बस्तियों का एक ताजा सर्वेक्षण कराया गया और उसके नतीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 2.8 लाख बस्तियां फिर से कवर न की गयी बस्तियों की श्रेणी में चली गयी हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गयी ऐसी बस्तियों की सूची के आधार पर जलापूर्ति की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। यह कम्प्यूटरीकश्त सूची नेट के जरिए भेजी जा सकती है।

बस्तियों की कवरेज एक गतिशील धारणा है। अनेक कारणों से पूर्ण रूप से कवर की गयी बस्तियां आंशिक कवर/कवर की

गयी बस्तियों की श्रेणी में आ जाती हैं। इन कारणों में निम्नांकित प्रमुख हैं :

- स्रोत सूख जाना या भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला जाना।
- स्रोतों की गुणवत्ता प्रभावित होना।
- प्रणालियों की अवधि समाप्त हो जाना।
- परिचालन और रखरखाव के अभाव में प्रणालियों का कामकाज निर्धारित क्षमता से नीचे रहना।
- नई समस्याग्रस्त बस्तियों का उदय।

भारत निर्माण

ग्रामीण ढांचे के निर्माण के लिए 2005–06 से 2008–09 तक, चार वर्षों में लागू किए जाने वाले भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में से पेयजल आपूर्ति भी एक है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में प्रस्तावित कवरेज नीति इस प्रकार है :–

वर्ष	गतिविधि
2005–06 से 2008–09	व्यापक कार्य योजना 1999 (सीएपी–99) के अंतर्गत कवर न की जा सकी 55067 बस्तियों में कवरेज प्रदान करना।
2005–06 से 2008–09	उन बस्तियों में कवरेज करना जहां पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
2005–06 से 2008–09	2003 के सर्वेक्षण के आधार पर फिर से समस्या ग्रस्त श्रेणी में चली गयी बस्तियों में कवरेज प्रदान करना। इसके अंतर्गत आर्सेनिक, फ्लूराइड और लवणता की समस्याएं दूर करने को वरीयता दी जाएगी।

सीएपी–99 की कवर न की गयी बस्तियां

सीएपी 99 के आधार पर 01.04.2005 को कवर न की गयी/आंशिक रूप से कवर की गयी बस्तियां 55067 हैं, जो 16 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल स्रोत अभी उपलब्ध कराया जाना है। भारत निर्माण अवधि यानी 2005–06 से 2008–09 की अवधि में इन बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति ज्यादातर ;85 प्रतिशतद्ध भूमिजल पर निर्भर है। हालांकि भूमिगत जल के प्रदूषित होने की आशंका कम होती है। लेकिन भू वैज्ञानिक संरचनाओं जैसे फ्लूराइड, आर्सेनिक, लवणता, आइरन आदि नुकसान दायक रसायनों की मात्रा बढ़ने से भूमिगत जल में गुणवत्ता पैदा हो जाती है। रासायनिक और बैक्टीरिया जन्य विषाक्तता के अनेक कारण होते हैं। इनमें जल स्रोतों के निकट स्वच्छता सुविधाओं का अभाव, मलजल और औद्योगिक अवजल के निपटान की समुचित व्यवस्था न होना, ठोस कचरे का अनुचित निपटान, कशषि क्षेत्र में नाइट्रेट की अधिक मात्रा वाले रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, औद्योगिक उत्सर्जित पदार्थों ;उपचार न किए गएद्ध से होने वाला प्रदूषण, भूमि जल के अत्याधिक शोषण से होने वाला गुणवत्ता ह्रास, लोगों की अज्ञानता के कारण जल स्रोत में होने वाला प्रदूषण, आबादी अधिक होना तथा जागरूकता का अभाव, आदि प्रमुख हैं। भूमिगत जल का ह्रास होने से गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं। इसकी वजह यह है कि समाप्त हुए स्रोतों में विषाक्त पदार्थ संकेन्द्रित हो जाते हैं। समुचित पुनर्भरण न होने से भी रासायनिक विषाक्तता की समस्या बढ़ जाती है।

गुणवत्ता की समस्या के आकार का पता लगाने के लिए सन 2000 में पेयजल की समस्याओं वाली बस्तियों में एक सर्वेक्षण कराया गया। राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2,16,968 बस्तियों के पेयजल स्रोतों में विभिन्न प्रकार की जल गुणवत्ता समस्याएं पायी गयीं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है :– अत्यधिक फ्लूराइड : 31306; अत्यधिक आर्सेनिक : 5029; अत्यधिक लवणता : 23495 ; अत्यधिक आइरन 118088 ; अत्यधिक नाइट्रेट : 13958 और विविध प्रकार की गुणावत्ता समस्याएं : 25092

अर्सेनिक, फ्लूराइड, नाइट्रेट और लवणता से संबंधित जल गुणवत्ता समस्याएं दूर करने पर बल दिया जा रहा है।

गुणवत्ता से संबधित समस्याएं 2005–06 से 2008–09 तक भारत निर्माण कार्यक्रम की 4 वर्ष की अवधि में दूर किए जाने का प्रस्ताव है।

फिर से समस्या ग्रस्त श्रेणी में गयी बस्तियां

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे कवर की जाने वाली बस्तियों की सूची प्रस्तुत करें और भारत निर्माण अवधि 2005–06 से 2008–09 के दौरान ऐसी बस्तियों को कवर करने का प्रस्ताव है, जो फिर से पेयजल की समस्या वाली बस्तियों में शामिल हो गयी हैं। निम्नांकित अनुसार वरीयता देने का प्रस्ताव है :

- नई उभरी कवर न की गयी बस्तियां/फिर से एन सी श्रेणी में शामिल बस्तियां
- आंशिक कवर की गयी उन बस्तियों को दूसरी वरीयता दी जाएगी, जो फिर से समस्याग्रस्त सूची में चली गयी हैं।

वर्ष 2005–06 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां।

	सीएपी–99 के अनुसार कवर न की गयी बस्तियां			फिर से एन सी श्रेणी में गयीं बस्तियां			गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां	कुल
	एनसी	पीसी	कुल	एनसी	पीसी	कुल		
लक्ष्य	3522	8375	11897	16468	17905	34373	10,000	56270
उपलब्धि	1523	11563	13086	27097	52447	79544	4531	97161

भारत निर्माण के लिए कार्य योजना

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे भारत निर्माण की चार वर्ष की अवधि के दौरान कवर की जाने वाली बस्तियों की सूची के साथ कार्य योजनाएं प्रस्तुत करें। इससे भारत निर्माण कार्यकम के अंतर्गत 2008–09 तक ग्रामीण जलापूर्ति के लिए लक्ष्य हासिल करने की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी।

कार्य नीति

- बस्तियों के लिए उन योजनाओं के स्थान पर नई पूरक योजनाएं बनाना, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है।
- ऐसी योजनाओं में नई जान डालना, जो अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम कर रही हैं।
- नई पाइपलाइनों के विस्तार के जरिए वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों से क्षेत्रीय योजनाएं प्रदान करना।
- वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं प्रदान करना।
- परम्परागत स्रोतों को बहाल करना।
- गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की समस्याएं दूर करने के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करना।
- ऐसी बस्तियों में वैकल्पिक स्रोत से जलापूर्ति करना, जिनमें कोई सुरक्षित जल स्रोत न हो।

ग्रामीण जलापूर्ति स्रोतों की स्थिरता

- प्रणालियों की स्थिरता के लिए विभाग ने ग्रामीण पेयजल ढांचे के परिचालन और रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत रूप देने के व्यापक प्रयास शुरू किए हैं।
- पेयजल की आवश्यकताएं पूरी करने और जल स्तर के पुनर्भरण के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में स्रोत को मजबूती प्रदान करने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
- जल संभर विकास और प्रबंधन में सभी विभागों के प्रयासों में समाभिरूपता लाने से पेयजल की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

नीति एवं कार्यान्वयन संबंधी उपाय

- भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए कार्य योजना को मजबूती प्रदान करने के वास्ते राज्यों के साथ गहन विचार–विमर्श।
- राज्यों से स्थानों का ब्योरा, प्रौद्योगिकी विकल्प और धन की आवश्यकता संबंधी विवरण हासिल करना।
- कम उपलब्धियों वाले राज्यों में योजनाएं मंजूर करने, मशीनरी एवं उपकरण खरीदने जैसे विषयों में प्रत्येक मामले के गुण–दोष के आधार पर प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं की पहचान करना।
- कवर न की गई/आंशिक दशष्टि से कवर की गई/गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज के लिए अपने हिस्से या उससे अधिक हिस्सेदारी प्रदान करने की राज्यों की प्रतिबद्धता।
- जल गुणवत्ता समस्याओं, विशेषकर आर्सेनिक/फ्लूराइड/लवणता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वित्त व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना।
- जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए कम लागत वाली मानक प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनका विकास करना।
- वैज्ञानिक संस्थानों की भागीदारी।
- अतीत में निर्मित परिसंपत्तियों के परिचालन और रखरखाव में पंचायतीराज संस्थानों/वीडब्ल्यूएससीज़ की भागीदारी जैसे स्थिरता प्रदान करने के उपाय करना। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए प्रस्तावित नई परिसंपत्तियों की पूंजी लागत में कुछ योगदान करना।
- गांव के स्तर पर परिसंपत्तियों का परिचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थानों/वीडब्ल्यूएससीज को प्रोत्साहन देने की प्रणाली अपनाने की आवश्यकता।
- पंचायतीराज संस्थानों/वीडब्ल्यूएससीज में क्षमता निर्माण।
- पुनर्भरण संरचनाओं और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण जैसे उपायों के जरिए स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करना।
- पेयजल क्षेत्र में प्रचलित उत्कशष्ट पद्धतियों का संकलन और प्रसार।
- पेयजलापूर्ति विभाग की तकनीकी शाखा को मजबूती प्रदान करना ताकि गुणवत्ता प्रभावित और दुर्गम बस्तियों के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके और उसके अमल पर निगरानी रखी जा सके।

निगरानी

- प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों/शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा

भारत निर्माण पेय जलापूर्ति योजना पर नियमित निगरानी, समवर्ती मूल्यांकन/सामाजिक लेखा–परीक्षा।

- योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जिलाधिकारियों/राज्य सरकारों से मासिक रिपोर्ट प्राप्त करना।
- चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करके बनाई गई जिला सतर्कता और निगरानी समितियों से योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में फीडबैक हासिल करना।
- जल गुणवत्ता निगरानी और देखरेख में स्थानीय समुदायों और संस्थानों को शामिल करना।
- राज्य/जिला/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा निगरानी।
- जन संचार माध्यम के जरिए योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और उनका प्रचार करना।
- विभाग/राज्य/जिला वेबसाइट पर उन बस्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, जो कार्य योजना के अनुसार कवर की जानी हों और उनकी प्रगति संबंधी अद्यतन जानकारी वेबसाइट पर डालना।
- पंचायत घरों में परियोजना के ब्योरे और उसकी प्रगति संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना।

स्थायित्व

सभी संबद्ध पक्षों की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करने में मदद मिलती है, दूसरी ओर जल संसाधनों विशेषकर भूमिगत जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन से जल स्रोतों की स्थिरता बढ़ाने में योगदान किया जा सकता है।

स्रोत स्थिरता

देश में उपलध जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने का दायित्व जल संसाधन मंत्रालय का है। किन्तु जल संसाधनों के उपयोगकर्ताओं में से एक होने के नाते पेय जलापूर्ति विभाग भी नॉडल मंत्रालय के प्रयासों में पूरक भूमिका अदा करता है।

पेय जल की 85 प्रतिशत आवश्यकताएं भूमिगत जल से पूरी की जाती हैं। जमीन से निकाले जाने वाले समूचे जल में से केवल 5 प्रतिशत का इस्तेमाल घरेलू पेय जलापूर्ति के लिए दिया जाता है। कुल भूमिगत जल का 85 प्रतिशत सिंचाई के काम आता है। शेष 10 प्रतिशत का उपयोग उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल आधारित सिंचाई के तीव्र विकास की वजह से भूमिगत जल का ह्रास हो रहा है। इससे पेय जलापूर्ति स्रोत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त गर्मी के महीनों में भूमिगत जल के ह्रास का ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति पर असर पड़ता है। यह देखा गया है कि भूमिगत जल के ह्रास के कारण फ्लूराइड, आर्सेनिक और लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। यह समस्या विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे फ्लूरोसिस और आर्सेनिकल डर्मैटीटिस के रूप में प्रकट होती है। इससे राज्य सरकारों को मजबूर होकर कम लागत वाले हैंडपम्पों के स्थान पर अधिक लागत वाली पाइप जलापूर्ति योजनाएं अपनानी पड़ रही हैं।

उपरोक्त कारणों को देखते हुए भूमिगत जल के कर्षण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। भूमिगत जल के नियमन और नियंत्रण के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विधेयक का एक प्रारूप राज्य सरकारों को भेजा गया है, ताकि वे अपनी–अपनी विधानसभाओं में उसे पारित करा सकें। स्थिरता के बारे में उप–मिशनों के जरिए भी स्थिरता की समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। उप–मिशन परियोजना की राशि में से 25 प्रतिशत धन स्थायित्व संबंधी योजनाओं पर इस्तेमाल किया जाता है। पेयजलापूर्ति विभाग द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए निम्नांकित उपाय भी किए गए हैं:–

- शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह शहरी निर्माण के लिए वर्षा जल संरक्षण के ढांचे का निर्माण अनिवार्य बनाए।
- जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह जल संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करें।
- सभी संसद सदस्यों से अपील की गई है कि वे अपने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से जल संरक्षण योजनाएं शुरू करने/उन्हें प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करें।
- जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण के बारे में तकनीकी नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- वर्षा जल संरक्षण के बारे में देश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मॉडल एकत्र किए गए हैं और विभिन्न मॉडलों को दर्शाने वाली एक सीडी राज्यों को भेजी गई है। ❒

(लेखिका ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल विभाग में उपसचिव हैं)

अनुवाद – मंजुला भारद्वाज

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

रघुवंश प्रसाद सिंह

पेयजल की आपूर्ति भारत निर्माण परियोजना के छह कार्यक्रमों में से एक है, जिसे अगले चार वर्षों में ग्रामीण सुविधाओं की कार्यवाही के अंतर्गत एक निश्चित समय में पूरा किया जाना है।

भारत निर्माण के अंतर्गत वर्ष 2009 तक ऐसी 55067 बस्तियों के लिए पीने के पानी के सुरक्षित स्रोत की व्यवस्था की जानी है, जहां अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनके अलावा उन सभी बस्तियों में भी व्यवस्था की जानी है, जहां पहले पीने के पानी की व्यवस्था थी, लेकिन अब स्रोत ठीक न होने की वजह से व्यवस्था में कमी आ गई है और उन बस्तियों के लिए भी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है जहां पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्यायें हैं।

राज्य सरकारों के रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2005–06 के दौरान ऐसी 11597 बस्तियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई, जहां अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। 4488 बस्तियां ऐसी थीं, जहां पानी की गुणवत्ता सही नहीं थी और 71613 बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति कम हो गई थी। इन सभी बतियों में पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई और 65788 ग्रामीण स्कूलों में भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया।

जल गुणवत्ता जांच

पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, 1988 से पानी की गुणवत्ता की जांच करने और निगरानी करने का कार्यक्रम चला रहा है। इसी वर्ष सभी जिलों में जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के विशाल कार्य के लिए प्रति 200 आबादी पर एक नमूने के हिसाब से साल भर में एक करोड़ 60 लाख नमूनों की जांच करनी जरूरी है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं, प्रयोगशालाएं आदि स्थापित करने पर बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता के परीक्षण और निगरानी के इस विशाल कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए यह जरूरी है कि समुदायिक स्तर पर कार्यक्रम शुरू किये जाएं, जिने अंतर्गत विभिन्न विभागों और शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध जनशक्ति और सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जाय और संस्थानों के बीच संपर्क और नेटवर्क तथा विभिन्न विभागों के बीच तालमेल हो।

नई पहल

फरवरी, 2006 में भारत सरकार ने सामुदायिक स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता जांच और निगरानी कार्यक्रम शुरू करके एक नई पहल की थी। इस कार्यक्रम के सिलसिले में राज्यों को मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं। इस कार्यक्रम का

उद्देश्य देश में पीने के पानी के सभी स्रोतों की सामुदायिक स्तर पर जांच और निगरानी करना, इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जल गुणवत्ता जांच और निगरानी के काम को विकेंद्रीकृत करना, जल गुणवत्ता की जांच और निगरानी के काम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत रूप देना और पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेना, पानी की गुणवत्ता के बारे में और पानी से होने वाली बीमारियों से संबंधित समस्याओं के बारे में ग्रामीण लोगों को जागरूक बनाना, तथा पंचायतों की क्षमता का विकास करना है, ताकि वे अपने–अपने क्षेत्रों में पीने के पानी के सभी स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच के लिए परीक्षण किट का उपयोग कर सकें और संचालन तथा रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निजी स्रोतों सहित पानी के सभी स्रोतों की शत–प्रतिशत जांच निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा साधारण सी क्षेत्रीय परीक्षण किट की सहायता से किए जाने का प्रस्ताव है। निगरानी का कार्य राज्य/जिला/खंड/ग्राम पंचायत, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है। आईईसी, एचआरडी और जांच तथा निगरानी इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं। राज्यस्तर के रेफरल संस्थान या राष्ट्रीय रेफरल संस्थान की सिफारिश पर जिला और राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने के लिए एक–एक लाख रुपये की सहायता भी दी जा सकती है। क्षेत्रीय परीक्षण किट के संचालन और रख–रखाव से संबंधित आवश्यकताओं के लिए, जिसे आवश्यक दवाओं का खर्च, कीटनाशक का छिड़काव, निचले स्तरों के कर्मचरियों को दी जाने वाली

राशि और ग्राम पंचायत स्तर के संयोजक को दिए जाने वाले मानदेय आदि का खर्च सामुदायिक स्तर पर जुटाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय जांच किट की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए किट की उपयोगिता तिथि समाप्त हो जाने के बाद प्रति वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 250 रुपए के हिसाब से जुटाने होंगे। फरवरी–मार्च 2006 के दौरान 57.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें आईईसी के लिए 24 करोड़ रुपए, एचआरडी के लिए 15.32 करोड़ और जांच तथा निगरानी के लिए 18.52 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

उप–मिशन परियोजनाएं

जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए 1991–92 में उप–मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत उन बस्तियों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। जहां जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं। इसके लिए केंद्र और राज्यों ने 75:25 के अनुपात में राशि उपलब्ध करायी थी। 1.4.1998 से उप–मिशन परियोजनाओं की योजना बनाने, स्वीकृति प्रदान करने और इन्हें लागू करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया था। राज्यों के लिए निर्धारित धन राशि में से 15 प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए निश्चित की गई। जल गुणवत्ता से संबंधित उप–मिशन परियोजना में फरवरी 2006 से संशोधन किया गया है और जल गुणवत्ता के लिए केंद्र में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की राशि का 20 प्रतिशत रखने का फैसला किया गया है ताकि राज्य सरकार द्वारा जल गुणवत्ता की समस्या वाले क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की जांच आदि के लिए स्वीकृत कार्यक्रम पर ही इसे खर्च किया जा सके। जिन क्षेत्रों में पानी बहुत ही दूषित हो, ऐसे क्षेत्रों के लिए राशि की सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। फरवरी 2006 के बाद शुरू की गई सभी परियोजनाओं के लिए धनराशि की उपलब्धता केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 की अनुपात में होगी। वर्षा जल संग्रहण और कृत्रिम संभरण के जरिए जल के स्रोत को बनाए रखने के लिए शुरू की गई उप–मिशन परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा ही चलाई जाती रहेंगी, जिसके लिए उन्हें प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत वे ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत राशि में से खर्च कर सकती हैं। राज्यों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा–आर्सेनिक 35 प्रतिशत, क्लोराइड 35 प्रतिशत, लवणता 15 प्रतिशत, नाइट्रेट 5 प्रतिशत, लौह 5 प्रतिशत, तथ्शा विविध समस्याएं 5 प्रतिशत। कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए हो सकता है बाद के सर्वेक्षण में पानी में नए प्रकार के प्रदूषण नजर आएं, तो ऐसी स्थिति में राशि के आबंटन के मानदंड भी समय–समय पर बदलने की जरूरत पड़ सकती है। जब भी आवश्यकता होगी, पेयजल आपूर्ति विभाग, योजना आयोग और अपने वित्त प्रभाग के साथ परामर्श करके इस पर गौर करेगा। प्रत्येक गांव की योजना के लिए, पाइपों से पानी की सप्लाई की बड़ी योजनाओं के लिए, कम लागत वाले जल शोधन संयंत्रों के लिए, घरेलू क्षेत्रों के लिए, छतों के उपर जल संग्रहण के लिए या जल संरक्षण के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाय इस बारे में राज्य सरकारों को अपना समन्वित दृष्टिकोण स्वयं तय करना है। ❑

(ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार)

जल स्रोतों के पुनरोद्धार को सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार ने जल स्रोतों के पुनरोद्धार और पुनर्बहाली के लिए एक प्रायोगिक योजना शुरू की है। यह ग्रामीण लोगों को उनके अतीत से अवगत कराने और ग्रामीण समाज के अस्तित्व के सदियों से आधार परम्परागत जलस्रोतों के पुनरोद्धार की दिशा में एक कदम है। जल संसाधन अतीत में जल अर्थव्यवस्था, इतिहास और जल संरक्षण के परम्परागत ज्ञान से आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय का केन्द्रबिंदु था। सिंचाई के लिए तालाबों, बावड़ियों और अन्य जल भंडारों का इस्तेमाल किया जाता था। पानी सभ्यता की जीवन रेखा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत का पानी पर निर्भर रहना स्वाभाविक ही है।

भारत में बारिश मौसमी है। इसलिए वर्षा जल का संग्रह और भी जरूरी हो जाता है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लोगों ने इंजीनियरी, प्रबंध तथा सामाजिक कौशल के जरिए वर्षा जल के संग्रह के लिए तालाब, बावड़ियों का अतीत में निर्माण किया था। ग्रामीण लोग अपने जीवन यापन के लिए इन जल स्रोतों का अलग–अलग कार्यों में इस्तेमाल करते थे। तीसरी लघु सिंचाई योजना 2009 के अनुसार देश में 5.56 लाख तालाब तथा जल संग्रह संसाधन है और इनमें 62.70 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता है। इन तालाबों में से 4.17 लाख तालाब इस्तेमाल में आ रहे हैं और 85 हजार तालाब किसी कारण की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश जलस्रोत गाद जमा हो जाने, खराब रख–रखाव, गैर कानूनी कब्जे आदि की वजह से जल संग्रह योग्य नहीं रह गए हैं।

संप्रग सरकार ने 2004–05 के बजट में जल स्रोतों के पुनरोद्धार के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की घोषणा की थी। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं– भंडारण क्षमता को बढ़ाना और बरकरार रखना तथा उनकी कृषि सिंचाई क्षमता को दोबारा बहाल करना और इसका विस्तार करना। जनवरी 2005 में 300 करोड़ रुपये की लागत पर एक पायलट योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इसका खर्च वहन करना है। इसे राज्य के एक या दो जिलों में 10वी योजना की बची हुई अवधि में लागू किया जाना है। जल संसाधन मंत्रालय ने इस परिव्यय के तहत 14 राज्यों की 24 जिला परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जून, 2006 के अंत तक 67 जल निकायों के संबंध में कार्य पूरा कर लिया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति एवं सिंचाई

अभिनय कुमार शर्मा

यह एक पूर्व सिद्ध तथ्य है कि भारत जैसे विकासशील देश जहां 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, की खुशहाली एवं समृद्धि का रास्ता गांव की गलियों में से होकर गुजरता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी और अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक सभी ने यह अहसास किया है कि भारत की मूल आत्मा गांवों में ही बसती है। अपनी इसी सुभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गांवों को आधारभूत संरचना के संदर्भ में विकसित करने हेतु "भारत निर्माण योजना" की परिकल्पना की। निश्चय ही गांवों को ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए ये एक समयबद्ध योजना होगी। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना है– सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार। सन् 2009 तक 1,74,000 करोड़ रुपये इन सभी पहलुओं पर खर्च किये जाने हैं।

इस लेख में इन उपरोक्त वर्णित छः क्षेत्रों में से दो पर अर्थात ग्रामीण जलापूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही यह भी विश्लेषित किया जान: है कि सिंचाई इससे किस तरह अन्तर्सबंधित है।

आज यह तथ्य विरोधाभासी हो गया है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र–मेघ का घर–मेघालय पेयजल की समस्या से ग्रस्त है। समुद्र से घिरा संपूर्ण दक्षिणी भारत पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार संसार में प्रतिवर्ष 40 लाख बच्चे आंत्रशोथ की बीमारी के ग्रास बन जाते हैं। विश्वभर में प्रतिदिन 5,500 बच्चे प्रदूषित जल और अशुद्ध भोजन के कारण काल के पाश में आ जाते हैं। यह ठीक है कि सभ्यता को प्रगतिशील बनाने के लिए औद्योगिक विकास एक अनिवार्य पहलू है परन्तु जो भी औद्योगिक विकास हो रहा है वह टिकाऊ (sustainable) नहीं है, बल्कि इसका परिणाम ये हो रहा है कि औद्योगिक रसायनों का गंतव्य स्थल नदियों को बनाकर नदियों का अस्तित्व संकट में डाला जा रहा है साथ ही भूमिगत जल भी चिंताजनक स्तर पर प्रदूषित हो चुका है। ग्रामीण जल के प्रदूषित होने से अकेले राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के 30 लाख ग्रामीण भू–गर्भीय जल में आ रहे फ्लोराइड के चलते विकलांग हो गये हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर प्राप्त जल की मात्रा 700 घनमीटर और भूमिगत जल 450 घनमीटर है। जल की यह मात्रा हमारी बढ़ती जरूरतों के चलते अपर्याप्त है।

खेती के लिए मिट्टी के बाद पानी दूसरा निर्णायक साधन है। विशेषतौर पर एक टिकाऊ खेती के लिए पानी का दक्षतापूर्वक उपयोग नितांत आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से पानी की मांग कृषि, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र तीनों में बड़ी है। परन्तु विसंगति यह है कि कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में पानी की मांग कहीं अधिक बढ़ी है। 1985 में अन्य क्षेत्रों की मांग 13 प्रतिशत थी। सन् 2030 तक यह बढ़कर 30 प्रतिशत हो सकती है। यह अतिरिक्त जल कृषि क्षेत्र में कटौती करने के बाद ही सुलभ हो सकेगा। इसलिए निकट भविष्य में फसलों की सिंचाई के लिए पानी में कटौती अवश्यंभावी है। वर्तमान में देश में प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 2,100 घनमीटर आंकी गई है, जो विशेषज्ञों की दृष्टि में पर्याप्त है। सन् 2030 तक आबादी के वृद्धि व अन्य मांगों के चलते यह घटकर 1,700 घनमीटर रह जायेगी। यह आवश्यकतानुसार जल की कमी का सूचक है।

इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डेविड सेक्लर के अनुसार भारत में कुछ वर्षों से प्रति व्यक्ति जितना नया भूजल एकत्र होता है, उसके दोगुने से भी अधिक मात्रा में यह उपयोग में ले लिया जाता है। इस स्थिति में भूजल स्तर प्रतिवर्ष 1–5 मीटर की दर से नीचे खिसकता जा रहा है। प. उत्तर प्रदेश जहां सिंचाई के लिए भारी मात्रा में टयूबवेलों का प्रयोग किया जाता है वहां अब हालात यह हैं कि नये टयूबवेलों को लगाने के लिए ज़मीन 4.5 फीट अधिक खोदनी पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भी कमोबेश यही

स्थिति विद्यमान है। सेक्लर कहते हैं कि आने वाले दशकों में इन किसानों को सिंचाई में कटौती करनी होगी अन्यथा उनको पानी के भंडार से हाथ धो बैठना होगा। सितंबर 1998 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार भारत में जलप्रबंधन के संदर्भ में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जल गुणवत्ता के आंकड़े बयान करते हैं कि भारतीय जलीय संसाधनों में कार्बनिक और जीवाणुविक प्रदूषण अधिक प्रभावी हैं। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि भारतीय गांवों में शुद्ध जल की उपलब्धता के लिए निम्न उपायों को कार्यरूप में लाया जाना नितांत आवश्यक है:-

जल को सही दिशा में नियोजित एवं प्रबंधित किया जाना

यह हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि मनुष्य को आक्सीजन के पश्चात इस पृथ्वी पर रहने के लिए यदि किसी तत्व की अपरिहार्य रूप से आवश्यकता है तो वह है जल। अतः कृषि एवं दैनिक उपयोग दोनों को मिलाकर भारतीय गांवों के लिए इसकी विशेष भूमिका है। ग्रामीण जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए परंपरागत जलस्रोतों का संरक्षण और संवर्धन एक अनिवार्य पक्ष है। इसके अभाव में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए जल की निरंतरता में आपूर्ति संभव नहीं है।

परंपरागत जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन

वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व ग्रीष्म ऋतु में परंपरागत जल-कुंड, सरोवर, कुओं और तालाबां की सफाई एवं अकाल राहत कार्यों के तहत अनेको गहरा कराना, उनकी मरम्मत कराना, ग्रामीण जल क्षमता के विकास में समुचित युक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। वर्षा काल में नदियों में भारी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है इसके लिए नदियों में 'एनीकट' बनाए जाने चाहिए जिससे वह एकत्रित जल नदी-नालों द्वारा खारे समुद्र में पहुंचकर व्यर्थ न हो और उस संबंधित क्षेत्र के भूमिगत जल की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' जल संरक्षण का एक कारगर उपाय है। इससे भूगर्भीय जल की मात्रा में वृद्धि कर उसे सिंचाई और पेयजल के उपयाग में लिया जाता है। 'रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' के तहत 'गांव का पानी गांव में' और खेता का पानी खेत में रोककर गांवों को जल समृद्ध बनाया जा सकता है। ग्रामीणों को उनके मेहनतकश व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। इसी संदर्भ में अथक परिश्रम से बांध बनाकर जलाशयों का निर्माण कर जहां इसे सिंचाई और पशुओं के पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, वहीं भूगर्भीय जल की मात्रा को भी बढाकर जलकृषि भी की जा सकती है।

ग्रामीण अंचलों में जल स्रोतों को संरक्षित रखने, भू-गर्भीय जल का समुचित विदोहन, कृषि में न्यूनतम जल उपयोग, शौचालयों की उत्तम व्यवस्था, गंदे, घरेलू एवं उद्योगों के जल का समुचित निस्तारण और प्रबंधन, कृषि में कीटनाशकों का प्रबंधन और जैविक खेती, पेय एवं सिंचाई के पानी की नियमित और समुचित जांच और देख रेख जैसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन पर ध्यान देकर ग्रामीण जलापूर्ति एवं सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाया जा सकता है। "भारत निर्माण" योजना के तहत जिस तरह से सिंचाई एवं जलापूर्ति पर क्रमशः 67000 करोड़ रुपये व 74000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे, उससे इन दोनों उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में सुदृढ़ सुधार लाया जा सकेगा। भारत सरकार इस ओर प्रयासरत भी है। ❐

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

कुरुक्षेत्र
नवंबर 2006

हमारा आगामी अंक नौनिहालों की शिक्षा, स्वास्थ्य व बालश्रम की समस्याओं पर केंद्रित होगा। बाल विकास की वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालने वाले कुछ विचारोत्तेजक लेख भी इस अंक में शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता दिवस के परिप्रेक्ष्य में चर्चा और ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका पर भी इसमें विमर्श सम्मिलित होगा।

भारत निर्माण

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत निर्माण एक समयबद्ध कार्य योजना है। इस योजना में शामिल 6 क्षेत्र हैं – ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण टेलीफोन संपर्क और सिंचाई।

ग्रामीण विद्युतीकरण

बिजली मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) लागू की। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में सभी गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाना है। यह कार्यक्रम भारत निर्माण की परिधि के अधीन लाया गया है।

लक्ष्य

लक्ष्य है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2009 तक अविद्युतीकृत 1,25,000 गांवों में बिजली पहुंचाना। इसके अलावा दो करोड़ 30 लाख घरों को बिजली कनेक्शन देना भी इसका लक्ष्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार 1,25,000 गांवों में बिजली देना बाकी है।

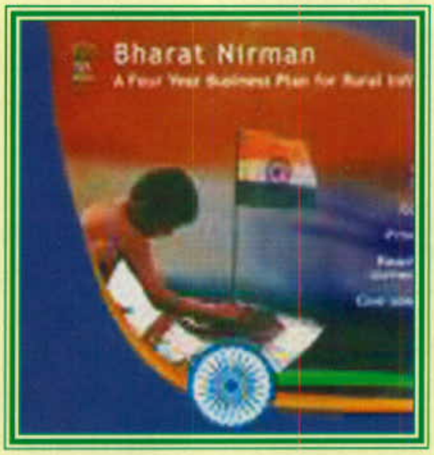

बुनियादी ढांचे के अवयव

ग्रामीण विद्युत वितरण व्यवस्था (आर ई डी बी) में उस प्रत्येक ब्लॉक में 33/11 के.वी.या 66/11 के.बी. के सब स्टेशन बनाए जाएंगे जहां ये नहीं हैं। ग्राम विद्युतीकरण के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सभी गांवों और बस्तियों में कम से कम एक–एक ट्रांसफार्मर की स्थापना। जहां ग्रिड के जरिए बिजली पहुंचाना कठिन होगा, वहां विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन और वितरण की व्यवस्था की जाएगी।

वित्त व्यवस्था

- ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लिमिटेड के जरिए पूंजीगत खर्च पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लिमिटेड इस स्कीम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी होगी।
- इस योजना में सभी ग्रामीण बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए शत–प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी और प्रति कनेक्शन 1500 रुपये के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जाती है।
- अन्य लोग निर्धारित प्रभार पर कनेक्शन के लिए भुगतान करेंगे और उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

प्राथमिकता

ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता बिना बिजली वाले गांवों को दी जाएगी। दलित बस्तियों, आदिवासी बसावटों और कमजोर वर्गों के मोहल्लों को विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2005–06 के दौरान बजट आबंटन 1100 करोड़ रुपए का था जबकि मार्च 2006 तक केन्द्र द्वारा जारी राशि 156.05 रुपए थी। वर्ष 2005–06 के लिए 10,366 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जबकि जबकि 9819 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। कार्यक्रम के तहत मार्च, 206 तक कुल 33,179 घरों में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इनमें से 16815 बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के थे।

ग्रामीण जल आपूर्ति

लक्ष्य : भारत निर्माण परियोजना के तहत प्रत्येक बसावट को प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2009 तक स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, ऐसी सभी बसावट, जहां जल स्रोत की विफलता के कारण आंशिक जल आपूर्ति हो रही है और जिन्हें गुणात्मक जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, की ओर ध्यान दिया जायेगा। साथ ही, ऐसी सभी बसावटें, जहां जल स्रोत की विफलता के कारण आंशिक जल आपूर्ति हो रही है और जिन्हें गुणात्मक जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, की ओर ध्यान दिया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का पेयजल आपूर्ति विभाग राज्य सरकारों की सहभागिता में कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तरदायी है। यह कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 1972–73 से लागू है।इसका खर्च केन्द्र और राज्य सरकारें समान आधार पर उठाती है। वर्ष 1972 से देश में 15 लाख बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 37 लाख से अधिक हैंडपम्प और 1.5 लाख नल जल योजनाएं शुरू की गई हैं।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

केन्द्र सरकार सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। इन योजनाओं को तैयार करने, उनकी स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए राज्यों को अधिक दिए गए हैं, जबकि केन्द्र सरकार ने अपना बजट आबंटन 2004–05 के 2900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2005–06 में 4050 करोड़ रुपए कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत 55,067 गांवों के अलावा योजना आयोग द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की दृष्टि से पिछड़ जाने का कारण भूजल के स्तर का नीचे उतर जाना और पानी की गुणवत्ता में खराबी आ जाना बताए गए हैं। ग्रामीण स्कूलों में पीने के स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2004–05 के दौरान 69,639 बस्तियों और वर्ष 2005–06 के दौरा 68,254 बस्तियों को कवर किया जा चुका है।

ग्रामीण आवास

इंदिरा आवास योजना – इस योजना के तहत मकानों की कमी को ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में लिया गया है। भारत निर्माण कार्यक्रम ने इसे पहचाना है और बेघर लोगों के लिए घर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को उचित प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम के अनुसार देशभर में अगले चार वर्षों के दौरान 60 लाख मकान बनाए जाएंगे। शुरू में 2005–06 में 1.1 लाख आवास बनाए जाएंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे 148 लाख मकानों की कमी बताई गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंदिरा आवास योजना के जरिए गांवों में गरीब लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराने के काम को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया है। इसके लिए केन्द्र और राज्य क्रमशः 75:25 के आधार पर लागत वहन करेंगे। जिन राज्यों में बेघर लोगों की अधिक संख्या है, उन पर अधिक जोर दिया गया है। योजना आयोग द्वारा राज्य स्तरीय आबंटन के लिए घरों की कमी वाले राज्यों को 75 प्रतिशत और गरीबी को 25 प्रतिशत वरीयता दी गई है। जिला स्तरीय आबंटन में जनसंख्या की दृष्टि से आवासीय कमी को 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत वरीयता दी जाती है। सामान्य क्षेत्रों में 25,000 रुपए प्रति मकान और पहाड़ी क्षेत्रों में 27,500 रुपए तक अनुदान सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि दो किस्तों में जारी की जाती है।

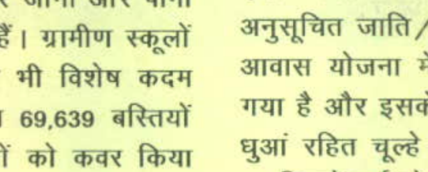

इस योजना के कार्यान्वयन के दिशा–निर्देशों में गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराने को विशेष रूप से रखा गया है। संबंधित ग्राम सभा लाभान्वित होने वाले लोगों का चयन गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची में से करती है। मकानों का आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाते समय विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और मुक्त बंधुवा मजदूरों के लिए भी कोटा तय किया गया है। गांवों में सुविधाओं से वंचित लोगों का स्थिति सुधारने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि कम से कम 60 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हों। इंदिरा आवास योजना में निजी सफाई और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है और इसके लिए अनुदान राशि में सैनेट्री शौचालय और धुआं रहित चूल्हे की लागत को शामिल किया गया है।

पिछले वर्ष के 2,500 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में इस वर्ष यानी 2005–06 के दौरा 2,750 रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्तमान राशि में से 2005–06 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अधीन 1.1 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है। 13 जनवरी, 2006 तक 7.38 लाख मकान बनाए जा चुके हैं और इन पर 1799.37 करोड़ रुपए लागत आई है।

हालांकि इस योजना को लागू करने का काम पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है, लेकिन लोगों को अपने मकान का डिजाइन पसन्द करने की आजादी दी गई है। ग्रामीण आवास एक कारोबारी योजना है जो देश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार के लिए बनाई गई है।

आपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए जिलास्तर पर जिलाधीशों/जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को उनके जिले के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत आबंटित कोष (राज्य के हिस्से सहित) से धनराशि का इस्तेमाल कर या फिर अपने संसाधनों से धनराशि जुटा कर आगजनी, दंगों और लूटपाट के दौरान विनष्ट हुए आवासों के निर्माण के लिए पीड़ितों को इंदिरा आवास योजना के मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति मंत्रालय द्वारा की जाएगी। एजेंसियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज पेश किए जाने के बाद इंदिरा आवास योजना के तहत प्राकृति आपदाओं के लिए रखे गए 5 प्रतिशत कोश में से इस खर्च की भरपाई की जाएगी।

इंदिरा आवास योजना से लाभ प्राप्त करने वालों को स्थाई प्रतीक्षा सूची बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रतीक्षा सूची

प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी। आशा है कि इस कदम से लाभग्राहियों की चयन प्रक्रिया में भेदभाव और कदाचार समाप्त होगा।

ग्रामीण सड़कें

भारत निर्माण के तहत, कनैक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से अभी तक 91900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। ये सड़कें बारहमासी सड़कें हैं जो 25,697 बस्तियों को जोड़ती हैं। 2004–05 के दौरान 15,543 किलोमीटर और 2005–06 में 22,752 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और इस प्रकार 2005–06 में 3915 ग्रमीण बस्तियों को सड़क सम्पर्क उपलब्ध करा गया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बजटीय आबंटन काफी बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2000–04 की अवधि के दौरान 2400 करोड़ रुपए का औसतन बजट आबंटन किया गया था, जिसे 2005–06 में 8300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई। पीछे चल रहे राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय कार्यकारी एजेंसियों को शामिल करने जैसे विशेष कदम उठाए गए हैं। बेहतर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए त्रि–स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसकी रिपोर्ट ऑन–लाइन उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्रामीण टेलीफोन

दूरसंचार कनेक्टिविटी की आधुनिक भारत के लिए मूलभूत ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के अन्तर को पाटने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता शुरू और गई है जो ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और उचित दरों पर बुनियादी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराएगी। भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन देश के 66,822 राजस्व गांवों में नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए 461 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि सब्सिडी सहायता के रूप में खर्च की जाएगी। कोई अलग से आबंटन नहीं करना होगा।

कार्यक्रम के लाभ

- इन 66,822 गांवों में लोगों को सस्ते दामों पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध, कराई जाएगी, जिससे वे दूरसंचार नेटवर्क के जरिए शेष विश्व से सम्पर्क स्थापित कर सकेंगे।
- संचार सुविधाओं के आने से गांवों के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

सिंचाई

लक्ष्यः वर्ष 2009 तक और एक करोड़ हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ मिलकर बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के जरिए और भूमिगत जल का विकास करके वर्ष 2009 तक अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण करने का जिम्मा सौंपा गया है।

मौजूदा स्थिति

देश के लिए अंततः 13 करोड़ 98 लाख 80 हजार हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता की आवश्यकता का अनुमान है। इसमें बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के जरिए 5 करोड़ 84 लाख 60 हजार हेक्टेयर, धरती की सतह पर उपलब्ध जल पर आधारित छोटी सिंचाई परियोजनाओं के जरिए 1 करोड़ 74 लाख 20 हजार हेक्टेयर और भूमिगत जल का विकास करके 6 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त करना शामिल है। अब तक 9 करोड़ 93 लाख 60 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। लेकिन निर्माण की गई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है और

भारत निर्माण के लक्ष्य

क्र.	परियोजना	लक्ष्य
1.	चालू बड़ी और मझौल सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना	42 लाख हेक्टे.
2.	छोटी सिंचाई योजनाएं	28 लाख हेक्टे.
	सतही जल	10 लाख हेक्टे.
	▪ भूमिगत जल	18 लाख हेक्टे.
3.	पूरी की जा चुकी परियोजनाओं के उपयोग का बढ़ाना	20 लाख हेक्टे.
	▪ बड़ी और मझौली योजनाओं की विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं	10 लाख हेक्टे.
	▪ जल संसाधनों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थाना/छोटी सिंचाई योजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आनुनिकीकरण	10 लाख हेक्टे.
4.	उस क्षेत्र में भूमिगत जल का विकास, जहां भूमिगत जल क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है (छोटे और सीमांत किसानों तथा आदिवासियों	10 लाख हेक्टे.
3	तथा दलितों के लाभ के लिए)	

निर्मित क्षमता तथा उपयोग की गई क्षमता का अंतर लगभग 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के बराबर बैठता है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जो नीति बनाई जानी है उसमें नई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता के विकास के साथ–साथ उस उपलब्ध क्षमता का फिर से विकास करना भी शामिल है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है या नहीं किया गया है।

बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं

कुल मिलाकर देश के लिए बड़ी और मझोली परियोजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता के 66 प्रतिशत का निर्माण कर लिया गया है। जो 388 बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं 9वीं योजना से पहले से शुरू की गई थीं या इसके दौरान शुरू की गई हैं, वे अभी भी चल रही हैं और इनसे 1 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता मिल जाएगी। इसके अलावा दसवीं योजना में राज्यों ने 204 बड़ी और छोटी परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे हैं जिनसे 49 लाख 90 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता मिलने की संभावना है।

अब तक 173 को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के जरिए हर साल 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर की क्षमता मिल सकती है और पिछले 2 वर्षों में लगभग 4 लाख 70 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई है। मौजूदा योजना के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के जरिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में हर वर्ष 5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के निर्माण का लक्ष्य है।

1951 से लेकर 1997 तक बड़ी और मझोली परियोजनाओं के जरिए औसतन 5 लाख 10 हजार हेक्टेयर प्रति वर्ष सिंचाई क्षमता हासिल की जा सकी है। 1997 से 2005 के दौरान क्षमता 9 लाख 20 हजार हेक्टेयर प्रति वर्ष रही। हाल के वर्षों में बड़ी और मझोली परियोजनाओं के जरिए नई सिंचाई क्षमता के निर्माण में तेजी आई है। संभवतः यह तेजी पहले शुरू की गई योजनाओं के पूरा होने के कारण आई है, जिन्हें पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के जरिए और अधिक सहायता मिली।

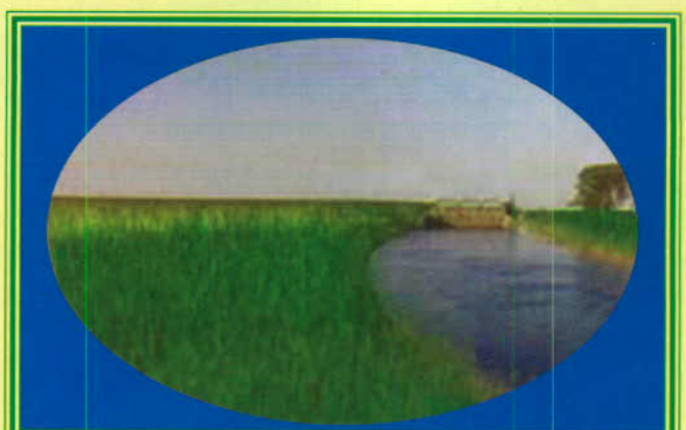

बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण वाली परियोजनाओं को भी उसी तरह से पूरा किया जा रहा है जिस तरह बड़ी और मझोली योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था की गई है। विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण की इन परियोजनाओं और कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन की सहायता से मौजूदा निर्मित सिंचाई क्षमता को बनाए रखने में और उनकी उपयोगिता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

छोटी सिंचाई योजनाएं

अलग–अलग राज्यों में सतही जल और भूमिगत जल पर आधारित छोटी योजनाओं से सिंचाई क्षमता के विकास की स्थिति अलग–अलग है। कुछ राज्यों में छोटी सिंचाई परियोजनाओं की पूरी क्षमता का विकास कर लिया गया है जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह क्षमता अभी कम है।

सतही जल की छोटी सिंचाई परियोजना के दायरे में तालाब और छोटे जलाशय जैसे जल–संसाधन आते हैं, जिनका सिंचाई कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है। सतही जल पर आधारित छोटी सिंचाई योजनाओं से कुल मिलाकर जितनी सिंचाई क्षमता संभव है उसकी लगभग 70 प्रतिशत क्षमता का विकास कर लिया गया है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कारणों की वजह से समय के साथ–साथ तालाबों में जल संग्रह की क्षमता कम हो गई है और इन तालाबों का फिर से ठीक तरह से निर्माण करना और नया रूप देना तथा अन्य स्थानीय जल संसाधनों का विकास करना प्राथमिकता वाला कार्य है।

वर्ष 2004–05 से कृषि से सीधे तौर पर संबंधित जल संसाधनों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना की योजना को राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया है। देश के चुनिंदा 16 जिलों में सक्रिय सामुदायिक सहयोग से जिला स्तर परिपालन समिति के जरिए प्रायोगिक परियोजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में जल संसाधनों की संग्रहण क्षमताओं को बहाल करना और बढ़ाना क्या उनकी पहले जैसी सिंचाई क्षमता को कायम रखना तथा बढ़ाना शामिल है।

भूमिगत जल विकास

भूमिगत जल की मौजूदा स्थिति और उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए कराए गए सर्वेक्षणों से केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जहां जमीन

से पानी की खिंचाई (शोषण) सीमा से अधिक हुई है (जहां भूमिगत जल का उपयोग उस मात्रा से अधिक हुआ है जितना कि प्राकृतिक रूप से पूरा हो सकता है) और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र, जहां भूमिगत जल की उपलब्ध क्षमता के 70 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक जमीन से जल की खिंचाई हुई है। हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहचान की गई 7414 इकाइयों (खंड/ताल्लुका/जल क्षेत्र) में से 471 ऐसी हैं जहां भू–जल की खिंचाई सीमा से अधिक हुई है और 318 इकाइयां ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं। इस प्रकार अधिक पानी की निकासी वाली इकाइयां और संवेदनशील इकाइयां कुल इकाइयों के 11 प्रतिशत से भी कम बैठती हैं। कुल मिलाकर जो सिंचाई क्षमता का निर्माण होना है उसका आकलन इस आधार पर किया गया है कि घरेलू और औद्योगिक इस्तेमाल (10 प्रतिशत) के बाद भूमिगत जल और कितना जुटाया जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल अभी भी उपलब्ध है। विशेष रूप से देश के पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू–कश्मीर के कुछ विशिष्ट हिस्सों में पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में फिर से आपूर्ति वाला भूमिगत जल मात्रा से कम है और वहां खनन कार्य शुरू हो गया है। इससे लगता है कि भूमिगत जल की फिर से आपूर्ति और संरक्षण के लिए प्रयासों को तेज किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

काम की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला यह कार्यक्रम एक अभूतपूर्व कदम है जो देश में गरीबी दूर करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), 2005 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के सुरक्षित रोजगार की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा दायरे और समानता के साथ विकास का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 200 जिलों को शामिल किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 का शुरू किया गया था। कुछ राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के चलते कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया जा सका है। रिपोर्ट में दशाई गई प्रगति पहले 3 माह के कार्यान्वयन से संबंधित है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

- कार्य के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- यदि 15 दिन मूं रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रतिदिन नकद बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर रोजगार प्रदान करने की स्थिति में अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।
- इसमें एक तिहाई महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान है।
- कार्य की सिफारिश ग्राम सभा करेगी।
- कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाएगा।
- नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों की प्रमुख भूमिका होगी।
- संस्थागत प्रणाली के जरिए सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और सामाजिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाएगी।

एनआरईजीए पहले के और मौजूदा रोजगार कार्यक्रमों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि यह मात्र एक स्कीम नहीं, बल्कि एक अधिनियम है, जिसमें रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।

200 जिलों के ग्रामीण परिवारों के उन लोगों को स्थानीय ग्रामीण पंचायतों में खुद को पंजीकृत बाद उन्हें पंजीकृत करेगी और जॉब कार्ड जारी करेंगी। यह जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज होगा जो अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को रोजगार मांगने का हक प्रदान करेगा।

200 जिलों में एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए 2006–07 में 16419 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। चिन्हित 200 जिलों में मौजूदा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) का एनआरईजीए में विलय कर दिया जाएगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण के इस युग में इन क्षेत्रों की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का यह एक साहसिक कदम है। ❑

अत्यधिक जल संसाधन–मृगतृष्णा नहीं

के. जी. सुरेश

बहुत–सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो फंड की चाह में क्षीण हो रही हैं। 'भारत निर्माण' के तहत किए गए प्रयासों से ऐसी सारी परियोजनाओं को पहचाना जाना बाकी है और उन्हें पूरा करके 10 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचित सिंचाई क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि शुरू हो रहा संप्रग सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'भारत निर्माण' आने वाले सालों में आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक ढंग से ग्रामीण भारत का चेहरा बदल देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार लाख हेक्टेयर की क्षमता वाली बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की पहचान कर ली है जिन्हें अब पूरा कर 2.8 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित कर सकेंगे। वास्तव में, भारत निर्माण के घटक 'सिंचाई' के तहत पहचान ली गई बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का इरादा है ताकि इनके जरिए चार सालों (2005–09) में एक करोड़ हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की सामर्थ्य का लक्ष्य पूरा हो जाए। 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वाली ऐसी बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए ही है।

राज्य के सिंचाई सचिवों के सम्मेलन मे 'भारत निर्माण' के घटक 'सिंचाई' विषय पर चर्चा की गई थी। चर्चा के आधार पर सरकार ने भारत निर्माण के तहत शामिल प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। तब कई राज्य सरकारों ने परियोजनावार सिंचाई क्षमता के प्रथम आकलनों और कार्यक्रम के तहत सभी आवश्यकताओं को जल संसाधन मंत्रालय के सामने रखा था।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 944.18 करोड़ रूपए की अच्छी–खासी धनराशि उपलब्ध कराई गई और इस साल ही 6,00,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद जताई गई है।

वर्ष 1997 के सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध जल 1967 क्यूबिक किलोमीटर था। वार्षिक तलछट आयतन और बर्फ सहित 4000 क्यूबिक किमी था जबकि नदियों में बह रहे पानी की औसत वार्षिक क्षमता 1869 क्यूबिक किमी है। सतही जल संसाधन 690 क्यूबिक किमी और भूजल संसाधन 432 क्यूबिक किमी सहित प्रयुक्त किए जा रहे जल संसाधन को 1122 क्यूबिक किमी आंका गया है।

देश में अन्तिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) 139.88 लाख हेक्टेयर आंकी गई है जिसमें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (एमएमआई) 58.46 लाख हेक्टेयर, सतही जल आधारित छोटी परियोजनाएं (एमआई) (17.42 लाख हेक्टेयर) और भूजल विकास (64.00 लाख हेक्टेयर) है। देश में अभी तक 101.3 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित की गई है जिसमें मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के तहत 37.1 लाख हेक्टेयर और छोटी परियोजनाओं के तहत 64.2 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित होती है। यद्यपि, कुल सिंचित क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। लक्षित या सृजित और प्रयोग की जा रही सिंचाई क्षमता के बीच का अंतर 4. 99 लाख हेक्टेयर आंका गया है।

सिंचित क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच की इस दूरी को भरने के लिए 'भारत निर्माण' के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास (सीएडी) और जल प्रबंधन कार्यों को पूरा करने सहित योजनाओं के विस्तृतीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण द्वारा 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का प्रयोग करना और एकत्र करना सरकार की योजना है। वर्ष 1972 में स्थापित राष्ट्रीय सिंचाई आयोग की सिफारिशों से 1974 मे केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम सीएडी शुरू किया गया था। वर्श 1973 में मंत्रियों की समिति ने सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच की दूरी को खत्म करने का उद्देश्य बनाया। यह उद्देश्य बड़े स्तर के संरचना विकास, कुशल फार्म प्रबंधन, कृषि को बढ़ावा देकर और किसानों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधार कर पूरा करना था।

अप्रैल, 2004 में कार्यकम का पुनर्निर्माण किया गया और इसका नाम कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम रख दिया गया। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत 12 घटक कवर किए गए। वे ये हैं – मृदा एवं उष्णकटिबंधीय सर्वेक्षण, सौंदर्य विकास (ओएफडी) पर योजना और अभिकल्पना, 4.25 क्यूमेक (150 क्यूसेक की क्षमता) से ज्यादा के वितरण में प्रणाली विसंगति का सुधार कार्य, क्षेत्रीय नालों का निर्माण, अत्यधिक पानी की निकासी के लिए नालों को एक–दूसरे से जोड़ना, परम्परागत तकनीकों के प्रयोग से सिंचाई किए गए स्थान के जल को दोबारा भरना, आवश्यकता के अनुसार नालियां, पुनर्निर्माण और अभिकल्पित सिंचाई मांग के भीतर मौजूदा सिंचाई प्रणाली, नियंत्रक सहित सिंचाई टैंक की सफाई। कार्यक्रम शोध एवं विकास गतिविधियां, वरिष्ठ अधिकारियों को

प्रशिक्षण, सम्मेलनों, सीधा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और सेमिनारों द्वारा वाटर यूजर्स एसोसिएशन (जल उपयोगकर्त्ता संगठन) को संस्थागत सहायता भी प्रदान करता है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की इकाई सीएडीडब्ल्यू आवधिक प्रगति रिपोर्ट, एकाउंट ब्योरा (राज्यों द्वारा जमा किए गए निर्दिष्ट प्रस्ताव), क्षेत्रीय दौरा, सभाएं, कंसल्टेंट का दौरा आदि द्वारा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यकम की मॉनीटरिंग (निगरानी) कर रही है। कार्यकम की मॉनीटरिंग को और अधिक मजबूत करने के विचार से राज्यों ने राज्य स्तर पर एक समिति गठित करने का आग्रह किया है जिसमें सभी संबंधित राज्यों और केन्द्रीय सरकारी विभागों के प्रतिनिधि रहेंगे। बहुत से राज्यों ने पहले ही इस तरह की समितियां गठित कर ली हैं और कुछ अन्य गठन प्रकिया से गुजर रहे हैं।

देश के लिए बड़ी और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता कुल क्षमता की 66 प्रतिशत सृजित की गई है। 388 बड़ी और मध्यम दर्जे की परियोजनाएं जिन्हें प्राथमिकता के तौर पर ले लिया गया था और 9वीं योजना के दौरान भी ये परियोजनाएं काम कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप 12.1 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इसके अलावा, राज्यों ने 204 बड़ी मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को दसवीं योजना के दौरान 4.99 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सिंचित करने का प्रस्ताव भेजा है।

इसके लिए 173 बड़ी और मध्यम, 4169 छोटी और 21 विस्तृत, नयी और आधुनिक (ईआरएम) परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यकम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है। एआईबीपी के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जरिए सिंचित क्षमता पिछले दो सालों में 0.47 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष सहित 0. 35 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष पाई गई। वर्तमान योजना के साथ–साथ एआईबीपी के जरिए दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 0.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सिंचित करने की योजना है। परियोजना की बड़ी और मध्यम दर्जे की ईआरएम सिंचाई योजनाएं क्रमवार पूरी की जा रही हैं। इसी प्रकार परियोजना की अन्य बड़ी और मध्यम योजनाएं पूरी होने वाली हैं। पूर्ण हुए सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम और ईआरएम परियोजनाएं जुटाई गई सुविधाओं और उनके इस्तेमाल को बेहतर बनाए रखती हैं।

'भारत निर्माण' कार्यक्रम का एक अन्य बड़ा घटक भूजल विकास है। वर्तमान में शहरों में 50 प्रतिशत भूजल प्रयोग किया जाता है जबकि ग्रामीण इलाकों में 85 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल होता है। सिंचाई में 55 प्रतिशत और उद्योगों के लिए 50 प्रतिशत भूजल प्रयोग में लाया जाता है। सृजित की जाने वाली अंतिम सिंचाई क्षमता घरों और उद्योगों में पूरी तरह से प्रयुक्त भूजल के बाद दोबारा भरे गए भूजल पर आधारित होती है। देश के कुछ इलाके भूजल स्रोतों के प्रयोग के लिए मान्य हैं। देश के बहुत–से भागों में उपयोग के लिए अभी भी जल उपलब्ध है विशेषकर पूर्वी भारत, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र–प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर में कुछ विशेष इलाकों में।

तालिका – 1 भारत निर्माण के तहत लक्ष्य

इकाई लाख हेक्टेयर में

क्र.सं	घटक	लक्ष्य
1	चालू बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना	4.2 लाख हे.
2	छोटी सिंचाई योजनाएं	2.8 लाख हे.
	–सतही जल	1.0 लाख हे.
	–भूजल	1.8 लाख हे.
3	पूर्ण योजना को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं	2.0 लाख हे.
	–बड़ी और मध्यम परियोजनाओं का विस्तृतीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण	1.0 लाख हे.
	–जल निकायों का रख–रखाव, पुनर्निर्माण और एकत्रीकरण/छोटी योजनाओं का विस्तृतीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण	1.0 लाख हे.
4	प्रयुक्त किए गए भूजल की क्षमता सहित क्षेत्र में भूजल विकास (छोटे और सीमांत किसानों और जनजातियों एवं दलितों के लाभ के लिए)	1.0 लाख हे.

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भूजल विकास द्वारा 28 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना है। 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सिंचित करने के शेष लक्ष्य को सतही बहाव का प्रयोग करके छोटी सिंचाई योजना द्वारा सृजित करने की योजना है। यद्यपि, सरकार भी जागरूक है कि कृषि, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल विकास की गति भी बढ़ाई जाए जिससे संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्या, लगातार भूजल में गिरावट, तटीय इलाकों में समुद्री पानी का घुसना और देश के विभिन्न भागों में भूजल का प्रदूषित होना जैसी समस्याएं सामने आई हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में रिचार्ज किया हुआ पानी भी खत्म हो रहा है, फिर भी खुदाई करके पानी निष्कर्षण का कार्य जारी है। देश के विभिन्न भागों में गिरते भूजल के स्तर ने भूजल संसाधन के स्थायित्व को चुनौती दी है। हालांकि पानी का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि उसे ठीक करना आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचा सकता है। तेजी से अनियंत्रित होते भूजल संसाधनों के विकास के परिणामस्वरूप ही वर्ष 1985 और 2004 की अवधि में 253 से 1065 इलाकों में अत्यधिक दोहन बढ़ा है। भूजल जलाशयों की स्वाभाविक तौर पर पुनः भरने की गति धीमी हो गई है और देश के विभिन्न भागों में भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से इस गति पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया है। अब कृत्रिम रिचार्ज द्वारा भूजल की स्वाभाविक तौर पर आपूर्ति बढ़ाने की सख्त जरूरत है। कृत्रिम रिचार्ज तकनीकों का उद्देश्य मानसून के बाद लगभग तीन महीने के लिए अतिरिक्त रिचार्ज द्वारा रिचार्ज अवधि को बढ़ाना है। यह तकनीक खराब मौसम में भी भूजल विकास को स्थायित्वता प्रदान करती है।

भूजल को कृत्रिम रिचार्ज करने की तकनीकों में वर्षा जल संभरण एक उन्नत तकनीक है। वर्षा जल संभरण सतह और निचली सतह, एक्विफर पर वर्षा के जल को सतह से खत्म होने से पहले ही एकत्र करना है। बढ़े हुए संसाधन को आवश्यकता के अनुसार एकत्र किया जा सकता है। सरकार ने हाल ही में

विशेषकर इस मुददे पर अध्ययन के लिए भूजल की कृत्रिम रिचार्ज सलाहकार परिषद गठित की थी। परिषद की पहली सभा का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। सभा में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज सहित संबंधित विशेषज्ञ एम एस स्वामीनाथन, सुनीता नारायण और राजेन्द्र सिंह आदि भी उपस्थित थे।

छोटी सिंचाई (दोनों, सतही और भूजल) योजनाओं द्वारा सिंचित सिंचाई क्षमता विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। कुछ पूर्ण क्षमता वाले राज्यों में टोंटी लगाई गई हैं जबकि इसकी तुलना में अन्य राज्यों में यह क्षमता बहुत कम है। सतही जल को जल संसाधनों (टैंक और जलाशयों) से कवर करके छोटी सिंचाई द्वारा 2000 हेक्टेयर से कम के खेती योग्य स्थान को सींचा जाता है। छोटी सिंचाई योजनाओं पर आधारित सतही जल द्वारा लगभग 70 प्रतिशत की अंतिम क्षमता सिंचित की जाती है।

एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में निर्देश दिया है कि टैंक की कुल क्षमता समय के साथ–साथ कई कारणों से घटी है, इसलिए इसके अन्य स्रोतों के एकत्रीकरण का पहला काम है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के घटक सिंचाई की मुख्य नीति जल निकायों के रख–रखाव, पुनर्निर्माण एवं एकत्रीकरण और ईआरएम की छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई क्षमता का विकास करना है।

जल निकायों के रख–रखाव, पुनर्निर्माण एवं एकत्रीकरण के लिए राष्ट्रीय परियोजना को दूरवर्ती एवं जनजाति इलाकों में विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह परियोजना जल निकायों, झीलों, टैंकों और जलाशयों की एकत्रीकरण क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है। साथ ही समाप्त हुई सिंचाई क्षमता को वापस लाने के लिए 9 राज्यों में 16 जिलों को कवर करके शुरू की गई बड़ी परियोजना की लागत 300 करोड़ रूपए आंकी गई है।

आज, कार्यक्रम 13 राज्यों के 23 जिलों में बड़ी परियोजना द्वारा पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में 1.47 लाख हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र सहित 20 हजार जल निकायों की कीमत 4,481 करोड़ आंकी जा रही है। केन्द्रीय, राज्यों और बहुशाखाओं वाली एजेंसियों ने फंड को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य सरकारों ने फंड के लिए सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा है।

परियोजना की अवधि सात से दस सालों के बीच रहेगी। राज्यों द्वारा तैयार की गई विस्तश्त परियोजना रिपोर्ट को निगरानी के लिए विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। राज्य की मॉनीटरिंग समितियां केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के स्थानीय कार्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल कर सकती है। इसके अलावा राज्य योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवधिक मूल्यांकन की रिपोर्ट का वर्णन करेंगे। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने सीडब्ल्यूसी और केन्द्रीय भूजल बोर्ड के जरिए रचनात्मक तरीके से राज्यों में ली जा रही परियोजनाओं की 'समय–समय पर निगरानी के लिए इकाई' गठित की है। केन्द्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग संरचना राज्यों की निगरानी रिपोर्टों के कार्य–परीक्षण के क्षेत्र और अन्य का

तालिका – 2

क्रम सं	राज्यों के नाम	मार्च 2006 तक की उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	70.79
2	अरूणाचल प्रदेश *	0.266
3	असम *	1.503
4	बिहार	नहीं बताया गया
5	छत्तीसगढ़	53.261
6	गोआ *	1.224
7	गुजरात	नहीं बताया गया
8	हरियाणा	नहीं बताया गया
9	हिमाचल प्रदेश *	2.223
10	जम्मू एवं कश्मीर	नहीं बताया गया
11	झारखंड	14.847
12	कर्नाटक	74.563
13	केरल	नहीं बताया गया
14	मध्य प्रदेश	नहीं बताया गया
15	महाराष्ट्र	नहीं बताया गया
16	मणिपुर	नहीं बताया गया
17	मेघालय *	0.716
18	मिजोरम	नहीं बताया गया
19	नागालैंड *	0.875
20	उड़ीसा	24.59
21	पंजाब	49.665
22	राजस्थान	164.58
23	सिक्किम *	0.8
24	तमिलनाडु *	5.917
25	त्रिपुरा	4.788
26	उत्तर प्रदेश *	351.806
27	उत्तरांचल	4.684
28	पश्चिम बंगाल *	3.455
	कुल	830.553

ध्यान दें:– (*) चिन्हित राज्यों की रिपोर्ट दिसम्बर, 2005 तक है।

मिश्रित विश्लेषण करेगी। भारत जैसे विकासशील देश में स्वाभाविक तौर पर पानी की मांग बड़ी है। भौगोलिक और बदलते मौसम के कारण भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध पानी में अन्तर है। बढ़ती जनसंख्या, लगातार बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से भी पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता प्रभावित हुई है। यहां तक कि विभिन्न राज्यों में जल वितरण विवाद और तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी पानी पर ही आधारित थी। लेकिन भारत के योजकों और नीति निर्माताओं का दृष्टिकोण काफी आशाजनक है। 'भारत निर्माण' कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी योजनाओं और गंभीरता से उनके क्रियान्वयन ने हमें 100 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के रूप में एक आशा की किरण दी है जो न कोई गप्प है और न ही कोई मृगतृष्णा, बल्कि एक वास्तविक लक्ष्य है। ❑

(लेखक पत्रकार हैं)

अनुवाद – इंदु जैन

भारत निर्माण : आवास और जलापूर्ति

प्रियंका द्विवेदी

भारत को विकसित करने के लिए गांवों का विकास एक जरूरी शर्त है। हम केवल अपने शहरों और महानगरों का विकास करके सच्चे अर्थों में विकसित नहीं कहे जा सकते। हमारी आबादी का ज्यादातर हिस्सा गांव–देहात के इलाकों में रहता है। इन इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की अक्सर कमी देखी जा सकती है। तमाम क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां तक शिक्षा की उचित रूप से पहुंच नहीं है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, अस्पतालों और डॉक्टरों का अभाव है। इन चीजों से निपटने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उसने समय–समय पर कोशिशें भी की हैं। ग्रामीण क्षेत्र की समुचित प्रगति के लिए हमारी सरकार चैतन्य है और उसकी यह सजगता उसकी 'भारत–निर्माण' जैसी महान पहल में देखी जा सकती है।

'भारत–निर्माण' की औपचारिक शुरूआत 16 मई 2005 को हुई। एक प्रकार से 'भारत–निर्माण' योजना के पीछे जो दृष्टि या विज़न है, उसकी रचना वर्ष 2005–06 के बजट में ही हो गई थी। इस दृष्टि को विचार और कल्पना के स्तर से ऊपर उठाकर हकीकत के स्तर तक लाने में तीन महीने का समय जरूर लगा लेकिन योजना के आकार और इसके लक्ष्यों की बहुआयामिता को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह समय ज्यादा बिल्कुल नहीं है। त्वरित गति से इस पर गंभीर विचार विमर्श हुए, तमाम पक्षों और विपक्षों को पेश किया गया और तब कहीं जाकर यह योजना लागू की गई। 'भारत निर्माण' योजना के लक्ष्य में वर्ष 2009 तक बुनियादी संरचना से जुड़े छह प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसके माध्यम से गांवों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा। ये छह प्रमुख क्षेत्र हैं– सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार। इस योजना को लागू करने की अधिकांश जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।

ग्रामीण क्षेत्र में आवास की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर सरकार का जोर है क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत जरूरतें हैं। सरकार का ध्यान इस बात पर है कि सभी को रहने के लिए एक छत होनी ही चाहिए। भारत निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में साठ लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण करेगी। गांवों में रहने के लिए आवासों की कमी को सरकार ने पहले भी रेखांकित किया था। इसी का परिणाम थी इंदिरा आवास योजना, जो वर्ष 1985 में शुरू की गई थी। एक अप्रैल 2004 से इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पहाड़ी इलाकों में 27,500 रुपये दिए जाते हैं। देश का आकार काफी बड़ा होने और आबादी के काफी अधिक होने के कारण हमारे यहां योजनाएं अक्सर समयबद्ध तरीके से निर्धारित किए गए लक्ष्यों को भी नहीं पूरा कर पातीं। लेकिन आवासों के मामले में परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और एक मार्च, 2004 तक लगभग 115 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इसमें 20,023 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस योजना को लागू करने में बुनियादी स्तर के लोकतंत्र की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। पंचायतें और पंचायती राज संस्थाएं इसमें सरकार की मदद करेंगी। हमारे देश में लगभग 2.3 लाख ग्राम पंचायतें तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर की पंचायती राज संस्थाएं हैं। निधियों के कारगर अंतरण के मार्फत इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है ताकि वे भागीदारी पर आधारित सच्चे लोकतंत्र की प्रभावी जड़ें बन सकें। ग्रामीण आवास की व्यवस्था करने से हमारे गांव आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम–स्वराज का सपना साकार हो सकेगा।

आवास की उचित व्यवस्था के लिए कुछ कार्यक्रम पहले से ही चलाए जा रहे थे जो 'भारत–निर्माण' में सहायता करेंगे। आवास राज्य का विषय है लेकिन नीतियों के निर्माण आदि बातों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करती है। आवास के संबंध में कुछ जिम्मेदारियां केंद्र सरकार पर भी डाली गई हैं ताकि इस क्षेत्र में तीव्र विकास सुनिश्चित हो सके। सरकार 'सभी के लिए आवास' को प्राथमिकता का विषय मानती है और इस क्रम में कमजोर, वंचित या उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देती है। कुछ लोगों के पास आज भी गांवों में कच्चे घर हैं, मिट्टी के घर हैं, छप्पर हैं या अन्य किसी वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था है जबकि कुछ लोगों के पास वह भी नहीं है। ऐसा अक्सर उस आबादी के

साथ है जो दिन–राज मेहनत–मजदूरी करके अपना पेट पालती है और गरीबी–रेखा से नीचे अपना जीवनयापन करती है। इसके अलावा झुग्गियां हैं, तम्बू–कनात की अस्थायी व्यवस्थाएं हैं जिनमें जाड़े या वर्षा की रातें बिताना काफी चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए हर साल बीस लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण को सुलभ कराने का सरकार का प्रस्ताव है तथा ऐसा करते समय सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर विशेष ध्यान देती है। इस प्रस्ताव में जो हर साल बनने वाले बीस लाख नए मकान शामिल हैं, उनमें से 7 लाख मकान शहरी इलाकों में और बाकी तेरह लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की योजना है। देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र सरकार कर्मचारियों को 'न लाभ, न हानि' और स्वामित्व के आधार पर आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 1990 में केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नामक पंजीकृत संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था पर देश भर के कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की जिम्मेदारी है।

भारत–निर्माण योजना में ग्रामीण विकास के लिए एक लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए। इसके अलावा पहले से चल रही योजनाओं में से झुग्गी बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम, बीस लाख आवास कार्यक्रम और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना प्रमुख हैं। झुग्गी बस्तियों के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएसडीपी) वर्ष 1996 में शुरू किया गया था जिसके तहत शहरी इलाकों में झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाती है। जाहिर है कि सरकार सिर्फ ग्रामीण आवासों पर ही ध्यान नहीं दे रही है, उसकी कोशिश शहरों में भी रिहाइशी इलाकों के समुचित, सुव्यवस्थित और समग्र विकास की है। इसमें झुग्गी बस्तियों में जल आपूर्ति और बरसाती पानी के निकलने के लिए नालियों वगैरह के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता है। गौरतलब है कि जब पानी की निकासी की व्यवस्था ढंग से नहीं होती, तो मच्छरों के उत्पन्न होने का खतरा लगातार बना रहता है। ये मच्छर मलेरिया जैसी सामान्य बीमारियों से लेकर डेंगू जैसी भयानक और गंभीर बीमारियों तक को जन्म देते हैं।

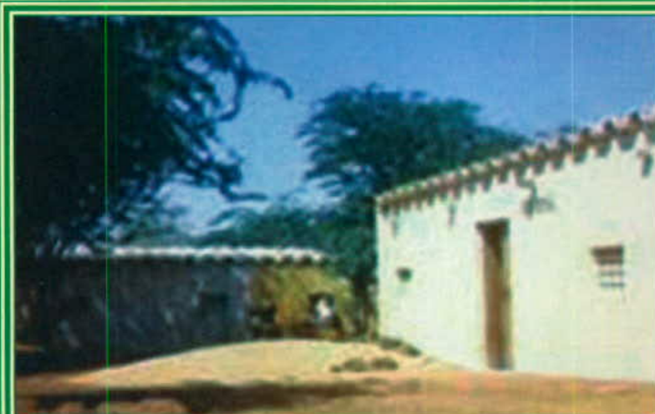

इसके अलावा इस योजना में सामुदायिक स्नानघर और संकरे रास्तों को चौड़ा करने पर भी ध्यान दिया गया है। कसी–कसी तंग गलियों और अत्यधिक घनीभूत केंद्रित आबादी के चलते एक प्रकार की दुर्व्यवस्था अक्सर इन इलाकों में बनी रहती है। सामुदायिक शौचालयों और सीवरों तथा सड़कों की बत्तियों आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर सरकार मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। एनएसडीपी के अंतर्गत मिली राशि का उपयोग सामुदायिक जरूरतों तथा स्कूल–पूर्व शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल–स्वास्थ्य और टीकाकरण सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं आदि सामाजिक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में बसेरों के स्तर में सुधार और नए मकानों का निर्माण भी शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार, इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2005 तक केंद्र सरकार द्वारा जारी लगभग 3090 करोड़ रुपये की कुल निधि में से करीब 2130 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इस कार्यक्रम से लगभग 4.12 करोड़ झुग्गी बस्ती निवासियों को लाभ पहुंचा।

आवास क्षेत्र का विकास करने में धन की कमी एक समस्या के रूप में सामने आती है। इस क्षेत्र में संसाधनों, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की जरूरत तथा उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार, अर्थव्यवस्था और विचारों का खुलापन, उद्योग के उदारीकरण की नीति तथा रुपये–पैसे का मुक्त आदान–प्रदान ऐसी बातें हैं जो आवास और भू–संपदा के मसले को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के रहने की समस्या ही प्रमुख नहीं है; बांध बनाने और उद्योगीकरण के कारण विस्थापित हुए तमाम परिवार भी आवास की परेशानी से ग्रस्त हैं। सिक्किम के भोटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय के लोगों और नगालैंड की अंगामी, चाखेसांग, कुकी और फौम जैसी जनजातियों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कुछ बहुमुखी प्रयासों की दरकार है जिससे अंडमान–निकोबार की सेटीनली जातियों पर भी ध्यान दिया जा सके। आवास की व्यवस्था तो इनके लिए बेशक आवश्यक है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन्हें देश और समाज की मुख्यधारा में लाना जिससे ये खुद को कटे–कटे या अलगावग्रस्त न समझें। गौरतलब है कि सेटीनली नामक निग्रेटो जातियां विकास के इस विकसित दौर में भी आक्रामक और शत्रुतापूर्ण रवैया रखती हैं तथा अभी भी अपने को अलग मानती हैं। ये जातियां अभी तक अपना तन भी ढंकना नहीं सीख पाई हैं। जाहिर है कि सरकार के चहुंमुखी प्रयासों में व्यापकता की भी जरूरत है। सरकार ने आवासों की व्यवस्था के लिए वर्ष 2005 के प्रेस नोट–दो के माध्यम से पूर्ण शहरी विकास, आवास ढांचागत विकास और निर्माण विकास परियोजनाओं में सौ प्रतिशत निवेश

की मंजूरी दी है। सरकार मानती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बढ़ोत्तरी से आधारिक संरचनाओं का तीव्रतर विकास होगा और धन की कमी की समस्या भी दूर होगी। इन परियोजनाओं में आवास, व्यावसायिक भवन, होटल रिसार्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं तथा शहर और क्षेत्रीय स्तर के मूलभूत संसाधन शामिल हैं। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बेय) केंद्र की एक योजना है जो हैदराबाद में वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इसका ध्यान विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों पर है। भारत और इंडिया के बीच की खाई पाटने के सरकार के प्रयासों की ही एक कड़ी के रूप में यह योजना मौजूद है। इसी के साथ–साथ सरकार का ध्यान अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों पर भी है। सिक्किम के लिए व्यय की समय–बाध्यता से मुक्त केंद्रीय संसाधन पूल की स्थापना की गई है। वर्ष 2005–06 के लिए इस क्षेत्र के शहरी इलाकों की प्रगति के लिए और योजनाएं लागू करने हेतु पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

आवास की समस्या जल, जंगल और जमीन के हालिया चर्चित विषयों की ओर भी हमारा ध्यान खींचती है। सरकार ने इन बातों को महसूस करते हुए भूमि–सुधार पर जोर दिया है। भू–अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद समस्या में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं हुआ है और सरकार प्रयासों की तीव्रता को लेकर उतनी चिंतित नहीं है जितनी अपेक्षा की जाती है। मुक्त बाजार व्यवस्था ने कुछ विसंगतियों को भी जन्म दिया है। इससे गरीब और वंचित आबादी पर नकारात्मक असर पड़े हैं। मसलन किसी के पास ज्यादा भूमि है, किसी के पास कम। लगभग पच्चीस करोड़ लोगों के पास भूमि ही नहीं है। निचले स्तर पर लेखपाल और ग्रामीण विकास अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारियों तक की लापरवाहियां अक्सर सामने आयी हैं। पट्टे को लेकर हो रही बेइमानियां और बंजर भूमि से संबंधित तमाम घपले भी आये दिन समाचारपत्रों में देखने को मिल ही जाते हैं। भारत–निर्माण योजना में सरकार ने सिंचाई और ग्रामीण जलापूर्ति पर ध्यान जरूर दिया है लेकिन कई अन्य बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मसलन–गांवों में जल की उचित व्यवस्था अक्सर नहीं रहती है। कहीं–कहीं आज भी कुंओं और नदियों से ही काम चलाया जाता है। मरूस्थलीकरण की चिंता भी इसी बीच उभरकर सामने आती है। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में सरकार नहरों का जाल बिछाकर समस्या को दूर करने की कोशिश में है। लेकिन नहरों की खुदाई के चलते तमाम किसानों के खेत बेकार हो जाते हैं। सरकार उन्हें मुआवजा तो देती है लेकिन यह मुआवजा विवादों और संदेहों से परे नहीं हुआ करता। अक्सर गरीब किसानों को ही अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। समृद्ध और शक्तिशाली लोग नौकरशाही की प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए अक्सर बच जाते हैं।

भूमि–स्वामित्व को लेकर पैदा हुई इस असमानता पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। यह स्वामित्व कई उलझनों और परेशानियों से युक्त है। मसलन– शहरों में झुग्गियों के बढ़ने के वास्तविक जमीनी कारण क्या हैं? क्या सिर्फ शहरों की चकाचौंध और ग्लैमर ही वह कारण है जिसके चलते गांवों के लोग शहरों की ओर खिंचे चले आते हैं या फिर कुछ दूसरी वजहें भी हैं? यह ठीक है कि लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की सरल और आसान सुविधाओं को देखकर शहरों की ओर आकृष्ट होते हैं। लेकिन इसकी एक वजह हमारी काफी बड़ी आबादी के पास भूमि का न होना भी है। इनका गांवों में भूमि पर कोई स्वामित्व है नही, गरीब लोगों के पास जमीनें हैं भी तो काफी कम हैं और जीवन के अच्छे रहन–सहन के लिए आर्थिक जरिया भी नहीं है। गारा–माटी ढोने या मेहनत–मजूरी करने, दूसरे के खेतों की कटाई–बुवाई करने, भवन–निर्माण कार्यों में श्रम करने या साग–सब्जी बेचने से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती भी है उसमें इनका गुजर–बसर तक नहीं हो पाता। कहीं न कहीं भूमि पर स्वामित्व का अभाव या विसंगति एक कारण के रूप में उभरकर सामने आती है जिसके चलते शहरों की ओर पलायन होता है। इन मुद्दों पर कई स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठन गंभीर विचार विमर्श करते हैं और समस्याओं एवं उनके संभावित हल की पहचान भी करते हैं। राजधानी दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में अक्सर ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें शोषितों के प्रति कटिबद्ध पत्रकारों से लेकर बड़े–बड़े विद्वान उपस्थित होते हैं। पर समस्या का अंत तभी हो सकता है जब सरकार और भी अधिक संवेदनशीलता, कटिबद्धता, सजगता और सक्रियता का परिचय दे।

भारत–निर्माण योजना जिस एक अन्य विषय पर केंद्रित है, वह है ग्रामीण जलापूर्ति। भारत की ग्रामीण आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना किसी चुनौती से कतई कम नहीं है। भारत निर्माण योजना में शेष बचे 74,000 निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराना एक प्रमुख लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी ग्रामीण निवासियों को शुद्ध

पेयजल उपलब्ध कराने हेतु त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल शुरू की गई थी। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देखा जाए तो अभी भी कई ग्रामीण बस्तियों में पेयजल नहीं पहुंचा है। पेयजल सुविधा से अंशतः संपन्न ग्रामीण बस्तियों की संख्या 65,319 है। जल राज्य का विषय है और पेय जल सुविधाएं मुहैया कराने की स्कीमें राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्रीय सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर उनके प्रयासों में योगदान देती है। रिपोर्टें बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में 37 लाख से भी ज्यादा हैंड पंप और 1.73 लाख नलों द्वारा जलापूर्ति की योजनाएं स्थापित की गई हैं। एक अप्रैल 2005 तक की रिपोर्टों के मुताबिक पेयजल की सुविधाओं से ग्रामीण जनसंख्या का 96.1 प्रतिशत पूरी तरीके से कवर किया गया है। लगभग 3. 6 प्रतिशत आंशिक रूप से कवर किया गया है और 0.3 प्रतिशत कवर नहीं किया गया है।

एक अरब से ज्यादा आबादी वाले भारत में कवर नहीं किया गया 0.3 प्रतिशत भाग भी माथे पर बल डालता है। पानी की इस परेशानी पर विचार करते समय कुछ और बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पानी के कुछ प्रमुख संसाधन कई इलाकों में सूख रहे हैं, भूमिगत जल का स्तर तमाम क्षेत्रों में चिंताजनक स्तर तक नीचे चला गया है और पानी की उपलब्धता को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में काफी विषमता है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि व्यापक कार्रवाई योजना, 99 में शामिल नहीं की गई 55,067 बस्तियों को जलापूर्ति में शामिल किया जाये तथा स्लिपेज और जल–गुणवत्ता संबंधी समस्या का निवारण किया जाए। पानी का दुरूपयोग रोकना और कुशल जलप्रबंधन की व्यवस्था करना भी अपेक्षित है। सामान्यतः देशभर में 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली 8 प्रमुख नदी घाटियों में बाढ़ आती रहती है और लगभग 27 करोड़ लोग इसके शिकार होते हैं। पिछले वर्ष भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इस विषय पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने सूखे की समस्या पर भी अफसोस प्रकट किया था। हमारे 14 राज्यों के कुल 116 जिलों के 8.6 करोड़ लोग अक्सर सूखे की आपदा झेलते हैं। यह बाढ़ लगभग डेढ़ हजार अरब घन मीटर उस पानी के कारण आती है जो हर साल बरसात के मौसम में बहता है। अगर हमें बाढ़ की आपदा और सूखे के प्रकोप से बचना है तो हमें इस व्यर्थ बहने वाले पानी का संरक्षण करके इसे सूखाग्रस्त इलाकों में पहुंचाना होगा। इससे हमारी कृषि–प्रणाली मजबूत होगी, फसलें और संपत्तियों सुरक्षित बच सकेंगी और प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

जाहिर है कि भारत–निर्माण योजना एक विकसित भारत के निर्माण के लिए बनाई गई योजना है जो देश की नींव को मजबूत बनाने पर जोर देती है। योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करके और पिछड़े तथा ग्रामीण इलाकों पर पर्याप्त ध्यान देकर ही भारत–निर्माण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। भारत–निर्माण में विकास को सभी तक पहुंचाने के विचार के अलावा प्रगति को समतामूलक बनाने पर भी जोर है। ऐसी प्रगति जिसमें प्रत्येक की भागीदारी हो, जिसमें प्रत्येक स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर सके और जो सर्वकल्याणकारी हो। ❐

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत असम को अनुदान राशि जारी की

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के तहत असम को 83 करोड़ 50 हजार रूपये की अनुदान राशि जारी की है। एआरडब्ल्यूएसपी कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006–07 के लिए असम को आबंटित 166.01 करोड़ रूपये की राशि में से यह पहली किश्त जारी की गई है। इस राशि का उपयोग राज्य में एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को चलाने/पूरी करने के लिए किया जाएगा। जारी की गई राशि का 15 प्रतिशत तक हिस्सा संचालन और रख–रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कोष के पांच प्रतिशत भाग का उपयोग दीर्घावधि उपायों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें, एआरडब्ल्यूएसपी के तहत उपलब्ध कोष से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को योजनाएं बनाने, मंजूर करने, उनका क्रियान्वयन करने और उसका निष्पादन करने के लिए कदम उठा सकती है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि पूरी हो गई ग्रामीण जल योजनाओं को पंचायती राज संस्थानों को संचालन और निष्पादन इत्यादि के लिए सौंपे दिया जाए यानि इन योजनाओं के संचालन और रख–रखाव के अधिकार पंचायती राज संस्थानों को दिए गए हैं।

भारत निर्माण : लक्ष्य और चुनौतियां

नवीन पंत

पंडित नेहरू ने अगस्त की अर्धरात्रि को संविधान सभा में अपने प्रसिद्ध भाषण 'नियति के मिलन' में गांधीजी को उद्धृत करते हुए कहा था, ''भविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नहीं है बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है, जिससे हम उन प्रतिज्ञाओं को, जो हमने इतनी बार ली हैं और उसे जो आज कर रहे हैं, पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है, इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की विषमता का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी की सबसे महान आत्मा की यह आकांक्षा थी कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू हैं और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा।''

नेहरूजी ने जिस काम की ओर संकेत किया था वह आज भी पूरा नहीं हुआ है। देश के कुछ भागों में आज भी गरीबी है। यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध विकास के कारण गरीबी कम हुई है, तथापि, कुछ लोगों की आंखों में आज भी आंसू हैं। इन आंसुओं को पोंछे बिना देश के समग्र विकास की चर्चा बेमानी है।

स्वतंत्रता के बाद हमने उल्लेखनीय प्रगति की है हमने कुछ गलतियां भी कीं लेकिन हमने उन गलतियों से सबक लिया है। हमने विकास की नई नीतियां और कार्यक्रम स्वीकार किए। कभी हमारी विकास दर 3–4 प्रतिशत प्रति वर्ष थी और विश्व के अनेक अर्थशास्त्री उसे 'हिन्दू विकास दर' कह कर हमारा मजाक उड़ाते थे। अब खनिज तेल के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद हमारी विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक है। हमारी गणना विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी है।

आर्थिक सुधारों को लागू करने और उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। किसी समय टेलीफोन का कनेक्शन प्राप्त करना एक महान उपलब्धि मानी जाती थी। स्कूटर–कार खरीदने के लिए लोगों को महीनों–सालों इन्तजार करना पड़ता था। आज, सुबह मांग करने पर शाम तक आपके घर में टेलीफोन लग जाता है या स्कूटर–कार की डिलीवरी हो जाती है।

लगभग डेढ़ दशक पहले देश में पुराने माडल की केवल 50 हजार कारें प्रति वर्ष बनाई जाती थी। आज अति आधुनिक कम ईंधन खर्च करने वाली 6 लाख से अधिक कारें बनाई जा रही हैं और इनमें से काफी संख्या में विदेशों को निर्यात की जा रही हैं। अनुमान है कि सन 2010 तक देश में प्रति वर्ष 10 लाख कारें बनने लगेंगी। बसों, ट्रकों, छोटे मालवाहकों, दो पहियों अैर तिपहियों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अन्तर्गत देश के चारों कोनों और प्रमुख नगरों को चार–आठ लेन वाली सड़कों से जोड़ने का काम पूरा होने को है। कश्मीर घाटी तक रेल सम्पर्क पहुंचाने का काम चल रहा है। ऊधमपुर तक रेल लाइन पहुंच चुकी है।

विमानन क्षेत्र में तो अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आधे दर्जन से अधिक विमान सेवाएं यात्रियों की सेवा कर रही हैं। इनमें जबरदस्त प्रतियोगिता के कारण विमान यात्रा के किराये लगभग आधे हो गए हैं। आम आदमी भी विमान यात्रा कर रहा है।

इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, रसायनों, दवाओं और 'वाइट गुडस' यानी टी.वी., माइक्रोवेव और वाशिंग मशीन सभी का उत्पादन बढ़ा है। नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है और उनका स्वरूप बदल रहा है। निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप तेजी से नई कालोनियां विकसित हो रही हैं।

महानगरों और अन्य प्रमुख नगरों में विशाल माल, मल्टी प्लेक्स और गगनचुम्बी इमारतें बनाई जा रही हैं। बाजार देशी–विदेशी माल से भरे पड़े रहे हैं और दुकानदारों को खरीददारों की भीड़ से निपटने में कठिनाई हो रही है।

लेकिन इसके अलावा एक और भारत–ग्रामीण भारत, जहां देश की आधी जनसंख्या रहती है और जहां विकास की किरणों ने अभी इस क्षेत्र को आलोकित नहीं किया है। गांवों में खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है, औसत जोत का रकबा इतना कम है कि उससे किसी भी परिवार की तीन चार महीने से अधिक गुजर नहीं हो सकती। खेती के अलावा रोजगार के वैकल्पिक साधन नहीं हैं। बच्चों के लिए पाठशालाएं नहीं है, अगर हैं तो अध्यापक नियमित रूप से नहीं आते। चौथी पांचवीं कक्षा के बच्चे अपनी पुस्तक की 10–15 पंक्तियां नहीं पढ़ सकते। उपचार के लिए औषधालय नहीं हैं, जहां हैं उनमें डाक्टर और दवाएं नहीं होती। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली पक्की सड़कें नहीं हैं। संचार और रोशनी के लिए बिजली नहीं है।

भारत निर्माण गांवों की इस दशा को बदलने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत 2005–06 से 2008–09 के दौरान गांवों में विकास कार्यों पर 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस कार्यक्रम को लागू करने में साधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

इस दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गतः

- सभी गांवों में बिजली लगाई जाएगी।
- पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 500 आबादी वाले और मैदानी क्षेत्रों में 1000 आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।
- सभी गांवों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा।
- एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन और चुनौती भरा है। लेकिन गांवों और शहरों के बीच विद्यमान खाई को पाटने और असमानता को समाप्त करने के लिए इन्हें प्राप्त करना जरूरी है। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की प्रसुप्त ऊर्जा को जगाना और उसका उपयोग विकास कार्यों में करना है। यह कार्यक्रम सरकारी नहीं है यह काम जनता के फायदे के लिए उसका अपना कार्यक्रम है। अतः इसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान करना, इसकी कमियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना हर ग्रामीण का कर्तव्य है।

सभी गांवों में बिजलीः इस समय देश के एक लाख से अधिक गांवों में बिजली नहीं है। सरकार का लक्ष्य मार्च 09 तक इन सभी गांवों में बिजली पहुंचाना है। यह कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाएगा। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के अलावा 2 करोड़ 30 लाख घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक विकास खंड में 33/11 के. वी. या 66/11 सब स्टेशन बनाया जाएगा और प्रत्येक बस्ती में कम से कम एक डिस्ट्रिब्यूशन ट्रान्सफार्मर लगाया जाएगा। जहां ग्रिड के जरिए बिजली सप्लाई करना संभव नहीं होगा वहां बिजली उत्पादन के साथ पृथक ग्रिड लगाया जाएगा। यह पृथक ग्रिड गैर–परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से लगाया जाएगा।

विद्युतीकरण के पूंजीगत खर्च पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस कार्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी होगी। गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को घरों में बिजली पहुंचाने के लिए शत प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी और प्रति कनेक्शन 1500 रु0 को सहायता दी जाएगी। योजना में दलित, जन जातीय और वर्ग के लोगों की बस्तियों, को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की सफलता में सबसे बड़ी बाधा देश में मांग से कम बिजली का उत्पादन है। अगर योजना को निर्धारित समय में पूरा कर भी लिया जाता है तो जब तक देश में बिजली के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की जाती लोगों को विद्युतीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी होगी और देश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के कारगर उपाय करने होंगे।

सभी गांवों के लिए पक्की सड़कें : सरकार का लक्ष्य पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 500 आबादी वाले और मैदान क्षेत्रों में 1000 आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ना है। अभी गांवों को जाने वाली अधिकांश सड़कें कच्ची हैं और वर्षा ऋतु में अनेक गांवों का बाहरी दुनिया से सम्पर्क कट जाता है। शेष ऋतुओं में भी इन सड़कों पर मोटर–बस नहीं चल सकती। इससे गांव वालों को अपनी उपज का विशेष रूप से सब्जियों, फलों का उचित दाम नहीं मिलता। गांव में किसी के बीमार पड़ने पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह योजना सन् 2000 में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत शुरू की गई थी। अब इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

इस योजना पर लगभग 48000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठा रही है। अब तक 36,659 गांवों को जोड़ने वाली 76,566 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। सन 2009 तक कुल 1,46,185 कि. मी. सड़कें इस योजना के अंतर्गत बनाई जाएगी।

सभी गांवों को पीने का पानी : इस योजना के अन्तर्गत देश के 55,067 गांवों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्य को राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा करेगा। गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने की योजना 1972–73 में शुरू की गई थी। अब तक इस योजना पर 50 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 4050 करोड़ रुपये का प्रावधान है। केन्द्र और राज्य सरकारें इस योजना का आधा–आधा खर्च उठाती है।

पानी के स्रोत सूख जाने, नई बस्तियां बसने, पानी में दूषित तत्वों (फ्लोराइड, आर्सनिक (संखिया), नमक, लोहे और नाइट्रेट या अधिकता) के मिलने से शुद्ध पेय जल की नई व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है। अतः समस्या हमेशा बनी रहती है।

योजना के प्रारम्भ से अब तक देश के विभिन्न गांवों के प्रारम्भ से अब तक देश के विभिन्न गांवों में 37 लाख हैंडपम्प लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा नलों द्वारा पानी की आपूर्ति पूरी करने की 1.5 लाख परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

सभी गांवों में टेलीफोन : सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करना भारत निर्माण योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी 66,822 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। संचार और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय को इन सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है।

इस योजना के लिए साधन दूर–संचार सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों की आय पर 5 प्रतिशत 'लेवी' लगाकर जुटाए जाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इस निधि में अनुदान और ऋण प्रदान करने की भी व्यवस्था है। 66,822 गांवों में से दूर–दराज और दुर्गम इलाकों में स्थित टेलीफोन सुविधा टर्मिनल द्वारा दी जाएगी। अनुमान है कि इन सभी गांवों में टेलीफोन लगाने पर 45 करोड़ रुपये खर्च आएगा और यह सम्पूर्ण राशि 'लेवी' से प्राप्त हो जाएगी।

एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा : जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से सन 2009 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह लक्ष्य छोटी, मझोली और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को निर्माण करके अथवा अधुरी पड़ी योजनाओं को पूरा करके प्राप्त किया जाएगा। अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

एकीकृत जल साधनों के राष्ट्रीय कमीशन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक कारणों से तालाबों, सरोवरों, झीलों के रख–रखाव की उपेक्षा की गई है जिससे उनकी क्षमता में कमी आई है। सन 2004–05 से देश के 16 जिलों में इनकी मरम्मत, सुधार और जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। इस काम को बढ़ाकर इनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा।

भूमिगत जल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के पूर्वी भागों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में सिंचाई के लिए अभी भी काफी भूमिगत जल है। अतः इन राज्यों के जल बहुल क्षेत्रों में नल कूप लगाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ उन स्थानों पर जहां भूमिगत जल का स्तर बहुत गिर गया है वर्षा का जल–भूमि में पहुंचा कर जल स्तर उठाने का गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए।

गरीबों के लिए 60 लाख मकान : ग्रामीण विकास मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में इसका खर्च उठा रही हैं।

सनः 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ 49 लाख मकानों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सन 2009 तक गांवों में 60 लाख मकान बनाए जाएंगे। इससे गांवों में मकानों की कमी कुछ सीमा तक दूर होगी।

योजना के लिए राज्यों/जिलों का चयन करते समय उन इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है जहां गरीबी अधिक है और लोग बिना घर के रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 25 हजार रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपये दिए जाते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। गांव सभा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में से लाभार्थियों का चयन करती है। मकान का आबंटन यथा संभव परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाता है। मकान का आबंटन करने में शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ितों, भूतपूर्व सैनिकों विधवाओं और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। योजना का लाभ पाने वालों में 60 प्रतिशत का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का होना जरूरी है। लाभार्थी को अपने मकान में धुआ न देने वाला चूल्हा और स्वच्छ शौचालय भी बनाना पड़ता है। आवास निर्माण के अलावा पुराने मकान की मरम्मत के लिए भी अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना : यह योजना भारत निर्माण का अभिन्न अंग है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार (शारीरिक श्रम संबंधी) देकर जीविका अर्जन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर रोजगार भत्ता दिया जाता है। योजना में एक तिहाई महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम का पहला चरण 2 फरवरी 06 देश के 200 जिलों में शुरू किया गया। इस वर्ष के छह महीनों के दौरान 89 लाख 42 हजार 703 लोगों में रोजगार की मांग की। इनमें से 83 लाख 5 हजार 903 लोगों को रोजगार प्रदान किया। इनकी मजदूरी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 27 राज्यों को आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

भारत निर्माण और ग्रामीण आवास

राजेन्द्र सिंह बिष्ट

इस बात में काफी हद तक सच्चाई है कि जिस ग्रामीण भारत में देश की करीब 70 फीसदी आबादी रहती है वह अभी भी देश की तेज विकास की गति में ठीक तरह से हिस्सेदार नहीं बन पायी है। इसकी वजहें तो कई हैं मगर बिजली, पानी, सड़क और आवास सबसे ऊपर हैं। जनसंख्या बढ़ने से शहरों और गांवों में नयी आवासीय इकाइयों की मांग भी दिनोंदिन तेजी से बढ़ रही है। शहरों में तो कमोबेश स्थिति ठीक है, मगर ग्रामीण इलाकों में स्थिति आज भी काफी दयनीय नजर आती है। अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो गांवों में अब तक सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही पक्के घरों में रहते हैं बाकी 80 प्रतिशत में से अधिकतर फूस की झोपड़ी या फिर कहीं खुले में ही जीवनयापन करते हैं।

जल्द से जल्द गांवों में आवासीय समस्याओं को सुलझा लिया जाए, इसके लिए देश में एक के बाद एक विभिन्न सरकारों ने इसे एक देशव्यापी समस्या मानते हुए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए। यूं तो इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, ग्राम आवास योजना जैसी अनगिनत योजनाएं लागू की गयीं मगर गांवों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए सही तरीके से तेजी भारत निर्माण योजना के तहत आयी। 16 मई, 2005 को भारत निर्माण योजना के तहत जिन छः प्रमुख क्षेत्रों में सुदृढ़ता प्रदान कर गांवों को विकास की धारा से जोड़ना था उनमें आवास को भी प्रमुखता से शामिल किया गया।

भारत–निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वालों के लिए 4 वर्षों में 60 लाख मकानों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र, राज्य सरकारों और आवास की गंभीर समस्या का सामना कर रहे लोगों के संसाधनों को समेकित कर लक्ष्य प्राप्त करने की भरसक कोशिश तो कर ही रहा है।

अब जिक्र करते हैं उन योजनाओं का जो ग्रामीण आवास की समस्याओं को सुलझाने में लगी है। आवास की समस्या के निपटारे के लिए पहले पहल ग्राम आवास योजना 1957 में शुरू की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को मकानों के निर्माण तथा उनमें सुधार, खेतिहर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जमीन देकर और चुने हुए गांवों में गलियों के निर्माण व गंदे पानी की निकासी के लिए नाले बनाने में मदद देना था। 1980 में इंदिरा आवास योजना को बड़े ही तामझाम के साथ शुरू किया गया, मगर कामयाबी अनुकूल नहीं कही जा सकती। इंदिरा आवास योजना गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की विशिष्ट योजना मानी जाती है। इंदिरा आवास योजना के वर्तमान

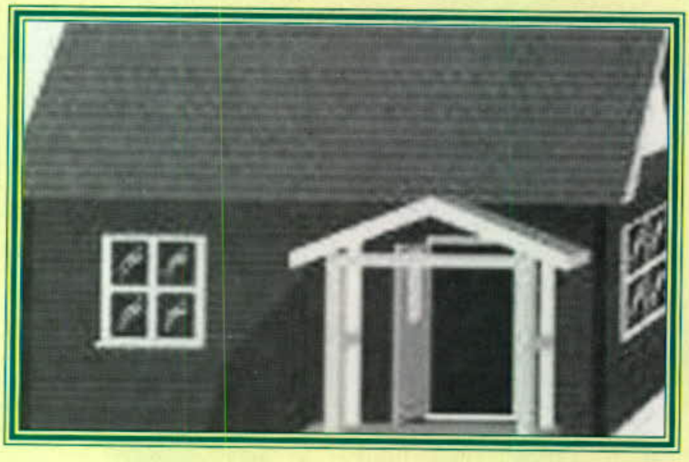

कार्यक्रम के अंतर्गत नये मकानों के निर्माण की गुंजाइश शामिल है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1985–86 से इंदिरा आवास योजना कार्य कर रही है।

1993–94 से योजना में गरीबी रेखा से नीचे की गैर–अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को भी शामिल किया गया है बशर्ते कि गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला लाभ इंदिरा आवास योजना के आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी, 1996 से स्वतंत्र योजना है। इस योजना को और गति देने के लिए अगस्त 1997 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्तीय योजना शुरू की गई, जिसके परिणाम अच्छे रहे। इस योजना के अंतर्गत 10.26 लाख घरों के निर्माण के लिए राशि आबंटित की गई। और इसके क्रियान्वयन की निगरानी जिला स्तर पर एक समिति द्वारा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्टों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर निगरानी करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु किए जा रहे प्रयासों में एक था केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत करना। इसके तहत ग्रामीण आवासों के निर्माण की योजना संचालित की गयी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासों की कमी को दूर करना तथा इन क्षेत्रों के पर्यावरण के स्वास्थ्य विकास में सहायता देना था। इस योजना में केंद्र द्वारा राज्य

सरकारों को सीधे धनराशि जारी की जाती है। इसी तरह 1999 से समग्र आवास योजना के नाम से एक नई योजना की भी शुरूआत की गई। यह एक व्यापक आवास योजना है जिसका मकसद आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। प्रथम चरण में इस योजना को 24 राज्यों के 25 जिलों में प्रत्येक विकास खंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। कुछ अन्य योजनाएं भी चालू की गई। इनमें बुनकर, टोकरी बनाने वाले, बीड़ी मजदूर, कुली, मछुआरे शामिल हैं। 1974–75 में वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के दस्तकारों और हथकरघा बुनकरों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यस्थल एवं आवास योजना शुरू की। यह योजना आज भी 12 राज्यों में लागू है। श्रम मंत्रालय ने बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के श्रमिकों के लिए भी आवास योजना प्रारंभ की। राज्य सरकारें इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराती है। मकान की कुल लागत 25,000 रुपये तय की गयी है जिसमें से विकास शुल्क सहित सहायता राशि 90 हजार होती है और यह योजना आठ राज्यों में चल रही है जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा हम्मालों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, बाजार आदि स्थानों में नग आधार पर सामान सिर पर उठाने वाले मजदूरों के लिए योजना 1991 में शुरू की। मछुआरों के लिए आवास योजना कृषि मंत्रालय ने 1985–86 में शुरू की। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के लिए बनायी गयी इस योजना का उद्देश्य मछुआरों में से कम आमदनी वालों के लिए मकानो के निर्माण को बढ़ावा देना था। यह योजना फिलवक्त 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बखूबी चल रही है।

1998 की राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में सबको आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराने के साथ साथ इसमें गरीबों और उपेक्षित लोगों के सिर पर छत उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। भारत में ग्रामीण आवास की स्थिति का अनुमान वर्तमान ग्रामीण आवासों की गुणवत्ता के बारे में जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से लगाया जा सकता है। इसी दिशा में 1998 में केंद्र सरकार ने नई आवास नीति भी घोषित की। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासनों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान मानकीकरण संस्थाओं और तकनीकी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गयी है। आवासों के लिए वित्तीय रियायतों के साथ–साथ कानूनी प्रावधानों और नियमों में सुधार लाकर आवास क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना भी नई आवास नीति का मुख्य उद्देश्य है।

राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में बेघर लोगों को सिर पर छत मुहैया कराने के काम में पंचायती राज संस्थाओं तथा महिलाओं को शामिल करने तथा उनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाते समय पंचायतें इस बात का भी ध्यान रखेंगी कि गांव में आवास के साथ–साथ समूचे पर्यावास की स्थिति क्या है। सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और उपेक्षित लोगों को लाभ देकर ऐसे उपाय करने की व्यवस्था की है जिसमें कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अब तक करोड़ों मकान तो बनाए जा चुके हैं मगर जो तथ्य सामने आए हैं उनमें से 40 प्रतिशत फायदा अपात्र परिवारों ने उठाया है। अगर इस कमजोरी को दूर नहीं किया गया तो दुर्लभ संसाधनों का बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को कारगर तरीके से भागीदार बनाने की आवश्यकता के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि इन संस्थाओं के अपने संसाधनों का भी योजना में निवेश हो।

2001 की जनगणना के अस्थायी अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 149 लाख आवासीय इकाइयों की कमी थी जबकि 1991 की जनगणना में यह कमी 137 लाख इकाइयों की थी। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन साल से हर साल औसतन 14–15 लाख मकान बनाये जा रहे हैं जबकि इनकी वार्षिक मांग करीब–करीब 30 लाख इकाइयों की है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल आधी आवश्यकता ही पूरी हो पा रही है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि हर साल बेघर लोगों की सूची में 10 लाख परिवार और जुड़ जाते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 40 लाख आवासीय इकाइयों की वार्षिक मांग में से केवल 15 लाख मकान ही हर साल बनाए जा रहे हैं और 25 लाख मकानों की कमी बनी रहती है।

साथ ही समय–समय पर पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण आवास की समस्या को निपटाने के लिए भी कारगर उपाय तलाशे और फंड दिये जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना

1957–61 में भी सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति जारी रखी, लेकिन आवास को ग्रामीण विकास की व्यापक योजना के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969–74 में यह बात स्वीकार की गयी कि दूसरी योजना में ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जगह और भवन निर्माण में सहायता देने की योजना प्रारंभ की गयी जिसमें पहली बार ग्रामीण आवास के क्षेत्र में सरकार को और अधिक सक्रिय भूमिका सौंपने की बात सोची गयी। लेकिन सरकार की भूमिका भूखंड तक सीमित रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979) में इस कार्यक्रम पर कुछ अधिक सक्रियता से अमल किया गया और इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। छठी योजना (1980–85) में देश में पूरी तरह बेघर लोगों की संख्या कम करने तथा अन्य लोगों को उनके आवास के पर्यावरण में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। सातवीं योजना (1985–90) में आवास नीति में राज्यों के संदर्भ में बड़ा बदलाव आया और आवास संबंधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी को लेकर एक नयी शुरुआत की गई। आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें विस्तार करने की कोशिश की गयी। दसवीं पंचवर्षीय योजना के 2002–07 के अंत तक सरकार सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है।

उपरोक्त विवरण से साबित होता है कि ग्रामीण आवास का विषय एक अहम विषय है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सरकार इसके प्रति कार्योन्मुख है। लेकिन अभी भी स्थिति उत्साहवर्धक न होकर केवल संतोषजनक है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या पर वृहद कार्य योजना लागू करे। स्थायी कार्यपालिका पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि सरकार तो योजना बना देती है और उनके लिए धनराशि भी आबंटित कर देती है, लेकिन योजना चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो क्रियान्वयन प्रभावी न हो तो सब कुछ अर्थहीन है और क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालक यानी प्रशासन के हाथ में होता है। इस कार्य के लिए सरकार के साथ ग्रामीण आवासीय निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत सभी स्टेक होल्डरों की वचनबद्धता की भी जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। राजीव गांधी का सपना था कि विकास योजनाओं में आम आदमी और खासकर ग्रामवासी पंचायत राज के माध्यम से हिस्सेदार बनें। जिला, तालुक और ग्राम सभी स्तरों पर पंचायतों को अपनी भूमिका निभानी होगी तभी भारत निर्माण एक ठोस कार्यक्रम बन पाएगा। ❐

(लेखक पत्रकार हैं)

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत 45 प्रतिशत गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन मुहैया कराया गया

भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण टेलीफोन घटक के तहत तीस हजार से ज्यादा गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) मुहैया कराया जा चुका है। 66822 गांवों को वीपीटी मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत 31 अगस्त, 2006 तक 30251 गांवों में वीपीटी मुहैया करा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश में लक्षित गांवों में से 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में वीपीटी मुहैया कर दिए गए हैं।

इस कार्यक्रम के तहत दूर–दराज क्षेत्रों के 14183 गांवों को डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) से जोड़ने की योजना है। उड़ीसा तथा झारखंड जैसे राज्यों में शत–प्रतिशत गांवों को डीएसपीटी से जोड़ने की योजना है। दूर–दराज के गांवों में वीपीटी मुहैया कराने के लिए उपग्रह आधारित उपकरण लगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। कुछ टेलीफोन सेवा के शीघ्र विस्तार के लिए कुछ गांवों में डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी से संचालित फोन भी लगाए जा रहे हैं।

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत देश में 66,822 राजस्व गांव ऐसे हैं जहां अभी तक वीपीटी मुहैया नही कराये गये हैं। यहां नवंबर, 2007 तक यह सुविधा मुहैया करा दी जायेगी। इनमें से दूर–दराज स्थिति 14,183 गांवों में डीएसपीटी के माध्यम से वीपीटी मुहैरूा कराये जाएंगे। इन वीपीटी के लिए सब्सिडी पर 415 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह लागत सार्वभौमिक सेवा प्रतिबद्धता (यूएसओ) कोष से वहन की जाएगी।

भारत निर्माण कार्यसम के तहत गांवों को उपलब्ध कराये गये वीपीटी का राज्यवार ब्यौरा वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाइट का पता है www.dot.gov.inè www.bharatnirman.gov.in

दूरसंचार : भारत निर्माण का एक अत्यावश्यक घटक

अर्चना जी. गुलाटी

भारत सरकार का मानना है कि विश्व स्तरीय दूरसंचार अवसरंचना से ही देश का आर्थिक और सामाजिक विकास द्रुत गति से हो सकेगा। यह केवल आई.सी.टी. उद्योग के लिए ही क्रांतिकारी न होगा बल्कि इसका वृहद फैलाव अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में भी होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने नई दूरसंचार नीति 1999 में बनायी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकार आई.सी.टी. द्वारा विकास को लेकर काफी चैतन्य है और नई दूरसंचार नीति इन्हीं तथ्यों को धारण करती है जो निम्नलिखित हैं –

- सभी नागरिकों को प्रभावशाली और सक्षम संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- सभी सेवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलन स्थापित किया गया है तथा ये सेवाएं छूटे हए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर भारतीय अर्थव्यस्था के उच्च स्तरीय अन्य सेवा क्षेत्रों में भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- दूरवर्ती, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों को भी दूरसंचार व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा।
- दूरसंचार विभाग की प्राथमिकता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों का नंबर पहले आता है। अतः अभी तक ग्रामीण सार्वजनिक दूरसंचार से छूटे हुए 66,822 गांवों को दूरसंचार व्यवस्था की पहुंच में लाना भारत निर्माण का प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की पर्याप्त पहुंच के लिए भारत सरकार की व्यापक सेवा सहयोग नीति के तहत अनुदान मिलेगा।

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक दूरसंचार सेवाओं की पहल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे किसी भी देश की आर्थिक से वृद्धि तीव्र और एकसमान होती है। आईसीटी तक पहुंच निम्नलिखित विशालतम संभावनाओं को जन्म देती है।

- दूरसंचार और सूचना सेवाओं तक पहुंच ग्रामीणों और गरीबों के लिए ज्ञान आधारित आगमों (इनपुटस) को सरल बनाती है। जिससे उत्पादन गतिविधियों को बल मिलता है। इसके अलावा इसके माध्यम से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और यहां तक कि भूमंडलीय उद्यमों और बाजारों का लाभ छोटे उद्यमों को मिल सकेगा। इस प्रकार यह कृषि और हथकरघा जैसे क्षेत्रों को मुख्य में लाएगा जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और सर्वसमावेशी होगी।
- यह संबद्धता सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देगी और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के महत्वपूर्ण मामलों में जनभागीदारी सुनिश्चित करेगी।
- अच्छी आय और रोजगार के साधनों का विकास कर आईसीटी शहरों की और पलायन को रोकेगी।
- आई.सी.टी. संबद्धता से सरकार की और सामाजिक सेवाओं की पहुंच ग्रामीण आबादी तक सुनिश्चित हो सकेगी। इससे उस दुतरफा संचार चैनल का निर्माण होगा जिसकी हमारे देश को बेहद जरूरत है। इसकी मदद से गांववासियों तक सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलायी जाएगी। इससे इन योजनाओं से तृणमूल स्तर तक के प्रर्वतन को लेकर गांववासियों की प्रतिक्रिया भी मिलेगी। यह आई.सी.टी. की ग्रामीण इलाकों तक पहुंच का वास्तव में एक बड़ा लक्ष्य है। और इसके दीर्घकालिक लाभ भी होंगे।
- ग्रामीण आबादी तक आई.सी.टी. की पहुंच से ग्रामीण आबादी को एक आवाज मिलेगी जिसके चलते वह नीति निर्माताओं के निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकेगी। इसके अलावा नीति निर्माण में उनकी सहभागिता बढ़ेगी व उनका अकेलापन और अलगाव दूर होगा।

प्रतिस्पर्धा और उदारीकरण की इस दौड़ में हमारे देश में दूरसंचार क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है। भारत 13.95 से भी अधिक टेलीफोन घनत्व प्राप्त कर चुका है। जून 2006 के अंत में ही फिक्स टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 4 करोड़ 75 लाख के करीब और मोबाइल कनेक्शन 10 करोड़ 60 लाख थे। कुल मिलाकर पूरे देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 15 करोड़ 35 लाख के करीब थी। अगर हम मार्च 1991 से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उस समय टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 5 करोड़ थी अतः इसमें गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। टेलीफोन सुधारों के बावजूद हमारे देश में टेलीफोन घनत्व के मामले में गांव और शहर के मध्य खाई बहुत चौड़ी है। 40.65 प्रतिशत घनत्व के साथ भारत का शहरी भाग टेलीघनत्व में बहुत आगे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1.85 प्रतिशत घनत्व इसकी कमियां भी उजागर करता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में भी कमोबेश ग्रामीण और शहरी स्थानों में टेलीफोन घनत्व में व्यापक असमानता है। जनसंख्या का अधिकांश भाग (खासकर विकासशील राष्ट्रों में) सामान्य सेवादर पर भी

इसके प्रयोग में सक्षम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में निवेश तो भारी मात्रा में करना पड़ता है लेकिन घरों में कम आय, भौगोलिक विविधता और संचार साधनों के कम प्रयोग से उचित मात्रा में आय नहीं हो पाती है। अतः भारत में जबकि भारतीय मोबाइल उद्योग 90 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि अंकित कर रहा है तब चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की पहुंच 1 प्रतिशत से भी कम है। कुल निजी टेलीफोन आपरेटरों का योगदान 0.01 प्रतिशत ही है। अतः स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का ग्रामीण दूरसंचार में योगदान बहुत ही कम है। अतः सरकार को सब्सिडी और अनुदान द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार संबद्धता के लिए भारत सरकार ने सब तक पहुंच और सबकी सेवा की नीति बनायी है।

सार्वभौमिक पहुंच की अवधारणा और साधन

व्यक्तिगत रूप से और घरों के साथ–साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक दूरसंचार सुविधाओं की व्यापक पहुंच बनाने के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। अतः कम खर्चे पर सभी स्थानों और सभी उपभोक्ताओं को दूरसंचार की अच्छी सेवा मुहैया करायी जाएगी। व्यापक पहुंच को इन अर्थों में भी परिभाषित किया जा सकता है कि जल्द से जल्द सुविधाजनक रूप से उचित दर पर दूरसंचार सुविधाओं की समुदाय तक पहुंच अथवा पे फोन, टेलीफोन केंद्र जैसी स्थानीय सेवाओं द्वारा तथा व्यक्तिगत निजी सेवा द्वारा पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। व्यापक पहुंच एक व्यापक अवधारणा है जो विकासशील राष्ट्रों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसका समान्य सा अर्थ है टेलीफोन सुविधाओं की परिधि में विभिन्न क्षेत्र के नागरिकों को लाना। यू.एस.ओ. के तहत सहायता प्राप्त ऑपरेटर दूरसंचार व्यवस्था को बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराएंगे, सही मूल्य पर नैतिकता के साथ, सही स्थान पर आसानी से और सबको लाभ के साथ भी उपलब्ध कराएंगे।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। इसमें प्रथम मैनडेटरी सर्विस ऑब्लीगेशन था। यह प्रायः अनुज्ञप्ति की परिस्थितियों अथवा अन्य प्रावधानों के अतंर्गत था। यह भारत में बहुत कम सफलता के साथ लागू हो सका। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के तहत सरकार ने सभी निजी सेवा ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे सभी लाइनों का 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित करें। हालांकि टेलीकाम ऑपरेटरों ने ग्रामीण अंचलों में दूरभाष सेवा मुहैया कराने की बजाय लगातार हर्जाना देना ही ज्यादा मुनासिब समझा। दूसरा प्रयास क्रॉस सब्सिडाइजेशन था।

इसका संबंध वृत्ति–भोगी ऑपरेटरों द्वारा दी गयी सेवाओं से था। उदाहरणार्थ आई.एल.डी. और एन.एल.डी सेवाएं पारंपरिक रूप से लागत से पर्याप्त उच्च रखी गयी। इन अधिक मूल्यों वाली सेवाओं से प्राप्त राजस्व का प्रयोग अधिक लागत वाली या निम्न मार्जिन वाली सेवाओं को सब्सिडी प्रदान करने में किया जाएगा। विशेषतः इसका संबंध आवासीय स्थानीय पहुंच की लाइनों से था। भारत में यह काम बी.एस.एन.एल. ने आई.एल.डी. व एन.एल.डी. दरों के सापेक्षिक रूप से नवीन तार्किकीकरण व निम्नीकरण करने तक किया। वैश्विक स्तर पर सेवाओं में क्रास सब्सिडी वाली प्रक्रिया को अव्यावहारिक और प्रतिस्पर्धात्मक विरोधाभासी होने के रूप में देखा गया है। शहरी क्षेत्रों मे फोन के सभी वर्तमान उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी देने वाले एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में सामने नहीं आई है। शहरी क्षेत्रों में यह सब्सिडी तो सभी को मिल जाती है, चाहे वे पूरा आर्थिक मूल्य वहन करने योग्य हों या न हों जबकि दूरभाष सेवाओं से रहित इलाकों, मसलन–ग्रामीण अंचलों में इस सब्सिडी से कोई प्रशंसनीय लाभ नहीं पहुंच पाता। एक्सेस डेफिसिट चार्ज (ए.डी.सी.) एक दूसरी विधि है। ए.डी.सी. क्षेत्र में अन्य ऑपरेटर सब्सिडी की पूर्ति करते हैं। (हॉलिया समय में भारत की कई कॉलों में प्रति मिनट के आधार पर)। इससे उस घाटे की पूर्ति होती है जो वृत्तिभोगियों (भारत में बी.एस.एन.एल) द्वारा उत्पन्न होता है। जब वे स्थानीय सेवाओं को कम मूल्यों पर देते हैं। फिक्सड लाइन रेंटल व कॉलों की दरें)। ए.डी.सी. की आलोचना यह कहकर की जाती है कि वे अकुशल हैं और संभावनाओं के मामले में प्रतिस्पर्धा की विरोधी है। भारत में ए.डी.सी. की मोबाइल और एकीकृत पहुंच ऑपरेटरों से लेकर फिक्स्ड लाइनों के ऑपरेटरों तक की पूर्ति होती है। इस आपूर्ति का तार्किकीकरण किया गया है और एक विशेष समयावधि में इसे घटाया भी गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ए.डी.सी. को क्रमशः रोकने का प्रयास कर रही है ताकि 2008 के बाद यह चलन में न रहे। अंततः सार्वभौमिक सेवा दायित्व फंड (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड) की विधि के तहत सार्वभौमिक पहुंच के लिए राजस्व बटोरने के प्रयास किए गए हैं। यह राजस्व सरकारी राजस्व, अंतर्संबधी सेवाओं पर करों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से करों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उपलब्ध किया जा रहा है। ऊपर वर्णित विधियों के अलावा यूएसओ फंड का उपयोग भी विशिष्ट और लक्षित उच्च लागत क्षेत्रों अथवा निम्न आय वाले सब्सक्राइबरों के संबंध में किया जा रहा है। ये दक्षतापूर्वक छोटी–मोटी सब्सिडियां देती हैं। जिससे निजी ऑपरेटरों को प्रोत्साहन मिलता है कि वे अपनी सेवाओं का विस्तार आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में भी करें। आई.सी.टी. पहुंच के जरिए सार्वभौमिक पहुंच के मामले में उनके पास लाभ

की विशेष स्थिति यह है कि उनकी कार्यप्रणाली कुशल और पारदर्शी है। ये इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि बाजार में उपलब्ध सभी प्रतिभागियों को समान रूप से अवसर मिल सके। उन्हें यह समान अवसर मिलना भी चाहिए ताकि सामूहिक प्रयास की तीव्रता के चलते सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। सिद्धांततः जनता में नेटवर्क के विस्तार की वजह से सभी प्रतिभागियों को लाभ होगा। इसी तरीके से किसी एक पर हानि या घाटे का भार नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर यह कि सभी प्रतिभागियों की स्थिति समान रूप से प्रभावित होगी। ट्राइ की अनुसंशाओं के आधार पर भारत सरकार ने सार्वभौमिक सेवा समर्थन नीति (यूनिवर्सल सर्विस रिपोर्ट पॉलिसी) को स्वीकार किया है।

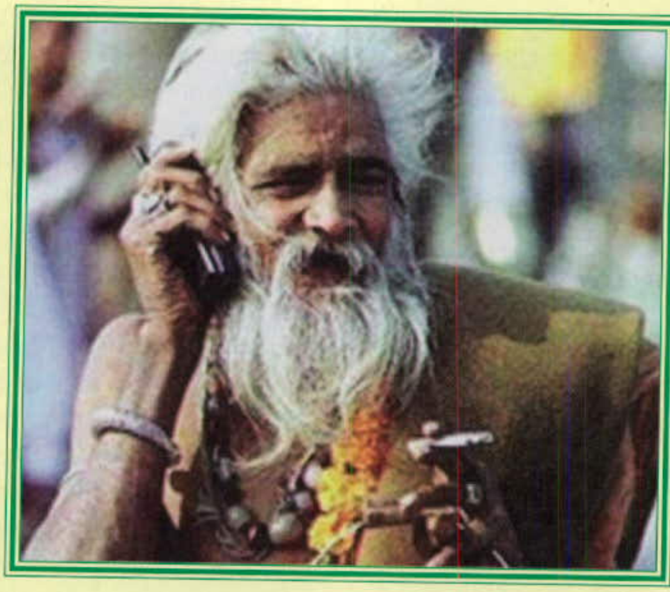

व्यापक सेवा सहयोग कार्यक्रम अप्रैल 2002 के प्रभाव में आया। यह सेवा प्रदाताओं के सहयोग से बनी निधि से पोषित है। यूनिवर्सल सर्विस लेवी जो अभी ए.जी.आर का 5 प्रतिशत है सभी टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा मिलता है। केवल सेवा क्षेत्र के ऑपरेटरों को छोड़कर जैसे कि इंटरनेट और वॉयस मेल को छोड़कर ऑपरेटर बजट में 1814.5 करोड़ की राशि जो 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के वित्तीय वर्ष हेतु रखी गयी थी उसका पूर्ण उपयोग हो चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय निधि के बाद भारत विश्व का दूसरा ऐसा राष्ट्र है जिसकी यू.एस.ओ. निधि इतनी विशाल है। पूरे विश्व में 100 से अधिक नियामक संस्थाएं और लगभग वर्जन अथवा कुछ यू.एस.ओ. निधि पूर्ण प्रशासन के साथ स्थापित है। व्यापक सेवा सहयोग कार्यक्रम को लागू करने के लिए यू.एस.ओ. निधि को डी.ओ.टी. (डॉट) के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। राज्य स्तर पर यू.एस.ओ. गतिविधियों को लागू कराने और समान वितरण के लिए डॉट के ऑफिस से संबंद्ध संचार लेखा कार्यालय के नियंत्रण में रखा गया है। आगे चलकर भारत क्रियाशील यू.एस.ओ. निधि का एक समझदार राष्ट्र साबित होगा।

यू.एस.ओ. पोषित कार्यक्रम की संभावना और पहुंच

यह सार्वजनिक सुविधाओं को न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के दायरे में लाएगा बल्कि निजी घर मालिकों को उसी रकम पर टेलीफोन और उसके प्रयोग की नई सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराएगा। यह ब्राडबैंड सेवाओं को भी जनता की पहुंच में लाने का प्रयत्न करेगा। इन सेवाओं को सार्वजनिक टेलीफोन सूचना केंद्र (पीटीआईसी) और उच्च गति सार्वजनिक टेलीफोन सूचना केंद्र (एच पी टी आई सी) के द्वारा 2001 की जनसंख्या से अधिक गांवों और खंड स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 5000 एच.पी.टी.आई. सी को स्थापित करने की योजना है। महत्वपूर्ण डेटा जैसे फैक्स, ई–मेल, टेलीफोनी शिक्षा, टेलीमेडिसन और सबके बाद वॉयस टेलीफोन एच पी टी आई द्वारा प्रयोग में लाया जाए। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) जिसमें 6.07 लाख चुनिंदा गांव और 2000 की जनसंख्या से अधिक 46,000 गांव अतिरिक्त ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन द्वारा इसके दायरे में लाए जाएंगे। पहले से सेवा दे रहे मल्टी एक्सेस रेडियो रिले की जो लैंडलाइन सीडीएमए. तकनीक पर आधारित है हटाने का विचार है। लगभग 1 लाख 86 हजार टेलीफोन को हटाने का विचार है।

लागू करने की प्रक्रिया

(क) सार्वजनिक पहुंच

- लगभग 5.20 लाख वीपीटी अभी भी सेवा में हैं और लगभग 90 प्रतिशत गांव वी.पी.टी की पहुंच में हैं।
- 66,822 छूटे हुए गांव जिनमें 14,185 दूरस्थ गांव जो केवल सेटेलाइट (उपग्रह) की पहुंच के दायरे में हैं वीपीटी के प्रबंध के लिए बी.एस.एन.एल के साथ एक समझौता हुआ है। यह गांव 2007 तक कई चरणों में पहुंच में लाए जाएंगे। मार्च 2006 तक 24 हजार 687 गांव इसकी पहुंच में आ चुके थे।
- 1.86 लाख वीपीटी फोन जो एमएआर पर आधारित हैं को हटाकर टेलीफोन द्वारा हटाये जा चुके हैं।
- बीएसएनएल और रिलायंस इंफोकाम ने एक यू.एस.ओ. समझौता डाट के साथ किया है जिसके अंतर्गत 46 हजार 253 गांवों को जिनकी जनसंख्या 2 हजार से अधिक है आर.सी.पी. द्वारा अतिरिक्त सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। फरवरी 2006 के अंत तक 20,756 आरसीपी उपलब्ध करा दी गयी थी।

(ख) व्यक्तिगत पहुंच

- यू एस ओ निधि ने 91 लाख ग्रामीण घरों के टेलीफोन के विस्तार में 1.4.02 से पहले सहयोग कर कार्य किया है। जबकि ट्राई द्वारा निर्धारित मासिक किराया और न्यूनतम मासिक किराया में ट्राई और सेवा प्रदाताओं में भिन्नता थी। यह सहयोग 1.4.02 से 31.3.04 तक था। बीएसएनएल, रिलायंस इंफोकाम, टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र यू.एस.ओ फंड के अंतर्गत दौर के साथ एक समझौता किया। यह समझौता नए ग्रामीण आवासों में 1685 कुल मूल्य के सकारात्मक कम दूरी के देश के क्षेत्रों के लिए है। 28 फरवरी 06 तक 3.25 लाख ग्रामीण आवासीय टेलीफोनों को इस सुविधा के दायरे में लाया गया।
- यू.एस.ओ. फंड की ओर से 1.04.02 और 31.03.05 तक लगाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन के लिए बीएसएनएल और टाटा को सब्सिडी दी गयी।

(ग) ब्राडबैंड सुविधाएं

डाटा सुविधाओं के लिए जैसे पीटीआईसी और एचपीटीआईसी को जल्द से जल्द 2000 गांवों तक पहुंच में लाने के लिए एक नए पॉयलट प्रोजेक्ट पर विचार हो रहा है।

व्यापक सेवा कार्यक्रम ही गांवों में गति तेज करने के लिए एक नया रूप

अतः हम यह देख सकते हैं कि यू.एस.ओ. निधि द्वारा सार्वजनिक और निजी सहभागिता द्वारा एक भयंकर प्रयास हो रहा है। इसके जरिए गांवों को भरोसेमंद माध्यमों द्वारा जोड़ा जाएगा। हालांकि बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि इतना सब होने पर भी गांवों का टेलीफोन का घनत्व 2 प्रतिशत से भी कम है। 50 करोड़ टेलीफोन का लक्ष्य 2010 तक सरकार ने रखा है। वर्तमान समय में 15 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता हैं। 2010 तक भारत की जनसंख्या 122.23 करोड़ हो जाएगी जिसमें 36.38 करोड़ नगरीय आबादी और 85.85 करोड़ ग्रामीण आबादी होगी। 2010 तक नगरीय टेलीफोन घनत्व 80 और शहरों में टेलीफोनों की संख्या 29.10 करोड़ होने का अनुमान है। और 20.90 करोड़ टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों में हो चुके होंगे तथा राष्ट्रीय टेलीघनत्व 24.35 है। 2010 तक 2 में से 1 ग्रामीण आवास मे टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यूएसओ द्वारा स्वच्छ मानदण्ड अपनाए जाएंगें। कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं।

आधारभूत अवसंरचनाओं का सेलयुलर मोबाइल सेवाओं में सहयोग

भारत की मोबाइल सेवाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि हो चुकी है। 2005 में कॉल दरें 0.03 अमरीकी डालर से भी कम थीं जो विश्व में न्यूनतम थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल की बेहद मांग है लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से यह बहुत उपेक्षित है। वर्तमान समय में यू.एस.ओ. फंड बेहतर तकनीकी के टेलीफोन कनेक्शनों पर अपना सहयोग नहीं दे रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में द्रुत संयोजन के लिए तथा मोबाइल सेवा के दायरे में गांवों को लाने के लिए गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में सेल्युलर मोबाइल की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की व्यापक सेवा प्रदाताओं और आधारभूत सेवा प्रदाताओं को सहयोग देने की योजना है। व्यापक सेवा प्रदाता, आधारभूत सेवा प्रदाता, टेलीफोन सेवा प्रदाता संघ और उत्पादन करने वालों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श किया जाएगा।

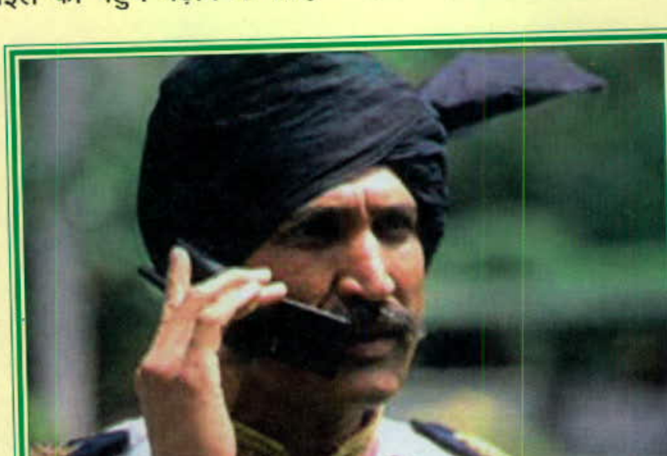

आधारभूत अवसंरचनाओं हेतु सब्सिडी

निष्क्रिय आधारभूत संरचनाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा तथा मोस्ट (मोबाइल आपरेटर शेयर्ड टावर्स) नामक प्रोजक्ट के अंतर्गत यह हो रहा है जो कि दिल्ली में है। यह संचार मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया तथा सेल्युलर मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए यू. एस.ओ फंड से इसको सहायता मिलेगी। जिससे दूरस्थ और अत्यंत दूर ग्रामीण क्षेत्र जो अब तक बेतार संचार सेवाओं से दूर थे, पहुंच में लाया जाएगा। 8 से 10 हजार टॉवरों का निर्माण किया जाएगा जिससे देश का 85 प्रतिशत भाग वॉयरलेस सिग्नल की पहुंच में आ जाएगा।

ब्राडबैंड प्रदत्त सेवा

सरकार का विचार है कि ब्राडबैंड सेवाएं जी.डी.पी. के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगीं। तथा टेली मेडिसिन, टेली–शिक्षा, ई–गवर्नेंस, रोजगार प्राप्त पीढ़ी और मनोरंजन जैसे साधनों में सुधार के साथ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी और सुधार होगा। अक्टूबर 2004 में घोषित ब्राडबैंड पॉलिसी का उद्देश्य 2010 तक 20 मिलियन जनसंख्या को ब्राडबैंड से जोड़ना है। दक्षिणी कोरिया जैसे राष्ट्र में यह प्रभावित भी हो चुका है कि ब्राडबैंड सेवाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद् फैलाव से आर्थिक विकास संभव है। अतः आर्थिक विकास का ब्राडबैंड से बहुत गहरा संबंध है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने इसे बड़े परिश्रम से अंजाम दिया अब तक 80 प्रतिशत आवास ब्राडबैंड से जुड़ चुके हैं अतः वर्ष प्रति वर्ष जी. डी.पी. में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा राष्ट्र है जहां विश्व में सर्वाधिक नेट उपभोक्ता हैं। चीन ने पिछले वर्ष इस क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। चीन के दो–तिहाई नेट उपभोक्ता ब्राडबैंड प्रयोग करते हैं। भारत में ब्राडबैंड की पहुंच 3 प्रतिशत से भी कम है। ब्राडबैंड युक्त टेलीसेंटर के माध्यम से ई–गवर्नमेंट, ई–मार्केट, ई–बैकिंग, दूरस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन इत्यादि उपलब्ध कराया जाएगा। इन सबको ओएफसी द्वारा अथवा संभव हो सका तो वाई मैक्स/उपग्रह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देना बहुत महत्वपूर्ण है। पीटीआईसी और एचपीटीआईसी द्वारा के लिए यूएसएफ निविदा तत्काल मिलनी चाहिए और प्रवाह में आनी चाहिए। सरकार के सहयोग से पी.टी.आई.सी./एच.पी.टी.आई.सी. को सुदृढ़ और सफल एस.टी.डी. पी.सी.ओ. द्वारा लागू किया जाना चाहिए। यह टेलीफोन केन्द्र वाणिज्यिक स्थल होगें जहां हर प्रकार की सुविधाएं जैसे नेट, ए.टी.एम., फैक्स और टेलीफोन आदि मिल सकेंगी। इंटरनेट केवल ई गवर्नमेंट सेवा का मार्ग ही न होगा बल्कि ई–मार्केट, ई–बैकिंग, ई–शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष और मौसम संबंधी, स्वास्थ्य, मनोरंजन और कम्प्यूटर ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा। निजी प्रयत्नों को यू. एस.ओ फंड द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसकी देखरेख

और इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होनी चाहिए और बिना वाणिज्यिक लाइनों के होनी चाहिए। ग्राम टेलीफोन केंद्र लगाने हेतु ग्रामीण आत्म उद्योगों का भी समर्थन करना चाहिए। लैंगिग और सामाजिक क्षेत्र के पिछड़े गांवों के लिए यह आत्मउद्योग एक अच्छा मॉडल साबित होगा। ग्रामीण कॉपरेटिव तथा स्वायत्त सेवी संस्थाएं यूएसओ फंड के लिए एक अच्छा विकल्प है। एक बार टेलीसेंटर उभर का सामने आ गए तो सेवा प्रदाता ग्रामीण आवश्यकताओं की वाणिज्यिक और मनोरंजन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करेगें।

आत्मउद्योग के द्वारा जो पीटीआईसी/टेलीफोन केंद्र स्थापित हो रहे हैं यह कई मायनों में फायदेमंद होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की दृष्टि से भी यह लाभदायक होंगे। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के टेलीफोन केंद्रों के लिए ब्राडबैंड सेवाएं आधारभूत संस्थाओं के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल–रेल से एक बेहतर विकल्प पाती है। यह संस्थाएं ग्रामीण अवसंरचनाओं को यथाशीघ्र लागू कराने के लिए भी प्रयासरत हैं। सेवा प्रदाता सीधे यूएसओ फंड द्वारा पोषित हो सकते हैं। और यह ग्रामीण एन.जी.ओ और टेलीफोन केंद्रों को कम मूल्य पर सेवाएं दे सकेंगी।

छोटे (सर्वसुलभ) सेवा प्रदाता

छोटे प्रदाताओं की अवधारणा ट्राई की एक समान अनुप्राप्ति नीति की देन है। यह केवल एसडीसीए गांवों के लिए है जहां का टेलीघनत्व 1 प्रतिशत से कम है। यह छोटे स्थानीय ग्रामीण सेवा प्रदाता होंगे। इनका विषय कम प्रवेश शुल्क से संबंधित है। यह अपने एजीआर का 6 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क के रूप में देंगे। और इन्हें यूएसओ का सहयोग भी मिल सकता है। इनके लिए शून्य स्पेक्ट्रम शुल्क के बारे में भी विचार चल रहा है। अर्थात स्पेक्ट्रम शुल्क से पूरी तरह से छूट इन्हें दी जाएगी। इन प्रदाताओं को विभिन्न प्रकार के संचार साधनों जैसे टी.वी., इंटरनेट और ए.टी.एम. इत्यादि सेवाओं की छूट भी मिलनी चाहिए। यह उनके व्यवसाय को और सुदृढ़ करेगा जो सीधे बात–चीत पर आधारित टेलीफोन सेवा से भी बेहतर विकल्प होगा।

विद्यालयों, पुस्तकालयों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए यू. एस.ओ का सहयोग। यू.एस.ओ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

जिन स्कूलों/पुस्तकालयों/स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीफोन सेवाएं पहले से उपलब्ध हैं उन्हें तथा सेवा प्रदाताओं को सीधे अनुदान दिया जाता है। अलाभकारी आर्थिक क्षेत्रों में अनुदान मुख्य रूप से दिया जाता है। वैसे यह फंड एनजीओ तथा ग्रामीण कॉपरेटिव को विशेष रूप से मिलना चाहिए। सेवा मूल्य और अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर अच्छी सेवाओं को देने के लिए बोली लगाने की प्रथा विकसित करनी चाहिए। उन सेवा प्रदाताओं की सीधे सब्सिडी के रूप में सहायता दी जा सकती है जो स्कूलों/पुस्तकालयों को क्रय मूल्य पर सेवाएं उपलब्ध करायें। भारत के गांवों के लिए इसका मतलब सरकारी विद्यालयों/ पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करना है। यह मुख्य समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य टेलीफोन आपरेटरों को सब्सिडी देना और पर्याप्त सेवा का अधिकार देना है। अतः इनको सेवा देने के लिए प्रोत्साहित करना होगा तथ वह भी कम मूल्य और उचित दर पर।

निष्कर्ष

सभी गांवों में संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम का मुख्य घटक है। यू.एस.ओ. फंड से पोषित वी.पी.टी. और आरसीपी द्वारा जनता को व्यापक पहुंच के दायरे में लाया जाएगा। सरकार बीएसएनएल और निजी क्षेत्र दोनों को व्यक्तिगत ग्रामीण आवासीय टेलीफोन हेतु सहायता देगी। यह ग्रामीण टेलीफोन को अत्यावश्यक सहारा देना। यह सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में उनकी रूचि और बढ़ाएगा। यू.एस. ओ. समझौता लागू होने के पश्चात सरकार ने और निजी सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण दूरसंचार बाजार के तीव्रतर विकास में महती भूमिका निभानी है।

अतः धीरे–धीरे हम अपने लक्ष्य यानि 2010 तक गांवों में 10 प्रतिशत टेलीघनत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और यह प्रसार ग्रामीण दूरसंचार संबद्धता ग्रामीण आर्थिक विकास को तीव्र करेगी। गांवों संचार और ज्ञान की पहुंच बढ़ाने के लिए ब्राडबैंड सेवाओं के महत्व और विस्तार पर विचार करना होगा।

यह सत्य है कि टेलीघनत्व और आर्थिक विकास एक दूसरे से गुथे–बिंधे हैं। हम शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व की एक विस्फोटक अवस्था प्राप्त कर सके हैं लेकिन भारत की वह 40 प्रतिशत आबादी जो अभी गांवों में रहती है वहां टेलीघनत्व 2 प्रतिशत में भी कम रहेगा तो आईसीटी का महत्व खास नहीं रह जाएगा। 8.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि पर प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की दूर संचार व्यवस्थाओं में भारी निवेश इनकी उपयोगिता के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर, यू.एस.ओ फंड का सकारात्मक प्रयोग इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महान मार्ग साबित हो सकता है। ❐

(लेखिका हरियाणा टेलीकॉम सर्किल, अम्बाला में संयुक्त कंट्रोलर हैं)

अनुवाद – अभिषेक रंजन सिंह

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

ईआर जे.डी. राजपाल

विद्युत एक बुनियादी मानव आवश्यकता बन चुकी है और अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रत्येक घर में बिजली होनी चाहिए। विद्युत के प्रयोग तथा स्वास्थ्य और शिक्षा के मानव विकास मानदंडों में सुधार के बीच एक सकारात्मक सह–संबंध विद्यमान है। ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण न केवल बेहतर जीवनयापन स्थितियां प्रदान करेगा बल्कि ग्रामीण लोगों के बीच व्याप्त बेरोजगारी के उन्मूलन में भी दूर तक सहायक होगा। ग्रामीण भारत में विद्युत की विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ऐसे व्यापक आधार वाले आर्थिक और मानवीय विकास के लिए आवश्यक है जो सिंचाई के माध्यम से बढ़ते कृषि उत्पादन से भी बहुत आगे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निम्नलिखित के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है–

- कोल्ड चेनों की स्थापना द्वारा द्वितीय हरित क्रांति के लिए।
- लघु उद्योगों तथा ग्राम उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए।
- आधुनिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के प्रावधान के लिए।
- शिक्षा तथा अन्य उत्पादक कार्यकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए।

ग्राम विद्युतीकरण की संशोधित परिभाषा

अक्तूबर, 1997 में स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार–

"किसी गांव को तभी विद्युतीकृत माना जाएगा जब किसी भी प्रकार के प्रयोजन के लिए गांव की राजस्व सीमा के भीतर विद्युत का प्रयोग आबादी वाले स्थान में हो।" चूंकि उपर्युक्त परिभाषा सीमित थी और ग्रामीण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती थी और निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी यह मांग की थी कि ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा का आधार और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए और इसमें घरों के विद्युतीकरण तथा स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, अतः ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की कि किसी गांव में कम से कम 10 प्रतिशत घरों को विद्युतीकरण घोषित किया जाना चाहिए।

तदनुसार फरवरी 2004 में ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा अधिसूचित की गई है जो वर्ष 2004–05 से प्रभाव में आई है।

किसी गांव को विद्युतीकृत तभी घोषित किया जाएगा, यदि–

- डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों जैसी मूलभूत अवसंरचना आबादी वाले स्थान और दलित बस्ती/उपग्राम में उपलब्ध कराई गई हो। (गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होगी)।
- स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों को बिजली उपलब्ध कराई गई हो, और
- जिन घरों का विद्युतीकरण किया गया है उनकी संख्या गांव के कुल घरों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत हो।
- पंचायत को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

वर्ष 2009 तक सभी घरों को बिजली मुहैया कराने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में एक नई योजना आरंभ की जिसका नाम था "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा गृह विद्युतीकरण योजना।" योजना की मुख्य विशेषताएं–

योजना

- योजना का उद्देश्य लगभग एक लाख गांवों का विद्युतीकरण करने (एमएनईएस द्वारा विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों को छोड़ कर) और 2009 तक 2.34 करोड़ बीपीएल घरों सहित 7.8 करोड़ ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाने का है।
- कार्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 16000 करोड़ रुपये का परिव्यय आकलित किया है, जिसमें से 5000 करोड़ रुपये कार्यक्रम के चरण–I के कार्यान्वयन के लिए 10वीं योजनावधि के दौरान पूंजीगत सब्सिडी के रूप में अनुमोदित किए गए हैं
- योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत के लिए 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्यों को विद्युत आपूर्ति के पर्याप्त प्रबंध कर लेने चाहिए और

ग्रामीण तथा शहरी घरों के बीच विद्युत आपूर्ति के घंटों को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

- योजना के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी के लिए संबंध में योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुमोदित करने से पूर्व राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता अथवा वचनबद्धता भी प्राप्त की जाएगी–
- योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियाजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति, और
- विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथावश्यक राज्य उपयोगिताओं को आवश्यक राजस्व सब्सिडियों का प्रावधान यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से लागू की जाएगी।

कार्यक्षेत्र

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को निम्नलिखित के प्रावधान के लिए पूंजीगत सब्सिडी सहित वित्तपोषित किया जा सकता है–

- ग्रामीण विद्युत वितरण का मुख्य आधार (आरईडीबी)
- 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब–स्टेशनों का प्रावधान जो पर्याप्त क्षमता के हों और जहां ब्लॉकों में लाइनें न मौजूद हों वहां इनका प्रावधान करना।
- ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) का सृजन
- अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण
- अविद्युतीकृत निवास स्थानों का विद्युतीकरण
- विद्युतीकरण गांवों में/निवास स्थान (स्थानों) में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था
- ऐसे गांवों के लिए पारंपरिक स्रोतों से विकेंद्रीकृत उत्पादन और वितरण जहां ग्रिड संयोजकता या तो व्यावहारिक नहीं है या फिर किफायती नहीं है।

एमएनईएस के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए समाहित किए गए 25000 दूरस्थ गांव सम्मिलित नहीं है।

आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी कृषि तथा अन्य कार्यकलापों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- सिंचाई पम्प
- लघु तथा मझोले उद्योग
- खादी और ग्राम उद्योग
- कोल्ड चेन
- स्वास्थ्य देखरेख
- शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी।

इससे समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन सुगम बनेगा।

- गरीबी रेखा से नीचे के घरों का ग्रामीण गृह विद्युतीकरण
- गरीबी रेखा से नीचे के अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण सभी ग्रामीण निवास स्थानों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से ऊपर के घर अपने कनेक्शनों के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभारों पर भुगतान करेंगे और इस प्रयोजनार्थ कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।

इस योजना के अंतर्गत पूरा देश समाहित है।

फ्रेंचाइजीज

- फ्रेंचाइजियों के माध्यम से ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में गैर–सरकारी संगठन, प्रयोक्तासंघ, सहकारियां अथवा व्यक्ति–उद्यमी फ्रेंचाइजी हो सकते हैं।
- पंचायत संस्थाएं एक जुट की जाएंगी।
- फ्रेंचाइजियों की व्यवस्था आगे की प्रणाली के लिए हो सकती है और इसमें सब स्टेशन के फीडर या वितरण ट्रांसफार्मर के फीडर तथा स्वयं ये वितरण ट्रांसफार्मर ही सम्मिलित हो सकता है/हो सकते हैं।

मई 2006 में आरंभ किए गए नेशनल प्रोग्राम आफ फ्रेंचाइजी के दौरान माननीय विद्युत मंत्री द्वारा फ्रेंचाइजी के संबंध में आरईसी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे, जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

योजना में फ्रेंचाइजी प्रणाली की नियुक्ति की अनिवार्य बना दिया गया है ताकि ग्रामीण वितरण प्रणाली में राजस्व संपोषणीयता लाई जा सके।

- ग्रामीण वितरण का प्रबंधन फ्रेंचाइजियों के माध्यम से किया जाएगा और ये फ्रेंचाइजी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), प्रयोक्ता एसोसिएशनें, सहकारियां, व्यक्ति–उद्यम, ग्राम पंचायतें हो सकती है।
- पंचायती राज संस्थाओं को सलाहकार की हैसियत से, फ्रेंचाइजियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अपने अभिचिह्नित दायित्वों के अनुसार पर्यवेक्षण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- फ्रेंचाइजियों का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विचार करने का प्रावधान
- फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था लचीली है और इसमें सबस्टेशन के फीडरों के फ्रेंचाइजियों को तथा वितरण ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों) के फ्रेंचाइजियों को और स्वयं वितरण ट्रांसफार्मरों को समायोजित किया जा सकता है।
- फ्रेंचाइजी मॉडल व्यवस्था में बल्क पावर की खरीद (इनपुट आधारित) का और नेमी प्रचालन तथा वितरण अवसंरचना के अनुरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
- घाटे में कमी तथा प्रणाली में चोटी को कम करने के लिए इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी उत्तरदायी होगा।

◈ आरईसी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फ्रेंचाइजी मॉडलों की रूपरेखा अनुबंध–I में दी गई है।

राजस्व संपोषणीयता

फ्रेंचाइजी के लिए उपभोक्ता मिश्रण तथा प्रचालित उपभोक्ता प्रशुल्क और संभावित लोड पर आधारित बल्क सप्लाई टैरिफ (बीएसटी) फ्रेंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के उपरांत ही निर्धारित की जाएगी।

यह बल्क सप्लाई टैरिफ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को उनकी राजस्व आवश्यकताओं तथा टैरिफ निर्धारण के लिए राज्य यूटिलिटियों की प्रस्तुति के रूप में पूर्णतया कारित किया जाएगा।

विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि यदि वह यह चाहती है कि किसी उपभोक्ता श्रेणी के लिए टैरिफ एसईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ से कम हो तो राज्य सरकार राज्य यूटिलिटियों को आवश्यक राजस्व सब्सिडी उपलब्ध कराए।

योजना को लागू करते समय राज्य सरकार से निम्नलिखित के संबंध में पूर्व–वचनबद्धताएं प्राप्त की जानी चाहिए–

◈ फ्रेंचाइजियों के लिए बल्क सप्लाई टैरिफ का निर्धारण इस प्रकार से करना जिससे कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो।

◈ विद्युत अधिनियम के अंतर्गत जैसा कि आवश्यक है, राज्य यूटिलिटियों के संबंध में आवश्यक राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी करना

◈ योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को पूंजीगत आर्थिक सहायता आरईसी के माध्यम से दी जाएगी और शर्तों के पूरा होने पर परियोजनाएं लागू की जाएं।

◈ यदि उक्तवर्णित शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जाता है तो पूंजीगत आर्थिक सहायता को ब्याजयुक्त ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

सीपीएसयू की सेवाएं

◈ कार्यक्रम की कार्यान्वयन क्षमताओं के संवर्धन के उद्देश्य से आरईसी ने एनटीपीसी पावरग्रिड एनएचपीसी और डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सीपीएसयूएस सेवाओं का प्रयोग करने के इच्छुक राज्यों को सीपीएसयूएस की परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता और क्षमताएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बारह राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा एक संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के कार्यान्वयन को व्यर्थ सौंपा गया है। यह कार्य देश भर में 132 जिलों में चार सीपीएसयूएस नामतः एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी के अंतर्गत फैला हुआ है।

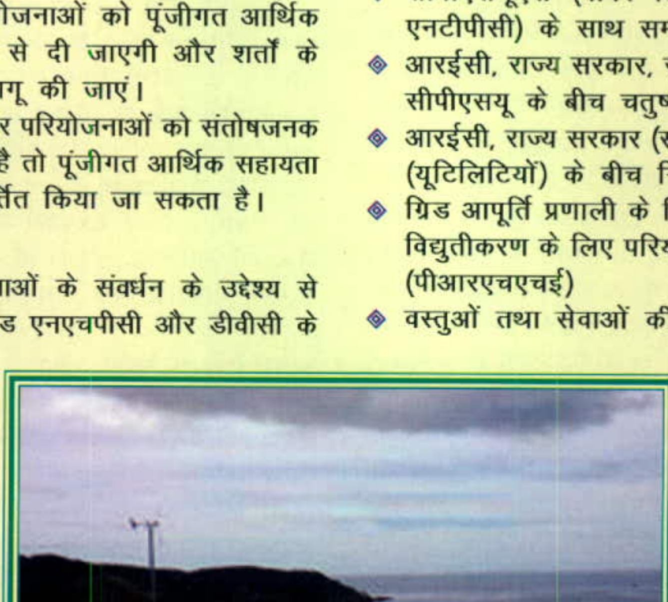

प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, एमआईएस आदि योजना के अंतर्गत कुल सब्सिडी का 1 प्रतिशत तक कार्यक्रम के संबंधित कार्यों/प्रयासों के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा।

मौजूदा योजनाओं का विलयन

यह योजना मौजूदा एक लाख गांवों तथा एक करोड़ परिवारों के त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को विलयित करती है।

मूल्यांकन

योजना मूल्यांकन के अध्यधीन होगी और 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परिवर्तन पर 10वीं योजना के अंत में व्यापक पुनरीक्षा के उपरांत मत लिया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति की स्थिति (25 अगस्त, 2006 को)

◈ एक नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी ने एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया है जिसमें, बंगलौर (10.5.05), कोलकाता (20.05.05) तथा दिल्ली (24.05.05) में आयोजित तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं में सभी संबंधित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों और सीपीएसयूएस के साथ विचार–विमर्श के उपरांत, निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं–

◈ सीपीएसयूएस (पावर ग्रिड , एनएचपीसी, डीवीसी और एनटीपीसी) के साथ समझौता ज्ञापन।

◈ आरईसी, राज्य सरकार, राज्य विद्युत यूटिलिटी तथा संबंधित सीपीएसयू के बीच चतुष्पक्षीय समझौता (समझौते)

◈ आरईसी, राज्य सरकार (सरकारों) तथा राज्य विद्युत यूटिलिटी (यूटिलिटियों) के बीच त्रिपक्षीय समझौता (समझौते)

◈ ग्रिड आपूर्ति प्रणाली के लिए गांवों तथा ग्रामीण परिवारों के विद्युतीकरण के लिए परियोजना निर्माण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (पीआरएचएचई)

◈ वस्तुओं तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

◈ आरईसी विनिर्देशनों तथा मानकों में संशोधन।

◈ राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। अधिकांश राज्य सिद्धांत रूप में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की सशर्तताओं पर सहमत हो गए हैं और गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

◈ आरईसी, राज्य सरकारों, एसईबीएस/विद्युत यूटिलिटियों

तथा सीपीएसयूएस के बीच राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित चतुष्पक्षीय/त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौतों पर (जहां कहीं लागू होता हो) गोवा के अलावा सभी राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। गोवा ने कार्यक्रम में भाग न लेने का निर्णय किया है।

- 12 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में 30385 गांवों में फ्रेंचाइजी प्रणाली लागू की गई है।
- कार्यक्रम के प्रभावी अनुवीक्षण तथा संगामी मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन अनुवीक्षण प्रणाली एनआईसी द्वारा तैयार की जा रही है और इसके चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने की आशा है।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित मानचित्रण के ढांचे को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम को लागू करने वाले राज्यों के परामर्श से कार्य में लाया जाना है, जो जनन, पारेषण और वितरण आदि के लिए स्थूल और सूक्ष्म, दोनों स्तरों पर राज्य में मौजूदा विद्युत अवसंरचना, संबंधित तकनीकी आंकड़ों/सूचना को समाहित करने वाले आवश्यक इनपुट प्रदान करेगा। जीआईएस आधारित मानचित्रण के ढांचे के चालू वर्ष के दौरान पूर्ण होने की आशा है।
- परियोजना निर्माण की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए आरईसी ने परियोजना निर्माण के लिए राज्यवार कार्यशालाएं आयोजित की हैं। ऐसी कार्यशालाएं सभी राज्यों में आयोजित की गई थीं। आरईसी को 531 डीपीआरएस प्राप्त हुई हैं जिनका परिव्यय 2141592.89 लाख रुपये है जिसमें देश के 81544 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 22902 अविद्युतीकृत गांवों के पुनः विद्युतीकरण को समाहित किया गया है। इसमें 432,557.78 लाख रुपये के परिव्यय सहित 11 डीपीआरएस सम्मिलित हैं जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 114 जिलों में 43164 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 10995 विविद्युतीकृत गांवों का पुनः विद्युतीकरण शामिल है। यह परिव्यय भारत सरकार की "एक लाख गांवों तथा एक करोड़ परिवारों का त्वरित विद्युतीकरण" योजना के अंतर्गत 2004–05 के दौरान प्राप्त हुआ, यह योजना अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विलयित हो चुकी है।
- विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर आरईसी ने 192 परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें 628,523.609 लाख रुपये का परिव्यय शामिल है और 22 राज्यों के 196 जिलों में 4740390 बीपीएल परिवारों सहित 7278758 परिवारों का विद्युतीकरण शामिल है। इन परियोजनाओं में 51284 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 74615 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण शामिल है। विद्युत मंत्रालय में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी अनुवीक्षण समिति ने दिनांक 9.5.06 को आयोजित अपनी बैठक में 21 राज्यों के 98 जिलों में 3767819 बीपीएल परिवारों सहित 6298722 परिवारों के विद्युतीकरण को समाहित करने वाले 99 डीपीआरएस को सिद्धांततः अनुमोदन भी प्रदान किया है। इन परियोजनाओं में 16959 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 58714 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण समाहित है।
- कार्यान्वयक एजेंसियों ने इस योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2005–06 के दौरान 10,000 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 10169 गांवों की वायरिंग की सूचना दी है। चालू वर्ष के दौरान 40000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसकी तुलना में 6145 गांवों में बिजली के तार बिछाने की तुलना मिली है।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 2097.11 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

निष्कर्ष

एमओपी तथा आरईसी, दोनों द्वारा नियमित/निरंतर पुनरीक्षा तथा अनुवर्तन से देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन को प्रत्याशित गति मिली है। चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान लगभग सभी राज्यों में कार्यान्वयन आरंभ होना प्रत्याशित है। सीपीएसयू द्वारा और राज्य कार्यान्वयक एजेंसियों द्वारा दर्शाए गए संकल्प, नियोजित कार्यों और क्षमताओं को संबंधित राज्य सरकारों ने पूरा समर्थन दिया है और इस सब की परिणति 2009 के लक्षित शेड्यूल से पर्याप्त पूर्व ग्रामीण परिवारों को मांग पर कनेक्शन जारी करने के लिए अवसंरचना प्रदान करने के अलावा लगभग एक लाख अविद्युतीकरण गांवों तथा 2.34 करोड़ बीपीएल परिवारों के विद्युतीकरण के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में होने की आशा है। सीमित समय के भीतर कार्यक्रम की सफलता से न केवल ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई भरेगी, बल्कि 8 प्रतिशत वार्षिक की आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति भी साकार रूप ले सकेगी।

अनुबंध–I

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत फ्रेंचाइजी मॉडल

मॉडल–क राजस्व फ्रेंचाइजी–संग्रहण आधारित

इस प्रकार की फ्रेंचाइजी बिलिंग, राजस्व संग्रहण शिकायत निवारण, नए सेवा कनेक्शन जारी करने को सुगम बनाने तथा

उपयोगिता के संबंध में उपयुक्त फीडबैक प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइज्ड क्षेत्र में वितरण नेटवर्क की स्थिति पर निगरानी रखने तक सीमित अभिप्रेत भूमिका द्वारा विकसित की जा सकती है।

ऐसे संग्रहण–फ्रेंचाइजी की नियुक्ति एक क्षेत्र के लिए की जाएगी और इसे प्रति माह के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य दिया जाएगा (जो क्षेत्र में बेसलाइन संग्रहण पर निर्भर करता है)। पारिश्रमिक पद्धति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं–

- लक्ष्य की प्राप्ति पर फ्रेंचाइजी मार्जिनों का भुगतान करना (जो संग्रहणों का कुछ प्रतिशत होगा)।
- लक्ष्य प्राप्त न कर पाने पर दंड की वसूली; और
- लक्ष्य से अधिक प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन।

इस प्रणाली की कमी यह है कि घाटा कम करने में फ्रेंचाइजी भागीदार नहीं है–क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति संगृहीत राजस्व से जुड़ी है – न कि क्षेत्र से मिलने वाले ऊर्जा इनपुट से। अतः इस मॉडल को अपनाने को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

मॉडल–ख : राजस्व फ्रेंचाइजी – इनपुट आधारित

इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी के मामले में फ्रेंचाइजी द्वारा क्षेत्र में कवर की गई इनपुट ऊर्जा उपयोगिता द्वारा मापी जाती है और राजस्व संग्रहण का लक्ष्य उपयोगिता द्वारा मीटरिंग बिंदु से आगे उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई इनपुट ऊर्जा के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में किए गए संग्रहणों के आधार पर नियत किया जाता है।

इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी का प्रचालन और पारिश्रमिक पद्धति संग्रहण फ्रेंचाइजी की भांति ही है। मूलभूत अंतर यूटिलिटी द्वारा लक्ष्य निर्धारण तंत्र में है।

इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जा सकता है–

फ्रेंचाइजी को सप्लाई की गई ऊर्जा के मापन के एक बिंदु/अवस्थिति के रूप में 11 के वी फीडर (फीडरों) के माध्यम से यूटिलिटी द्वारा सप्लाई की गई ऊर्जा के आधार पर और इसके लिए प्रत्येक 11 के वी फीडर में एक मीटरिंग इकाई की आवश्यकता होगी।

उपर्युक्त प्रणाली गांवों में वितरण ट्रांसफार्मरवार अवस्थित हो सकती है जिसमें फ्रेंचाइजी प्रचालन का क्षेत्र बहुत कम हो।

इस प्रणाली का संग्रहण फ्रेंचाइजियों की तुलना अतिरिक्त लाभ यह है कि फ्रेंचाइजी भी घाटा कम करने में भागीदार बन जाता है और प्रणाली में चोरी को कम करने का प्रयास करता है।

मॉडल–ग : इनपुट आधारित फ्रेंचाइजी

यह मॉडल राजस्व आधारित मॉडल के समान है – इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि फ्रेंचाइजी यूटिलिटी से बिजली भी खरीदेगा और एक पूर्व – निर्धारित दर पर यूटिलिटी को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करेगा। सप्लाई की गई/खरीदी गई ऊर्जा 11 के वी मीटरिंग इकाई में दर्शाए गए अनुसार होगी। फ्रेंचाइजियों को बिलों के माध्यम से उपभोक्ताओं से राजस्व एकत्रित करना होगा ताकि वाणिज्यिक प्रचालन संतुलित व सुस्थिर रूप से हो सके।

मॉडल–घ : प्रचालन और अनुरक्षण फ्रेंचाइजी

इस मॉडल में, उपर्युक्त मॉडल ग में वर्णित फ्रेंचाइजी प्रचालन के अतिरिक्त यूटिलिटी 11 के वी तथा एलटी फीडरों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य, वितरण ट्रांसफार्मरों सहित फ्रेंचाइजी को सौंप सकती है, जो मासिक प्रतिधारक आधार पर आधारित होगा या फ्रेंचाइजी की ओ एंड एम लागत पर विचार करते हुए उपयुक्त रूप से कारित समायोजित ऊर्जा खरीद मूल्य (यूटिलिटी का) पर आधारित होगा।

मॉडल–ड़ : ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां

इस अभिगम में राज्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह पारंपरिक विद्युत सहकारी समिति के सृजन को प्राधिकृत करे जिसका संगठन, स्वामित्व और प्रचालन इसके सदस्यों के हाथ में हो। वितरण यूटिलिटी आस्तियों का स्वामित्व समिति के पास होता है और वह प्रचालनों और अनुरक्षण, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण, लेखा और वित्त, प्रापण, भंडार तथा प्रणाली नियोजन और विस्तार सहित सभी यूटिलिटी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है।

सहकारी समिति के प्रचालनों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं–

- समुदाय को संगठित करना और सदस्य भर्ती करना।
- वितरण प्रणाली का स्वामित्व अपने हाथ में लेना और अस्तियों पर यदि कोई ऋण हो तो उसे चुकाना।
- यूटिलिटी के प्रबंधन और प्रचालन के सभी पहलुओं का उत्तरदायित्व लेना।
- राज्य विद्युत यूटिलिटी से बिजली खरीदना।

समिति का गठन संगम ज्ञापन (एमओए) के माध्यम से किया जाता है और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होती है–

- समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक परिवार सहकारी समिति का सदस्य है।
- प्रबंधन के शीर्ष पर निदेशक मंडल होता है जो सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है (एक सदस्य एक वोट)
- सहकारी समिति के निवल लाभ को सदस्यों के बीच बांटना होता है।
- सहकारियां 'लाइसेंसी' हैं।

मॉडल–च : विद्युत सहकारी समिति–ठेकेदारी के माध्यम से

प्रचालन प्रबंधन

यह उपर्युक्त मॉडल–ड़ का एक भिन्न रूप है जिसमें समिति के गठन की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किया गया है। समिति का बीओडी राज्य/यूटिलिटी की सहमति से स्वयं प्रणाली का प्रणाली का प्रचालन करने के स्थान पर उपयुक्त शुल्क संरचना वाली किसी बाह्य अनुभवी एजेंसी/संगठन के माध्यम से समिति के प्रचालनों को संचालित करने का निर्णय कर सकता है। इसे अंतः निर्मित कार्यनिष्पादन मानदंड के साथ एक उपयुक्त प्रचालन ठेके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

कुशल प्रचालन ठेकेदारों (या प्रबंधक एजेंसी/संगठन) की नियुक्ति विद्युत सहकारी समिति के समुचित दैनिक प्रचालनों में अत्यधिक सहायक हो सकती है। ❐

(लेखक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रमुख हैं)
अनुवाद – राजीव मेहरोत्रा

सौर ऊर्जा – प्रकृति का वरदान

राकेश शर्मा

भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रतिदिन औसत सौर विकिरण प्रति घंटा 4–किलोवाट वर्ग मीटर है। यहां पर प्रत्येक वर्ष औसतन 250–300 दिन धूप खिली रहती है। सबसे ज्यादा वार्षिक विकिरण ऊर्जा मिलती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई गुण मौजूदा होते हैं, जो इसे एक आकर्षक तथा टिकाऊ विकल्प बनाते हैं। ये गुण हैं– वैश्विक विस्तार, प्रदूषण मुक्त प्रकृति तथा अनंत आपूर्ति आदि।

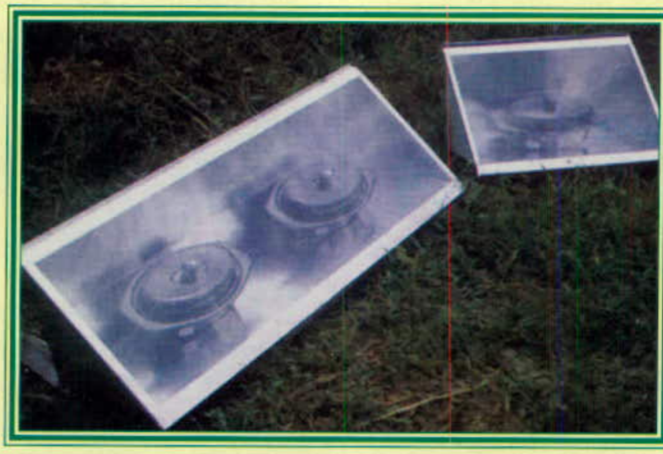

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा के स्रोत सूर्य को विशेष महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज्यों–ज्यों सूर्य के अंदर प्रवेश किया जाएगा इसके तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। सूर्य के केंद्र का तापमान 1,50,00,000 से 2,00,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य ही एक अकेला ऐसा स्रोत है, जो उष्मा और प्रकाश दोनों रूप में हमारी मदद करता है। सूर्य हमें अगले 50000 लाख सालों तक ऊर्जा देता रहेगा। इसके बाद यह सिकुड़ने लगेगा और इसका अपना ही गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि यह अपनी ही ऊर्जा और प्रकार को स्वयं निगलने लगेगा। तब एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह लाल गोला, तारे में परिवर्तित हो जाएगा तथा फिर श्याम वामन तारा बनकर अंतरिक्ष में कहीं लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का द्रव्य लगातार घट रहा है।

वर्ष 1981 में पहली बार देश मे कमीशन फॉर एडीशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी (सीएएसई) स्थापित किया गया, जो अगले ही वर्ष अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग अर्थात डीएनईएस में बदल गया और यह विभाग वर्ष 1992 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में परिवर्तित हो गया।

वाशिंगटन स्थिति वर्ल्डवॉच इंस्टिटयूट के अनुसार दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ता जा रहा है। इस समय इस क्षेत्र में 30 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जा चुका है, जो बिजली उद्योग में कुल निवेश का 20–25 प्रतिशत है। अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का दोहन और इसमें निवेश सबसे ज्यादा है। दुनिया के 48 देशों में ऐसी नीतियां बनाई गई हैं, जिनसे अक्षय ऊर्जा के प्रसार को प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे देशों में भारत सहित 14 विकासशील देश भी शामिल हैं।

सौर ऊर्जा दो विधियों के द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। तापीय विधि में उष्मा का इस्तेमाल पानी गर्म करने, खाना पकाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय विधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे– प्रकाश व्यवस्था, पंपिंग, संचार तथा गैर–विद्युतीकृत क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति आदि।

सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोग

देश में कुछ समय से सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां सामान्य विद्युत आपूर्ति संभव नहीं है वहां सौर ऊर्जा से विद्युत प्रकाश उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उन क्षेत्रों में टेलीविजन आदि भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम के सुझाव के अनुसार राष्ट्रपति भवन में बिजली तथा ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 8 मेगावाट का सौर ऊर्जा विद्युत स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जो संपूर्ण राष्ट्रपति भवन परिसर की बिजली की जरूरतें पूरी करेगा। इस वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था से राष्ट्रपति भवन में खर्च होने वाली बिजली में 25 से 30 प्रतिशत की बचत होगी और इस विद्युत स्टेशन पर आने वाली लागत अगले कुछ वर्षों में ही होने वाली बचत से वसूल हो जाएगी।

सौर तापक

विश्व में सौर ऊर्जा का सामान्यतया इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा उपलब्ध सौर जल तापक 100 लिटर प्रतिदिन की क्षमता का है जो 4–5 सदस्यों वाले परिवार के लिए पर्याप्त है। इस पर 15,00 रुपए से 18,000 रुपए के बीच लागत आती है। इस सौर जल तापन प्रणाली से 1500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष बचाई जा सकती है यह सौर जल तापक 15 से 20 वर्ष तक काम कर सकता है।

सौर कुकिंग

भारत में सौर ऊर्जा के उपयोगों में कुकिंग (खाना पकाना) सबसे आम है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग–अलग प्रकार के सौर कुकर उपलब्ध हैं। इससे ईंधन पर बार–बार खर्च नहीं करना पड़ता। अगर इसको उपयोग नियमित रूप से किया जाए तो एक बॉक्स सोलर कुकर से 3 से 4 रसोई गैस सिलेंडरों की प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है। इससे पर्यावरण

में किसी भी प्रकार कर प्रदूषण नहीं फैलता है और पारंपरिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। सौर कुकिंग एक धीमी प्रक्रिया है और इसलिए इसमें पका हुआ खाना ज्यादा बेहतर तथा पौष्टिक होता है। परन्तु इसकी एक सीमा भी है, सौर कुकर साफ धूप वाले दिन ही अच्छी तरह कार्य करता है।

सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 जवानों के लिए खाना तैयार करने के लिए सेना ने जम्मू–कश्मीर में लद्दाख के लेह क्षेत्र के अपने कैंप में अप्रैल, 2005 में एक सौर स्टीम कुकिंग प्रणाली की स्थापना करके ईधन की बचत के साथ–साथ पर्यावरण की रक्षा भी की है। इस प्रणाली की एक खासियत यह है कि यह शून्य से कम तापमान और बर्फबारी की स्थिति में भी काम करती रहती है क्योंकि यह प्रणाली सौर विकिरण पर आधारित है और सर्दी के मौसम के दौरान सौर विकिरण बेहतर होता है।

सौर शुष्कन प्रणाली

कई कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादों के प्रसंस्करण या परिरक्षण के लिए नमी की मात्रा में कमी लाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुखाने (शुष्कन) की प्रणाली की जरूरत पड़ती है। सौर ऊर्जा संग्राहियां द्वारा गर्म की जाने वाली हवा का उपयोग करते हैं तथा इन्हें गर्म हवा की आवश्यकताओं के अनुसार मॉडयूल्स में स्थापित किया जा सकता है, जबकि वर्तमान शुष्कन में पारंपरिक ईंधन जैसे बायोमास, तेल या बिजली का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन महंगे हैं तथा इनके उपयोग द्वारा प्रदूषण फैलता है। अधिकतर उत्पादों के लिए सूर्य शुष्कन सबसे कम खर्चीला तथा व्यापक उपयोग में लाए जाने वाला विकल्प है। पारंपरिक ईंधनों की बढ़ती लागत तथा प्रदूषण के खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण सौर शुष्क कई औद्योगिक एवं कृषि कार्यों के लिए तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक विकल्प बनते जा रहे हैं। परंतु इसकी एक सीमा भी है, यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा समय लेती है।

देश में कृषि उत्पाद तथा फल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उपयोग हेतु सौर शुष्कक़ों की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। सौर शुष्कक प्रणालियां विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जैसे रसायन, चमड़ा, नमक, प्लाईवुड तथा कपड़ा उद्योग में सुखाने के कार्य के लिए स्थापित किए जा सकते हैं। सौर शुष्ककन विभिन्न घरेलू कार्यों में भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। इनका कपड़ा उद्योग, लकड़ी, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण, कागज, औषिधियों तथा कृषि उद्योगों के कई कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है। यह सौर शुष्कक 15 से 20 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सौर शुष्कन प्रक्रिया पारंपरिक ईंधन के उपयोग द्वारा किए जाने वाले शुष्कन की तुलना में धीमी है तथा इनका उपयोग केवल 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सुखाने के लिए ही किया जा सकता है।

सौर लालटेन

सौर लालटेन पोर्टेबल प्रकाश प्रणाली है। यह हलकी होती है। यही कारण है कि यह घर के अंदर और बाहर, दोनों जगह इस्तेमाल की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पोर्टेबल लालटेन, एक या दो लैंप वाली घरेलू रोशनी प्रणालियों और गलियों में रोशनी करने के लिए किया जा रहा है। शहरी इलाकों में इसका उपयोग कलियों में चमकते लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) पर आधारित प्रदर्शन–पटलों ट्रैफिक संकेत प्रणालियों, संदेश प्रदर्षित करने की प्रणालियों तथा विज्ञापन–पटल को चमकाने के लिए किया जा रहा है।

सौर गृह प्रणाली

सौर गृह प्रणाली घर के एक या अधिक कमरों में आरामदायक प्रकाश उपलब्ध कराती है। एक या दो चार कॉपेक्ट फ्लोरीसेंट लैंप (सीएफएल) वाली कई किस्म की सौर गृह–प्रणालियां उपलब्ध हैं। इस प्रणाली से छोटा डीसी पंखा या 12 वोल्ट डीसी टेलीविजन भी चलाया जा सकता है।

सौर जनरेटर

सौर जनरेटर पीवी व्यूह पर आधारित बैटरी बैंक तथा उपयुक्त आकार के इनवर्टर से जुड़ी हुई एक लघु क्षमता वाली स्वतंत्र एसपीवी शक्ति प्रणाली है। बिजली फेल होने या लोड शेडिंग जैसी परिस्थितियों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे की अवधि के लिए सीमित भार (जैसे लाइट एवं पंखे) को बिजली की आपूर्ति हेतु यह प्रणाली डिजाइन की गई है। शहरी क्षेत्रों में दुकानों, क्लीनिक तथा लघु प्रतिष्ठानों में दैनिक लोड शैडिंग अवधियों के दौरान पारंपरिक लघु क्षमता वाले पेट्रोल आधारित जनरेटरों के स्थान पर इन सौर जनरेटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ☐

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कारगिल के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन सहायता जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2006–07 के लिए जम्मू–कश्मीर के कारगिल जिले को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार (एसजीआरवाई) के अधीन केन्द्रीय सहायता की पूरी धनराशि 1,69,50,000 रुपए जारी कर दी है।

इस कार्यक्रम के अधीन केन्द्र और राज्य सरकारें खर्चे को 75 और 25 के अनुपात में वहन करती हैं। राज्य सरकार को केन्द्र से धन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिला पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों को क्रमशः 20, 30 और 50 के अनुपात में धन जारी करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीए विकास मंत्रायल ने चालू वित्त वर्ष के लिए एसजीआरवाई के अधीन कारगिल जिले को खाद्यान्न आबंटन के पूरे हिस्से के रूप में 1331 टन चावल जारी करने की मंजूरी दे दी है। राज्य में भारतीय खाद्य निगम के डिपो के जरिए यह खाद्यान्न जारी किया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों को एसजीआरवाई के अधीन मजदूरी के एक हिस्से के रूप में खाद्यान्न दिया जाएगा।

भारत निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

डा. महिपाल

यूपीए सरकार ने विकास को शामिल करने के लिए पांच राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की है। ये हैं बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए चार साल का एक समयबद्ध कार्यक्रम: भारत निर्माण (बी एन) कार्यक्रम; बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; ग्रामीणों को सौ दिन की रोजगार गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम; दीर्घकालिक शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए शहरी सुधार का जवाहरलाल नेहरू मिशन और मिड डे मील योजना के साथ सर्वशिक्षा अभियान को मजबूत करना । इस दस्तावेज़ में हम बी एन कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के बारे में चर्चा करेंगे। बी एन को चार साल के भीतर पूरा करने के लिए एक व्यावसायिक योजना बनाई गई है ताकि 1,74,000 करोड़ के अपेक्षित निवेश के साथ ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। यह भारत सरकार, राज्य सरकारों और पीआरआई का एक साझा प्रयास है । गांवों में बुनियादी ढोंचे को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को जुटाकर ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए यूपीए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मद्देनजर इसे बनाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कार्यक्रम को जिस उद्देश्य से तैयार किया गया है उसी रूप में इसे लागू किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण भारत की न केवल तस्वीर बदलेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भावी आर्थिक विकास के लिए आधारशिला भी रखी जाएगी।

इस दस्तावेज में बी एन कार्यक्रम के तमाम बिन्दुओं और जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में पीआरआई की संभावित भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

बी एन के तमाम बिन्दु और भावी एजेंडा

भारत निर्माण अगले चार साल के लिए छह क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढांचों के विकास में सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा कार्य करने के लिए एक समयबद्ध एजेंडा है। ये क्षेत्र हैं:

सिंचाई – ऐसी परिकल्पना की गई है कि 2009 तक 100 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तैयार की जाए।

सड़कें – यह प्रस्ताव है कि एक हजार से अधिक की आबादी वाली प्रत्येक जगहों और पांच सौ से अधिक पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों को पक्की सड़क मुहैया कराई जाए और इस कार्यक्रम के खत्म होने तक बाकि बचे 66,802 स्थानों को शामिल किया जाए।

जल आपूर्ति – प्रत्येक आबादी वाले स्थानों को शुद्ध पेयजल के स्त्रोत मुहैया कराया जाना है। 2009 तक 55,067 रिहायशों को भी इससे जोड़ा जाए जहां यह सुविधा नहीं हैं। इसके अलावा उन सभी रिहायशों में जहां पानी के स्त्रोत खत्म हो जाने के कारण पूर्ण या आंशिक रुप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां इसे मुहैया कराया जाए।

आवास – 2009 तक ग्रामीण निर्धनों के लिए साठ लाख आवासों का निर्माण किया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण – इस कार्यक्रम के तहत वादा किया गया है कि प्रत्येक गांव को बिजली मुहैया कराई जाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम के अंत तक सवा लाख गांवों को शामिल किया जाएगा।

ग्रामीण दूरसंचार संपर्क – चूंकि प्रत्येक गांव में टेलीफोन लगाया जाना है, 2007 तक 66,822 गांवों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा यानि निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पहले।

इस आदेश को 2009 के अंत तक पूरा किया जाना है। दूसरे शब्दों में 2009 के अंत तक, सिंचाई की समस्या नहीं रहेगी, सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा,

पीने के पानी की समस्या हल कर ली जाएगी, सभी के पास सिर छिपाने की जगह होगी, सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी और सभी गांवों को दूरसंचार से जोड़ दिया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

देशभर में दो लाख से ज्यादा पंचायतें हैं जिसमें सभी तीन स्तरों पर 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित नेता हैं। इनमें से 6 लाख से अधिक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग और 10 लाख से ज्यादा महिलाएं पंच और सदस्यों की हैसियत से पंचायत के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। यह दुनिया में एक मिसाल है। अब हम इसके साथ बी एन के क्रियान्वयन में पी आर आई की भूमिका पर विचार करते हैं। वास्तव में पंचायत की भूमिका को संविधान की 11वीं अनुसूची और संविधान के 243जैडडी के साथ अनुच्छेद 243 जी के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी जिसमें पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं, में कहा गया है, "संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य विधानसभा कानून बनाकर पंचायतों को ऐसे अधिकार दे सकती है जिससे वे स्वशासन की संस्था के रुप में कार्य कर सके और ऐसे कानून में उचित स्तर पर पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियां देने के लिए प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के साथ उन्हें निर्धारित किया जा सकता है (अ) आर्थिक और सामाजिक न्याय की योजना की तैयारी और (ब) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उन्हें 11वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में सौंपी जा सकती है।

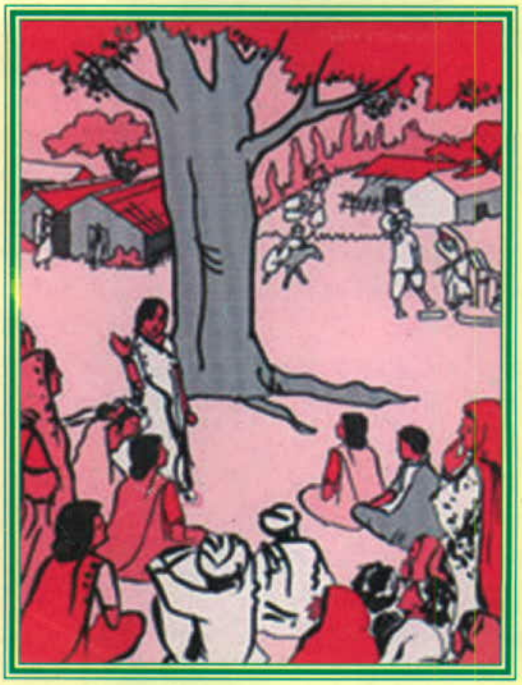

संविधान की 11वीं अनुसूची जिसे पंचायतों से जोड़ा गया है, में 29 विषय शामिल हैं । इन 29 विषयों में से जो विषय बी एन से जुड़े हैं वे इस प्रकार हैं:

- लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक विकास
- ग्रामीण आवास
- पेयजल
- सड़कों, पुलियाएं, पुलों, नौकाओं, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन
- विद्युत के वितरण समेत ग्रामीण विद्युतीकरण

उपरोक्त विषयों में से देखा जा सकता है कि दूरसंचार संपर्क को छोड़कर बी एन के सभी विषय पीआरआई के अधीन आते हैं लेकिन संविधान के संशोधन के बाद एक दशक से भी अधिक समय गुजर जाने के बावजूद इन निकायों को वास्तविक रुप में ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में इन निकायों को मुख्य भूमिका सौंपी जाती तो बी एन जैसे कार्यक्रम की शुरूआत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अलावा अनुच्छेद 243 जैड डी भी जिला स्तर पर बी एन के सभी विषयों के लिए रणनीति और योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जिला योजना समिति (डीपीसी) पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार समन्वित ग्रामीण और शहरी योजना को ध्यान में रखते हुए जिले के लिए विकास योजना का प्रारुप तैयार करेगी और इसके अलावा वह पंचायत और नगर निगम के बीच समान हित के मुद्दों पर भी गौर करेगी जैसे

- भौगोलिक योजना
- जल का बंटवारा
- अन्य भौतिक एंव प्राकृतिक संसाधनों
- बुनियादी ढांचे का समन्वित विकास
- पर्यावरण संरक्षण
- उपलब्ध संसाधन की मात्रा एंव प्रकार चाहे वे वित्तीय या अन्य हों

बी एन के विषयों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना का हिस्सा होने की उम्मीद है जिसे पंचायतों ने तैयार किया है और इन समितियों के माध्यम से जिला स्तर पर जोड़ा गया है लेकिन दुर्भाग्यवश ये समितियां हर राज्य में गठित नहीं की गई हैं और जहां बनाई भी गई हैं राजनेताओं और अफसरशाही के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण कागजों तक सीमित हैं।

बी एन के प्रस्तावित उद्देश्यों को निर्धारित समय में हासिल किया जा सकता है बशर्ते पंचायतों को स्वशासन के संस्थानों के रूप में बनाया जाए और उन्हें उनके स्तर पर काम करने के साथ वित्तीय और प्रशासकीय स्वायत्तता की छूट हासिल हो और ग्राम पंचायतों में आगे विचार करने के लिए ग्राम सभा से इन विषयों की योजना बनाने के लिए कहा जाए। पंचायत समिति के दायरे में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों, तैयार योजनाओं को विभिन्न ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजना प्रारुपों पर विस्तार से विचार विमर्श कर उसके स्तर पर तैयार किया गया हो और अगर विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं में कोई खामी रह गई हो तो उसे दूर किया जाए। जिले की सभी पंचायत समिति द्वारा तैयार योजनाओं को जिला स्तर पर चर्चा करने के लिए उसके पास भेजा जाएगा और अगर उसमें कोई खामी है तो उसे दूर किया जाएगा और अंततः राज्य सरकार को भेजने के लिए उसे डीपीसी के पास भेजा जाएगा। यह एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के सभी स्तरों की भागीदारी को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे

के विकास की बी एन रणनीति को कारगर ढंग से लागु करने के लिए शुरु किया जा सकता है।

लेकिन राज्यों द्वारा निश्चित कानून बनाने के बाद एक दशक से भी अधिक समय के बावजूद दस राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में अभी तक इन समितियों का गठन किया जाना बाकी है।

सुझाव – इसलिए पंचायतों की कारगर और साझेदारी वाली भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये सुझाव क्रियान्वित करने के लिए दिए गए हैं:

- पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका एक नोडल मंत्रालय के रुप में बहुत महत्वपूर्ण है ताकि संबद्ध मंत्रालय के छह विषयों को सलाह मशविरा करके गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पीआरआई की भूमिका की रूपरेखा निश्चित की जा सके। इस रूपरेखा को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी राष्ट्रीय समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण विषय यह हो सकता है कि पंचायती राज प्रणाली को उसके उद्देश्य और भावना के अनुरूप मजबूत किया जाए।
- अपेक्षित कार्य, वित्त और कार्य करने वालों को पंचायतों में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वशासन के संस्थान के रुप में कार्य कर सकें और उनके स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार की जा सके क्योंकि बीएन के छह विषयों को कुल मिलाकर पंचायतों की सभी योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए। इस संबंध में संविधान के अुनच्छेद 243जी और 243जैडडी को तुरंत प्रभावी बनाया जाना चाहिए अन्यथा बीएन अधूरा रह सकता है। 11वीं योजना के संबंध में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके प्रारूप को देश भर में डीपीसी द्वारा तैयार योजनाओं को शामिल करके तैयार किया जाना है।
- बीएन के छह विषयों के तहत परियोजनाओं का निर्धारण करने और उनकी सही ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए ग्राम सभा को प्रभावी बनाना बहुत जरुरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपेक्षित लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा जिसका उल्लेख इंदिरा आवास योजना के समवर्ती मूल्यांकन में किया गया है जिसके अनुसार इस योजना का लाभ सुपात्रों को नहीं मिला।
- बीएन के छह विषयों के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अलावा पंचायतों को इस उद्देश्य के लिए अपने संसाधन जुटाने के उपाय करने चाहिए। उदाहरण के तौर पंचायतें गांव की परिधि में अपनी जमीन पर खुद अपनी आवासीय कालोनियां विकसित कर सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए वे वित्तीय संस्थाओं से भी संसाधन जुटा सकती हैं ताकि लागत को बांटकर के सस्ते सुलभ और स्वीकार्य मकानों का निर्माण किया जा सके। इसलिए पंचायतों को अपनी भूमि पर ऐसी योजनाओं को शुरु करने के लिए आगे आना होगा। इस तरह के प्रस्ताव खासतौर से बड़े गांवों के लिए व्यवसाय और लाभ की दृष्टि से फायदेमंद साबित होंगे जो मुख्य सड़कों के किनारे बसे हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनकी वार्षिक आय लाखों में है। ये पंचायतें इस तरह की परियोजनाओं को आसानी से शुरु कर सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो यह वित्तीय संस्थानों से हासिल किया जा सकता है। क्योंकि पंचायत कानून के अनुसार पंचायतों को इस कानून के तहत निर्धारित किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के साथ ऋण लेने का अधिकार है। इस संदर्भ में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि पहल कर सकते हैं।
- कृषि क्षेत्र में धन जुटाना विशेषकर ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के साथ लघु सिंचाई और जल संग्रहण के लिये महत्वपूर्ण है ताकि अधिक क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। राष्ट्रीय वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, सरकारी विभागों के साथ–साथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कायक्रमों, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम विकास योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान, न्यूनतम जरूरत कार्यकम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आदि केन्द्र पोषित योजनाओं से पंचायतों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जा सकें जिससे की वे विभिन्न स्तरों पर सिंचाई संबंधी काम को शुरु कर सकें। लेकिन बीएन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच जमीनी स्तर की जागरूकता और नई सोच पैदा करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

देश में बीएन को कियान्वित करने और निर्धारित समय से पहले लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन यह तभी संभव है जब देश भर की दो लाख से अधिक पंचायतों को अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए स्वायतता दी जाए और उन्हें अधिकार दिए जाएं। बीएन के विषयों को ग्राम पंचायतों से जिला योजना समिति तक की योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा और इन निकायों को प्रशासकीय मदद जरूरी है। ❐

अनुवाद – कविता पंत

सुनिश्चित रोजगार गारंटी

अम्लनज्योति मजुमदार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) 2005 मौजूदा सरकार की अति महत्वपूर्ण पहल है। यह एक ऐसा पथ प्रदर्शक कानून है जो ग्रामीण निर्धनों को जीवन यापन के लिये गारंटी शुदा रोजगार देता है, विपत्ति से बचाव का जरिया देता है, दिनों में दो जून भोजन जुटाने की सुविधा देता है और उन्हें गरीबी के जाल से निकलने का अवसर भी प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी परिवारों के वयस्क सदस्यों को जीवन यापन की सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष मं कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। आशा है कि इस अधिनियम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश गरीबी का गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद मिलेगी। इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन को कम करने की अपेक्षा है।

एनआरआईजीए – सितम्बर, 2005 में कानून बना था और इस वर्ष दो फरवरी से इसका पहला चरण देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में लागू कर दिया गया। दो फरवरी, 2006 को अधिसूचना के जारी होने के बाद इन जिलों की ग्रामीण परिवारों को स्थानीय पंचायतों में अपना नाम इस कानून के तहत काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के रूप में दर्ज कराने का अधिकार मिल गया है। एक बार नाम दर्ज हो जाने पर ग्राम पंचायत 'जॉब कार्ड' (कार्य पत्रक) जारी कर देता है। कार्य मांगने के 15 दिन के भीतर ही काम देना होता है। रोजगार स्थानीय निवास के 5 किलोमीटर दायरे में ही देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मजदूरी (वेतन) की 10 प्रतिशत राशि परिवहन व्यय और रहने के खर्च के लिये अतिरिक्त वेतन के रूप में देनी होगी। परन्तु यदि 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया गया तो आवेदक को नकद बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। श्रमिकों को राज्य में कृषि मजदूरों के लिये लागू कानूनी न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार है। श्रमिकों को कार्यस्थल की सुविधायें, जैसे, साफ पीने का पानी, बच्चों के लिये आश्रय, फर्स्ट एड बॉक्स आदि भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

मांग पर काम देना – एनआरईजीए को प्रतिमानों मं एक व्यापक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इसके जरिये संसद के कानून बना कर मांग करने पर ग्रामीण लोगों को रोजगार की गारंटी दी है। अन्य रोजगार कार्यक्रमों के विपरीत यह कोई योजना भर नहीं है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफ एफ डब्ल्यू पी) को एनआईजीए में समाहित कर लिया गया है। जिन जिलों में एनआरईजीए पर काम शुरू हो गया है वहां एसजीआरवाई को बंद कर दिया गया है। एनआरईजीए अगले पांच वर्षों में पूरे देश में लागू हो जायेगा। आशा है कि इस कानून से श्रमिकों की सौदेबाजी की ताकत में इजाफा होगा। समय के साथ–साथ श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति और अधिक सचेत होते जायेंगे और उनकी रक्षा करना भी सीख जायेंगे।

कानून में जिन कार्यों पर जोर दिया गया है, वे हैं जल संरक्षण से संबंधित कार्य, सूखे से बचा (वनीकरण/वृक्षारोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण/संरक्षण (जल भराव वाले क्षेत्रों से जल निकासी सहित) सड़कों (पक्की) के जरिये गांवों को जोड़ना। सभी जिलों को स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार नीचे से ऊपर तक का दृष्टिकोण अपनाते हुए पांच वर्षों की स्पष्ट योजना तैयार करनी होगी। इस योजना पर वंचित समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं का अनुमोदन आवश्यक है। इस योजना के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में पंचायतों की अहम भूमिका है। वे अपनी यह भूमिका स्पष्ट योजना तैयार कर, परियोजनाओं को अनुमोदन देकर और लागत के न्यूनतम 50 प्रतिशत का कार्य कराकर निभाती है।

जबर्दस्त अनुक्रिया – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) को देश और प्रदेश के उन जिलों में जहां पहले चरण में जोर–शोर लागू किया गया है, जबर्दस्त अनुक्रिया मिली है लोगों का समर्थन मिला है। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार, एनआरईजीए ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के जो अवसर प्रदान किये हैं, उसके कारण उन लोगों के पलायन की संख्या में कमी आयी है जो रोजी–रोटी की तलाश में घबराकर गांव छोड़ने को विवश हो जाते थे इसने

अनेक महिलाओं को भी काम के लिये आकर्षित किया है।

जॉब कार्ड (कार्य पत्रक) – राज्यों से मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजीकरण के लिये 3 करोड़ 13 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है और 2 करोड़ 19 लाख से अधिक जॉब कार्ड योग्य परिवारों को जारी किये जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों में 73 लाख 29 हजार लोगों ने काम की मांग की है। इनमें से 68 लाख 87 हजार लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत 200 एनआरईजीए जिलों के लिये अब तक कुल मिलाकर 67 अरब 53 करोड़ 99 लाख रूपये जारी किये हैं। इनमें से 23 अरब 67 करोड़ 57 लाख रूपये 2005–2006 में तथा 3 अरब 86 करोड़ 42 लाख रुपये 2006–07 में जारी किये गये हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न राज्यों में एनआरईजीए के अमल पर निगरानी रखने तथा प्रगति की समीक्षा के लिये लगातार कदम उठाता रहा है। साथ ही पांच एजेंसियों से भी मूल्यांकन कराया जा रहा है ताकि सही–सही जानकारी (फीड बैक) मिल सके और क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाया जा सके। प्रगति का पता लगाने के लिये विस्तृत एमआईएस विकसित किया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के मानीटर्स भी स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम की प्रगति के अवलोकन के लिये मैदानी दौरा करते रहे हैं।

शिकायत निवारण – कानून में कड़ी सतर्कता बरतने और निगरानी की बात कही गयी है। सामाजिक ऑडिट का दायित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय स्तर पर सतर्कता और निगरानी समिति गठित की जायेंगी। इन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गयी है। नियमानुसार 1/3 लाभार्थी महिलायें होना आवश्यक है। हाजिरी, संपत्ति और रोजगार रजिस्टरों का संधारण अनिवार्य है और लोग जब चाहे उनका निरीक्षण कर सकें, ऐसा जरूरी कर दिया गया है। कानून में शिकायत निवारण की व्यवस्था के साथ मदद के लिये हेल्पलाइन का भी प्रावधान किया गया है। एक विस्तृत सूचना प्रणाली का विकास किया गया है जो कि कार्य के अनुसार और परिवारों के अनुसार हैं। आंकड़ों को इकट्ठा कर सके ताकि निवेश किए गए संसाधनों की प्रगति का आकलन किया जा सके। ❒

(लेखक शहरी विकास मंत्रालय में उप–निदेशक (मीडिया) हैं)

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के मानक बदले

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के मानकों को बदला गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नकद धनराशि की पहली किस्त जारी करने के साथ–साथ इस योजना के तहत उपलब्ध कुल 17 लाख मीटरी टन खाद्यान्न एकमुश्त जारी करने का फैसला लिया है। यह भी फैसला लिया गया है कि विशेष मामले के तौर पर इस योजना के तहत इस वर्ष श्रमिकों को मजदूरी के रूप में पांच किलो अनाज प्रति श्रमदिवस के स्थान पर तीन किलो अनाज प्रति श्रमदिवस के हिसाब से आबंटित किया जाए। वर्ष 2006–07 के दौरान अनाज की सीमित उपलब्धता को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह फैसला लिया।

राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा वर्ष में दूसरी किस्त के रूप में और खाद्यान्न आबंटित नहीं किया जाएगा। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अनाज उपलब्ध न होने पर श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नकद रूप में किया जाए।

मंत्रालय ने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से फिर एक बार जोर देकर कहा है कि इस कार्यक्रम के निर्बाध संचालन के लिए श्रमिकों को उनकी नकद मजदूरी और खाद्यान्न का भुगतान समय से किया जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में उत्साहजनक प्रगति

राज्यों को इस नए कानून को लागू करने में आई शुरूआती बाधाओं के बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में उत्साहजनक प्रगति हुई है। इस अधिनियम के तहत 89.43 लाख लोगों ने रोजगार की मांग की थी। इनमें से अभी तक 83.05 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। ये आंकड़े इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के सबूत हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को 27 राज्यों के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। अधिनियम की राज्यवार प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है–

राज्य	जिले	जारी किए गए जॉब कार्ड	रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या	जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया उनकी संख्या	जारी धनराशि (2006–07) (रुपए लाख में)
आंध्र प्रदेश	13	4213766	755861	755861	21100
अरुणाचल प्रदेश	1	17480	एनआर	एनआर	272.85
असम	7	369820	67103	67103	13970.845
बिहार	23	1256082	493326	486243	40503.38
छत्तीसगढ़	11	1696860	165245	162480	18836.72
गुजरात	6	597028	73791	73791	4113.94
हरियाणा	2	76421	20261	15573	913.39
हिमाचल प्रदेश	2	62408	29080	24848	693.64
जम्मू–कश्मीर	3	159158	20261	20261	986.365
झारखंड	20	1731668	501388	501388	37618.59
कर्नाटक	5	315412	118810	66530	6329.69
केरल	2	एनआर	एनआर	एनआर	2179.51
मध्य प्रदेश	18	4144413	1913133	1804953	109384.11
महाराष्ट्र	12	1094659	192867	183075	17961.645
मणिपुर	1	17880	45172	45172	570.89
मेघालय	2	एनआर	एनआर	एनआर	2064.68
मिजोरम	2	36626	15890	853	298.9
नगालैंड	1	27884	8950	8950	430.11
उड़ीसा	19	2094958	713551	563681	31516.56
पंजाब	1	36498	39318	21284	755.75
राजस्थान	6	1423013	853061	846263	64100
सिक्किम	1	4696	एनआर	एनआर	451.5
तमिलनाडु	6	535519	86625	82009	9889.21
त्रिपुरा	1	49755	189667	185507	1456.66
उत्तर प्रदेश	22	2592117	1074068	1034063	33498.69
उत्तरांचल	3	190926	14662	12628	1910.6
पश्चिम बंगाल	10	2728773	1551613	1343414	18358.84
कुल	200	25473820	8943703	8305930	440157.07

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष चिकित्सा

एस.बी. शरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एचआरएचएम) में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुष विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को राज्य, जिला और इसके बाद के स्तरों पर मिलाकर एक कर देने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार से इन कार्यक्रमों की मिली–जुली ऊर्जा के जरिए भवनों, जन–शक्ति, निधियों, सूचना, शिक्षा एवं संचार, प्रशिक्षण, मानिटरिंग एवं निरीक्षण संबंधी मूल सुविधाओं के प्रशासनिक ढांचे को मिलकार सरल बनाया जाएगा। एचआरएचएम की प्रमुख कार्य नीतियों में जिन लक्ष्यों और दूरदृष्टि की कल्पना की गई है, उनमें आयुष (अर्थात् आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी) को मुख्यधारा में लाना शामिल है।

आयुष पद्धति को सक्षम हद तक एनआरएचएम में विलीन करने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और सुदृढ़ बनाना और इसके परिणामस्वरूप गरीबों तथा ग्रामवासी जनता को आयुष की चिकित्सा सुविधाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। आयुष विभाग इसी दिशा में एक ऐसी कार्यनीति पर चला रहा है, जिससे उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों के स्तर पर आयुष का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके।

चिकित्सा उपलब्धता व्यवस्था

चिकित्सा उपलब्धता व्यवस्था में आयुष को निम्नलिखित प्रकार से शामिल करने की योजना बनाई गई है–

आयुष डॉक्टरों को आस–पास के चिकित्सालयों से स्थानांतरित करके अथवा संविदा नियुक्ति के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया जाएगा। ये चिकित्सक बीमारियों के इलाज और निवारण के लिए आयुष स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों में भी हाथ बटाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आयुष सुविधाएं और खासतौर से पंचकर्म, क्षारसूत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात् आशा एनआरएचएम व्यवस्था का मुख्य आधार है, जो प्रेरक, सुविधा–प्रदाता और समझाने बुझाने वाले की भूमिका निभाता है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाने की प्रेरणा देता है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अब आयुष के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने और इलाज तथा स्वास्थ्य–सफाई और लोगों के दरवाजे पर ही मामूली बीमारियों की शुरूआती चिकित्सा करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य से आशा के प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं और उनमें आयुष की प्रमुख बातें शामिल कर ली गई हैं। इसी तरह से प्रशिक्षित दाइयों, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी वर्करों को भी आयुष की खास–खास बातें सिखाई जाएंगी। आशा और दाइयों के दवाई के बक्से में आयुष दवाइयां भी रखी जाएंगी। स्वास्थ्यचर्या के द्वितीयक स्तर पर जिला और राज्य अस्पतालों में आयुष विभाग की स्थापना करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और योजनाबद्ध स्कीमों के लिए जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी।

केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य मिशनों और जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर भी आयुष को समुचित प्रतिनिधित्व दिए जाने का विचार है, ताकि आयुष कार्यकर्त्ता समन्वित प्रक्रिया के अमल में जरूरी तालमेल सुनिश्चित कर सकें।

एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष को मुख्य धारा में लाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसे राज्यों के पास कार्य योजनाएं बनाने के उद्देश्य से भेज दिया गया है।

नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाओं को शामिल करने की पहले से ही व्यवस्था होगी।

आयुष सुविधाओं को उप–केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला/सब–डिवीजनल अस्पतालों के लिए निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। एचआरएचएम के अंतर्गत राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने की गतिविधियों में राज्यों की सहायता की जाएगी। खासतौर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संविदा आधार पर आयुष डाक्टरों की भर्ती के काम में राज्यों की सहायता की जाएगी। एलोपैथिक अस्पतालों में आयुष इलाज की सुविधाएं जुटाने के लिए आयुष विभाग को केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

आयुष मूल सुविधा

भारत में आधुनिक औषधियों के आगमन से पहले इलाज में आयुष पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस चिकित्सा

पद्धति का खास गुण यह है कि यह सबको स्वीकार्य, लागत प्रभावी, तकनीकी रूप से सरल है और इसकी दवाइयां तैयार करने में प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र में आयुष संस्थानों का एक विस्तृत संजाल है। देश में आज की स्थिति के अनुसार 458 आयुष कालेज हैं, जिनमें 23,555 छात्रों को दाखिला मिल सकता है। 99 कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन सुविधाएं हैं। 3,100 अस्पताल हैं, जिनमें 65,000 हजार से अधिक बिस्तर हैं। 22,300 चिकित्सालय, 6,95,024 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर और 9,275 लाइसेंसशुदा औषधि निमाघशालाएं हैं। केंद्रीय क्षेत्र में आयुष के 45 अस्पताल हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों और अनुसंधान परिषदों के अंतर्गत आते हैं। 81 आयुष औषधालय केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मौजूद हैं। अनुसंधान परिषदों के अंतर्गत 54 और रेल मंत्रालय के अंतर्गत 162 तथा श्रम मंत्रालय के अंतर्गत 159 और कोयला मंत्रालय के अंतर्गत 28 चिकित्सालय चल रहे हैं। हालांकि आयुष की बुनियादी सुविधाएं काफी लंबी–चौड़ी हैं, लेकिन वे सब अधिकांशतः एक ही जगह हैं, जिससे आयुष के लाभ पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यही नहीं, करीब 70 प्रतिशत भारतीय जनता

सूचनाओं के अनुसार इलाज के लिए परंपरागत दवाओं का उपयोग करती है। इस तरह से आयुष के जरिए मिलने वाले चिकित्सा लाभ सीमित हैं और प्रति 10 हजार आबादी पीछे लगभग सात डॉक्टरों का औसत आता है।

आयुष ने जो नियामक, प्रशासनिक और संस्थागत संगठन बनाए हैं, वे एलोपैथिक व्यवस्था के जैसे ही हैं। जहां तक देसी चिकित्सा व्यवस्था की स्वीकार्यता का प्रश्न है, आयुर्वेद केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा में लोकप्रिय है। यूनानी चिकित्सा पद्धति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है। सिद्ध पद्धति तमिलनाडु में पसंद की जाती है और अब यह अन्य दक्षिणी राज्यों में भी लोकप्रिय हो रही है। जहां तक होम्योपैथी का सवाल है, यह कमोबेश लगभग पूरे देश में लोकप्रिय है। लेकिन केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक प्रचलित है। ❑

(लेखक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष विभाग में निदेशक हैं)

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा ऋण

विश्व बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को फिर से ऋण सुविधा देना शुरूर कर दिया है। एक साल से भी अधिक से रुकी पड़ी 6620 लाख अमरीकी डॉलर लागत वाली तीन परियोजनाओं को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में दो परियोजनाएं नामतः प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–2 परियोजना (3500 लाख अमरीकी डॉलर वाली) और राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण परियोजना–2 (1700 लाख अमरीकी डॉलर वाली) केन्द्र की परियोजनाएं हैं। तीसरी परियोजना कर्नाटक में स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार परियोजना (1420 लाख अमरीकी डालर की सहायता वाली) है।

विश्व बैंक की गलतफहमियों को दूर करने के लिए गए विशेष प्रयासों के बाद परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। विश्व बैंक कें अध्यक्ष के साथ बातचीत में वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने भरोसा दिलाया कि खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी, जो सर्वोच्च मानको के अनुरूप होगी। वित्त मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी की वजह से देश में गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के वास्ते एक अभिशासन और उत्तरदायी कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया गया है।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं को कार्यकारी निदेशक बोर्ड का अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त हुआ। बोर्ड ने न सिर्फ सरकार के गरीबों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और स्वास्थ्य परियोजनाओं की सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का प्राप्त करने और उनके महत्व की प्रशंसा की, बल्कि साथ ही भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मुद्दों पर उठी चिन्ताओं को शान्त करते हुए इन परियोजनाओं के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखलाई। विश्व बैंक के द्वारा इन परियोजनओं को मंजूरी देने में हो रहे विलम्ब पर कई कार्यकारी निदेशकों ने चिन्ता जताई और उन्हें लगा कि इस देरी की वजह से यह परियोजनाएं प्रभावित होंगी।

भारत सरकार परियोजनाओं को मिली मंजूरी से संतुरी से संतुष्ट है और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्वनिहित विकास के लिए पहल

हर्ष भाल

किसी भी राष्ट्र की दृढ़ता और जीवनशक्ति उसकी शिक्षित जनता से ही उद्भूत होती है। साक्षरता की शुरूआत घर से होती है और आगे जाकर सार्वजनिक क्षेत्र की शालाओं में औपचारिक रूप ग्रहण करती है। शालेय शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, इस प्रकार, वे आधार हैं जिन पर स्वस्थ समाज के स्तंभों का निर्माण होता है और किसी राष्ट्र का चरित्र खड़ा होता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) अथवा एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम 6 से 4 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों के साथ मिलकर बढ़िया प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय ध्वजवाहक (महत्वपूर्ण) कार्यक्रम है।

एसएसए के लक्ष्य हैं– सभी बच्चों को 2005 तक शाला, शिक्षा गारंटी करेंद्र, वैकल्पिक शाला, वापस शाला में लाना; 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर और 2010 तक प्राथमिक स्तर पर सभी सामाजिक और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना '' 2010 तक सभी बच्चों को शालाओं में पढ़ाई और जीवन के लिए शिक्षा पर तवज्ज़ों के साथ संतोषजनक स्तर की प्राथकि शिक्षा पर जोर।

उच्चस्तरीय निगरानी

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यूईई को दी गई प्राथमिकता को दसवीं योजनावधि में ही कार्यरूप में परिणत किया जा सके, संगठन की व्यवस्था और निगरानी के ढांचे को देश के सर्वोच्च स्तर से शक्ति मिली हुई है। (भारत के) प्रधानमंत्री स्वयं सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन के प्रमुख हैं। यही मिशन सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति पर नज़र रखता है।

प्रारंभिक शिक्षा कोष

सर्व शिक्षा अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन हो रहा है। एसएसए कार्यक्रम के तहत दसवीं योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 75 और 25 के अनुपात में सहायता प्रदान करती हैं। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यों के हिस्से का 15 प्रतिशत अंश, 2005–06 और 2006–07 के दो वर्षों के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग वहन कर रहा है। एसएसए के तहत आवंटित परिव्यय 2005–07 में 1 खराब 10 अरब रुपए हो गया है जो कि 41 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए संसाधनों की व्यवस्था शिक्षा उपकर लगा कर की गई है। इसी राशि से प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना हुई है।

एसएसए कार्यक्रम से 11 लाख बसावटों (बस्तियों) में रहने वाले 19 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचेगा। योजना के तहत 8.5 लाख मौजूदा प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक शालाओं तथा 33 लाख शिक्षकों को शामिल किया गया है।

समुदाय उन्मुखी शिक्षा

कार्यक्रम का ध्येय उन बस्तियों में नई शालाएं खोलना है जहां अभी शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं और विद्यालयों के मौजूदा ढांचे को, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, साधारण अनुदान और शाला सुधार अनुदान प्रदान कर सुदृढ़ बनाना है। यह दृष्टिकोण समुदायोन्मुखी है और पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार ग्राम्य शिक्षा योजनाएं जिला प्राथमिक शिक्षा योजनाओं का आधार तैयार करती हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अपर्याप्त शिक्षकों वाली विद्यमान शालाओं में अतिरिक्त शिक्षक भेजे जा रहे हैं तथा मौजूदा शिक्षकों को पठन–पाठन सामग्री के समर्थन सहित विस्तृत प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता का विकास किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं और अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के बच्वां की आवश्कताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें देने सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। एसएसए का ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा देकर ज्ञान के अंतर (डिजीटल डिवाइड) को समाप्त करना भी है।

बाल सुलभ वातावरण

निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल करना, बाल सुलभ वातावरण का सृजन और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का स्तर सुनिश्चित करना, एसएसए के तहत निर्माण कार्यों की तीन प्रमुख (बुनियादी) विशेषताएं हैं। सभी निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है ताकि उनमें उसके प्रति लगाव की भावना बनी रहे। अनेक राज्यों ने सर्वथा नई तरह की रूपरेखाएं तैयार की हैं और साफ पानी (पेयजल) तथा शौचालय की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से एकाकार किया है।

शालाओं के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और निगरानी के लिए तीसरे पक्ष की भी मदद ली जा रही है।

एसएसए के फलस्वरूप शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा शालाओं में बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मदद मिली है। मार्च, 2006 तक एक लाख 20 हजार शाला भवन और 3 लाख 30 हजार अतिरिक्त कमरों, 1,16,764 पेयजल सुविधाओं और 2,22,071 शौचालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा चुका है।

बुनियादी ढांचे के अंतर को समाप्त करना

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2004–05 से पता चला है कि देश में 9 लाख 98 हजार (शालाएं) कमरों की कमी है। बुनियादी ढांचे के इस अंतर को अगले दो वर्षों में समाप्त करने के प्रयास में कार्यक्रम के तहत 2006–07 में लगभग 5 लाख कमरों के साथ–साथ 59 हजार पेयजल सुविधाओं और 57,327 शौचालयों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के अभाव को दूर करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), जल धारा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) आदि जैसी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर काम किया गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट का आंकलन है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर 10 लाख 66 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2006–07 तक करीब 9 लाख 97 हजार शिक्षकों की स्वीकृति एसएसए के तहत दी जा चुकी है।

एक किलोमीटर के दायरे में बिना प्राथमिक शाला वाली और तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक शाला विहीन बस्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आ रही है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब हर एक बस्ती में शाला होगी और उसमें पर्याप्त शिक्षक होंगे तथा सभी भौतिक बुनियादी सुविधाएं भी उनमें होंगी। ❐

(लेखक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में उप महानिदेशक (मीडिया एवं संचार हैं)

ढाबों और घरों में बच्चों को नौकर रखने पर अक्तूबर से प्रतिबंध

सरकार ने घरों, ढाबों, रेस्त्रां, होटल, मोटेल, चाय की दुकानों, रिजार्ट, स्पा और अन्य मनोरंजन केन्द्रों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। यह प्रतिबंध बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगाया है। प्रतिबंध 10 अक्तूबर, 2006 से लागू हो जाएगा। श्रम मंत्रालय ने तीन माह की अनिवार्य नोटिस देकर हाल में इस आशय की अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्गों में बच्चों को नौकर के रूप में नियुक्त करने का जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सरकार कर्मचारियों पर घर में बच्चों से काम करवाने पर पहले ही रोक लगा चुकी है। यह अधिसूचना जारी करके सरकार ने सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह निर्णय आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक के नेतृत्व में गठित बाल श्रम पर तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया है। समिति का विचार है अधिसूचना में जिन कामों का वर्णन किया गया है, वे बच्चों के लिए खतरनाक हैं। समिति ने सिफारिश की है कि उपरोक्त कार्यों को भी उन कामकाजों में शामिल किया जाए जिन्हें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त कामकाज के लिए बाल श्रम पर प्रतिबंध की सिफारिश करते हुए समिति ने कहा है कि इन बच्चों को शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और कभी–कभी यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। समिति ने कहा है कि प्रायः ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आतीं क्योंकि ये घरों, ढाबों या रेस्त्रां की चहारदीवारी के अंदर होती हैं। समिति ने कहा है कि बाल श्रमिकों को कई घंटों तक काम करना पड़ता है और उन्हें इस तरह की हानिकारक गतिविधियों में लगाया जाता है जो उनके शरीर और मन को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। समिति ने कहा है कि जो बच्चे ढाबों और छोटे–मोटे होटलों में काम करते हैं, वे आसानी से यौन शोषण और नशीले पदार्थों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि कई तरह के लोगों से उनका वास्ता पड़ता है।

आशा है कि इन उपायों से बेबस कामकाजी बच्चों की हालत सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की पुनर्वास योजना को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है। यह योजना इस समय देश के 250 सर्वाधिक प्रभवित जिलों में चल रही हैं।

भारत निर्माण कार्यक्रम ने पहले साल में अधिकांश लक्ष्य हासिल किए

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रमों का जायजा लिया

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने समीक्षा बैठक में वर्ष 2005–06 में भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से संबंधित छह घटकों की प्रगति का जायजा लिया। इन छह घटकों में से चार घटकों नामतः ग्रामीण टेलीफोनी, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत नई सड़कों के निर्माण में लक्ष्य से ज्यादा प्रगति हासिल की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में भी हालांकि काफी प्रगति हासिल हुई है, लेकिन सिंचाई कार्यक्रम में लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका।

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009 तक देश के सभी गांवों में बिजली, बारहमासी सड़कें, पीने का पानी और टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 60 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे और एक करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के तहत 18,708 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि इसके लिए लक्ष्य 15,492 किलोमीटर रखा गया था। ग्रामीण टेलीफोन कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 66,822 गांवों में से 30,251 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जहां तक जलापूर्ति कार्यक्रम का संबंध है, ऐसी बस्तियां जो इस कार्यक्रम में पिछड़ चुकी थी, इनमें से 34,373 बस्तियों को जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम के तहत 70,416 बस्तियों को पानी उपलब्ध करा दिया गया है। इस कार्यक्रम में कवर न की जा सकी बस्तियों में से 11,879 बस्तियों को इस वर्ष कवर करने का लक्ष्य रखा गया था, इसमें से 11,526 बस्तियों को इस वर्ष कवर किया जा चुका है। जहां तक ग्रामीण आवास का संबंध है वर्ष 2005–06 में 15 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस वर्ष 15.41 लाख आवास बनाए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 10 हजार गांवों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, इनमें से 9819 गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन वर्ष 2006–07 और वर्ष 2007–08 इस कार्यक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन वर्षों के लिए लक्ष्य बढ़ाकर प्रति वर्ष 40 हजार गांव कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्युत वितरण के लिए खुदरा बिक्री व्यवस्था की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। यह कार्य स्व–सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को दिया जा रहा है। ग्रामीण सिंचाई कार्यक्रम के तहत बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अभी तक सभी राज्यों से उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है, जिन राज्यों से रिपोर्ट मिली है उनमें 9 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जबकि इस वर्ष के लिए लक्ष्य 19 लाख हेक्टेयर रखा गया था।

भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास कोष का सृजन किया गया है। इस कोष से इस कार्यक्रम के लिए 16,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। आशा है कि इस कोष को जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उपकर, ईएपी और इस नए कोष से इस कार्यक्रम के लिए धन की जरूरत पूरी हो जाएगी। ग्रामीण सड़कों के मामले में सात ऐसे राज्य हैं, जहां 90 प्रतिशत कार्य पिछड़ा हुआ है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में छह राज्य ऐसे हैं, जहां 90 प्रतिशत कार्य पिछड़ा हुआ है। ये राज्य हैं– असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की आगामी बैठक के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी एक अलग से बैठक आयोजित कराई जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि इन कार्यक्रमों पर तत्काल ध्यान दें, ताकि सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय के अनुसार प्राप्त किया जा सके। ❐

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

एक लाख आम सेवा केंद्र छह लाख गांवों को सेवा उपलब्ध कराएंगे

केंद्रीयकृत पहल–विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एक लाख ग्रामीण आम सुविधा केंद्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इन पर कुल 5742 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से 856 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 793 करोड़ रुपये सरकारें वहन करेगी। शेष 4093 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से मिलने की आशा है। इस परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए लागू करेगा।

इन एक लाख आम सुविधा केंद्रों से शहरों और गांवों के बीच डिजीटल अंतर कम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से आशा है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजीटल सेवाओं की पहुंच बन जाएगी और आर्थिक गतिविधियों के अवसर बढ़ेंगे। आम सुविधा केंद्रों का कार्य 18 महीनों में यानी मार्च, 2008 तक शुरू हो जाएगा।

सीएससी राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना (एनईजीपी) के तहत एक सामरिक पहल है। सरकार ने ई–प्रशासन के व्यापक विस्तार के लिए अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दी गई वचनबद्धता के सिलसिले में यह पहल शुरू की है। स्कीम का लक्ष्य आम आदमी को उसी की बस्ती में सभी सरकारी सेवाएं सुलभ कराना है। सीएससी ई–प्रशासन के तीन बुनियादी स्तंभों में से एक है। इसका उद्देश्य आम आदमी को "किसी भी समय कहीं भी" आधार पर सरकारी सेवाएं इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराना है। राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (स्वान) और स्टेट डाटा सेंटर ई–प्रशासन योजना के दो अन्य स्तंभ हैं। सरकार स्वान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस पर इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराना है। राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क (स्वान) और स्टेट डाटा सेंटर ई–प्रशासन योजना के दो अन्य स्तंभ हैं। सरकार स्वान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस पर 3,334 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सीएससी राष्ट्रीय ई–प्रशासन योजना के तहत 27 मिशन मोड परियोजनाओं द्वारा संचालित सेवाओं सहित सरकार की कई सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रमुख माध्यम बनेंगे।

परियोजना के तहत सीएससी एक लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के जरिए सरकार से नागरिकों को और व्यवसाय से उपभोकताओं को जैसी कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। सरकार सीएससी स्तर तक विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी (256 केबीपीएस) उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है। एक लाख सीएससी देश के 6 लाख गांवों की जरूरतें पूरी करेंगे। 6 गांवों के एक क्लस्टर में कम से कम एक सीएससी होगा।

सीएससी ई–प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेली मेडीसन, मनोरंजन तथा अन्य निजी सेवाओं के क्षेत्रों में वीडियो, बॉयस और आंकड़ों के रूप में विषय–वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ये सेवाएं उच्च गुणवत्ता वाली और कम लागत वाली होगी। सीएससी की एक खूबी यह होगी कि यह आवेदनपत्र, प्रमाणपत्र, उपयोगिता भुगतान (बिजली टेलीफोन और पानी के बिल) जैसी ई–प्रशासन सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराएंगे। सीएससी स्वास्थ्य देखभाल के लिए परामर्श व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाजार और आपूर्ति श्रृंखला, ग्रामीण बीपीओ, कृषि मूल्य और मौसम की जानकारी आदि जैसे निजी क्षेत्र की सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे।

पूरे देश को कवर करने वाली यह परियोजना हालांकि केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत रूप से होगा। इस स्कीम से निजी क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठनों के लिए एक अनुकूल माहौल बनेगा और ये संगठन तथा क्षेत्र सीएससी स्कीम के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

सीएससी से आशा है कि प्रत्यक्ष रोजगार के एक लाख अवसर और अप्रत्यक्ष रोजगार के 2–3 लाख अवसर पैदा होंगे। स्कीम के पूरी तरह चालू हो जाने पर सरकारी और निजी सेवाएं प्राप्त करने में कम समय तथा कम लागत से लोगों की आय में एक प्रकार से इजाफा ही होगा। ❒

वर्तमान समस्यायें और गांधीजी की प्रासंगिकता

प्रांजल धर

महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो हैं ही, विश्व इतिहास भी शताब्दी के ऐसे महानायक का उल्लेख किए बिना पूर्ण और संतुलित नहीं हो पाता। साधारणतम जीवन जीकर और सामान्यतम विचारों का पूर्णतः पालन करके गांधी जैसे फकीर ने उस ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दीं, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। 'बापू' और 'महात्मा' कहकर आज विश्व के विशालतम लोकतंत्र की जनता उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती है; उनके विचारों का अनुसरण करने का प्रयास करती है और लगभग समस्त संसार उन्हें पूज्य और वंदनीय मानता है। आत्मा की शांति और नीरवता को सुनकर गांधीजी ने सदैव सत्य और शिव का आदर किया; अहिंसा की प्रतिष्ठापना की और चालीस करोड़ लोगों को आजाद कराया।

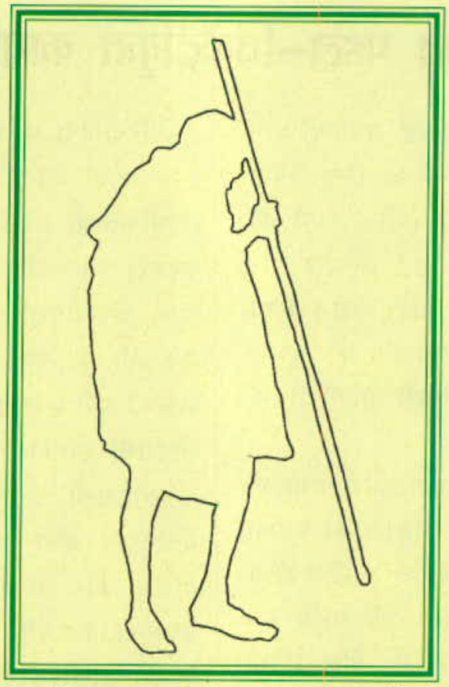

लेकिन समय बदलता है और समय के साथ हम सभी। कद्रें बदलती हैं और यकीन भी। गांधी जी ने जिस साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की, उस पर तो विजयी हुए; किंतु उन्होंने व्यवस्था की जिन खामियों के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया, जिन विकृतियों और विसंगतियों पर उन्होंने चोटें कीं, क्या वे विसंगतियां और विकृतियां नष्ट हो सकीं? गांधी पर ढेरों विचार–गोष्ठियां आयोजित होती हैं, सभा–सम्मेलन होते हैं और बहुत बार ये गरमागरम बहसें काफी लम्बे–लम्बे समयों तक चलती रहती हैं। पर क्या हम समझते हैं कि गांधी का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बात चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कालाहांडी और कुछ अन्य जगहों की गरीबी की हो, विदर्भ या महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किसानों की आत्महत्याओं के बदस्तूर जारी दौर की हो या फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकध्रुवीय विश्व के 'महानायक' की कार्रवाइयों की ही क्यों न हो–गांधी हर परिस्थिति में और हर मोड़ पर प्रासंगिक नजर आते हैं। हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, मसलन–लेबनान पर इज़रायल की हिंसक कार्रवाई, इराक में अमेरिकी दखलंदाजी या फिर अमेरिका–ईरान प्रकरण–बताती हैं कि समय के गुजरने के साथ–साथ गांधी का महत्व बढ़ता गया है, उनकी प्रासंगिकता बढ़ती गई है। सत्य और अहिंसा के शाश्वत गांधीवादी सिद्धांत समकालीन विश्व व्यवस्था में भी सागर की गहराइयों से निकले ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें प्राप्त करके यह मानवता बार–बार धन्य हुई है।

गांधीजी के जमाने में हम भारतवासियों की संख्या चालीस करोड़ थी, आज हमारी आबादी एक अरब से भी ज्यादा है। साक्षरता का प्रतिशत बड़ा है, तमाम वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नतियां हुई हैं, स्वतंत्रता और समानता पर ढेरों विचार प्रचारित–प्रसारित हुए हैं और हम परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बन चुके हैं। सूचना–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाई है, कई मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और बदलते वैश्विक परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानचित्र पर हमारी सौदेबाजी की ताकत में इजाफा हुआ है। सड़कों और रेलमार्गों का विस्तार हुआ है, यातायात और संचार के साधन विकसित और उन्नत हुए हैं और कृषि क्षेत्र में भी नई–नई तकनीकों और बीजों का प्रयोग बढ़ा है।

परंतु यह आज के भारत का पूरा चित्र नहीं है। देश उदारीकरण की सड़क पर आंखें मूंदकर सरपट दौड़ रहा है और सेंसेक्स नित नवीन ऊंचाइयां छूकर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रचुर विदेशी मुद्रा भंडार के परदे के पीछे भी एक दुनिया है। आज भी हमारे यहां पैंतीस प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते। हालिया जानकारी के मुताबिक सिर्फ 640 कस्बों/शहरों में ही झुग्गीवासियों की तादाद लगभग साढ़े चार करोड़ है। ऐसे कस्बे और भी हैं लेकिन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। आज भी हमारी छब्बीस प्रतिशत आबादी ऐसी है जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं। ढेरों बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं और तकरीबन एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक कमरा है। गांधीजी गांवों के विकास पर विशेष जोर दिया करते थे लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में ही बिना इमारत वाले विद्यालयों की तादाद सर्वाधिक है। इन गांवों तक पहुंचते–पहुंचते विकास की ऊष्मा ठंडी पड़ जाती है। आय की असमानता भी कम नहीं। जितना फर्क है कश्मीर की कड़कड़ाती सर्दी से लेकर राजस्थानी मरूभूमियों की गर्मी के बीच; शायद उतना ही फर्क है भारत के

नागरिकों के रहन–सहन के स्तर में, आजीविका के साधन में और उपभोग के कारण मिलने वाले लाभों में। सोचना पड़ता है कि इसी देश में बजट के बाद कास्मेटिक उत्पादों की खपत बढ़ जाती है, मोबाइल फोन के दाम गिर जाते हैं और नमक, दाल, गेहूं, चीनी की स्थिति प्रायः गंभीर बनी रहती हैं। एक ओर देश के जाने–माने इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थानों से प्रशिक्षित प्रबंधनकर्मियों की तनख्वाह की रकम दिन दूनी, रात चौगुनी की दर से बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी का स्तर भी खतरनाक तरीके से बढ़ता गया है। क्या इसी प्रकार के भारत की कल्पना हमारे राष्ट्रपिता ने की होगी? जातिवाद और धर्मनिरपेक्षता के क्या ऐसे रूपों के बारे में गांधीजी ने सोचा होगा जो वर्तमान समय में चलन में हैं? क्या दलितों को उनका वाजिब हक मिल पाया है? क्या दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खटने वाले श्रमिकों की दशा में कोई ऐसा उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिस पर गर्व किया जा सके? अगर हां, तो फिर गोहाना कांड, गुड़गांव की घटनाएं या ऐसी कई अन्य दुःखद स्थितियां भला क्या संकेत करती हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इक्कीसवीं सदी के भारत की चौखट पर खड़े दरवाजा पीट रहे हैं। क्या सुन पाते हैं हम इस खटखटाहट की करुण ध्वनि को?

महात्मा गांधी के मुताबिक आजादी के आंदोलन का प्रथम चरण राजनीतिक–संवैधानिक स्वायत्तता हासिल करके जनतंत्र की स्थापना करना था। ऐसा जनतंत्र जिसमें गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी यह समझेगा कि यह देश, यह लोकतंत्र, यह गणतंत्रीय व्यवस्था उसकी अपनी है। जनता चाहे गांवों की हो, या शहरों की; यह समझेगी कि इसमें उसकी भी राजनीतिक सहभागिता है....उसका भी कुछ हक है। गांधीजी के अनुसार खेत जोतनेवाले को मालिक बना देना पूर्ण और समग्र स्वतंत्रता का दूसरा चरण था। किंतु राजनीतिक रूप से आजादी प्राप्त करने के बाद छः महीने पूरे होते–होते बापू ने इस राष्ट्र से विदा ले ली। तब तक देश के नियामकों और निर्देशकों की वरीयताएं और उनके दृष्टिकोण काफी बदल चुके थे–यह कहना शायद अनुचित न होगा। 90 प्रतिशत खेतिहर ग्रामीण समाज जिस तरीके से विकास के हाशिये पर चला गया, शायद उसी का परिणाम रहा कि तब से अब तक भूमिहीनता 5 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो चुकी है।

बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए तमाम कोशिशें की गई लेकिन आलम यह है कि तब से अब तक बेरोजगारी 9 करोड़ से बढ़कर लगभग 30 करोड़ हो चुकी है। आज भी हमारे श्रमिकों का लगभग 92 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है और महिला श्रमिकों की दशा काफी चिंताजनक है। इन सारी चीजों के बावजूद लगातार यह साबित किया जा रहा है कि निर्धनता, भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी और अशिक्षा का एकमात्र हल औद्योगिक विकासवाद ही है। यह विडंबना ही है कि एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लगातार दुहरा रहे हैं कि कृषि आधारित विकास के बिना गरीबी उन्मूलन संभव ही नहीं है। चीन, जापान और ताइवान जैसी हमारी पड़ोसी अर्थव्यवस्थाएं इस बात की जीवंत प्रमाण हैं। स्वतंत्रता के बाद अन्य राष्ट्रों की मदद से जो कृषि नीति अपनाई गई उसमें प्रायः स्थानीय फसलों की जगह उन फसलों का चुनाव किया गया जिनकी मांग औद्योगिक घरानों में ज्यादा थी। गांधीजी के इस देश में खेती करनेवाला किसान मानता है कि खेती जीवनयापन करने का साधन है, व्यापार का नहीं। वह किसानी और जमीन से एक लगाव और एक प्रकार का गहरा जुड़ाव महसूस करता है। कृषि व औद्योगिक विकास के संबंधों को रेखांकित करना क्या जरूरी नहीं ?

भारतवर्ष में गरीबी के अपने मिथक और अपने यथार्थ हैं। आजादी के बाद पांचवें दशक के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लेकर छठवें दशक के हरित क्रांति कार्यक्रम और सातवें दशक के बीस सूत्री कार्यक्रम से लेकर आठवें दशक की नवउपनिवेशवाद प्रेरित योजनाओं तक जारी परमार्थपरक नीतियों के बावजूद और अनुमानतः पांच सौ अरब रुपये के अथाह संसाधनों के विनिवेश के बावजूद भारत के लगभग साढ़े पांच लाख गांव उम्मीदों और अपेक्षाओं के उसी हाशिए पर औचक खड़े हैं। उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान और सड़क, बिजली, पानी के विशालतम प्रश्न तो हैं ही, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों के जवाब भी मांग रहे हैं। इन जलजलाती स्थितियों के बीच देश इस मुगालते में है कि अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित उछाल और कारपोरेट सेक्टर के विस्तार के साथ ही भारत आर्थिक गुरु बस बनने ही वाला है। यह पलायन, भुखमरी, हिंसा और अपराधीकरण के लगातार ऊंचे उठते ग्राफ पर भौचक्के खड़े भारतवर्ष की व्यवस्था है।

जाहिर है कि आर्थिक स्वायत्तता और स्वावलंबन को अहिंसात्मक स्वतंत्रता की कुंजी मानने वाले बापू के देश में कई भ्रम ध्वस्त हो चुके हैं। इन तमाम खुशफहमियों की हकीकत जानने के बाद सवाल यह नहीं है कि धर्मगुरु के बाद आर्थिक

गुरु बनने का दिवास्वप्न कब टूटेगा; बल्कि उत्तर उन ग्रामीण किसानों से पूछना होगा जिनकी गर्दन कर्ज के राक्षस के पैरों तले दबी है और जो अपनी जीवनलीलाएं समाप्त करके नया इतिहास रच रहे हैं। भारत के समतामूलक विकास की सच्चाइयां इन्हीं प्रस्थान बिंदुओं से जन्मती हैं। और यहीं से जन्मते हैं विकास के नए विभ्रम। परिस्थितियां इतनी व्यापक हो चुकी हैं कि खाद्यान्न उत्पादन की स्वघोषित आत्मनिर्भरता के बावजूद सरगुजा, पलामू और कालाहांडी की भुखमरी आज तक जिंदा है। महात्मा गांधी ने आज के बच्चों को कल के राष्ट्र का पिता कहा था और उनकी महत्ता को रेखांकित किया था। यूनिसेफ की रिपोर्ट इन बच्चों की हालत बयां करती है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे एशियाई देश ही नहीं; मोरक्को और कई अन्य अफ्रीकी राष्ट्रों सहित पूरी की पूरी तीसरी दुनिया के बच्चे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन–रात अथक परिश्रम करते हैं। वे अक्सर अमानवीय स्थितियों में जीने को विवश हैं–कहीं चमड़ा उद्योग में, कहीं भवन–निर्माण में; तो कहीं कालीनों के निर्माण और व्यापार में। हैरत तब होती है तब यह सब पूज्यनीय कही जाने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है और वह भी तब; जब संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बड़े–बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन बालकों के स्वस्थ विकास पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं।

गांधीजी की प्रासंगिकता हमें इन्हीं मुद्दों पर सोचने को विवश नहीं करती, बल्कि नए–नए विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे विषय जो सार्वजनिक रुचि और महत्व के हैं, ऐसे विषय जो गंभीर हैं और जिन पर वास्तव में बड़ी गहराई से विचार मंथन किए जाने की आवश्यकता है। भूमि सुधारों और भू–स्वामित्व जैसी बुनियादी समस्याओं को ही लें। भूमि हदबंदी कानून की तमाम सदाशयताओं के बावजूद 74 प्रतिशत आबंटितों को आज तक भूमि का हक नहीं मिल पाया। भूदान को आंकड़ों और तर्कों से नैतिक विश्वासघात की कथा साबित करके सारा प्रशासन तंत्र प्रायः आज भी उतनी ही प्रतिबद्धता से जुटा है। सरकारी कानून अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं जितने वे निर्माण के समय में थे। वर्तमान कानूनों को गौर से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के सत्ताईस करोड़ कृषि मजदूरों को उनके खेतों का मालिक बना देना किसी खुशफहमी या दिवास्वप्न से कम नहीं।

चंपारन में गांधीजी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग किया था। 1917 में नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे बेहद अत्याचार करते थे। उन्नीसवीं सदी के बंगाल में भी ऐसी ही स्थितियां थीं। यहां (चंपारन में) गांधीजी ने किसानों के हितों को लेकर आवाज बुलंद की थी और लड़ाई जीती थी। क्या आज, भले ही दूसरे रूपों में सही, ऐसी समस्यायें नहीं हैं? बांध बनाने वाले विचारों को ही लें। एक बड़ी आबादी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, विस्थापित हो गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो इस विशालकाय समस्या का एक अंगमात्र है; समस्या की जड़ें और भी अधिक गहराई तक धंसी हुई हैं। वास्तव में भूमि कानून सफलता के पैमाने भूमि–अर्जन कानून हैं जिसने आजादी के लगभग साठ बरस बाद तक तकरीबन चार करोड़ लोगों को विस्थापित कर दिया। सफलताएं तो वन संरक्षण कानून में भी हैं जिसके दायरे में 85 लाख बनवासी अपनी ही मातृभूमि पर आक्रमणकर्ता घोषित किए जा चुके हैं। अनुत्तरित मौन की परिधियों में इन प्रश्नों का उत्तर तलाशे बिना शायद खेत–जोतने वाले को उसका स्वामी बना देना संभव भी नहीं।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि को सिर्फ आर्थिक इकाई मानना उचित या न्यायपूर्ण नहीं होगा। हमारी दो तिहाई से भी ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। गांवों का विकास ही अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के समग्र विकास की प्रस्तावना होगी। हमारे यहां भूमि आर्थिक इकाई से बढ़कर एक ऐसी संरचना, फलक और धरातल है जिनमें हमारी सामाजिक–सांस्कृतिक जड़ें और परंपराएं गहराई तक व्याप्त हैं। देखा जाए तो भूमि ही ऐसा जीवंत माध्यम है जहां समाज और राष्ट्र, व्यष्टि और समष्टि अपनी जड़ें महसूस कर पाता है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में, जो कि प्राचीन उन्नत सभ्यताओं का केंद्र भी रहा है, भूमि ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन की सर्वदा साबित इकाई रही है। यह महज संयोग या इत्तफाक ही नहीं है कि अब नव–उपनिवेशवाद का नया लक्ष्य समाज को जड़हीन कर देना है, बल्कि यथार्थ है कि भारत सहित पूरे संसार में भूमिहीनता का अनुपात 38 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के तमाम अविकसित देशों में पचास करोड़ लोग निपट भूमिहीन हैं, जहां भूमि–सुधार कभी लागू ही नहीं किया गया।

गांधी और उनके सिद्धांतों को आज विश्व बिरादरी भी सम्मान की नजर से देखती है। इसी विश्व बिरादरी द्वारा कराए गए तमाम अध्ययनों और सर्वेक्षणों से बार–बार यह साबित हुआ है कि गरीबी, पलायन, हिंसा और संगठित विद्रोहों का

मूल कारण जल, जंगल और जमीन का असमान वितरण है। उन्नत और सभ्य कहे जाने वाले इक्कीसवीं सदी के विश्व में भी एक आम आदमी वितरणमूलक न्याय का हकदार क्यों नहीं? क्या इसके पीछे हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी रही है, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही रही है, प्रशासन की उपेक्षा रही है या फिर यह न्यस्त स्वार्थों के संवेदनहीन खेल की स्वाभाविक उपज है? चिली, अर्जेंटाइना, ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ–साथ भारत के भी खेतिहर मजदूर आंदोलन इसके गवाह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि भूमि सुधार ही भूमिहीनों के भू–अधिकार और स्वामित्व तथा सीमांत कृषकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? यह कहना गलत नहीं होगा कि भूमि सुधार सामाजिक सशक्तीकरण और लोकतांत्रिक सहभागिता का निर्णायक सूचक है। इसी वजह से विश्व इतिहास में भूमि सुधार को ही समग्र विकास की पहली अपरिहार्यता माना गया है। सामंती व्यवस्था, मध्यकालीन यूरोप में लॉर्ड्स, नाइट्स, पुरोहित–पादरी और मजदूर–किसानों की कहानियां कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। विश्व इतिहास की बड़ी–बड़ी क्रांतियां भूमि, इसके सुधार और श्रमिकों मजदूरों से जुड़ी रहीं हैं। चाहे वह रूस की क्रांति हो या चीन का सुधारवाद–ये बातें हमेशा प्रासंगिक रही हैं।

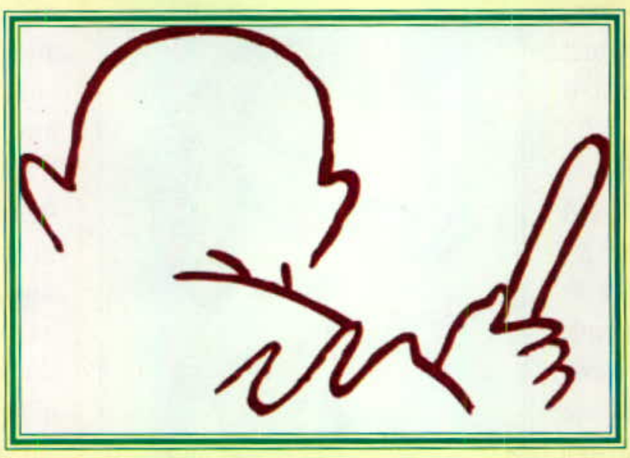

भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर ढेरों परिचर्चाएं चल रही हैं–योजनाएं बन रहीं हैं और उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। एक बहुत अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में सरकार की अपनी सीमाएं हुआ करती हैं। यदि हमारे यहां ऐसी सीमाएं हैं तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ सरकार के कार्यों से ही सुदृढ़ या स्वस्थ नहीं होता, उसमें कई बुनियादी संरचनाओं और जनता की भी सक्रिय भूमिका अपेक्षित होती है। मसलन–पंचायत स्तर से लोकतंत्र को तृणमूल तक मजबूत बनाना, लोगों के सामूहिक प्रयासों द्वारा लोकतांत्रिक विचारों और आदर्शों का प्रचार–प्रसार करना या फिर सरकारी, गैर–सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सुधार पर बल देना। एकता परिषद एक ऐसा ही संगठन है जो बुनियादी लोगों, गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए काम करता है। जनता के लिए काम करने का एकता परिषद एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। गांधीजी की अहिंसा को अपनी प्राणवायु मानकर यह अपने प्रयास करता हे। पांचवें और छठे दशक में जब चम्बल घाटी बागियों के हिंसात्मक विद्रोह और बीहड़ की गहराती हुई समस्या में उलझी हुई थी, तब कुछ प्रतिबद्ध नौजवानों ने चम्बल को अहिंसा की प्रयोगस्थली बनाने का संकल्प लिया। इस अहिंसा की ज्योति दुनिया को तब पता चली जब 14 अप्रैल 1972 को 654 बागियों ने हमारे राष्ट्रपिता और बापू की प्रतिमा के समक्ष अपने हथियार सदा–सर्वदा के लिए त्याग दिए। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में लगातार वंचितों के अधिकारों की आवाज को अहिंसापूर्ण ढंग से इस संगठन ने व्यक्त किया है। ऐसे ही और भी गांधीवादी सिंद्धांतों का अनुसरण करनेवाले व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की इस देश को जरूरत है ताकि बापू के स्वप्न पूरे हो सकें। एकता परिषद उसी प्रकार के ग्राम संगठनों का एक परिसंघ है जिसकी बात गांधीजी ने की थी। यह वंचित समाज को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए अहिंसात्मक आंदोलनों पर बल देता है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र का एक अनिवार्य अभिलक्षण है, जहां सबकी बातें सुनी जाती हों, जहां किसी की आवाज को इसलिए न दबा दिया जाये कि वह गरीब, शोषित या वंचित है। गांधीजी के जन्म दिवस 2 अक्तूबर के महत्व को समझते हुए एकता परिषद, वर्ष 2007 के इसी दिन वंचित भूमि अधिकार के लिए ग्वालियर से दिल्ली की ओर कदमताल शुरू करेगा। वास्तव में 2 अक्टूबर 2007 तो एक प्रारंभमात्र होगा–असली लक्ष्य होगा अधिकारों की प्राप्ति, समानता की स्थापना। उस समानता की स्थापना जिसे पर हमारे राष्ट्रपिता का विशेष जोर था। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाइयों का समर्थन वास्तव में हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक महान बनाता है।

खैर। समस्याएं न तो इतनी सीमित हैं और न ही यहीं पर समाप्त होती हैं। इनकी एक लम्बी शृंखला है जिसे समझे जाने की जरूरत है। आजाद भारत में पश्चिमी बंगाल और केरल से शुरू हुए भूमि सुधार की प्राथमिकताएं हरितक्रांति के जादुई विरोधाभासों और फिर 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के परमार्थिक उपदेशों के बाद धीरे–धीरे बदलने लगीं। इसीलिए आजाद भारत में तथाकथित भूमि सुधार के 272 कानून तथा 13 संवैधानिक संशोधनों के बाद भी वंचितों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। खासकर तब हम इस सच्चाई से भला कैसे आंख मूंद सकते हैं जब इन्हीं पांच दशकों में चीन में 43 प्रतिशत, ताइवान में 37 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया में 32 प्रतिशत और जापान में 33 फीसदी कृषि भूमि का पुनर्वितरण हुआ। क्या पड़ोसी देशों के ऐसे सामाजिक और कृषि संबंधी परिवर्तन हमें कोई शिक्षा नहीं देते? भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तमाम सरकारी प्रतिबद्धताओं के बावजूद मात्र 1.25 फीसदी

भूमि का ही पुनर्वितरण हो पाया। सोचना पड़ जाता है कि ग्राम्य जीवन प्रशंसक गांधी का क्या यही देश है? जाहिर है कि जब 64 फीसदी लघु सीमांत किसानों के पास कुल खेती का 32 प्रतिशत हिस्सा ही हो और 7 फीसदी बड़े किसान 42 फीसदी हिस्से के मालिक हों, तब इस व्यवस्था को मात्र कानूनों और संवैधानिक संशोधनों से ही चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके लिए व्यापक जनजागरण, अपार इच्छाशक्ति और अहिंसात्मक जन–अभियानों की जरूरत है।

स्वतंत्र भारत के विसंगतिपूर्ण तथ्यों का पुलिंदा यहीं खत्म नहीं होता। आज भारत में लगभग 224 राष्ट्रीय मार्गों और अभयारण्यों के नाम पर वन्यजीव संरक्षण की खातिर लगभग 56 लाख वनवासी उजड़ चुके हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उत्खनन उद्यमों के नाम पर और अब औद्योगीकरण की विकसित बयार के बहाने व्यापक पैमाने पर हिंसात्मक तरीके से भी बेदखली का नया दौर जारी है। चिल्का झील के किनारे बसने वाले दो लाख मछुवारे आज व्यावसायिक दोहन के चलते बेरोजगारी की कगार पर हैं और भुखमरी के गाल में कब वे समा जायें, किसी को पता नहीं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पिछले पांच सालों में ही लगभग पचास हजार एकड़ भूमि औद्योगीकरण के लिए अर्जित की गई है। इसका अंजाम यह हुआ है कि राज्य से पलायन करने वालों का प्रतिशत 11 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है। झारखण्ड के नेतरहाट में सैन्य सुरक्षा के नाम पर विस्थापित लगभग डेढ़ सौ गांवों को नहीं मालूम कि आजाद भारत में उनकी जगह कहां है। बिहार के न्यायालयों में अपनी जमीन का हक पाने के लिए वर्षों से खड़े बत्तीस लाख लोगों को नहीं पता कि न्याय उन्हें आखिर मिलेगा कब। इसका जवाब तो केरल के वायनाड विद्रोह में शामिल उन मुट्ठी भर आदिवासियों के पास भी नहीं है जो भूमि सुधार की चमचमाती रोशनी की चकाचौंध में बिल्कुल विस्मृत कर दिए गए। आजाद भारत में निर्धनों और वंचितों के अधिकारों की इबारतें इसी बिंदु से प्रारंभ होती हैं, और यहीं से शुरू होती है उनकी वेदना, और कसक से भरा उनका जीवन, जो इसका भोक्ता रहा होगा। क्या गांधी जयंती पर आम जनजीवन से जुड़े ये सवाल सार्थक और प्रासंगिक नहीं?

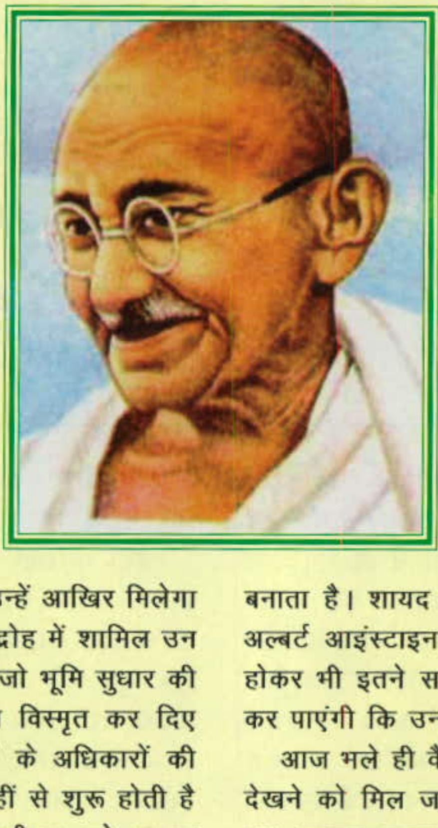

बात–बात में गांधी जैसे युगनायक की बात करना एक अलग बात है लेकिन राष्ट्र, समाज और व्यक्तियों के जीवन में उन आचरणों का समावेश करना, जिनका हमारे राष्ट्रपिता ने आजीवन पालन किया, एक बिल्कुल दूसरी बात। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गांधीजी के हृदय में एक गरीब और आम आदमी, बल्कि यों कहें कि प्राणिमात्र के प्रति–सम्मान और आदर का भाव था। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने तात्विक न्याय की सरल भाषा समझी। हिंसा की निरर्थकता का अनुभव करके ही उन्होंने अहिंसा जैसे उच्च मानवीय मूल्य पर अतिशय जोर दिया। उनके अनुसार सत्याग्रह के एक सच्चे अनुयायी का धर्म है कि वह सत्यप्रेमी बने, वह शांति का आकांक्षी हो और अहिंसा का पालक हो। वर्ष 1920 में अपने साप्ताहिक पत्र 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा था, "अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है, जैसे हिंसा पशु का धर्म है।" लेकिन इस वजह से गांधीजी को कमजोर इच्छाशक्ति का मानना एक बहुत बड़ी भूल भी होगी और एक अवैध सामान्यीकरण भी। इसीलिए गांधीजी को अगर कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो वे हिंसा को चुनते हैं। भारत के कायर होने के वे नितांत विरुद्ध थे। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र बलिदानों से ही महान हुआ करते हैं और जितना बड़ा यह बलिदान होता है, उतनी ही अधिक उस राष्ट्र की प्रगति भी होती है। साधारण जनता की क्षमता को असाधारण ढंग से पहचानकर महात्मा गांधी ने जो किया वह उन्हें एक देशभक्त के रूप में वाशिंगटन, मैज़िनी और सन यात सेन के समकक्ष खड़ा करना है। एक संत होने के साथ–साथ वे राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। उनका यह विचार कि राजनीति में भी मनुष्य को पवित्र तरीकों से ही काम लेना चाहिए, हर युग के चिंतनशील मानवों की आकांक्षाओं को सच्चे ढंग से व्यक्त करना है। साध्य के साथ–साथ साधन की पवित्रता पर भी जोर देना उन्हें और भी अधिक महान बनाता है। शायद तभी पिछली शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि महात्मा गांधी इतने महान होकर भी इतने सरल हैं कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि उन्होंने इतने बड़े–बड़े कार्यों को अंजाम दिया।

आज भले ही वैषम्य के तमाम रूप जीवन के विविध क्षेत्रों में देखने को मिल जाएं लेकिन गांधीजी का जोर पूर्ण समता पर था। उनका मानना था कि श्रम से अपनी रोटी का उपार्जन करना चाहिए। फिनिक्स फार्म का गठन वास्तव में श्रम की प्रतिष्ठा पर ही बल देता है। उन्होंने लिखा है, "हर व्यक्ति को ईमानदारी से परिश्रम किए बिना भोजन करना अपना अपमान समझना चाहिए। यदि हम श्रम–विमुखता का त्याग करें और भाग्य के अप्रत्याशित परिवर्तनों से अभ्यस्त हो जायें, तब हम निर्भयता की ओर अग्रसर होंगे और इस तरह धीरे–धीरे हम अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठा सकते हैं।"

गांधीजी की कुछ बातें तो बेहद गौर करने लायक हैं। जनवरी 1947 में अपने पत्र 'हरिजन' में उन्होंने लिखा है कि उनकी कल्पना के स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार उसी को होगा जो किसी न किसी रूप में शारीरिक श्रम करता हो। जब हम 1947 में आजाद हुए, तब भी बापू ने अपने इसी विचार को दुहराया था। क्या आज ये सवाल बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं? रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर हम निश्चित रूप से सभ्य देशों की जमात में खड़े हो गए हैं लेकिन आज भी क्या शारीरिक श्रम की वैसी प्रतिष्ठा स्थापित हो सकी है जैसी हमारे राष्ट्रपिता की इच्छा थी? प्रतिदिन दिए जाने वाले पुरस्कार का मूल्य यह है कि अलग–अलग राज्यों में मजदूरी की दरों में अभी भी अंतर है। मामूली–से रुपयों के लिए यानी इस अंतर का लाभ उठाने के लिए कितने ही मजदूर अपनी–अपनी मातृभूमियों से उन राज्यों की ओर जाते हैं जहां यह मजदूरी थोड़ी ज्यादा मिलती है। इस प्रक्रिया में उन्हें तमाम खतरे उठाने पड़ते हैं और बड़े–बड़े शहरों में उनके लिए किसी भी प्रकार की आवासीय व्यवस्था न होने के कारण झुग्गियों और झोपड़ियों में रहना पड़ता है। बिजली और पानी जैसी चीजें तो उन्हें परेशान करती ही रहती हैं, समय–समय पर बनाए गए कानून भी उनकी कोई हिफ़ाजत नहीं कर पाते। कभी–कभी तो क्षेत्रीयतावाद जैसी प्रवृत्तियों के चलते भी कई गंभीर संकट खड़े हो जाते हैं। एक राज्य के अभ्यर्थियों का दूसरे किसी राज्य में परीक्षा देने जाने पर राज्य को आधार बनाकर हिंसा करना या झगड़े करना कहां की मानवता है? क्या यह विडम्बना नहीं कि एक तरफ तो हम भूमंडलीकरण का राग अलापकर ग्लोबल विलेज में विश्व नागरिक बनने का दावा करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार की ओछी हरकतों को अंजाम देते हैं?

भारत का विकास करने के लिए गांधीवादी मूल्यों को हमने बुनियादी आधार पर स्वीकार किया और हमारे संविधान में भी इसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखती है। मसलन–संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन वगैरह के संबंध में यह बातें साफ–साफ सामने आती है। लेकिन आज भी उस आबादी का क्या कोई भविष्य है जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर अपना जीवनयापन करती है और जो रहती इसी व्यवस्था और संविधान के अंतर्गत है? आज औद्योगिक कूड़े–कचरे और रासायनिक प्रदूषकों ने उस प्रकृति को काफी क्षति पहुंचाई है जिसकी रक्षा की बात गांधीजी हमेशा किया करते थे। बापू की पर्यावरणीय चेतना का पश्चिमी भौतिकतावादी और विलासितापूर्ण उपभोक्तावादी जीवन शैली से युक्त मानव ने कितना सम्मान किया? गांधीजी ने पर्यावरण का संतुलन रखने की और हरियाली से भरे प्राकृतिक छटाओं से युक्त भारत की कल्पना की थी। सच्चाई यह है कि गंगा में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उसके स्रोत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक निरंतर घटती ही जाती है। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तब उसमें ऑक्सीजन का अभाव इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है कि मछलियों की कई प्रजातियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। प. बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना जिले की लगभग 2000 बस्तियों में पेयजल की समस्या बड़ी भयंकर है और संखिया का दुष्प्रभाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आर्कटिक महासागर के पास ग्लेशियरों पर विलुप्त होने के खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। अशोक अंजुम ने लिखा है–"सागर से बोली नदी, भर आंखों में नीर। रस्ते में इंसान ने पग–पग पर दी पीर। किस विकास के खुल गए, यारों आज किंवाड़। डरे–डरे हतप्रभ खड़े, जंगल, नदी, पहाड़।" यह ऐसे सवाल हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए क्या कुछ छोड़ रखा है?

औद्योगीकरण ने रोजगार–सृजन और रोजगार विस्तार का आश्वासन दिया था। पर रोजगार की दशा आज क्या है? इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में गांधीजी ने 1916 में कहा था–"एक सुव्यवस्थित समाज में आजीविका पाना संसार का सबसे आसान काम होना चाहिए और होता भी है। वास्तव में एक देश में सुव्यवस्था की कसौटी यह नहीं है कि उसमें करोड़पति कितने हैं, बल्कि यह है कि उसकी आम जनता में भुखमरी न हो।" इन कसौटियों पर कहां हैं हम? क्या दशा है हमारी? क्या भारत में बहुत ज्यादा धन मुट्ठी भर हाथों में सिमटा हुआ नहीं है? सवाल यह नहीं है कि गांधीजी आज कितने प्रासंगिक हैं, सवाल तो यह है कि जैसा कायाकल्प राष्ट्र का हुआ है उसकी समतामूलकता को लेकर गांधीजी आज क्या कहते ?

दरअसल गांधीजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, वृहद् और सर्वसमावेशी प्रकृति का था कि आज तक वह हर जगह चर्चा के विषय और आदर के पात्र बने रहते हैं। यह ठीक है कि एक राजनीतिक या सामाजिक दर्शन के रूप में उनके विचारों का समुच्चय, जिसे हम गांधीवाद कहते हैं, तमाम पश्चिमी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। इसका कारण यह है कि वह सुव्यवस्थित नहीं है। मानव की पीड़ा का समाधान, गैरबराबरी का अंत और कुष्ठरोगियों की सेवा करने में ही गांधीजी इतने व्यस्त रहे कि उन्होंने कभी वातानुकूलित कमरों में बैठकर अपना दर्शन निर्मित या सुव्यवस्थित नहीं किया। गीता अगर उनके हाथ में उनके जीवन को दिशा देने वाली एक पुस्तिका रही, तो उनकी अपनी आत्मकथा 'माई एक्सपेरीमेंट्स विद् ट्रुथ' भावी पीढ़ियों के लिए गीता से भी अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई। गांधीजी ने सदैव माना कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक क्रांति में या सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में विघ्न डालती है। टॉलस्टाय और जॉन रस्किन से प्रभावित महात्मा गांधी का नाम आज बच्चे–बच्चे की जुबान पर है। किंतु जो नाम बच्चे–बच्चे की जुबान पर है क्या उसका मतलब हम बड़े भी समझ पाए हैं? ❐

(लेखक पत्रकार हैं)

गांधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा

होशियार सिंह

औद्योगीकरण एवं पूंजी के विस्तार के ऐसे युग में जबकि सम्पूर्ण विश्व स्वचालित मशीनों के बल पर अधिक से अधिक उत्पादन की कल्पना कर रहा था, तथा तीव्र गति से बढ़ता हुआ मशीन आधारित उद्योगीकरण, नगरीकरण को प्रोत्साहित तथा मानव श्रम को हतोत्साहित कर रहा था, ऐसे समय में महात्मा गांधी एकमात्र विचारक थे, जिन्होंने न केवल ग्राम के अस्तित्व को बनाये रखने का तर्क दिया, बल्कि मानवश्रम के कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रेरणा भी दी।

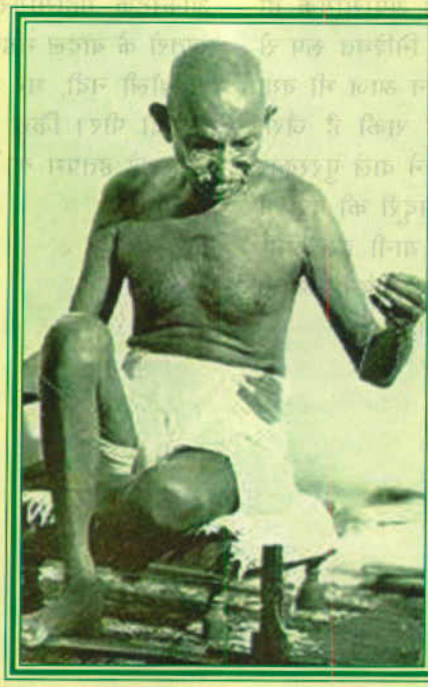

आज जबकि भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, और प्रगति के नए–नए आयाम विकसित हो रहे हैं, तथा सभ्यता तेजी से आगे जा रही है, तब भी भारत की एक विशाल जनसंख्या गावों में ही कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपना भरण–पोषण कर रही है। इस विशाल जनसंख्या के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ–साथ प्रगति के समान अवसरों की उपलब्धता के बिना, भारत के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस समस्या का सर्वाधिक उपयुक्त समाधान गांधीजी की ग्राम स्वराज की अवधारणा में निहित है जिसका आशय ऐसे राज्य की स्थापना से है जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति की ओर पहले ध्यान दिया जाए और जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपना राज कह सके।

गांधीजी की इस अंतर्दृष्टि का विकास उनके व्यावहारिक जीवन के अनुभवों पर आधारित था और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को समाहित करने वाला था। कल्पना में उन्होंने कोई सिद्धान्त नहीं गढ़ा; जो कहा, उस पर आचरण भी करके दिखाया। यही कारण है कि उनकी मान्यताएं आज भी पूर्णतः व्यवहार में लायी जा सकने योग्य हैं। यद्यपि स्वतंत्र भारत में इन्हें वास्तविक नहीं बनाया जा सका।

स्वतंत्र भारत में ग्राम विकास के नाम पर जो सरकारी नीतियां बनाई गईं वे गांधीजी के सिद्धान्तों से इतनी हटकर थीं कि उन्हें किसी भी दृष्टि से गांधीवादी नहीं कहा जा सकता था। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, जो आधुनिक विकास का पर्याय है, ने ग्रामीण समाज को प्रभावित किया, जिससे असंतोष, जातीय हिंसा, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानताएं एवं पर्यावरण प्रदूषण तथा शहरों की ओर प्रवसन जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सम्भवतः गांधी औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के परिणामों से स्पष्ट रूप से परिचित थे, तभी उन्होंने पंडित नेहरू को एक पत्र मे लिखा था, "मैं यह मानता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची आजादी पानी है और हिन्दुस्तान के मारफत दुनिया को भी, तब आज नहीं तो कल देहातों में ही रहना होगा, कई अरब आदमी शहरों में और महलों में सुख से और शान्ति से कभी नहीं रह सकते, न एक दूसरे का खून करके यानी–हिंसा से, न झूठ से–यानी असत्य से।"

"सिवाय सत्य और अहिंसा के मनुष्य जाति का नाश ही है, इसमें मुझे जरा सा भी शक नहीं है, उस सत्य और अहिंसा का दर्शन हम देहातों की सादगी में ही कर सकते हैं। वह सादगी चरखा में, और चरखा में ही निर्भर है। मुझे कोई डर नहीं है कि दुनिया उल्टी ओर ही जा रही दिखती है, यों तो पतंगा जब अपने नाश की ओर जाता है, तब सबसे ज्यादा चक्कर खाता है और चक्कर खाते–खाते जल जाता है। हो सकता है कि हिन्दुस्तान इस पतंगे के चक्कर से न बच सके, मेरा फर्ज है कि आखिरी दम तक उसमें से हिन्दुस्तान को, उसके मारफत जगत को बचाने की कोशिश करूँ।"

वास्तव में ग्रामीण विकास की गांधीजी की अवधारणा प्राचीन ग्राम के स्वरूप से जुड़ी हुई थी, जिसमें ग्राम एक प्रजातंत्रात्मक आत्मनिर्भर गणराज्य के रूप में था, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज की संज्ञा दी। गांधीजी के ग्राम स्वराज के विचारानुसार प्रत्येक ग्राम एक ऐसा परिपूर्ण गणराज्य होना चाहिए, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने पड़ोसियों पर आश्रित न हो। परन्तु गांधीजी की ग्राम स्वराज की कल्पना में पुरानी ग्राम पंचायती व्यवस्था को पुनर्जीवन देने का संदेश नहीं है, बल्कि आधुनिक जगत की विशेषताओं वाले स्वराज के स्वतंत्र ग्राम–घटकों की नई रचना करने का लक्ष्य है। वास्तव में गांधीजी ने ग्राम स्वराज की इस अवधारणा में जिस स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर ग्राम की कल्पना की, वह अभिन्न रूप से उनकी सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ी हुई है जिसके अन्तर्गत उनका मानना था कि "सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को साथ लेकर चलाना होगा।"

इस सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी सम्भव है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उसकी पहुंच के दायरे में ही प्राप्त हों। उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर, उचित समय पर एवं पर्याप्त संख्या में प्राप्त हों। सम्भवतः इसी कारण गांधीजी ने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धान्तों के अन्तर्गत काम के अवसर को प्रथम आवश्यक तत्व

माना। उनके अनुसार जब तक प्रत्येक हाथ को इतना काम नहीं मिलेगा, जिससे कि वह अपने जीवन को सुखमय बनाने के प्रयास कर सके तब तक ग्राम स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैसे भी इसके पार्श्व में उनका लक्ष्य लोगों को न केवल सुखी बनाना था बल्कि उनकी बौद्धिक और नैतिक उन्नति भी करना था। गांधीजी मानव श्रम के कुशलतम उपयोग के पक्षधर थे सम्भवतः इसी कारण उन्होंने मानवश्रम को हतोत्साहित करने वाले औद्योगीकरण का विरोध किया।

गांधीजी कुटीर उद्योगों के पक्षधर थे जिनकी सबसे बड़ी विशेषता अधिक मानवश्रम को अत्यन्त अल्प पूंजी के द्वारा ही कार्य प्रदान करने की क्षमता है। इन कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत भी उन्होंने चरखा और खादी को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। इसके पक्ष में उन्होंने लिखा था कि पाठक जल्दबाजी में यह नतीजा भी न निकाल लें कि हाथ कताई का यह आन्दोलन सभी प्रकार की मशीनों पर चोट करता है। इस आन्दोलन का उद्देश्य तो केवल ऐसी शक्तिशाली मशीनों का स्थान लेना है जो भूखों मरने वाले करोड़ों लोगों के नैतिक और आर्थिक हितों को हानि पहुँचाती है। उनका मानना था कि यूरोप के औद्योगीकरण में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो लोग उसके कारण बेरोजगार हों उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिए जाएं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। इस स्थिति को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के उद्योग–धंधे जैसे कि हाथ कताई नष्ट कर दिए गए...। जो हुनर इस तरह नष्ट हो गए हैं, उनके बदले में और देशों की भांति कोई नया धंधा भी नहीं मिल सका है। इस अर्थ में गांधीजी का औद्योगीकरण विरोध सर्वथा उचित था। मूल प्रश्न केवल विकास का नहीं है, सामान्य लोगों की रोजी–रोटी का भी है। गांधीजी का मानना था कि हर एक को अपने विकास के और अपने जीवन को सफल बनाने के समान अवसर मिलते रहने चाहिये। यदि अवसर दिया जाय, तो हर आदमी समान रूप से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है।

ऐसा तभी सम्भव है जबकि समाज के सभी व्यक्तियों के बीच सभी उपलब्ध संसाधनों का न्यायोचित वितरण किया जाए। ऐसा करने में असफल समाज व्यवस्था, अव्यवस्था एवं अशान्ति का शिकार हो सकती है। इस सम्बन्ध में गांधीजी का कहना था कि जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच जमीन आसमान का अन्तर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तान में देश के बड़े से बड़े धनवानों के हाथ में हुकूमत का जितना हिस्सा रहेगा उतना ही गरीबों के हाथ में भी होगा और तब नई दिल्ली के महलों और उनकी बगल में बसी हुई गरीब मजदूर बस्तियों के टूटे–फूटे झोपड़ों के बीच जो दर्दनाक फर्क आज नजर आता है वह एक दिन को भी नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद स्वेच्छा से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर उपयोग को तैयार न होंगे, तो समझिये कि हमारे देश में हिंसक क्रान्ति हुए बिना न रहेगी।

इस समस्या के समाधान हेतु गांधीजी ने अनेक विकल्प सुझाए थे जिनमें प्रमुख दृष्टिकोण थे–शक्ति और सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण, कुटीर व लघु उद्योग धन्धों का समान वितरण तथा ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त। परन्तु इन विकल्पों के प्रयोग में भी गांधीजी ने साधनों की पवित्रता पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि यदि साध्य पवित्र है तो साधन को भी पवित्र होना ही चाहिए। सम्भवतः इसी कारण से गांधीजी ने शक्ति और सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण पर अत्यधिक बल दिया। गांधीजी के अनुसार समाज व्यवस्था जितनी स्वावलंबी और विकेन्द्रित होगी, उतनी ही वह संपोषक, सतुलित और सार्थक होगी। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता के विकेन्द्रीकरण को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया तथा समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए संविधान में व्यापक स्तर पर पंचायतों की स्थापना सुनिश्चित की गई।

आमतौर पर विश्वशान्ति की आकांक्षा रखने वाले संसार के राजनीतिज्ञ ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली योजना बनाने की बात सोचते हैं। जबकि गांधीजी की सारी योजना नीचे से ऊपर की दिशा में काम करने की थी। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक लोकतंत्र होगा, जिसके हाथ में सम्पूर्ण सत्ता होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनना होगा तथा अपने सारे कामकाज की व्यवस्था स्वयं करने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। यहां तक कि सारी दुनिया से अपनी रक्षा करने की क्षमता भी उसे प्राप्त करनी होगी। प्रत्येक गांव को ऐसी तालीम देनी होगी और इस तरह तैयार करना होगा कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के प्रयत्न में अपने आपको मिटा सके। इस प्रकार अंत में व्यक्ति ही गांव का घटक यानी आधार होगा। गांधीजी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ है, सरकार के नियन्त्रण से स्वतंत्र रहने का निरन्तर प्रयास, फिर वह विदेशी सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार, यदि देश के लोग जीवन की हर बात की व्यवस्था और नियमन के लिए स्वराज सरकार की ओर ताकने लगें, तब तो उस सरकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा।

ग्राम स्वराज में अन्तिम सत्ता व्यक्ति के हाथ में रहेगी अतः ग्राम स्वराज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को व्यक्ति के समग्र विकास को सामने रखकर कार्य करना होगा। ग्रामीण समुदाय के सबसे कमजोर वर्ग के कल्याण को पंचायतों का लक्ष्य बनाना होगा तथा पंचायतों को शोषण, उत्पीड़न व गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया सतत जारी रखनी होगी। अन्यथा गांधीजी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार स्परूप प्रदान करना निरंतर कठिन होता जाएगा। ❐

(लेखक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में अनुसंधान अध्येता हैं)

आधुनिक अर्थतंत्र एवं गांधीजी

राजदुलारी माथुर

गांधीजी का आर्थिक दर्शन एक शोषण रहित, आत्मनिर्भर तथा विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की भावना से उत्प्रेरित था, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य सर्वोपरि था। गांधीजी आर्थिक औद्योगीकरण, केंद्रीकरण तथा राज्य शक्ति के ध्रुवीकरण से सशंकित थे। उत्तरोत्तर शहरीकरण एवं ग्राम्य अवसान से गांधीजी ने माना कि भारत की सांस्कृतिक गरिमा पर आघात हो रहा है। इसलिये गांधीजी ने विकेंद्रित, गाम्याधारित, स्वचालित एवं सहिष्णु और त्यागपरक अर्थतंत्र को प्राथमिकता दी।

ग्राम स्वराज्य एवं शोषणविहीन समाज की संरचना गांधीजी के आर्थिक दर्शन का प्रमुख आधार था। गांधीजी आज के इस मशीनी युग में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार के किसानों में ग्रामीण व्यवसायों और घरेलू उद्योग धन्धों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करने की बात की। गांधीजी की अर्थव्यवस्था में मानववाद व सद्‌गुणों से युक्त प्रवृतियों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने धन, सम्पत्ति, पूंजी, आर्थिक प्रक्रिया, सरलीकरण, मानवीकरण और नैतिकता का संयोजन करने की चेष्टा की। वे प्रत्येक कार्य और व्यवस्था को समानरूप से महत्वपूर्ण मानते थे और श्रम आधारित जीवन को सर्वोच्च मनुष्योचित जीवन की संज्ञा देते थे।

गांधीजी का मत था कि मशीनों का अंधानुकरण भारतीय मूल्यव्यवस्था को समाप्त कर देगा। गांधीजी मशीनीकरण एवं लाभकारिता के विरोधी थे। उन्होंने लघु और कुटीर उद्योगों को प्रमुखता प्रदान की। उनका मत था कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएं गांवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिये। यदि ग्रामोद्योग का लोप हो गया तो भारत के सात लाख गांवों का सर्वनाश ही समझिये। जिन क्षेत्रों मे वस्तुओं की आवश्यकता हो वहीं उनका उत्पादन हो और वहीं वितरण हो तो वितरण का नियंत्रण अपने आप हो जाता है। गांधीजी कुटीर उद्योगों, हस्तकलाओं, विकेंद्रीकरण की आवश्यकताओं के नियमन तथा मानवीय संवेदनाओं के आधार पर एक नयी समाज–रचना चाहते थे।

वस्तुतः गांधीजी मानव को केंद्र बनाकर समृद्धिशाली समाज की रचना करना चाहते थे। उनका मत था कि भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थरचना ऐसी होनी चाहिये कि किसी को भी अन्न और वस्त्र के अभाव में तकलीफ न सहनी पड़े। किसी भी देश, राष्ट्र या समुदाय का एकाधिकार अन्यायपूर्ण होगा। उनका उद्देश्य किसी ऐसे समाज की स्थापना करना नहीं था जिसमें कृषक मशीनों के लाभ का परित्याग कर दें। उनकी योजना के अनुसार जो वस्तुएं ग्रामों में भलीभांति उत्पादित की जा सकती हैं वे शहरों में पैदा नहीं करने दी जायें और शहरों को गांवों की पैदावार का बिक्री केंद्र बनाया जाय।

इस प्रकार गांधीजी की अर्थव्यवस्था का आधार विकेंद्रीकरण, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लघुस्तर पर उत्पादन अर्थात् ग्रामोद्योग, पश्चिमी सभ्यता का विरोध आदि है।

यंत्रों पर विचार

गांधीजी का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में पश्चिमी सभ्यता द्वारा विकसित मशीनें उत्तरदायी हैं। उनका विश्वास था कि मिलें विषैले डंक की भांति हैं अतः हमारे देश में मिलें कायम हों, तो इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। गांधीजी का मत था कि यंत्रों का मेरा बुनियादी विरोध इस सत्य के आधार पर खड़ा है कि यंत्र ही वह चीज है जिसने राष्ट्रों (यूरोप और अमेरिका) को दूसरे राष्ट्रों का शोषण करने की क्षमता दी है। गांधीजी का मत था कि मेरा विरोध यंत्रों के संबंध में फैले दीवानेपन से है यंत्रों से नहीं। यंत्रों को गांधीजी ने एक रोग की भांति बताया है। मशीनों के व्यापक प्रयोग से धन तथा संपत्ति का केंद्रीकरण थोड़े से लोगों के हाथों में हो जाता है। गांधीजी मशीन के विरोधी नहीं थे क्योंकि जिस चरखे को वे इतना महत्व देते थे वह भी एक तरह से मशीन या तंत्र ही था।

उनका मत था कि चरखा आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। चरखे की सहायता से भारत के आर्थिक और नैतिक पुररूद्धार में सहायता मिलेगी। चरखे का आन्दोलन यंत्रों द्वारा होने वाले शोषण तथा धन और सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए गांधीजी द्वारा किया जाने वाला भागीरथ यत्न कहा जा सकता है।

विकेंद्रीकरण

गांधीजी का मत था कि सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए तथा पूंजी के एकाधिकार एवं संग्रह को बचाने के लिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण ही एकमात्र उपाय है। छोटे कलपुर्जे औद्योगिक विकेंद्रीकरण के द्वारा गांव में घर–घर उत्पादित किये जा सकें तो बड़े उद्योगों का मन चाहा प्रसार रूकेगा और ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर होने के साथ–साथ ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। औद्योगीकरण ने गांव तथा ग्रामीण हस्तशिल्प को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया है। राज्य द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एवं स्वामित्व पूंजीवादी व्यवस्था से भी अधिक घातक है क्योंकि पूंजीपति के आत्मा होती है किंतु राज्य आत्मरहित मशीन है।

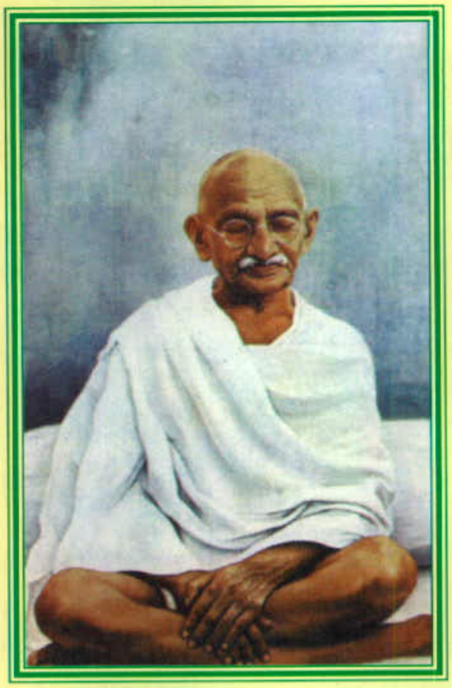

गांधीजी मानव समाज के आज के बढ़ते हुए केंद्रीय अधिनायक तंत्र का विघटन केंद्रित उद्योगवाद को ही विघटित करके रखना चाहते थे। उनका मत था कि राज्य और नौकरशाही पर आश्रितता आत्मोत्थान में बाधक है। इसलिये गांधीजी ने उस व्यवस्था से मुक्ति की बात कही जो असमानता, शोषण और दमन पर आधारित हो।

गांधीजी उद्योगों के केंद्रीकरण के खतरों से पूर्णतः परिचित थे। इसलिये उन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल दिया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण आधुनिक समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए तथा पूंजी के एकाधिकार एवं संग्रह को केवल गिने चुने लोगों में सीमित होने से बचाने के लिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण ही एकमात्र उपाय है।

आर्थिक समानता

गांधीजी राष्ट्र निर्माण और आर्थिक समानता के लिए विकेंद्रीकरण को आवश्यक मानते थे। ग्राम्याधारित लोकतंत्र के पक्ष में उन्होंने कहा कि यदि हम स्वराज चाहते हैं तो गांवों को उनका उचित स्थान देना होगा। उन्होंने ग्राम्याधारित लोकतंत्र में शहरीकरण की प्रवृति का विरोध किया और ग्राम स्वराज को ही लोकतंत्र की सर्वोपरि परिणिति माना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुराइयों का निदान विकेंद्रीकरण द्वारा ही संभव है।

गांधीजी आर्थिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते थे उनका कहना था कि सब लोगों को अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिये। वे 'प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार' के मार्क्सवादी सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे धन का समान वितरण चाहते थे जिससे सभी व्यक्तियों के मध्य पूर्ण आर्थिक समानता के सामाजिक आदर्श को प्राप्त किया जा सके।

आर्थिक समानता को गांधीजी ने अहिंसापूर्ण स्वराज की चाबी बताते हुए कहा कि आर्थिक समानता का अर्थ है पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच झगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। जब तक हमारे समाज में अमीर–गरीब के मध्य खाई को कम नहीं किया जायेगा तब तक अहिंसक समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी। गांधीजी का कहना था कि आर्थिक समानता के अभाव में विकास की बात सोचना भी निरर्थक है अतः आर्थिक साधनों का वितरण यथासंभव न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आर्थिक विषमता के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन करें जिससे अमीर और गरीब की खाई को पाटा जा सके।

न्यासिता का सिद्धांत

गांधीजी के अनुसार न्यासिता ऐसा साधन है जो अहिंसात्मक है और जिसके अनुसार आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिसमें किसी को भी अन्न और वस्त्र का अभाव न हो। प्रत्येक को इतना अवश्य मिलना चाहिये कि वह खाने और पहनने की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

यह सिद्धांत गांधीजी के अनुसार अपरिग्रह के सिद्धांत की देन है। गांधीजी की परिकल्पना का व्यवसाय, प्रबंध, अहिंसा, श्रम और पूंजी के सामंजस्यपूर्ण सहयोग पर आधारित था। उनके इस सिद्धांत में आत्मनिर्भरता, परोपकारिता, उत्पादन करने वाली इकाई की स्वायत्तताा का होना अनिवार्य है।

न्यासिता का सिद्धांत आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण समाजवादी एवं पूंजीवादी विचारधाराओं से भिन्न है। न्यासिता का एक बुनियादी सिद्धांत है कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों मिलकर न्यासी होंगे, कोई किसी का मालिक नहीं होगा। इस सिद्धांत के आधार पर पारस्परिक त्याग व सेवा द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। न्यासिता की अवधारणा द्वारा गांधीजी ने पूंजी और श्रम का समतापूर्ण नैतिक विभाजन किया जिसमें उन्होंने एक ओर सम्पन्न वर्ग के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करना चाहा, दूसरी ओर उनकी अपेक्षा थी कि आर्थिक शक्ति का न्यायोचित नियोजन एवं विकेंद्रीकरण हो। न्यासिता की स्थापना से वर्ग भेद समाप्त हो जायेगा और उत्पादन को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

गांधीजी का मत था कि अहिंसक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए पूंजीपतियों को श्रमिकों का उचित स्थान स्वीकार करना होगा अन्यथा वे क्रांति की ओर अग्रसर होंगे। अहिंसक अर्थनीति और अहिंसक राजनीति में प्रतिस्पर्धा, विषमता तथा शोषण का स्थान नहीं होगा। धन का संचय और व्यर्थ का परिग्रह नहीं होना चाहिए। धनी लोगों को समाज कल्याण के लिए अपने धन का न्यासधारी बन जाना चाहिए। इस प्रकार न्यासिता की धारणा द्वारा गांधीजी ने एक ओर सम्पन्न वर्ग के आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करना चाहा और दूसरी ओर उनकी अपेक्षा थी कि आर्थिक शक्ति का न्यायोचित नियोजन और विकेंद्रीकरण हो।

गांधीजी आर्थिक विषमता की समस्या का न्यायसंगत हल न्यासिता के सिद्धांत के आधार पर चाहते थे। 'हिन्द स्वराज' में उन्होंने विशाल उद्योगों, मशीनीकरण तथा साम्राज्यवाद और धर्म निरपेक्षता को रोग बतलाया और उनकी भर्त्सना की। किंतु अपने परवर्ती जीवन में गांधीजी बहुत कुछ यथार्थवादी बन गये। उन्होंने भविष्य के भारतीय समाज के संदर्भ में इस बात का समर्थन किया कि विशाल उद्योगों और लघु उद्योगों का सामंजस्य किया जाय, मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो, और शहरी केंद्रों की अव्यवस्थित तथ एकांगी वृद्धि को रोका जाय और उन्हें इस ढंग से संगठित किया जाय कि वे गांवों की, जहां भारत की आत्मा निवास करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। गांधीजी लिखते हैं कि "मैं तो केवल यह चाहूंगा कि जिन उद्योगों में बड़ी संख्या में लोग साथ–साथ काम करते हों उन पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दिया जाय। सभी कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के उत्पादन का स्वामित्व राज्य के द्वारा स्वयं उन्हीं में निहित होगा। किंतु मेरी कल्पना का राज्य अहिंसात्मक होगा।"

गांधीजी ने पूंजीवाद की आलोचना इसलिये की क्योंकि वह अहिंसा के सिद्धांत का निषेध करता है। किंतु वे पूंजीवाद का बलपूर्वक उन्मूलन करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने समान वितरण के क्रांतिकारी सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने अर्थोपार्जन और संग्रह पर स्वेच्छा से आत्मनियंत्रण की वकालत की।

इस प्रकार गांधीजी के आर्थिक विचार देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू में व्यावहारिकता से ओतप्रोत थे। किंतु आज राजनीतिज्ञ 'सत्तापरायण' हैं, सत्ता के लिए षड्यंत्रों की आपाधापी है। अतः न गरीबी मिटी है न बेकारी हटी है। बेरोजगारी विकट समस्या है जिसे हल करने तथा कीमतों को काबू में रखने में पंचवर्षीय योजनाएं असफल हो चुकी हैं। मुनाफाखोरी की जो आकांक्षा व्यवसाय में दृष्टिगोचर होती है वह सामाजिक असमानता का परिचायक है, किंतु इस असमानता को समाप्त करने और गांधीजी के ग्रामोद्योग की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए सतत प्रयास होने चाहिये।

गांधीजी की आर्थिक विकेंद्रीकरण की विचारधारा से प्रायः सभी सहमत हैं क्योंकि आर्थिक केंद्रीकरण से मूल्यवृद्धि, वर्ग संघर्ष, शोषण, आर्थिक असमानता, मानवीय मूल्यों में गिरावट जैसे दोष उत्पन्न होते हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। गांधीजी ने आवश्यक उपभोग वस्तुओं के संदर्भ में क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया, जिससे समग्र विकास हो सके। उनका मत था कि उत्पादन का उद्देश्य उपभोग होना चाहिए न कि बड़े–बड़े बाजारों का विस्तार।

वर्तमान संदर्भ में गांधी की विचारधारा और आर्थिक विकास प्रासंगिक है क्योंकि उनके विचारों की उपयोगिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देती है। विशेष रूप से ग्रामीण और लघु व कुटीर उद्योग, विकेंद्रीकरण, आर्थिक समानता, औद्योगिक नीति, ग्रामीण विकास, खादी ग्रामोद्योग, प्रबंध में न्यास सिद्धांत आदि ऐसे कार्यक्रम थे, जो आज के बदलते परिवेश में आर्थिक विकास की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनका विश्वास था कि ये कार्यक्रम भारत की आजादी के बाद विकासोन्मुख प्रगति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। ❐

(लेखिका महारानी श्रीजया महाविद्यालय, भरतपुर में राजनीति विज्ञान की व्याख्याता हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

ग्रामीण आवास नीति के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

भारत जैसे देश में जहां करीब तीस फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है वहां आवास एक महत्वपूर्ण विषय है। वहीं ग्रामीण आबादी के मामले में आवासीय सुविधाएं और अधिक अहमियत रखती हैं क्योंकि यह क्षेत्र आवासीय सुविधाओं की कमी का सामना कर रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि इस दिशा में समय रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। यही नहीं 1998 में बनी आवास नीति के अलावा नीतिगत स्तर पर कोई कारगर कदम भी नहीं उठाया गया है। ग्रामीण आवास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह की प्राथमिकताएं होनी चाहिए उसका इस नीति में अभाव है। ऐसे में 'फ्रेमवर्क फार ए रुरल हैबीटेट पालिसी फार इंडिया' एक महत्वपूर्ण पहल है जो नीतिगत और व्यवहारिक स्तर पर उठाये जाने वाले ऐसे कदमों की पड़ताल करती है जो देश की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी के लिए जीवन की मूलभूत जरूरत को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।

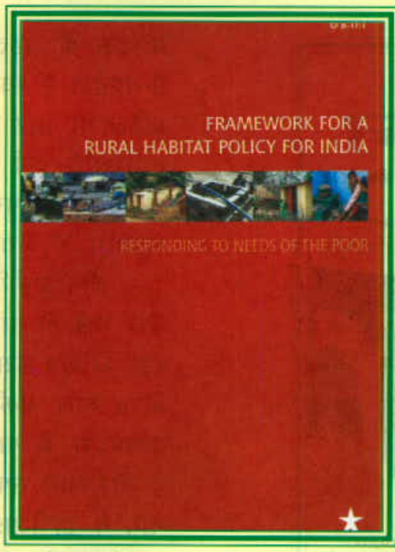

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक ग्रामीण भारत में आवासीय क्षेत्र की स्थिति और समस्याओं को तो बयान करती ही है वहीं इसका तर्कसंगत हल भी बताती है। पुस्तक में दिये गये तथ्यों और नीतिगत विकल्प एक समग्र ग्रामीण आवास नीति बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

असल में पुस्तक का मजबूत पक्ष इसके लेखकों की विशेषज्ञता है। कोर टीम की सदस्य मोना छाबड़ा, मोहन और जीनत नियाजी की अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता का पुस्तक में बेहतर उपयोग हुआ है। वहीं पुस्तक को संपादकीय सहयोग देने वाले लोगों में अशोक खोसला, इंदिरा मानसिंह, जो मैडिएथ, कीर्ति शाह और सिल्विया गुलामरेस सभी ने अपनी विशेषज्ञता की छाप इस पुस्तक में छोड़ी है। इसके साथ ही विषय की मौलिकता और तकनीकी पक्ष भी मजबूती से उभरा है।

पुस्तक में केवल आवासीय स्थान ही नहीं बल्कि हैबीटेट यानी एक आवास की समग्र धारणा को केंद्र में रखकर काम किया गया है। इसमें घर, जनसुविधाएं, पीने का पानी, कामकाज का स्थान और सामुदायिक सेवाओं जैसी ढांचागत सुविधाओं को भी आवास का हिस्सा माना गया है। असल में यह सब सुविधाएं किसी भी परिवार व व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। इसलिए किसी भी नीति में इन सभी सुविधाओं को समग्रता के साथ लेकर चलने की जरूरत है।

पुस्तक में ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय स्थिति की प्रामाणिकता और विस्तार में जानकारी दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी का 71 फीसदी गांवों में है और उसमें से केवल 41 फीसदी को ही पक्का घर नसीब है। ऊपर से केवल 78 फीसदी घरों को किसी तरह का पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है और सैनिटेशन की सुविधा केवल 23 फीसदी के ही पास है। जबकि देश में आवासीय कमी का 65 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र से आता है। इस समय 149 लाख आवासों की कमी है और साल में केवल 15 लाख घरों का ही निर्माण संभव है।

पुस्तक में सिलसिलेवार ढंग से आवासीय क्षेत्र की जानकारी दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक रूप से विश्लेषण करते हुए विभिन्न वर्गों की जरूरतों को अलग से विभाजित किया गया है। तर्कसंगत तरीके से इन वर्गों की आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए विकल्प बताते हुए नीतिगत बदलावों का सुझाव दिया गया है। आवास के लिए सबसे अहम भूमि की उपलब्धता के संकट और उसे हल करने के लिए पंचायती राज संस्था और भूमि सुधारों की भूमिका को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है।

पुस्तक का अहम पक्ष है उसका आवास के साथ जीविका उपार्जन को जोड़ना। इसमें साफ कहा गया है कि आवास के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग के लिए अगर जीविकोपार्जन की सुविधा भी गांव में दे दी जाएगी तो उससे शहरी भूमि और ढांचागत सुविधाओं पर पड़ने वाले दबाव को तो कम किया ही जा सकेगा वहीं पलायन पर रोक लगाकर उन लोगों को बेहतर जीवन जीने का विकल्प भी मिल सकेगा। यही समस्या का स्थायी हल भी है।

भूमि की उपलब्धता की दिक्कत के साथ ही ऋण उपलब्धता के पहले को सामने रखा गया है। संगठित क्षेत्र द्वारा गांवों के साथ बरते जाने वाले सौतेले व्यवहार और उसके कारकों को सामने रखते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विकल्प भी पेश किया गया है। इसके लिए माइक्रो फाइनेंस और स्वयं सहायता समूहों जैसे विकल्पों को आजमाने की सलाह पुस्तक देती है। इसके साथ ही आवास गुणवत्ता मानकीकरण और प्राकृतिक आपदा जैसे संकट में सुरक्षा के पक्ष को भी महत्व दिया गया है। वहीं इस समस्या को हल करने के लिए सामुदायिक सहयोग, गैर–सरकारी संगठनों, सरकारों और निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी रोशनी डाली गयी है।

यह पुस्तक ग्रामीण आवास नीति पर काम करने वाले नीति निर्धारकों, इस क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों और संस्थाओं के साथ ही आम पाठक के लिए भी इस क्षेत्र की एक बेहतर तस्वीर जानने की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। ❑

(समीक्षक हरवीर सिंह, 'दैनिक हिन्दुस्तान' से सम्बद्ध हैं)

आकलन

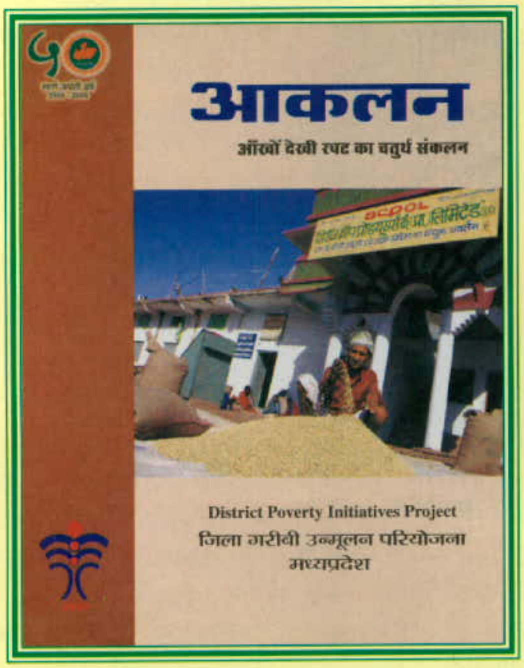

आकलन के चतुर्थ संस्करण को पढ़कर अहसास हुआ कि डीपीआई यानी डिस्ट्रिक्ट पोवर्टी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट (जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना) ने किसी तरह जमीनी स्तर पर लोगों का विश्वास हासिल कर मध्यप्रदेश के गांवों में विकास का काम किया। यह चौंकाने वाला है। वस्तुतः यह एक जमीनी हकीकत है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सुदूर देहाती इलाकों में जो अभियान छेड़ा था उसके नतीजे उत्साहवर्द्धक रहे।

डीपीआईपी परियोजना के जरिए गठित समहित समूहों के रूप में आपसी सहयोग, समन्वय के नित नये स्रोत बन रहे हैं। गांव वाले अब खेती के आधुनिक तरीके सीख गए हैं। विदिशा जिले में ढाई एकड़ जमीन पर सब्जियां उगाकर किसी तरह अपनी आजीविका चलाने वाला किसान गंगाराम कुशवाहा आज 'सिरोंज क्रॉप प्रोड्यूसर क. प्रा. लिमिटेड' का अध्यक्ष बन चुका है। अब गंगाराम अनाज की उम्दा किस्मों के बीजों का कारोबार कर रहा है।

यह कहानी उन लोगों के लिए मायने रखती है जो अशिक्षा, असुरक्षा और अभाव की जिंदगी से दो–चार होते रहते हैं किंतु हिम्मत और हौसला रखकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। ऐसी ही हिम्मत और हौसला दिखाया है गुना जिले के चाचौड़ा तहसील के कालापीपल, कुडारिया और नेसकलां गांववासियों ने। इस तरह के कई और उदाहरण भी हैं जो इस योजना के तहत नये सोपान स्थापित करते जा रहे हैं। जैसे मध्यप्रदेश में स्व–रोजगारियों को परिसंघ के रूप में जोड़ने की, महिलाओं द्वारा डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराना, राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के ग्राम जैतपुरा खुर्द के पशुपालकों द्वारा डीपीआईपी के सहयोग से डेयरी प्रोजेक्ट की शुरूआत करना।

डीपीआईपी द्वारा गांवों में इस तरह की खुशहाली लाने के पीछे भले ही गांव के लोगों का अभूतपूर्व सहयोग और सामंजस्य रहा, लेकिन इससे भली प्रकार विकास के अनेक कार्यों को नई दिशा मिल सकी। और इसी सहयोग और समांजस्य के जरिए मध्यप्रदेश के गांवों में यह योजना नये सोपान स्थापित कर रही है और आगे सफलता के नये मापदंड स्थापित करती जा रही है। गांव में डीपीआईपी के जरिए विकास की जो बयार बह रही है उसके चलते यहां के लोग अब गांव में और भी बेहतर विकास की बात करने लगे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहां अब पैसा शहरों से गांव की ओर जाने लगा है।

अब वे न केवल साल भर के गुजारा लायक पैसा कमा रहे हैं बल्कि बचत भी कर रहे हैं। अब उनके चहरे पर संपन्नता की झलक साफ देखी जा सकती है और संतुष्टि तो है ही। गांव का हर आदमी आत्मविश्वास से लबरेज दिखता है। आखिर क्यों न हो? उनके घर में बरकत जो हो रही है। वे पहले भी मेहनत करते थे लेकिन गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन जब से डीपीआई परियोजना से गांववाले जुड़े हैं उनकी तकदीर ही बदल गई है। भाग्य के सहारे बैठकर भूखों मरने पर मजबूर यह ग्रामीण आज कर्मवीरों की श्रेणी में खड़े हो गये हैं।

इससे भी बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि दूधी (शाहपुरा) के महेश और सुरेश जैसे युवाओं ने पढ़–लिखकर अपने रोजगार शुरू किए और अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है। यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि दूधी के कंजर समाज के लोगों ने आपराधिक जीवन से तौबा कर ली क्योंकि डीपीआईपी के सहयोग से उन्हें खेती में बहुत कम समय में उम्मीद से काफी अधिक मिला है और ऐसे लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है जो कभी चोरी, शराब सेवन जैसी बुरी आदतों के शिकार थे।

संभवतः अभी तक ऐसी कोई योजना ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए संचालित नहीं हुई है, जिसमें पात्र परिवारों को सरकार की ओर से स्वरोजगार हेतु 90 प्रतिशत राशि अनुदान में दी गई है। वस्तुतः डीपीआईपी के संचालन के पीछे ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व बैंकों का भी सहयोग सराहनीय रहा है। ❐

(समीक्षक फज़ले गुफरान, 'दैनिक हिन्दुस्तान' से सम्बद्ध हैं)

RAU'S IAS
A name that Nation trusts

Amazing Success

Our 2005 Exam Results : Nine positions secured by our students in first 20 and 49 in first 100 with overall 203 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India except Jaipur. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of people across India, but no one can match our quality.

Programme Highlights

Civil Services/PCS Exam - 2007

- Personal Guidance (English Medium) is available for - **General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.**
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - **General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.**
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

If you are taught by the stars, sky is the limit.

New batches for 2007 Exam, start from 27th October, 2006

Admission Open, Apply Now.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

Head Office : 309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone : 23738906-07, 23318135-36, 32448880-81, 65391202, Fax: 23317153

Jaipur Centre : 701, Apex Mall, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015, Ph.: 0141-6450676, 3226167, 9351528027

For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-10/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : वीना जैन, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय